खण्ड-397, अंक-7
सोमवार, 18 आषाढ़, शक संवत् 1912
(9 जुलाई, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 397 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–घ
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1–92
व्यवस्था का प्रश्न उठाने के सम्बन्ध में वार्ता हेतु बैठक बुलाये जाने की सूचना	92–93
नियम 301 की सूचनायें	93
जनपद ललितपुर में बने राजघाट, राजाद एवं सजनाम बांधों के मराव से किसानों की तबाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93–94
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
ग्राम मानपुर राह परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में गांव के रास्ते तथा पंचायत घर की जमीन पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94–95
जनपद बहराइच की कैसरगंज तहसील में घाघरा व सरजू की बाढ़ से तबाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद वाराणसी एवं जौनपुर में जाली नोटों की चलन से भयावह स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद फर्रुखाबाद के परगना परम नगर में लावारिश पशुओं से फसलों की बर्बादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95–96
जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में विद्युत व्यवस्था में गड़बड़ी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	96
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	96
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	97
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	97
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	97 97
कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 1990 को सदन में हंगामा किये जाने से बजट पर चर्चा न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	97–98
मुख्य मंत्री द्वारा कर्जा माफी के सम्बन्ध में सदन के बाहर घोषणा किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	98–100

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रश्न का उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	100–101
आगरा काण्ड से प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा सहायता देने में उदासीनता बरतने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	101–103
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	103–117
रायल होटल में बिजली एवं पानी की आपूर्ति बन्द होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न.	117
वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण (जारी)	117–141
बजट चर्चा में भाग लेने हेतु सदस्यों को बुलाये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी .	141–142
वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) अनुदान संख्या 14 कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विकास (पंचायती राज), अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या 53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग. . . (स्वीकृत)	142–159
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1990. . . . . (पारित) ..	159–162
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990. . . . . (पारित) ..	162–166
प्रदेश में थाना और जिला स्तर के मालखानों में अरबों रुपये का सामान गायब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	166–171
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं. . . (स्वीकृत)	171
जनपद बांदा के थाना कालिंजर के अन्तर्गत ग्राम सढा के मजरा नोहाई आनन्दपुर निवासी कमलेश की वन निगम कर्वी (बांदा) इकाई के अधिकारी द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य ..	171–173
प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों एवं कापियों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	173–179
नत्थियां.	180–182

सोमवार, दिनाँक 9 जुलाई, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन, श्री — गोण्डा
अख्तर, श्री — गाजियाबाद
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
अतर सिंह यादव, श्री — एटा
अरिदमन सिंह, श्री — आगरा
अरुण प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
उमा कान्त बाजपेयी, श्री — फतेहपुर
ऐदल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री — सीतापुर
ओम प्रकाश दिवाकर, श्री — फिरोजाबाद
करन चन्द्र सिंह, श्री — नैनीताल
काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री — हरिद्वार
किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणिजी, श्री — इलाहाबाद
कृष्ण किंकर सिंह, श्री — बस्ती
केदार नाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
खुर्शीद, श्री — गाजीपुर
गंगाभक्त सिंह, श्री — हरदोई
गुलाब सिंह, श्री — देहरादून
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोपीनाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
चन्द्रभान मौर्य, श्री — आगरा
जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
झग्गड़ सिंह, श्री — मेरठ
तीरथराज, श्री — सोनभद्र
धर्मवीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नरेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
नारायण दत्त तिवारी, श्री — नैनीताल
निरवेन्द्र कुमार, श्री — खीरी
निहाला सिंह, श्री — वाराणसी
पद्मा सेठ, श्रीमती — सीतापुर
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री — बरेली
बरफिया लाल जूबाँठा, श्री — उत्तर काशी
बलबीर सिंह, श्री — टिहरी गढ़वाल
बृजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
भूपेन्द्र नाथ शर्मा, श्री — बरेली
भोपाल सिंह, श्री — मेरठ
भोला नाथ, श्री — बलिया
मण्डलेश्वर श्री — आगरा
मास्टर कुंवर पाल, श्री — सहारनपुर
मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
मुलायम सिंह यादव, श्री — इटावा
मुस्तमन्द अली खां, श्री — मथुरा
मोहम्मद असलम खां, श्री — सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
राकेश कुमार पालीवाल,श्री	फिरोजाबाद
राजधारी, श्री	बलिया
राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां	सीतापुर
राजित प्रसाद यादव, श्री	वाराणसी
राजीव कुमार सिंह,	बाराबंकी
राजेश्वर बंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
राम बचन धुसिया, श्री	बलिया
रामरति बिन्द, श्री	वाराणसी
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
रामेश्वर दयाल बाल्मीकी, श्री	मैनपुरी
राय लक्ष्मी नारायण सिंह,श्री	जौनपुर
रियाज अहमद , श्री	पीलीभीत
रेशमा आरिफ , श्रीमती	कानपुर
लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री	मेरठ ,
वीरेन्द्र सिंह, श्री	सहारनपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	हरिद्वार
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया , श्री	कानपुर
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सिया दुलारी, श्रीमती	बांदा
सुखबीर सिंह गहलौत,श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल, श्री	बाराबंकी
सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
हर नारायण, श्री	पीलीभीत
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरिवंश कपूर, श्री	देहरादन
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री	मुजफ्फरनगर

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—मान्यवर, एक मिनट सुन लें ———

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नकाल के बाद कह लीजियेगा।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 9 जुलाई, 1990 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न—

उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का प्रस्ताव

21—श्री सत्य प्रकाश विकल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुनर्गठन के सम्बन्ध में संस्तुति, प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से की है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से ऐसा प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता तथा देश की सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की विशिष्ट भूमिका है। इसके विभाजन अथवा पुनर्गठन से प्रदेश की शक्ति कम होगी, जो देश व प्रदेश के हित में नहीं है। अतः राज्य सरकार प्रदेश के पुनर्गठन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से संस्तुति करने के पक्ष में नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस समय प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन है। पूर्वी क्षेत्र के लोगों में व्यापक असंतोष है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में तथा मध्य क्षेत्र के लोगों में भी इस असंतुलन के कारण असंतोष है। इसको ध्यान में रखते हुये तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से और इस भारी असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से क्या सरकार एक आयोग का गठन करेगी जो अपनी रिपोर्ट केवल इसी विषय पर दे कि इस असंतुलन को कैसे दूर किया जाय तथा प्रदेश का सर्वांगीण विकास किस तरह से हो ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, आयोग के गठन की अभी कोई आवश्यकता नजर नहीं आती क्योंकि सरकार सक्षम है और वह प्रदेश के विकास के कार्यों में लगी हुई है। जहां कहीं असंतुलन है उसको दूर करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इसलिये आयोग के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, सरकार ने जिस प्रकार से प्रदेश के जिलों की मांगों को देखते हुये और जिलों के प्रशासनिक ढांचे को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिये बड़े जिलों को छोटे जिलों में बदला है और छोटे जिलों का निर्माण किया जा रहा है, तो क्या इसी तरह से पूरे प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को एक नया रूप देने के लिये सरकार प्रदेश को दो भागों में—पूर्वी प्रदेश और पश्चिमी प्रदेश— में बांटने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्रशासनिक ढांचे में तो परिवर्तन होता ही रहता है और उसको दुरस्त करने का हर सम्भव प्रयास भी किया जाता है। माननीय सदस्य ने अपने जिले को अलग करवा लिया है तो अब वे

प्रदेश को बांटने की भी बात कर रहे हैं जो प्रशासनिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होती । प्रशासनिक ढांचा यदि कहीं खराब है तो उसको बदला जा सकता है किन्तु प्रदेश का बंटवारा कर देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और उससे प्रदेश की उन्नति नहीं होगी । इसलिये मैं इसका कोई औचित्य नहीं समझती ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन को प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, प्रस्ताव की गिनती हमारे पास नहीं है और अगर होती भी तो जैसा मैंने पहले कहा कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में उत्तराखण्ड से सम्बन्धित तथा तमाम जगहों पर मांग है कि उन्हें अलग कर दिया जाय । तो क्या जनता शासन में कभी प्रदेश के पुनर्गठन या उत्तराखण्ड की इस मांग पर कभी वर्तमान मंत्रिमंडल में विचार किया गया है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, उत्तराखण्ड पर यही चर्चा हुई कि उसका अंत किया जाय तथा उसका विकास किया जाय, बंटवारे के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि बार-बार जो प्रदेश के विभाजन की मांग होती है इसके पीछे तर्क यही है कि जिलों में परकैपिटा इनकम में अंतर है और क्षेत्रीय विषमतायें हैं जिनको दूर करने में कामयाबी नहीं मिल रही है इसके अलावा जिलों-जिलों में ऋण और जमा के औसत में अंतर काफी है जिसकी वजह से विभाजन की मांग उठती है तो इस ऋण और जमा के अंतर को कम करने, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने, परकैपिटा इनकम के अंतर को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठायें हैं ताकि विभाजन की मांग न उठे ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, माननीय सदस्य जानते हैं उन्हीं की सरकार है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो पहले क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है उसे दूर किया जाय ताकि आने वाले सालों में यह भावना स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं उत्तर में जो कहा है कि राष्ट्रीय एकता तथा देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह सही है कि उत्तर प्रदेश की एक विशिष्ट भूमिका है इससे प्रदेश की शक्ति कम होगी लेकिन अगर विभाजन कर दिया जाय जैसा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद और भी उसके बाद कई छोटे-छोटे राज्यों का गठन हुआ और छोटे राज्य वायेबुल भी हैं यह बात सही पाई गयी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे राज्य कर दिये जायें तो उससे राष्ट्रीय एकता को खतरा कैसे पैदा हो जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जैसा आपको ज्ञात है छोटे-छोटे राज्यों का गठन आपने देखा होगा राजनीतिक कारणों से हुआ । माननीय गुप्ता जी वरिष्ठ सदस्य हैं वह हिन्दुस्तान का इतिहास भी जानते हैं कि पहले हम

देश में विदेशियों ने इसी लिये राज्य किया कि हमारे यहां छोटे-छोटे राज्य थे, हम लोग विभाजित थे । (व्यवधान) इतिहास बताना मुझे माननीय सदस्यों को अच्छा नहीं लगता है । स्वतंत्रता के बाद इसी वजह से राज्यों का पुनर्गठन हुआ और छोटे राज्यों को एक किया गया तो फिर से प्रदेश का विभाजन कर दिया जाय इसका हम कोई औचित्य नहीं समझते हैं ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब पुनर्गठन के बारे में मांग उठ रही थी, प्रश्न किये गये, तो मंत्रिमंडल ने विचार इस पर नहीं किया तो जो निष्कर्ष निकाला वह कैसे निकाला ? गुण-दोष के आधार पर तय कैसे हुआ कि बंटवारे से नुकसान होगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, इस पर मैं नहीं समझती हूं कि इस प्रश्न पर चर्चा हो । हम लोगों को एक रहना है । विदेशियों से लड़ने के लिये । इसलिये विभाजन का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मंत्री जी को अहसास है कि रिजीनल इम्बैलेन्सेज है, क्षेत्रीय विषमतायें हैं और उसको दूर करने के लिये उनके पास कुछ सुझाव भी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिये पश्चिमी बंगाल में जो तरीका अख्तियार किया गया, गोरखालैण्ड की मांग की गयी और जैसे पूर्वांचल की मांग है या हिमांचल प्रदेश या उत्तराखण्ड की मांग है, इसलिये उसको देखते हुये प्रदेश का बंटवारा न हो, इससे सहमत हूं, लेकिन क्या प्रदेश के अंदर ही एक क्षेत्रीय परिषद् जैसे वेस्ट बंगाल में हैं और चुनाव हुये हैं तथा प्रदेशीय सरकार उससे काम लेती है, क्या उसी तरह की परिषद् की स्थापना की यहां घोषणा करेंगे और क्षेत्रीय विषमता को दूर करेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, आवश्यकता पुनर्गठन की पड़ेगी तो जैसा श्री रघुबर दयाल वर्मा ने कहा है, तो उस पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, उत्तरों से सदन में सब ओर से यह बात आयी कि क्षेत्रीय असंतुलन है, हर तरफ असन्तोष है । मंत्री जी ने पुनर्गठन की मांग स्वीकार नहीं किया लेकिन क्षेत्रीय असंतुलन को स्वीकार किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह सदन की कोई ऐसी सर्वदलीय समिति बनाने की कृपा करेंगे, आश्वासन देंगी, जो समिति इन विन्दुओं पर विचार करने के बाद शासन को रिपोर्ट दे कि प्रदेश का क्षेत्रीय असंतुलन कैसे दूर किया जाये और विकास के लिये क्या किया जाये ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, विकल जी की भावना से हम लोग सभी परिचित हो गये हैं । हम सबसे पहले यह अथक प्रयत्न करेंगे कि जो असंतुलन है उसको दूर कर सकें । मान्यवर, जनतादल का

यह पहला बजट पेश हो रहा है, इसलिये कुछ समय चाहिये जिससे यह असंतुलन दूर हो सके और शायद अगली बार यह प्रश्न विकल जी न करें ।

शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को ग्रामों में रात्रि-विश्राम किये जाने का सरकारी निर्देश और प्रति अधिकारी खर्च का विवरण

**2—श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा शासन के सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रति माह एक रात गाँव में बिताने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यदि हाँ, तो अद्यतन कितने अधिकारी कितने जनपदों के कितने गाँवों में जाकर सरकारी निदश का पालन कर चुके हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि एक रात के लिये गाँव में आने-जाने व गुजारने पर औसतन प्रति अधिकारी कितना सरकारी खर्च आया है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

सरकार द्वारा शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को दिनांक 6 जून, 1990 से दिनांक 10 जून, 1990 के बीच किसी ग्राम में रात्रि विश्राम करने हेतु निर्देशित किया गया था । यह केवल एकबारीय कार्यक्रम था । अभी तक (21 जून, 1990 के पूर्वान्ह तक) 40 अधिकारियों से 40 जनपदों के गाँवों में रात्रि विश्राम भ्रमण की आख्या प्राप्त हो चुकी है । औसतन प्रति अधिकारी कितना खर्च आया, इसके आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री हृदय नारायण—

मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 6 जून, 1990 से 10 जून, 1990 के बीच किसी ग्राम में रात्रि विश्राम करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, तो उन्हें कुछ इस आशय के भी निर्देश दिये गये होंगे कि वह ग्रामों में रात्रि विश्राम करके यह-यह काम करें या गाँव वालों को सुने ? तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने जब प्रदेश के स्तरीय अधिकारियों को ग्रामों में रात्रि विश्राम करने के लिये निर्देश दिये, तो उन्हें क्या इस बात का भी निदश दिया गया कि वह वहाँ किस-किस बिन्दु का अध्ययन करें ? इस प्रकार यदि इन 40 अधिकारियों ने कोई अध्ययन किया है, तो उस पर उन्होंने सरकार को क्या आख्या दी है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत यह निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठ अधिकारी गाँव में जाएं और वहाँ रहें, और वहाँ की जो भी सम्बन्धित समस्यायें हैं, उनको समझें और फिर यहाँ आकर उनका निराकरण करें, करने की कोशिश करें । और यह इसका पहला दौर था कि गाँव में जायेंगे । तो एक गाँव के आस-पास 10–20 गाँवों की वैसी समस्यायें होंगी, तो उसको समझने के लिये वरिष्ठतम अधिकारियों को भेजा गया था, क्योंकि चर्चा थी कि महानगरों में-एयरकण्डीन्श में बैठ कर अधिकारीगण अपनी योजनायें बनाते हैं । इसलिये इसे ध्यान में रख कर गाँव की समस्यायें सही रूप में समझने के लिये मुख्य मंत्री जी ने यह एक अच्छा कदम उठाया है । प्रश्नकर्ता सदस्य ने कहा है कि उन्हें क्या भत्ता मिला और कितना भत्ता बना । इस चीज के आँकड़े भी हमारे पास जमा हैं, यह हम बाद में उनको बता देंगे, क्योंकि यह जो सरकारी अधिकारी आते हैं और जो सरकारी पैसा खर्च करते हैं, उसका बकायदा हिसाब रखा जाता है । गाँव गये या शहर गये, खर्च तो होता ही, दोनों हालत में, गाँव में जाने से ही कोई बहूत ज्यादा खर्च हो गया, ऐसी तो कोई बात है नहीं । दूसरे जो उन्होंने कहा है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं सारे अधिकारियों के नाम पढ़ दूं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

इसके साथ ही क्या मंत्री जी अधिकारियों को यह भी निर्देश देंगे ऐसा करने के समय जिस गाँवों में उनकी जीप या गाड़ी न पहुंच पायी हो, तो वहाँ पर वह एक किलो मीटर पैदल चल कर जाएं, और इस प्रकार जाकर उनकी समस्यायें देखें और समझें ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

अवश्य अधिकारियों से कहेंगे कि वह ऐसा भी करें कि जहां पहुंचने के साधन न हों, पैदल जाया करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

40 अधिकारी 40 जनपदों में भेजे गये और वे गांवों में पहुंचे तो मैं मंत्री जी से यह जानना चहता हूं कि उन्होंने वहां कौन सी समस्या का अध्ययन किया और शासन को उन्होंने क्या रिपोर्ट संस्तुत की है ? व्यवस्था परिवर्तन के लिये उसमें उन्होंने कौन-कौन सुझाव दिये जिससे गाँव की शकल में परिवर्तन आ सके ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, आप यदि आज्ञा दें तो मैं मुख्य सचिव से शुरू करूं...

श्री उपाध्यक्ष--

इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस पर कोई प्रश्न या शंका ही नहीं है कि कौन-कौन अधिकारी गए । माननीय वर्मा जी का प्रश्न है कि जो अधिकारी गए, वह व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्या सुझाव है । यहां उनके प्रश्न में जोर था ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, यही मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट पढ़ दूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि मूल रूप से कौन-कौन से सुझाव दिये हैं जिनसे ग्रामीण जन जीवन में मौलिक परिवर्तन हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

सूचना उपलब्ध हो तो बता दीजिए ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, मेरे पास हर एक अधिकारी ने अपनी अलग-अलग रिपोर्ट भेजी है । यह रिपोर्ट मैं पढ़ दूं । अगर एक से ही अन्दाजा हो जाय तो मैं एक अधिकारी की रिपोर्ट पढ़ दूं इससे आम अन्दाज हो जायेगा ।

चौधरी शंकर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने 40 की जो फिगर बतायी है वह बहुत खतरनाक है । क्योंकि हम "अलीबाबा और चालीस चोर" का नाम हमेशा सुनते रहे । मान्यवर 40 अधिकारी गये हैं और 40 रातें काटी है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह 40 अधिकारी 40 जनपदों में गये हैं या फिर नहीं ऐसा भी हुआ है कि एक ही जनपद में कई अधिकारी चले गये हैं । दौरे लगाते समय क्या प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है । जैसा कि माननीया मंत्री जी ने कहा कि उपेक्षित पिछड़े क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जायेगा। पिछड़े जनपदों में विशेष रूप से ज्यादा दौरे लगाये जायें, क्या ऐसा हुआ है, यदि हां तो पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर बुन्देलखण्ड में कितने दौरे हुए हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, बड़ी कृपा होगी यदि दस-बीस नाम पढ़कर सुनाने की अनुमति दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। (शोर) आप लोग शोर न करें। कृपया बैठ जायें।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में एक प्रश्न करना चाहता हूं। माननीया मंत्री जी ने जो बताया कि 40 अधिकारियों की रिपोर्ट आयी है, तो क्या उस रिपोर्ट की समीक्षा की गयी है। य द की गयी है तो उस समीक्षा के क्या परिणाम आये ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, मैं अनुरोध करती हूं कि सारी रिपोर्ट आ गयी हैं। प्रत्येक अधिकारी ने जहां भी दौरा किया है उसकी रिपोर्ट आ गयी है। प्रत्येक अधिकारी की भिन्न-भिन्न रिपोर्ट है, अगर माननीय सदस्य कहें तो भिजवा दें या उसे पढ़ दें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विद्यालयों को अनुदान देने के सम्बंध में शासन के निर्णय का आधार

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, 1990 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विद्यालयों को अनुदान देने के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेश (राजाज्ञा) का आधार क्या है ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत राजाज्ञा द्वारा सरकारी घोषणाओं के विपरीत अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को भी अनुदान दिया गया है और अनुदान प्रदान किये जाने में कुछ जनपदों को विशेष वरीयता और अधिकांश जनपदों की उपेक्षा हुई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और सरकारी खजाने के इस प्रकार के असमान उपयोग पर रोक लगाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी)—

विद्यालयों भवनों के पुनर्निर्माण/निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों हेतु।

विद्यालयों हेतु अनुरोध आने पर तथा वास्तविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी का नाम पुकारे जाने पर (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण—

मान्यवर, समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने इशारा करके शुक्ला जी को बोलने के लिए कह दिया। अब आपको नहीं बुलवाया जायगा।

(व्यवधान)

आप मंत्री जी से मिल लें मैं समय नहीं दूंगा ?

श्री हृदय नारायण—

मान्यवर, यह बहुत ही गंभीर मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं आपको नहीं बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

माननीय शिक्षा मंत्री जी खड़े हैं आप बैठ नहीं रहे हैं आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं यह आपको शोभा नहीं दे रहा है ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि कुल कितने जनपदों से इस तरह का अनुरोध आया था उसमें से कुल कितने जनपदों को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और इसका आधार क्या है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, बड़ा स्पष्ट रूप से मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों हेतु प्रार्थना-पत्र जनप्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों द्वारा जो मुख्य मंत्री जी को दिये जाते हैं उनम विवेक के आधार पर और आवश्यकतानुसार माननीय मुख्य मंत्री जी अनुदान देते हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मेरा प्रश्न यह था कि किन जनपदों में इस तरह का अनुरोध आया और टोटल कितनी धनराशि उन जनपदों को दी गई? किस-किस सूबे में कितनी धनराशि दी गई?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, यह आपके माध्यम से मैंने निवेदन किया कि माननीय सदस्य विद्वान सदस्य हैं जिनकी विद्वता के सब कायल हैं, मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि प्रश्न में यह कहीं नहीं लिखा है कि कितने प्रार्थना-पत्र आए ? कितने जनपदों से आए ? इसको स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं लिखा है ?

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, कुछ जनपदों को वरीयता दी गयी है, मैं जानना चाहता हूं कि किस जनपद को सबसे ज्यादा सहायता दी गयी है और किस जनपद को सबसे कम सहायता दी गयी है ? सब से ज्यादा सहायता कितनी दी गयी है और सबसे कम सहायता कितनी दी गयी है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने स्पष्ट निवेदन आपके माध्यम से किया कि पूर्व से यह चला आ रहा है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने वर्तमान के बारे में प्रश्न किया है और मंत्री जी पूर्व की बात कह रहे हैं । मान्यवर, प्रश्नों के उत्तर ठीक से नहीं आते हैं और समय बर्बाद होता है।

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

पूर्व सरकार के कार्य-कलापों पर भी चर्चा की जायगी कि आपने क्या-क्या किया है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे लगातार अनुभव हो रहा है कि मेरा उत्तर पूरा नहीं होता, माननीय सदस्य जो सदस्य भी हैं, अध्यापक भी हैं और गुरु भी हैं, पूरी बात आने नहीं देते और एक शब्द आने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगते हैं। अगर पूरी बात सुन ली जाय धैर्य के साथ और स्वभाव बदल जाय तो शायद सदन का समय बचेगा और माननीय सदस्य की उत्सुकता भी कम होगी इसलिये मेरा पूरा उत्तर सुनने का कष्ट करें ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 3 तरह के विद्यालय हैं जिनको अनुदान दिया गया है, डिग्री, माध्यमिक विद्यालय, बेसिक विद्यालय । डिग्री कालेजों में 7 जनपदों के विद्यालयों को, माध्यमिक विद्यालयों में 37 जनपदों के विद्यालयों को और बेसिक विद्यालयों में 38 जनपदों के विद्यालयों को अनुदान दिया गया है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, सवाल मैंने क्या किया है और जवाब क्या आ रहा है । मैंने पूछा है कि सबसे ज्यादा अनुदान किस जनपद को दिया गया है ? मुझे धैर्य रखने का उपदेश मंत्री जी ने दिया कि मैं धैर्य रखूं । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि जो मैंने सवाल पूछा था उसका उत्तर दिलवाइये । मान्यवर, मंत्री लोग पूरा सवाल सुनें और पूरा जवाब दें ताकि सदन का समय नष्ट न हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

7 जनपदों में एक-एक विद्यालय को अनुदान दिया गया है, डिग्री कालेजों में किसी भी एक जनपद को ज्यादा नहीं दिया है । माध्यमिक और जूनियर विद्यालयों में इटावा जनपद को कुछ विद्यालयों को ज्यादा दिया गया है ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, अंग्रेजी माध्यम में जो स्कूल हैं उनको अनुदान क्यों दिया गया है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, उपलब्ध सूचना के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय को अनुदान नहीं दिया गया है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अनुदान किसे दिया गया और सबसे कम अनुदान किस जनपद को दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी ने कह दिया कि सबसे ज्यादा इटावा में दिया गया है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इटावा जनपद में कितना दिया गया और सबसे कम किस जिले में दिया गया है । सबसे ज्यादा धनराशि इटावा को क्यों दी गयी है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, सभी जनपदों के जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक लोग मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं और उसमें निर्णय करना होता है । जहां के जनप्रतिनिधि अधिक जागरूक रहे, उन्होंने अनुरोध किया इसलिये उनको अधिक मिला । (शोर)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, म आपका संरक्षण चाहूंगा, यह पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों पर आक्षेप है । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रायसाहब, आप बैठ जायं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सबसे ज्यादा जागरूक हैं, बाकी सदस्य जागरूक नहीं हैं क्या ?

(श्री विजय सिंह राणा के पुकारे जाने पर) (व्यवधान)

श्री शिव प्रसाद शुक्ल—

मान्यवर, मंत्री जी मे कहा है.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । मैंने माननीय विजय सिंह राणा को बुलवा दिया है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शुक्ला जी, कृपया बैठें । माननीय दीक्षित जी, कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि जागरूकता को नापने का क्या प्रमाणपत्र था और दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि जागरूकता के आधार पर धनराशि आबंटित करने की नीति कब से बनी, तीसरी बात यह है कि चयन का मापदण्ड क्या था ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से यह निवेदन किया था कि जो जनप्रतिनिधि प्रार्थना-पत्र देते हैं मुख्यमंत्री जी को या सीधे विद्यालय को देते हैं, तो विवेक के आधार पर यह अनुदान दिया जाता है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष—उत्तर आ गया है, आप बैठें ।

---

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

(7वें सोमवार के लिए स्थगित)

अंशकालिक शिक्षकों को नियमित करने हेतु शासन का निर्णय

*3—श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अंशकालिक शिक्षकों को नियमित नियुक्ति देन हेतु शासन ने कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि विधिक दृष्टि से ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अंशकालिक शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए पिछली सरकार ने कोई निर्णय लिया था और कोई नीति तय की थी ? यदि हां, तो उन निर्णयों को और उन नीतियों को वर्तमान सरकार लागू कर रही है, तो कब तक लागू कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अनेक बार यहां पर चर्चा हो चुकी है । अंशकालिक शिक्षकों की जहां तक बात है, अंशकालिक शिक्षक हमारे प्रदेश में नहीं थे । अंशकालिक समाजसेवी थे और उनकी नियुक्ति के संबंध में हम कार्यवाही कर रहे हैं । मान्यवर, नेगी जी को शायद यहां बैठकर नहीं मालूम होगा कि यह आदेश भी इन समाजसेवियों में से कुछ को मिलना शुरू हो गये हैं ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

जो अंशकालिक शिक्षक ऐसी अर्हताएं पूरी करते हैं उनको विनियमित करने में विधिक दृष्टि से क्या अड़चनें हैं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, ये काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं । मान्यवर, मैंने अभी बताया कि जो अंशकालिक समाजसेवी हैं उनमें कुछ को नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो गया है ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, इनका उत्तर है कि उनको विधिक दृष्टि से ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिए मैंने पूछा कि क्या अड़चन हैं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, कुछ हमारे समाजसेवियों ने उच्च न्यायालय में रिट किया था उनके सम्बन्ध में हम कैसे विचार करें, यह आशय है हमारा विधिक दृष्टि से ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि कुछ नियुक्ति पत्र जारी हो गये हैं तो इन अंशकालिकों को नियुक्ति पत्र देना जारी है या वर्गीकरण कर रहे हैं, अगर आपने वर्गीकरण किया है तो उसका आधार बता दें और मेरे इस निवेदन को स्वीकार करते हुए कि इसमें वर्गीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब समान आधार पर नियुक्त किये गये थे तो एक साथ सभी अंशकालिक समाजसेवियों को नियुक्त न करने का क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का बड़ा सम्मान करता हूं, वह सहमत होंगे मेरी बात से । मान्यवर, शैक्षणिक अर्हताएं देखना बड़ा आवश्यक होता है । कहीं ऐसा न हो कि सही शैक्षणिक अर्ह-

ताएं न हो, या आवेदन पत्र न दिया हो, या अनुभव न हो तो सब चीजें देखनी पड़ती हैं । हमारा ख्याल है, आप हमसे सहमत होंगे । हमारी भावनाएं निश्चित रूप से विधिक कठिनाई रहने के बावजूद भी सहानुभतिपूर्वक इन समाजसेवियों के साथ रही हैं और उसी का प्रतिफल है कि यह आदेश नियुक्ति के जारी होना शुरू हो गये हैं ।

श्री कुंवर सिंह नंगी—

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि समाजसेवी अध्यापकों की नियुक्ति हेतु कोई निर्णय सरकार ने लिया था, कोई नीति तय की थी यदि हां तो वह निर्णय क्या था और वर्तमान सरकार उन निर्णयों को लागू करें ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, घोषणाएं तो मैंने बहुत सुनी हैं, देखी है, पढ़ी है, क्रियान्वयन हुआ नहीं था हम क्रियान्वयन कर रहे हैं, इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहिए इस सरकार को । मान्यवर, क्रियान्वयन की दिशा में हम काम करने के पक्ष में हैं घोषणाओं के पक्ष में नहीं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ एवं अंशकालीन शिक्षकों का विनियमितीकरण

*1—श्री रबीन्द्र नाथ तिवारी श्री पंचानन राय एवं श्री रवि दास मेहरोत्रा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों और अंशकालीन शिक्षकों की सेवाओं को विनियमित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस बारे में अंतिम रूप से निर्णय कब तक ले लिया जायेगा और ऐसे तदर्थ तथा अंशकालीन शिक्षक जो निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करते हैं उनकी सेवाओं को विनियमित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां । अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इन्टरमीडिएट कालेजों तथा अशासकीय महाविद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्रकरण विचाराधीन है । संवैधानिक, विधिक एवं न्यायिक दृष्टिकोण से परीक्षणोपरान्त यथाशीघ्र निर्णय लेने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री रबीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, परीक्षण में कुल कितने शिक्षकों को नियुक्त कर योग्य पाया गया ? जिनका परीक्षण हो गया है, उनके बारे में सेवाओं को विनियमित किये जाने के आदेश अभी तक न देने के क्या कारण हैं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मैं इस सदन के सदस्यों को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर न केवल प्रश्न, बल्कि चर्चा भी व्यापक रूप से हो चुकी है और उसके बाद मैं तो यह समझता था कि प्रश्न उठाने का औचित्य नहीं है । फिर भी आपके आदेश और माननीय सदस्यों के आग्रह के अनुसार हमने यह बात कही । चर्चा के दौरान हमने कहा था कि संवैधानिक, विधिक और न्यायिक दृष्टि से परीक्षण

के बाद निर्णय लेंगे। लेकिन मान्यवर, मानवीय आधार पर भी विचार कर रहे हैं। यह विचाराधीन है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, इस विषय पर चर्चा 29 या 30, संभवतः 27 तारीख हुई थी और आज इस प्रश्न को इस सूची में सम्मिलित करने का आपका अधिकार है मैं जानना चाहता हूं कि इस अवधि में, जबकि चर्चा हुई और आज जब प्रश्न आया, चर्चा से प्रश्न के बीच में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, जो प्रश्न विचाराधीन है, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूं कि हम प्रगति की ओर हैं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो अंशकालिक शिक्षकों को माध्यमिक और डिग्री स्तर पर रखा था, उनसे तीन साल पढ़वाने के बाद उनको पिछली सरकार ने रोड पर छोड़ दिया। मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई दूंगा कि अंशकालिक शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति के बारे में निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन डिग्री स्तर के जो अंशकालिक शिक्षक हैं, उनके बारे में शिक्षा मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, अंशकालिक शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता। अंशकालिक स्वयंसेवियों के संबंध में उनकी तदर्थ नियुक्ति होनी है तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्रश्न है।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, जो तदर्थ शिक्षक हैं, जिनके बारे में चर्चा हुई, मैं जानना चाहता हूं, कि क्या एक माह के अन्दर इन सबके बारे में निर्णय ले लेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, समय सीमा का निर्धारण किये जाने का जो अनुरोध है, माननीय सदस्य का उसके संबंध में समय सीमा निर्धारित करने की स्थिति में हम नहीं हैं कि हम कह दें कि दो माह, तीन माह या 10 दिन, 15 दिन में होगा। हम यथाशीघ्र करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, कब तक हो जायगा, यह तो बता दें। इस वर्ष हो जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, यथाशीघ्र हम करेंगे।

जनपद अल्मोड़ा, विकास खन्ड गरुड़, तहसील बागेश्वर में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में बाधक पेड़ों को काटने के आरोप में बन्दी कार्यकर्त्ताओं के मुकदमें वापस लिये जाने के संबंध में जानकारी

*2—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगाऊ, भेटी मोटर मार्ग विकास खन्ड गरुड़, तहसील बागेश्वर, जनपद अल्मोड़ा में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में बाधक पेड़ों को

काटने के आरोप में उत्तराखन्ड क्रान्तिदल के कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध दफा 26 वन संरक्षण अधिनियम में मुकदमें चल रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त कार्यकर्त्ताओं के मुकदमें वापस लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं खेल कूद मंत्री (श्री मोहम्मद असलम खां)—

विकास खन्ड गरुड़, तहसील बागेश्वर जनपद अल्मोड़ा में, प्रगाऊ मेटी में मोटर मार्ग न होकर डंगोली–स्याली कटिया मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। इस मोटर मार्ग के निर्माण में आरक्षित वन भूमि में कुलाऊं कक्ष 12 तथा 14 निहित हैं, जिनमें दिनांक 2 मार्च, 1989 को उत्तराखन्ड क्रान्तिदल के नेतृत्व में ग्रामवासियों द्वारा विभिन्न व्यास श्रेणी के 10 पेड़ों का अनधिकृत रूप से पातन करने के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम नहीं, अपितु भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत (ग्यारह) व्यक्तियों के विरुद्ध दायरवाद मुंसिफ मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा के न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्नगत प्रकरण में विधिक परामर्श प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश आवासीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मन्डल के पदाधिकारियों द्वारा शिक्षा मंत्री को दिये गये प्रतिवेदन के विषय में की गई कार्यवाही की जानकारी

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश आवासीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के किसी प्रतिनिधि मन्डल ने अपने अध्यक्ष तथा महामंत्री क्रमशः नरेन्द्र कुमार सिंह गौड़ एवं जी0 एस0 पान्डेय के साथ दिनांक 9 जनवरी, 1990 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन उनसे (शिक्षा मंत्री) भेंट करके कोई प्रतिवेदन दिया था ? यदि हां, तो प्रतिवेदन में मुख्य मांगें क्या थी तथा उन्हें पूरा करने के बारे में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां। 9 जनवरी, 1990 का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था।
प्रतिवेदन में मुख्य मांगे निम्नवत् हैं :—

1—सेवा निवृत्तिक सुविधाओं के संबंध में।

(अ) पेंशन/भविष्य निधि विकल्प उपलब्ध कराया जाना ।

(आ) वैधानिक सेवा निवृत्तिवय (60 वर्ष) (पर ग्रेच्युटी प्रदत्त करना।

(इ) वैधानिक सेवा निवृत्ति वय (60 वर्ष) पर सेवानिवृत्त अध्यापकों को 60 वर्ष की वय के वेतन स्तर के आधार पर पेंशन उपलब्ध कराना ।

(ई) सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की वय तक पुनर्योजित की सुविधा।

(उ) 1 जनवरी, 1984 के उपरान्त नियुक्त शिक्षकों के लिये भविष्य निधि का विकल्प ।

(ऊ) भविष्य निधि में विश्वजिद्यालय अंशदान 12 प्रतिशत किया जाना।

2—विभागाध्यक्ष पद का चक्रानुक्रमण।

3—नवीन वेतन योजना के संबंध में।

4—राज्य विश्वविद्यालय शिक्षकों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के समक्ष चिकित्सा सुविधा, आवास निर्माण ऋण, शैक्षणिक अवकाश, एल0 टी0 सी0, नगर प्रतिकर भत्ता, आदि की सुविधा प्रदान करना।

5—मार्च 1989 में लेक्चरर पद की अर्हताओं संबंधी परिनियम को निर्गत करने से पहले से विश्वविद्यालयों में पूर्ववर्ती अर्हताओं के अन्तर्गत सेवारत तदर्थ अस्थायी लेक्चररों की नियमित/स्थायी नियुक्ति के लिये पूर्ववर्ती अर्हताओं का प्रभावी बने रहने के संबंध में।

उपरोक्त मांगों पर कृत कार्यवाही का विवरण क्रमानुसार निम्नवत् है—

1—(अ) यह मांग शासन द्वारा सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई है।

1—(आ) राज्य कर्मचारियों के समतुल्य व्यवस्था शिक्षकों के लिये हैं। अतः मांग का औचित्य नहीं है।

1—(इ) राज्य कर्मचारियों के समतुल्य व्यवस्था शिक्षकों के लिये है। अतः मांग का औचित्य नहीं है।

1—(ई) शासन की वर्तमान नीति तथा प्रदेश व्यापी भीषण बेरोजगारी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अध्यापकों की इस मांग को स्वीकार किये जाने का औचित्य नहीं है।

1—(उ) शासन द्वारा इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

1—(ऊ) इस मांग का प्रत्यक्ष संबंध राज्य सरकार से नहीं है।

2—मांग विचाराधीन है।

3—नवीन वेतन योजना लागू करने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश आवासीय विश्व-विद्यालय शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ समय-समय पर अपनी मांगें प्रस्तुत करते रहे हैं। राज्य सरकार ने ऐसी मांगों पर बिचारार्थ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है।

4—राजकीय कर्मचारिरयों को भी चिकित्सा भत्ता देय नहीं है। कतिपय विश्व विद्यालयों में चिकित्सालय हैं और उनके माध्यम से चिकित्सा सुविधा विश्वविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को उपलब्ध होती है। शैक्षिणिक अवकाश सुविधा अनुमन्य है।

5—विश्वविद्यालय के परिनियमाबली के प्राविधानानुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सदर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है, यह समिति कब गठित की गयी, इस समिति में मुख्य सचिव के अलावा कौन कौन और सदस्यगण हैं। इसकी रिपोर्ट कब तक आनी अपेक्षित थी, रिपोर्ट अब तक न आने के क्या कारण हैं, कब तक रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ की मांग के संबंध में मंत्रिपरिषद् ने विचार किया। मंत्रिपरिषद् ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी। इस समिति में मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, वित्त सचिव, नियोजन सचिव हैं, जो इसका परीक्षण कर रहे हैं।

माननीय गुप्त जी मैं बता रहा हूं, इस समय हमारा बजट सत्र चल रहा है, सारे अधिकारी इसमें व्यस्त हैं। जो रुचि माननीय सदस्य की हैं, आप सुन तो लें, जितनी भी समस्यायें हैं शिक्षा विभाग की, अध्यापकों के संबंध में या अन्य, उन सबका एक-एक करके हम परीक्षण भी करवा रहे हैं और उनका निराकरण भी करते जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य बहुत व्यग्र न हों हमारा प्रयास है, जो भी निर्णय होना है, इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि यह समिति कब गठित की गयी थी ? जैसा कि मुझे जानकारी है, इसको बहुत समय हो गया और वर्तमान सरकार को भी 6 महीने से अधिक हो रहा है । चूंकि अभी पूर्व में उत्तर में माननीय मंत्री जी ने अपनी बात कही और पहले भी मंशा व्यक्त की है । माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों की समस्या की भांति ही मिलती जुलती समस्या विश्वविद्यालय शिक्षकों की भी है । वर्ष 1989 में लेक्चरर की क्वालिफिकेशन में परिवर्तन कर दिया गया और इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप जो 15–20 वर्षों से तदर्थ या अस्थाई नियुक्तियाँ चली आ रही थीं, उनको क्वालिफिकेशन में न आने के कारण नौकरी से निकालने की स्थति पैदा हो गयी है, इससे जो इन अध्यापकों के पढ़ाये छात्र हैं, वह क्वालिफिकेशन में आ जायेंगे । मान्यवर, माननीय मंत्री जी मानवीय दृष्टि कोण की चर्चा करते हैं, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जब इनको नियुक्ति हुयी थी उसी समय की अर्हताओं को सिद्धान्त रूप में मानते हुये सेवाओं को नियमित कर दिया जाय ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी––

मान्यवर, हमारे विद्वान सदस्य को यह मालूम है कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की न नियुक्ति का विषय शासन स्तर का नहीं हुआ करता है, यह विश्वविद्यालय की परिधि में ही आता है और विश्वविद्यालय इसमें विचार करता है, इसके लिये उनकी अलग-अलग विश्वविद्यालयों की परिनियमावलियाँ उसके तहत नियमित, अस्थाई नियुक्ति आदि सभी चीजों का अधिकार कार्य परिषद् को प्राप्त है और इस संबंध में निर्णय अलग-अलग विश्वविद्यालयों द्वारा लिया जाना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता की चर्चा करते हुये परिनियमावलियों की बात बताई । यह बात सही है कि परिनियमावलियाँ बनती हैं, लेकिन शासन द्वारा उसकी पुष्टि होती है, राज्यपाल जो कुलाधिपति होते हैं, वह विश्वविद्यालयों के संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं तो क्या शासन ने किसी स्तर पर विचार किया है कि 15–20 वर्षों से काम करने वाले अध्यापक, जो क्वालिफिकेशन में परिवर्तन किये जाने के कारण नौकरी से निकाल दिये जायें, उनके संबंध में शासन ने अपने अधिकारों के तहत कोई कार्यवाही मानवीय दृष्टि से करने की कृपा की है, या की जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी––

मान्यवर, उत्तर में मैंने पूर्व में ही निवेदन किया कि जो परिनियमावलियां हैं, उनके नियम के प्राविधानुसार ही यह कार्यवाही की जा सकती है ।

(सोमवार, दिनाँक 9 जुलाई, 1990 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

जनपद फैजाबाद की अकबरपुर और बीकापुर तहसील क्षेत्रों में शराब ठेकेदारों पर बकाया सरकारी देय

*1––श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की अकबरपुर और बीकापुर तहसील क्षेत्रों में शराब के ठेकेदारों में से कितने ठेकेदारों पर वर्तमान समय में एक लाख रुपये से अधिक सरकारी देय बकाया है और उसे न वसूले जाने का क्या कारण है ?

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)––

फैजबाद जिले की अकबरपुर एवं बीकापुर तहसील क्षेत्रों में शराब के ठेकेदारों में से किसी ठेकेदार के ऊपर वर्तमान समय में एक लाख रुपये से अधिक का सरकारी देय बकाया नहीं है । पुराने ठेकेदारों में तहसील बीकापुर क्षेत्र के ठेकेदार सर्वश्री राम नरायन, राम आसरे, हीरालाल पुत्रगण श्री जगमोहन निवासी नाका मुजफरा तथा श्री शिव प्रसाद पुत्र श्री बेचूलाल निवासी नाका मुजफरा कुल 4

ठेकेदारों पर वर्ष 1974-75 का मु0 3,79,438.00 रु0 बकाया है, जो जनपद के मुन्सिफ न्यायालय के वाद संख्या 82/75 में पारित स्थगन आदेश के कारण वसूल नहीं किया जा सकता है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहूंगा कि जिन 4 ठेकेदारों का मामला सबजुडिस है, उनके अलावा बीकापुर में किन-किन ठेकेदारों पर बकाया है और सबसे ज्यादा बकाया किस ठेकेदार पर है, इन बकायेदारों से वसूली करने में क्या दिक्कत है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, बीकापुर तहसील के संबंध में हमने बताया कि मुन्सिफ न्यायालय में वाद लम्बित है, जिसकी सुनवाई 25 जुलाई, 1990 को लगी है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, हमने पूछा कि 4 ठेकेदारों के मामले को छोड़कर बीकापुर तहसील में और किन-किन पर बकाया है और वह राशि कितनी है । इन राशियों को वसूलने में क्या परेशानी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में एक लाख से ऊपर का पूछा था । वर्तमान में बीकापुर तहसील में 20 ठेकेदार हैं तथा 7 ठेकेदार अनुज्ञापी हैं । इन ठेकेदारों के ऊपर वर्तमान वर्ष में कोई बकाया नहीं है । तहसील बीकापुर के पुराने आबकारी ठेकेदारों के ऊपर मु0 12,7,702 रु0 बकाया था, जिसमें से मु0 4,82,169.00 की वसूली की जा चुकी है, मु0 4,78,273.00 स्थगित है । अवशेष धनराशि मु0 3,17,260.00 की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कई वर्षों से न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करके आबकारी ठेकेदारों ने आबकारी का करोड़ों रुपए अदा नहीं किए हैं । इन स्थगन आदेशों को वैकेट कराने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाये हैं कहने का मतलब यह है कि न्यायालय में प्रभावी पैरवी के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

आज ही निर्देश दे दिये गये हैं कि न्यायालय में प्रभावी रूप से पैरवी की जाय । यह सही है कि पूरे प्रदेश में 66 करोड़ 23 लाख रुपए ठेकेदारों के ऊपर बकाया है, जिसमें से 52 करोड़ 43 लाख रुपए न्यायालय द्वारा स्थगित है । 34 करोड़ रुपए बैड फीस का सुप्रीम कोर्ट ने वसूली न करने के लिए कहा है । 13 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली करना हमारे पास है, मार्च तक 2 करोड़ 38 लाख रुपए की वसूली कर दी गई है । शेष 10 करोड़ 97 लाख रुपए की वसूली हमें करनी है जिसके लिए हमें आदेश दे दिये हैं कि इसकी वसूल हेतु कड़ी कार्यवाही की जाय । यदि हो सके तो उत्पीड़न की कार्यवाही करके इसे वसूल किया जाय ।

जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन उच्चीकृत किया जाना एवं शिक्षा आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति की जानकारी ।

*2—श्री विजय सिंह राणा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदानित जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु वेतन वितरण अधिनियम, 1978 लागू है ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि ऐसे विद्यालयों के उच्चीकृत होकर हाई स्कूल स्तर में उच्चीकृत होने पर वेतन वितरण की उक्त व्यवस्था लागू नहीं होती है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक ऐसे विद्यालय के हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकृत होने पर प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नत होने का प्राविधान

नहीं है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या इन व्यवस्थाओं के परिवर्तन हेतु शासन कोई नई नीति निर्धारित करेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

जी हाँ ।

जी हाँ । उच्चीकरण के पश्चात् विद्यालय वेतन-वितरण अधिनियम, 1978 की परिधि से बाहर हो जाता है ।

जी हाँ । जूनियर हाई स्कूल के हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकृत होने पर वह माध्यमिक शिक्षा आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आ जाता है । माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक को स्वतः प्रोन्नति का प्राविधान नहीं है ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रारम्भ में यह व्यवस्था थी कि जूनियर हाई स्कूल के जो हैड मास्टर होते थे, उनकी शैक्षिक योग्यता और हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक होते थे, उसमें अन्तर होता था । अब हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर का 7 वर्ष का अनुभव भी मान्यवर दिया गया है । जब यह व्यवस्था कर दी गई है जो जूनियर हाई स्कूल के हेड मास्टर को हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति न दिये जाने के क्या कारण हैं । क्या यह व्यवस्था शासन के विचाराधीन है, यदि है तो कब तक इस पर अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

मान्यवर, पहले क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम है यह अवश्य है कि पूरे प्रकरण पर शासन विचार कर रहा है । इस संबंध में शीघ्रता करने का प्रयास भी सरकार कर रही है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, जब तक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल होता है तो वह वेतन वितरण अधिनियम में होता है और उनके वेतन का वितरण सरकार द्वारा होता है लेकिन जब वही विद्यालय तरक्की पाकर हाई स्कूल हो जाता है तो वेतन वितरण अधिनियम में वह नहीं रह जाता है उनके वेतन भुगतान की जिम्मेदारी सरकार की समाप्त हो जाती है, यदि कोई तरक्की करता है तो उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जूनियर हाई स्कूल जब हाई स्कूल हो और जब तक हाई स्कूल की अनुदान सूची में न आये तब तक जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा परिषद् अधिनियम में संशोधन किया जाय ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, जो मूल प्रश्न राणा जी ने पूछा वह भी यही था । जूनियर हाई स्कूल तक जो केवल वेतन वितरण की व्यवस्था है वह बेसिक शिक्षा परिषद् की कार्यवाही है । वेतन वितरण अधिनियम, 1978 है उसको देखें तो उसमें प्राविधानित है, इसके सम्बन्ध में ही यह निवेदन किया कि मूल प्रश्न आने के पूर्व से ही, यह शासन जब से आया है, इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना शुरू कर दिया है ।

श्री किशोरी श्याम---

मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर दिलवा दें । पहले जो सरकार थी वह कह देती थी कि "देख लेंगे", अब मंत्री जी कहते हैं कि "विचार करेंगे", तो इसकी कोई सीमा है?

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् परीक्षा 1990 में हाई स्कूल इतिहास के त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्र के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*3---श्री वीरेन्द्र सिंह(गाजीपुर)---

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद् परीक्षा 1990 में हाई स्कूल इतिहास के प्रश्न पत्र में प्रश्न था कि"संलग्न मानचित्र में निम्न स्थलों को दर्शायें" परन्तु प्रश्न-पत्र या उत्तर पुस्तिका के साथ मानचित्र संलग्न नहीं था, जिसके कारण परीक्षार्थी उक्त प्रश्न-पत्र का उत्तर देने से वंचित रह गये ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार लोग कौन हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री सच्चिदानन्द---

जी हां । किन्तु इसके कारण परीक्षार्थी प्रश्न पत्र का उत्तर देने से वंचित नहीं रहा । त्रुटि प्रेस स्तर से हुयी है । इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि "जी हां" यानी प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका के साथ मानचित्र संलग्न नहीं था, इसके बाद माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है "किन्तु इसके कारण परीक्षार्थी प्रश्न पत्र का उत्तर देने से वंचित नहीं रहा" यह बात समझ में नहीं आती । कृपया इसका उत्तर दिला दें ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी---

अनुरोध करूंगा कि मूल प्रश्न में इन्होंने पूछा है कि "प्रश्न पत्र में" तो उस प्रश्न पत्र में कोई भी छात्र वंचित नहीं रहा है ।

श्री शैलेन्द्र कुमार---

इस प्रकार की गड़बड़ियां प्रत्येक वर्ष होती रहती हैं कहीं पर प्रश्न पत्र बदल जाता है, कहीं पर प्रश्न-पत्र अधूरा रहता है, कहीं पर मानचित्र नहीं होता है, इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि छात्र वंचित रहे । यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, जानना चाहूंगा कि इसमें प्रेस की जो गड़बड़ी है या जो सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी दोषी पाये गये हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? इसके लिये क्या उपाय कर रहे हैं कि इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में न हो ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी---

मूल प्रश्न के उत्तर में ही कहा था कि जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही के आदेश कर दिये गये हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह---

जब प्रश्न पत्र में था कि "संलग्न मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शायें" और मानचित्र न तो उत्तर-पुस्तिका के साथ संलग्न था और न प्रश्न पत्र के साथ, तो छात्र तो वंचित रह ही गये ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य कुछ भ्रम कर रहे हैं, प्रश्न करने में, मूल प्रश्न में प्रश्न-पत्र के सम्बन्ध में पूछा है । मैंने निवेदन किया कि उस प्रश्न पत्र में कोई वंचित नहीं रहा ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, माननीय सदस्य बार-बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी जान-बूझकर समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं । माननीय सदस्य का प्रश्न है कि एक प्रश्न-पत्र था, उसमें एक प्रश्न अधूरा था, अगर प्रश्न अधूरा है तो प्रश्न पत्र भी अधूरा है, परीक्षार्थी का एक प्रश्न छूट गया तो उससे वह वंचित रह गया,

निःसंदेह वह प्रश्न पत्र से वंचित रह गये चाहे आंशिक रूप से वंचित रहे हों या फिर पूर्ण रूप से । जिन छात्रों ने यह प्रश्न किया और मानचित्र न संलग्न होने से वे पूरा उत्तर देने से वंचित रह गये, क्या आप उनकी कुछ सहायता करेंगे ? और जिनके कारण यह प्रश्न पत्र बिना मानचित्र के ही बांट दिया गया उनके विरुद्ध भी आप क्या कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

माननीय तिवारी जी ने मूल प्रश्न देखा है परन्तु उन्होंने मेरे मूल उत्तर को नहीं देखा बल्कि प्रश्न की भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है । फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में कि मानचित्र जो छूट गया, वह गोपनीय होता है । कुछ कालेजों में यह गया और कुछ कालेजों में कह दिया गया कि स्थानीय स्तर पर इसे बना लें । उस प्रश्न-पत्र का मूल्यांकन होने के बाद पता लगा तब उस प्रश्न-पत्र के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये इसीलिये इस विषय विशेष में गत वर्ष 40 प्रतिशत तक जहां अंक गये थे, वहीं इस वर्ष 70 प्रतिशत तक का रेजल्ट था । यह कहना ठीक नहीं है कि बच्चों से यह प्रश्न छूट गया था ।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि शिक्षा समान होगी । तो अगर आधे प्रश्न पर ही आपका रेजल्ट इतना प्रतिशत दिखलायेगा तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अगले वर्ष भी प्रश्न-पत्रों के जरिये अधूरे ही प्रश्न करते रहेंगे जिससे कि प्रतिशत में बढोत्तरी होती रहे ?

(उत्तर देने के लिये माननीय मंत्री जी को नहीं पुकारा गया) ।

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में रखे जाने की योजना

*4—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने सम्बन्धी कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी योजना बनाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां । केवल स्थायी मान्यता प्राप्त अर्ह जूनियर हाई स्कूलों को ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यदि आप मेरे मूल प्रश्न को देखें तो मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों के सम्बन्ध में कि उनको अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में शासन में क्या कोई योजना विचाराधीन है ? माननीय मंत्री जी ने जूनियर हाई स्कूलों के सम्बन्ध में अपना उत्तर निश्चित किया है लेकिन प्राथमिक स्कूलों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है । मैं माननीय मंत्री जी से प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि इनको अनुदान सूची में लिया जाने के सम्बन्ध में क्या योजना है तथा इसी के साथ ही साथ कितने जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिन्हें अनुदान सूची में लिया जाना शेष है और वे मान्यता प्राप्त भी हैं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, अभी 3 जून को इसी सदन में यह बात आयी थी कि 300 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में लिये जाने का प्राविधान बजट में है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही अहम मसला है कितने दिनों से टीचर धरना और प्रदर्शन करके धरना दिया है । किया क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि 300 की जो संख्या उन्होंने बतलायी है उसे बढ़ा कर कम से कम 1000 स्कूलों को क्या वे अनुदान सूची में लिय जाने की इस सदन में घोषणा करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

3 जून को बजट पर चर्चा करते समय मैंने स्पष्ट घोषणा की थी । माननीय सदस्य को मालूम है कि जितना प्राविधानित होता है बजट में, वहीं हम ले सकते हैं, इसके अलावा घोषणा क्या करें ?

श्री अनग्रह नारायण सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर न तो लिखित उत्तर में ही आया और न अनुपूरक प्रश्नों के ही द्वारा अभी तक आया है । माननीय मंत्री जी ने जूनियर हाई स्कूलों के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से बतला दिया किन्तु प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में नहीं बतलाया है कि उनको अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में शासन का क्या विचार है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

अभी बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में अनुदान सूची में उनको लेने का निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन मैंने इसी सदन म बताया है कि जितने जितने विद्यालय 5-5 सालों में लिये जाते रहे हैं उससे अधिक एक साल में लिये जाने का निर्णय हमने लिया ह ।

*5—श्री अमर नाथ यादव तथा श्री रवि कान्त गर्ग—

(11वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

अनुदान–सूची न लाये गये प्रदेश में कुल महाविद्यालयों की सख्या

*6—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुल कितने महाविद्यालय ऐसे हैं जो अभी तक अनुकान सूची में नहीं रखे गये हैं ? ऐसे महाविद्यालयों को कब तक अनुदान दिया जायेगा ? यदि नह।, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

अठारह अशासकीय महाविद्यालय ।

स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने के उपरान्त ही कोई अशासकीय महाविद्यालय अनुदान सूची पर लाये ज ने का पात्र होता है। सम्प्रति स्थायी सम्बद्धता प्राप्त केवल 6 महाविद्यालय हैं जिन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर अनुदान सूची पर लाया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना—

मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं, एक तो यह कि वह कौन-कौन से विद्यालय हैं जिनको अनुदान सूची में लिया जाता है ? क्या शाहजहांपुर के आर्य महिला विद्यालय को लिया गया है और दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि क्या चालू सत्र में इसको अनुदान सूची में लिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य की दो जिज्ञासायें हैं । उनकी पहली जिज्ञासा जो है वह शाहजहांपुर के सम्बन्ध में केवल हैं । मैं आपके माध्यम से केवल शाहजहांपुर की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सूचना देना चाहता हूं । मान्यवर, पूरे प्रदेश में 6 अशासकीय महाविद्यालय स्थायी मान्यता प्राप्त कर चुके हैं । उनके नाम भी मैं बताना चाहता हूं, समता महाविद्यालय, सादात, गाजीपुर, कानपुर विद्या मंदिर महिला डिग्री कालेज, कानपुर, गिन्दो देवी महिला महाविद्यालय, बदा ू, लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कालेज, सिरसा, इलाहाबाद, सैयद जव्वाद अलीशाह इमामबाड़ा गर्ल्स डिग्री कालेज, गोरखपुर और आर्य महिला डिग्री कालेज, शाहजहांपुर ।

(इस समय 12 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

*7—श्री चन्द्र विजय सिंह—

(दिनांक 25 जून, 1990 को अता0 प्र0 सं0 84 द्वारा उत्तरित) ।

माध्यमिक शिक्षा की गिरती हुई दशा को सुधारने हेतु मान्यता प्राप्त प्रबंध समितियों को अधिक अधिकार दिये जाने की मांग

*8—श्री हरीश कुमार गंगवार (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा की गिरती हुई दशा को देखते हुए सरकार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समितियों को अधिक अधिकार देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उटता ।

सम्प्रति आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

गोरखपुर, लखनऊ पूर्वान्चल एवं अवध विश्वविद्यालय के कुलपतियों के विरुद्ध दिये गये ज्ञापन

*9—श्री यशवन्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर लखनऊ, पूर्वान्चल एवं अवध विश्वविद्यालय में कुलपतियों के विरुद्ध सरकार के छात्र असंतोष के संबंध में कोई ज्ञापन माह जनवरी, 1990 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस उक्त स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

इन चारों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के विरुद्ध छात्र असंतोष के सम्बन्ध में कोई एक सम्मिलित ज्ञापन शासन में प्राप्त नहीं हुआ है ।

माह जनवरी में केवल तीन गोरखपुर, लखनऊ एवं पूर्वान्चल विश्वविद्यालय के कुलपतियों के विरुद्ध विभिन्न स्रोतों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ।

उक्त ज्ञापनों पर परीक्षण/जांच कराई जा रही है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न काल में कोई व्यवस्था नहीं होती है । आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है । आपने दो प्रश्न कर लिये हैं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना---

मैंने अभी दो प्रश्न नहीं किये हैं । आपने अभी माननीय सदस्यों को तीन-तीन अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति दी है और मुझे दूसरा भी प्रश्न करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

मैं तो दूसरी बार खड़ा हुआ हूं । उत्तर तो दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष---

आप मेरे पास आयें । अगर कोई बात रह गयी है तो । (व्यवधान)

आपकी कोई बात नहीं लिखी जायेगी ।

श्री यशवन्त ---

मान्यवर, 4 विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में कहा गया है, लेकिन मेरे मूल प्रश्न में ऐसा नहीं है । मैंने यह प्रश्न किया था कि चार विश्वविद्यालयों का कोई सम्मिलित ज्ञापन प्राप्त हुआ है । उसका जवाब ही गलत आया है कि "जी नहीं" । दूसरी तरफ मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 12 अप्रल, 1990 को मेरा सवाल जब आपके पास पहुंचा तब से लेकर आज तक जो शिकायतीं पत्र . . . .

श्री अध्यक्ष---

आप जल्दी प्रश्न कर लें प्रश्नों का समय समाप्त हो रहा है ।

श्री यशवन्त सिंह---

मान्यवर, मैं पूछ रहा हूं कि 12-4-90 जब से शिकायती पत्र पहुंचा है तब से लेकर आज तक क्या परीक्षण भी किया गया है या अगली कोई कार्यवाही भी हुई है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी---

मान्यवर, इसका परीक्षण हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री यशवन्त---

कुलपतियों की बढ़ती हुई तानाशाही को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की ग

श्री अध्यक्ष---

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया, कृपया बैठ जाय ।

नोट---नत्थी 'घ' के ता0 प्र0 सं0 9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेल नगर, भटहट, जिला गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक

प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

*10—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने पटेल स्मारक इण्टर कालेज, पटेल नगर, भटहट, जिला गोरखपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायती-पत्र दिनांक 1 सितम्बर, 1980 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा शिक्षा निदेशक लखनऊ को तथा उसकी प्रतियां शिक्षा मंत्री तथा उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर को भेजी थी जिसमें यह भी शिकायत की थी कि संचयिका योजना के अन्तर्गत छात्रों से वसूल की गई धनराशि प्रधानाचार्य ने धोखा देकर हड़प ली है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हाँ ।

शिक्षा अधिनियम की धारा 16—डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

*11—श्री राम प्रसाद सिंह—

(दिनांक 29 जून, 1990 को ता0 प्र0 सं0 15 द्वारा उत्तरित) ।

प्रमुख अभियन्ता/निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के पद पर नियुक्ति की शर्तें

*12—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रमुख अभियन्ता/निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के पदपर नियुक्ति के लिय यह आवश्यक ह कि नियुक्ति के समय उसके सेवाकाल में कम से कम 4 वर्ष शेष हो तथा वह लेविल—1 की मुख्य अभियन्ता 2 वर्ष रह चुका हो ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्तमान प्रमुख अभियन्ता यह शर्तें नहीं पूरी करते हैं ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को लिखा गया दिनांक 3 फरवरी, 1990 का पत्र, जिसकी प्राप्ति उनके सचिव ने पत्र संख्या सी0 एम0 बी0 को0/एम–2-115–220/फ0-90, दिनांक 13 फरवरी, 1990 द्वारा स्वीकार की है, को क्या परीक्षण हेतु सचिव, ग्राम विकास को भेज दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं ।

नवीन शासनादेश के तहत अब यह आवश्यक नहीं है कि निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पद की नियुक्ति के समय संबंधित अधिकारी के सेवाकाल में कम से कम 4 वर्ष शेष हों । उक्त पद के लिए अर्ह होने के लिए मुख्य अभियंता ग्रेड–2 के पद पर 2 वर्ष का कार्य अनुभव जरूरी है न कि मुख्य अभियंता, लेविल–1 के पद पर ।

जी नहीं ।

वर्तमान निदेशक एवं मुख्य अभियंता संहत आदेशों के अंतर्गत आवश्यक शर्तें पूर्ण करते हैं ।

जी हां ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने के प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु विभिन्न न्यायालयों एवं अभिकरणों में लंबित वादों एवं स्थगनादेशों के कारण पदोन्नति में बाधा उत्पन्न हो रही है । श्री एम0 आर0 सिद्दीकी के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच लंबित है । श्री सिद्दीकी को प्रशासनिक आधार पर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र में मुख्य अभियंता, ग्रेड–2 के पद पर स्थानान्तरित कर प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया । श्री वी0 के0 माथुर की लोक निर्माण विभाग से स्थानान्तरण कर प्रतिनियुक्ति पर की गयी तैनाती नियमानुसार है ।

राजकीय कर्मचारियों के विनियमितीकरण आदेश का शिक्षा विभाग में अनुपालन

*13—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 शासन के कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 19 मई, 1981 कार्मिक, दिनांक 22 मार्च, 1984 की विनियमितीकरण संशोधन नियमावली, 1984 के नियम 9/2 के अन्तर्गत 1 मई, 1983 से पूर्व तथा 1 जनवरी, 1977 के बाद समस्त सदर्थ रूप से नियुक्त राजकीय कर्मचारियों को विनियमित करने के आदेश समस्त विभागाध्यक्षों को निर्गत किए गये थे ? यदि हां, तो शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने इसका अनुपालन करते हुए सभी अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं को नियमित नियुक्ति पत्र जारी कर दिये हैं और उनकी ज्येष्ठता निर्धारित कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

अभी नहीं ।

जी नहीं ।

अभिलेख अपूर्ण होने के कारण ।

*14—श्री राम स्वरूप वर्मा—

(माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित) ।

वन विभाग में पट्टे की क्रिया पुनः लागू करने की मांग

*15— श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1977 में वन विभाग द्वारा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 30–30 वर्षों के लिये कृषि हेतु वन विभाग की भूमि के पट्टे दिये गये थे ? क्या उसी प्रकार वन विभाग की भूमि पट्टे की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ऐसे पट्टे दिये जाने की पुष्टि नहीं होती ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत वन भूमि का गैर-वानिकी उपयोग बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के नहीं किया जा सकता है और राज्य सरकार की नीति भी कृषि प्रयोजन हेतु वन भूमि देने की नहीं है ।

जिला परिषदों के आयुर्वेदिक डाक्टरों की वेतन विसंगति को दूर करने की कार्यवाही

*16—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों में आयुर्वेदिक औषधालयों के डाक्टरों का वेतनमान 1,400–2,600 रुपया निर्धारित किया गया है ? क्या यह सही है कि समान योग्यताधारी शासकीय सेवारत डाक्टरों का वेतनमान 2,200–4,000 रुपया निर्धारित है ? यदि हां, तो इस विसंगति का क्या कारण है ? क्या इस विसंगति को दूर करने के लिये शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

जी हां ।

समता समिति (स्थानीय निकाय) ने जिला परिषदों के आयुर्वेदिक डाक्टरों के समकक्ष कोई पद केन्द्र सरकार के अन्तर्गत नहीं पाया । केवल पदनाम या अर्हता एक होने से समकक्षता स्वीकार नहीं की गयी है । विभिन्न स्थानीय निकायों का वर्गीकरण उनके पृथक्–पृथक् आकार तथा महत्व और उनकी वित्तीय क्षमता के अनुपात में उनके कार्य की श्रम साध्यता तथा मात्रा का विचार करते हुये ही किया गया है । इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये राजकीय कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की समकक्षता निर्धारण में अंतर होना स्वाभाविक एवं अवश्यम्भावी है । शासन के चिकित्सकों का पुराना वेतनमान भी जिला परिषदों के प्रश्नगत डाक्टरों से उच्च था । विसंगतियों के निराकरण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

तहसील मऊरानीपुर, जनपद झांसी में लड़कियों का एक विद्यालय खोलने की मांग

*17—श्री प्रागीलाल अहिरवार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी, तहसील मऊरानीपुर में लड़कियों को शिक्षा सुविधा के लिये कोई इन्टरमीडिएट कालेज नहीं है ? यदि हां, तो मऊरानीपुर में स्थापित राजकीय कन्या हाई स्कूल को सरकार इण्टरमीडिएट तक की मान्यता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी—

जी हां । बालिकाओं का कोई इण्टरमीडिएट कालेज नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालय जिला परिषद् के भवन में किराये पर संचालित हैं, जिसमें अतिरिक्त कक्ष का अभाव है तथा अलग से भूमि भी उपलब्ध नहीं है ।

अशासकीय विद्यालयों में भी पेंशन सुविधा की मांग

*18—डाक्टर विनेश चौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजाज्ञा संख्या 4006/15–2–36(75)–77, दिनांक 3 जून, 1979 तथा राजाज्ञा संख्या 3691/15–2–88–36(7)–77, दिनांक 16 सितम्बर, 1988 द्वारा 13 जून, 1979 तथा 10 जनवरी, 1986 के मध्य सेवा निवृत्त कर्मचारियों को शासकीय सेवा में आने से पूर्व अशासकीय विद्यालयों में की गई सेवाओं का पेंशन में जोड़ने की सुविधा प्रदान की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त सुविधा 10 जनवरी, 1986 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी प्रदान करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो 10 जनवरी, 1986 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उक्त सुविधा प्रदान न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी—

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

धौर्रा–बालाबेहट मार्ग, जनपद ललितपुर के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने की मांग

*19—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के ब्लाक विरवा में धौर्रा से बालाबेहट मार्ग वाया पिपरई, बिजौली, आरोन, मंडयावारी, मुडारी बांएपुर, बांवर, सेमरा

जो स्वीकृत हैं, का निर्माण कार्य आरम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

यह मार्ग अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, अतः निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

इस मार्ग का निर्माण डाकूग्रस्त परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति एवं वित्त पोषण पर निर्भर है ।

*20—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

(6वें सोमवार के लिये स्थगित ।)

अतारांकित प्रश्न

फैजाबाद जनपद के कटेहरी विधान सभा के कतिपय मार्गों एवं पुलों के निर्माण की योजना

1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का लोक निर्माण मंत्री को सम्बोधित और सचिव, लोक निर्माण विभाग को पृष्ठांकित पत्रांक जद–1163, दिनांक 10 अप्रैल, 1990 मिल गया है ? क्या यह सही है कि उक्त पत्र में किये गये अनुरोध को स्वीकार करके लोक निर्माण मंत्री ने जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित बिकवाजतपुर–हरूआ बाजार मार्ग पर बसोहरी में मड़हा नदी पर तथा नरायनपुर में बिसुही नदी पर पक्के पुल के निर्माण का आगणन मंगाने और उक्त दोनों पक्के पुलों तथा उमरांवा–दहोमा, मंशापुर कटरिया, बड़ागांव, श्रवण क्षेत्र तिवारीपुर, तिवारीपुर–धरवा–सपुर बंडेरिया और पतौना–मंशापुर संगिया मार्गों को सोलिंग स्तर तक पक्की कराने के कार्य को स्टेट सेक्टर की एस0एन0 डी0 में शामिल करने का लिखित निर्देश सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को दिनांक 23 अप्रैल, 1990 को दिया है ? यदि हां, तो उक्त सारी औपचारिकताओं को पूरा करके प्रश्न गत दोनों पक्के पुलों और पांचों सड़कों के सम्बन्ध में राजाज्ञा कब तक जारी कर दी जायेगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत पुलों एवं सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश जारी करना भविष्य में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत इलाहाबाद के नवाबगंज विधान सभा क्षेत्र की प्रस्तावित ग्राम सभाओं के मार्गों के सम्बन्ध में जानकारी

2—श्री नजमउद्दीन—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 274–नवाबगंज विधान सभा क्षेत्र, इलाहाबाद में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों द्वारा कितने मार्ग प्रस्तावित हैं ? उनमें कितने कार्य को पूरा कर दिया गया है और कितना कार्य शेष है ? शेष कार्य कब तक पूरे करा दिये जायेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्राप्त सूचनानुसार 274—नवाबगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 185 ग्राम सभायें हैं, जिसमें जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम प्रधानों द्वारा कुल 701 मार्ग प्रस्तावित थे जिसमें से

565 मार्गों का कार्य पूरा कराया जा चुका है तथा 136 मार्गों का कार्य अवशेष है जिसे दिसम्बर, 1990 तक पूर्ण करा लिया जायेगा ।

3—श्री नजमउद्दीन—

(दिनांक 25 जून, 1990 को आता0 प्र0सं0 98 द्वारा उत्तरित ।)

राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ में आठ वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

4—श्री पंचानन राय—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम की लखनऊ स्थित यूनिटों में कितने ऐसे अधिकारी कार्यरत हैं जिन्हें लगभग एक ही स्थान पर कार्य करते हुये 8 वर्ष हो गये हैं और उनका किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण नहीं किया गया ? क्या सरकार उक्त अधिकारियों का स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर अन्य स्थानों पर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की लखनऊ स्थित यूनिटों के केवल तीन अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें कार्यरत रहते हुये 8 वर्ष हो गये हैं और अभी तक उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम एक व्यावसायिक संस्था है, जिसके अन्तर्गत निविदा एवं निक्षेप आदि के कार्य सम्बद्ध कार्यक्रम के अधीन किये जाते हैं । कार्यों के पूर्ण होने पर लेखों को निर्धारित अवधि में बन्द किया जाना आवश्यक है । अतः कुछ अधिकारियों को निर्माण निगम के हित में निर्माण कार्यों के स्वरूप, महत्व एवं आवश्यकता के कारणों से 8 वर्ष की अवधि के बाद भी एक ही स्थान पर रखना पड़ता है ।

ग्राम सहवदियां–सुल्तानपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ की बाढ़ से रक्षा हेतु तटबन्ध बनाने की मांग

5—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सहवदिया–सुल्तानपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ की बाढ़ से रक्षा हेतु तटबन्ध बनाये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1990 मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

तटबन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, आजमगढ़ को स्थल निरीक्षण करके आगणन बनाकर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं ।

6—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा—

(7वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

मिल्कीपुर, फैजाबाद के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराने की मांग

7—डाक्टर बृज भूषण मणि त्रिपाठी—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद में खन्डासा, घोडवल, कुचरा, गद्दोपुर अमानीगंज, ढवडी गदुरही तथा हॉर्डिंगटन गंज, भलथू बुजुर्ग, कनावा मार्गों की

सड़कें अत्यधिक टूटी-फूटी हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त मार्गों को स्टेट व जिला सेक्टर में ले कर उनका निर्माण कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

खण्डासा-घुरवल मार्ग का प्रथम 2.50 कि0मी0 एवं कुचेरा-कुरावन-अमानीगंज मार्ग का 5.00 कि0मी0 जिला सेक्टर में खण्डंजा से लेपन स्तर तक स्वीकृत है जिसके निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है । शेष कार्य स्वीकृत नहीं है ।

श्री जगत नारायण तिवारी, ग्राम प्रधान, ग्राम आदिलपुर, जनपद फैजाबाद द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की गयी अनियमितताओं की जांच शीघ्र कराये जाने की मांग

8—डाक्टर बृज भूषण मणि त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आदिलपुर, जनपद फैजाबाद के ग्राम आदिलपुर के ग्राम प्रधान श्री जगत नारायण तिवारी के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना में अनियमितता तथा ग्राम में हरिजनों व निर्बल वर्ग के लोगों तथा ग्राम समाज की जमीन का गलत स्थानान्तरण करने सम्बन्धी जांच काफी समय से लम्बित है ? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी इसकी शीघ्र जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत प्रकरण में जांच परगनाधिकारी, बीकापुर एवं खण्ड विकास अधिकारी, हरिग्टनगंज द्वारा की जा रही है । जांच अविलम्ब पूर्ण करने के निर्देश दे दिये गये हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

महात्मा गांधी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा, जनपद बांदा के प्राचार्य की नियुक्ति सम्बन्धी कागजात गायब होने के सम्बन्ध में जांच की मांग

9—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के प्रथम सोमवार के अता0 प्र0 संख्या 7 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के कस्बा अतर्रा के महात्मा गांधी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के वर्तमान प्राचार्य के पूर्व स0 अ0 की नियुक्ति से सम्बन्धित अभिलेख गायब करने के लिये कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

इसका उत्तरदायित्व विद्यालय की तत्कालीन प्रबन्ध समिति का है ।

सेतु निगम के कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति

10—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम में 4 वर्षों के पश्चात् कर्मचारियों के अन्यत्र स्थानान्तरण करने की नीति के अन्तर्गत वर्तमान समय में निगम मुख्यालय पर व्यवस्थापन वर्ग प्रथम एवं द्वितीय एवं अन्य अनुभागों में एक ही स्थान पर 4–5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कितने कर्मचारी हैं ? इनका स्थानान्तरण अन्यत्र अनुभागों में न किये जाने के कारण क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम मुख्यालय पर व्यवस्थापन वर्ग प्रथम, द्वितीय एवं अन्य अनुभागों में एक स्थान पर 4–5 वर्षों से अधिक समय से लगभग 48 गैर तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं । राज्य सेतु निगम में गैर तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों के अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु किसी निश्चित समयावधि की निर्धारित नीति नहीं है जिस कारण उक्त कर्मचारियों के

स्थानान्तरण, उनके कार्य में पर्याप्त अनुभव, उनकी उपयुक्तता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नहीं किये गये हैं ।

सेतु निगम के लिपिक संविलीन कर्मचारियों के पदोन्नति का निर्धारण

11—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम में लोक निर्माण विभाग के लिपिक संविलीन कर्मचारियों एवं निगम के कार्यालय सहायक ग्रेड–1 की पदोन्नति के सेवा नियम निर्धारित है ? क्या यह सही है कि आपसी ज्येष्ठता निर्धारित किये बिना 31 मार्च, 1981 के पश्चात् संविलीन लिपिकों को पदोन्नति किया गया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रस्तावित सेवा नियमावली अभी अन्तिम रूप से अनुमोदित नहीं है ।

जी, हां । इनकी पदोन्नति का आधार वरिष्ठता, विशेष परिस्थितियों में तुलनात्मक लम्बी सेवा अवधि, पद विशेष पर अनुभव एवं उपयुक्तता आदि है ।

बाराबंकी में शराब ठेकेदारों से बकाये धन की वसूली

12—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–बाराबंकी के शराब ठेकेदारों के ऊपर वर्तमान समय में नीलामी का देय धन तथा अन्य सरकारी देय की कितनी धनराशि बाकी है ? उक्त देयों की वसूली के सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये ? वसूली कब तक कर ली जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद बाराबंकी में शराब के ठेकेदारों के ऊपर विभिन्न वर्षों की नीलामी तथा अन्य सरकारी देयों की कुल 7,18,610.00 रु0 की धनराशि वर्तमान में बकाया है । इस धनराशि की शीघ्र वसूली हेतु यथावांछित उत्पीड़क कार्यवाही की जा रही है ।

13—डाक्टर दिनेश जौहरी—

(7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न सं0 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

14—श्री विजय सिंह—

(दिनांक 2 जुलाई, 1990 को अतारांकित प्रश्न सं0 92 द्वारा उत्तरित)

गोहडा रेंज, जनपद सोनभद्र में मजदूरों से अवैध धन उगाही विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

15—श्री विजय सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सोनभद्र की गोहडा रेंज में मजदूरों से अवैध पैसा लेने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5 फरवरी, 1990 उन्हें प्राप्त है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जनपद सोनभद्र के गोहडा रेंज के बारे में नहीं अपितु अन्य विषयों पर प्रश्नकर्ता के दो शिकायती पत्र दिनांक 5 फरवरी, 1990 प्राप्त हुए हैं ।

तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी रेनूकूट के विरुद्ध की गयी उक्त शिकायतों पर जांच करायी जा रही है ।

जनपद सोनभद्र के प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट प्रभाग के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच

16—श्री विजय सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट प्रभाग के खिलाफ वनों के अवैध कटान तराई निगम का तेन्दू पत्ता गायब करने सम्बन्धी जांच का कार्य वन संरक्षक वानिकी, वाराणसी वृत्त–1, उत्तर प्रदेश, वाराणसी को सौंपा गया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां । प्रश्नकर्ता माननीय विधायक के शिकायती पत्रों पर जांच का कार्य वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त–1 को सौंपा गया है ।

प्रश्नकर्ता माननीय विधायक तथा उनके प्रतिनिधि श्री यूनुस खां को जांच से सम्बद्ध कर लिया गया है । जांच की कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आबकारी अधिकारी, लखीमपुर द्वारा देशी एवं विदेशी शराब ठेके की नीलामी में की गयी कथित अनियमितता की जांच

17—श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी अधिकारी, लखीमपुर द्वारा देशी एवं विदेशी शराब ठेके की नीलामी वर्ष 1990 में अनियमिततायें बरतते हुये लाखों रुपये की रिश्वत लेकर उच्चतम बोली वाले ठेकेदार को ठेका न देकर कम धनराशि पर ठेके की नीलामी करने का प्रकरण शासन के संज्ञान में आया है ? यदि हां, तो उक्त दोषी आबकारी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वर्ष 1990–91 हेतु जनपद लखीमपुर-खीरी के आबकारी नीलाम में अनियमित व भ्रष्ट तरीके अपनाकर एक ही पार्टी के अनुज्ञापियों से सांठ-गांठ पर नीलामी कराने एवं अन्य बोली दाताओं को हाल टिकट जारी न किये जाने आदि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता एवं कुछ अन्य व्यक्तियों के शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे ।

इस प्रकरण की जांच कराई गई । जांच में शिकायतें सही नहीं पाई गइ । अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

बस्ती जिले के विकास खण्ड मेहदावल के टांडवरिया सेमोगर मार्ग के निर्माण हेतु धन का आवंटन एवं भुगतान

18—श्री चन्द्र शेखर सिंह (बस्ती)—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खण्ड, मेहदावल के अन्तर्गत टांडवरिया समोगर मार्ग निर्माण हेतु सन् 1984–85 में क्षेत्र समिति द्वारा प्रस्ताव पास किया गया तथा अपर जिलाधिकारी (परियोजना), बस्ती के पत्रांक 2710 एन0 आर0 ई0 पी0 85–86, दिनांक 27 दिसम्बर, 1985 द्वारा उक्त कार्य हेतु एक लाख 12 हजार धन आवंटित किया गया ? क्या धन आवंटन के पश्चात् उक्त मार्ग पर तीन कि0 मी0 कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् अपर जिलाधिकारी (परियोजना), बस्ती के पत्रांक 836/एन0 आर0 ई0 पी0, दिनांक 11 फरवरी, 1986 द्वारा उक्त मार्ग का भुगतान तथा एक कि0 मी0 अवशेष कार्य इसलिये रोक दिया गया कि आर0 ई0 एस0 विभाग द्वारा उक्त 4 कि0 मी0 पर फर्जी कार्य दिखाकर फर्जी भुगतान पहले ही किया जा चुका था ? क्या बाद में परियोजना निदेशक, बस्ती एवं अधिशासी अभि-

यन्ता (आर0 ई0 एस0), बस्ती द्वारा उक्त कार्य को रिपेयरिंग का कार्य दिखाकर मात्र 28,980 रु0 का भुगतान का आदेश दिया गया जब कि क्षेत्र समिति द्वारा उक्त मार्ग पर 3 कि0 मी0 पर 84 हजार का कार्य किया गया ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त तीन कि0 मी0 कार्य का तथा 28 हजार चौथे कि0 मी0 कार्य का कुल मिलाकर लगभग 88 हजार रु0 का भुगतान क्यों नहीं किया गया ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मऊ में घोसी बस स्टेशन से काजीपुरा तक मार्ग बनाने की मांग

19—श्री सुबाष—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद से सम्बन्धित ब्लाक घोसी के अन्तर्गत घोसी बस स्टेशन डा0 सिद्दीकी के यहां से काजीपुरा तक दो किलोमीटर सड़क की स्वीकृति आजमगढ़ जिला परिषद् द्वारा दी गयी थी और उस पर पौने पांच लाख रुपयें की स्वीकृति भी दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उस रुपयें का उपयोग करते हुये सड़क का कार्य पूरा कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सड़क को पूरा करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

जी, नहीं ।

जी नहीं ।

क्योंकि जिला परिषद् द्वारा इस सड़क के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एन0 के0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बाराबंकी द्वारा स्टोर में हुई हानि की शिकायत की जांच

20—श्री राम बचन धुसिया—

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रखण्ड बाराबंकी में सहायक अभियन्ता श्री एन0 के0 श्रीवास्तव ने स्टोर में 3,38,575.42 रुपयें की धनराशि की हानि की रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता श्री प्रदीप कुमार से की थी जिसे 5 दिसम्बर, 1989 की आडिट रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है ? क्या श्री श्रीवास्तव अवर अभियन्ता स्टोर की अनुपस्थिति में मई, जून, जुलाई, 1988 में रसीद इशू का कार्य स्वयं करते रहे तथा 25 अगस्त, 1988 को हानि रिपोर्ट कर दी ? यदि हां, तो सरकार प्रश्नगत मामले की जांच कराकर दोषी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

जी हां ।

केवल माह जुलाई, 1988 में वर्कचार्ज चौकीदार द्वारा विभिन्न इण्डेन्ट पर स्टोर सामग्री इशू की गई, जिसके यू0 एस0 आर0 पर दिनांक 3 अक्तूबर, 1988 को श्री एन0 के0 श्रीवास्तव ने प्रतिहस्ताक्षर किये हैं । स्टोर की हानि सहायक अभियन्ता द्वारा 25 अगस्त, 1988 को नहीं वरन् 26 नवम्बर, 1988 को प्रेषित की गयी । अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बाराबंकी द्वारा इस प्रकरण की जांच की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेश चन्द्र श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता प्रखन्ड बाराबंकी के वि द्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट

21—श्री राम वचन धुस्या—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेश चन्द्र श्रीवास्तव, अधिशासी, अभियन्ता, प्रखन्ड बाराबंकी के विरुद्ध प्रखन्ड रायबरेली में प्राप्त शिकायतों जिनमें दोषी पाये जाने पर उन्हें निलम्बित किया गया था तथा शासन के आदेशों का उल्लंघन कर उन्होंने न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था, के संबंध में जांच पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ? क्या शासन ने जांचोपरान्त उक्त अधिशासी अभियन्ता की प्रोन्नति समाप्त करके सहायक अभियन्ता पद पर प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां, । जांच आख्या शासन को 231 मार्च, 1989 को प्राप्त हो चुकी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है अंतिम निर्णय यथाशीघ्र ले लिया जायेगा।

बाढ रहत कार्य हेतु बाराबंकी जनपद में आवंटित धन का दुरुपयोग करने वाल दोषी अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

22—श्री राम वचन धूसिया—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखन्ड बाराबंकी को बाढ राहत के लिये वित्तीय वर्ष 1989–90 में 2 लाख रुपये की धनराशि बाद सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अनुरक्षण कार्यों आदि हेतु निदेशक/मुख्य अभियन्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी थी ? क्या अधिशासी अभियन्ता द्वारा शासनादेशों में निहित प्रक्रिया का उल्लंघन कर नये कार्यों के लिए, बिना टेन्डर परिचालित किये अनुबन्ध कर लिया गया एवं बिना कार्य पूर्ण कराये ही भुगतान भी कर दिया गया ? यदि हां, तो उक्त शासकीय धन दुरुपयोग एवं नियमों के उल्लंघन के लिये दोषी अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां।

शासनादेशों के अनुसार ही वर्ष तथा बाढ के क्षतिग्रस्त मार्गों पर कार्य कराया गया है चूंकि कार्य का अनुमोदन कार्य मार्च 1990 में हुआ तथा समयाभाव के कारण कार्य सेलेक्शन बांड के आधार पर कराया गया जो नियमानुसार ह निर्माण कार्य होने के उपरान्त ही भुगतान किया गया है। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर लाल नेहरु पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय बाराबंकी में विज्ञान संकाय चालू करने की मांग

23—श्री शिव करन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बाराबंकी में जवाहर लाल नेहरु पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय में लाखों रुपये की लागत से तैयार विज्ञान भवन के सदुपयोग हेतु एवं छात्रों क हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त विद्यालय में विज्ञान की कक्षाय इसी सत्र से प्रारम्भ करने पर सरकार विचार कर रही ह ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

एम० ए० समाज शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में सम्बद्धता अस्थायी होने के कारण यह महाविद्यालय किसी अतिरिक्त विषय में किलयरेन्स हेतु अर्ह नहीं हैं।

राजकीय इन्टर कालेजों में कामर्स की कक्षाएं प्रारम्भ करने की मांग

24—श्री शिव करन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष (1990) से राजकीय इन्टर कालेजों में इन्टर कामर्स की कक्षायें शुरू होने जा रही हैं जब कि राजकीय इन्टर कालेज बाराबंकी में 1986 से कामर्स हाई स्कूल में चल रही है और लगातार नौ वर्षों से प्रति वर्ष 200 छात्र हाई स्कूल कामर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्टर में प्रवेश के लिए अन्यत्र जाते हैं? क्या यह सही है कि 1989 में जिला योजना के तहत राजकीय इन्टर कालेज बाराबंकी में इन्टर कामर्स की कक्षाओं खोले जाने के संबंध में सभी प्रपत्र भेजे जा चुके हैं? क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

नहीं।

लगभग 150 छात्र उत्तीर्ण होते हैं।

वर्ष 1989 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु जिला योजना में इस हेतु धन उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी। इस वर्ष प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

ग्राम सभा मुड़ियार विकास खण्ड रुधौली जनपद बस्ती के जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धन का विवरण

25—श्री राम रती विन्द—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मड़ियार विकास खण्ड रुधौली जनपद बस्ती को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है? उक्त धनराशि के विपरीत कौन कौन से कार्य कितनी कितनी धनराशि के प्रस्तावित हैं तथा कौन कौन सा कार्य निर्धारित मानक के अनुसार पूर्ण है? क्या शेष कार्यों को भी निर्धारित मानक के अनुसार शीघ्र ही पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

वर्ष 1989–90 में जनपद बस्ती के ग्राम सभा मुडियार विकास खण्ड रुधौली, को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत 74, 455.00 रु० की धनराशि आवंटित की गयी।

उक्त धनराशि के विपरीत निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं:—

कार्य का नाम		अनुमानित लागत
1		2
1—रघुनाथपुर से बहादुर पुर लिंक रोड कच्चा		15425.28
2—बनगट बँसाखा से रुधौली बाजिरा मार्ग तक कच्चा	..	5608.64
3—मुड़ियार प्राइमरी पाठशालड़ से केवटहिया टोला तक		9996.00

1		2
4—मुडियार ग्राम के पहले खडंजा मार्ग से उत्तर तरफ ग्राम कुडवा गडढे के उसपार तक।	..	4498.20
5—रघुनाथपुर नरसिंह लाल के घर से बंशू तेली के चक तक		6247.50
6—मुडियार ग्राम में बिजली के डबल पोल से तेजू बाई के घर तक		1666.00
7—मुडियार के अधियार टोला में सोलिंग कार्य	..	7020.00
8—केवटहिया टोला में सोलिंग	..	7224.00
9—सम्पर्क मार्ग से पानी ले जाने हेतु छोटी पुलिया	..	2126.00
योग	..	59911.62

निम्नलिखित कार्य निर्धारित मानक के अनुसार पूर्ण हैं :—

कार्य का नाम	लम्बाई मीटर में	व्यय धनराशि
1	2	3
1—रघुनाथपुर से बहादुरपुर लिंक रोड	590	15425.00
2—बनकट बंसखा से रुघौली बखिरा मार्ग तक	215	5608.00
3—मुडियार प्राइमरी पाठशाला से केवटहिया ग्राम तक	400	9996.00
4—मुडियार ग्राम के पहले खडंजा मार्ग से उत्तर तरफ राम कुडवा गडढे के उस पार तक।	180	4498.00
5—मुडियार के अधियार टोले में सोलिंग कार्य	150	7020.00
6—सम्पर्क मार्ग से पानी ले जाने हेतु (छोटी पुलिया)	1	2126.00
7—केवटहिया टोला में सोलिंग ..	100	7324.00
योग		51997.00

जनपद बुलन्दशहर के कतिपय ग्रामों के मार्गों का वीटिंग स्तर तक निर्माण कराने की मांग

26—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में टिटोटा, बासुरी, बामनपुर, तहगोरा, जडौली, जुकसाना कला घनयावली, जवासा, ढकरौली, पर बाना, पुरतनपुर, मवई, भगवानपुर रवानी कटेरी ग्रामों को विभाग ने (स्टोन) बैलास्ट सड़कों का निर्माण करके जोड़ा है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी राज्य सेक्टर से विशेष अनुदान स्वीकृत करने उपरोक्त सड़कों का पेटिंग्ग स्तर पर तत्काल निर्माण करायेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां, । खडंजा स्तर तक निर्माण करा लिया गया है।

समिति वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को केन्द्रीय वेतनमान स्वीकृत किया जाना

27—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त अन्य शिक्षण संस्थाओं की भांति संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को भी केन्द्रीय वेतन मान संस्तुत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब स्वीकृत किया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

क्योंकि वेतन पुनरीक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर ही वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं ।

संस्कृत विद्यालयों में प्राइमरी अध्यापकों के वेतनमान के सम्बन्ध में जानकारी

28—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत विद्यालयों में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के लिये लागू वेतन मान 1100–1520 रु0 संस्तुत किये जाने के क्या कारण है जबकि इन विद्यालयों में कक्षों 1 से 5 तक की शिक्षा नहीं दी जाती ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रश्नगत वेतनमान केवल "घ" वर्गीय विद्यालयों के अध्यापकों के लिये है जिनकी निर्धारित शैक्षिक योग्यता केवल उत्तर मध्यमा होती है तथा प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं है ।

संस्कृत विद्यालयों तथा प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षकों के वेतनमानों में विषमता

29—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 400–620 रु0 के वेतनमान में कार्यरत सभी श्रेणी के संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को 1225–1670 रु0 का वेतनमान संस्तुत किये जाने का क्या कारण है जबकि उसी वेतनमान (400–620) में कार्यरत प्राइमरी पाठशालाओं के प्रधानाध्यापक को 1350–1840 रु0 का वेतनमान संस्तुत किया गया है ? क्या सरकार इस विषमता को दूर कर समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को लागू करना चाहती है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित वेतन निर्धारित किया गया है ।

अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के समान करने की मांग

30—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वेतनमान 850–1720 रु0, 650–1280 रु0 तथा 540–910 रु0 माध्यमिक विद्यालयों तथा संस्कृत विद्यालयों में समान था ? यदि हां, तो संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को माध्यमिक विद्यालयों के समान संशोधित वेतनमान चयन वेतनमान तथा प्रोन्नति वेतनमान न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट के अनुसार ही संशोधित वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं ।

माध्यमिक विद्यालयों की भांति संस्कृत विद्यालयों में सी० टी० ग्रेड समाप्त करने की मांग

31—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में सी० टी० ग्रेड समाप्त कर दिया गया है परन्तु संस्कृत विद्यालयों में सी० टी० ग्रेड समाप्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

क्योंकि वेतन पुनरीक्षण समिति ने माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में ही सी० टी० ग्रेड समाप्त करने की संस्तुति की थी ।

अध्यक्ष, जिला परिषद्, फैजाबाद का परिषदीय भवन शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

32—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अध्यक्ष, जिला परिषद्, फैजाबाद का सचिव, पंचायती राज अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सम्बन्धित तथा प्रश्नकर्ता को पृष्ठांकित पत्रांक 2-घ-किराया-90, दिनांक 4 अप्रैल, 1990 मिल गया है जिसमें परिषदीय भवन को शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने की अनुमति मांगी गयी है ? यदि हां, तो उक्त परिषदीय भवन कब तक शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

प्रस्ताव उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति/चल तथा अचल सम्पत्ति) नियमावली, 1965 के प्राविधानों के अधीन नहीं था । मण्डलायुक्त के माध्यम से पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

विधान सभा क्षेत्र, कटेहरी, फैजाबाद के रहियावां सम्पर्क मार्ग का खड़न्जा स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

33—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लगभग 7 वर्ष पूर्व जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड, मया में स्थित रहियावा सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 2 किलोमीटर) के खड़न्जा स्तर के निर्माण के लिये लोक निर्माण विभाग को धन आवंटित और अवमुक्त किया गया था लेकिन लोक निर्माण विभाग ने केवल एक किलोमीटर 750 मीटर सड़क बनाकर शेष 250 मीटर मार्ग को छोड़ दिया है और उक्त मार्ग आज भी अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त पूरे मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग जो सेक्टोरल आर० एल० ई० जी० पी० योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था जो अब समाप्त हो चुकी है, में मर्मि अध्याप्ति का प्राविधान न होने तथा स्वीकृत संरेखण में कृषकों द्वारा अवरोध उत्पन्न किये जाने के कारण अवशेष 250 मीटर लम्बाई में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

राज्य सेक्टर एस0 एन0 डी0 योजना के अन्तर्गत लखीमपुर-खीरी को कम धन आवंटित करने का कारण

34—श्री निरपेन्द्र कुमार—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर को एक करोड़ छियालिस लाख रुपया बाईपास रोड एवं एक करोड़ उनसठ लाख रुपया वर्ष 1989–90 स्टेट सेक्टर एस0 एन0 डी0 में स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो सीतापुर से लगे जनपद लखीमपुर-खीरी को स्टेट सेक्टर एस0 एन0 डी0 योजना में मात्र सात लाख रुपये ही क्यों स्वीकृत किये गये हैं ? लखीमपुर-खीरी को कम धन स्वीकृत किये जाने का क्या कारण है ? क्या जनपद सीतापुर के समान धनराशि की स्वीकृति जनपद लखीमपुर-खीरी के लिये भी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत किसी जनपद के कार्य की स्वीकृति जनपद के आधार पर नहीं बल्कि प्रश्नगत कार्य की पूरे प्रदेश की वरीयता क्रम में महत्व, आवश्यकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर दी जाती है । यही कारण था कि वर्ष 1989–90 में जनपद लखीमपुर-खीरी को 7 लाख रुपये की स्वीकृति दी जा सकी ।

यह कार्य के महत्व, आवश्यकता तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

आबकारी से सम्बन्धित भ्रष्टाचार विषयक श्री दयाराम भास्कर, लखीमपुर-खीरी का पत्र

35—श्री मूलचन्द्र—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दयाराम भास्कर का पत्र सं0 94 ज0 द0/90, दिनांक 17 फरवरी, 1990 जिसमें आबकारी के सम्बन्ध में लखीमपुर-खीरी में भ्रष्टाचार का उल्लेख है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो शासन ने उस पर आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

श्री दयाराम भास्कर का पत्र सं0 94 ज0 द0/90, दिनांक 17 फरवरी, 1990 नहीं, अपितु दिनांक 17 जनवरी, 1990 जिसमें आबकारी के सम्बन्ध में लखीमपुर-खीरी में भ्रष्टाचार का उल्लेख है, प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत मामले में अन्तर्ग्रस्त अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय उक्त पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही लिया जा चुका था, अतः शासन द्वारा उस पर कोई कार्यवाही न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मेडीकोरा ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल दवा कम्पनी गाजियाबाद द्वारा लाइसेन्स निलम्बित होने के बाजजूद सरकार से स्प्रिट लिया जाना

36—श्री मूलचन्द्र—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद जनपद में मेडिकोरा ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल नामक दवा कम्पनी का लाइसेन्स निलम्बित होने के बावजूद उक्त कम्पनी सरकार से स्प्रिट ले रही है ? यदि हां, तो आबकारी विभाग ने अपने लाइसेन्स को निलम्बित क्यों नहीं किया ? क्या सरकार इस दवा कम्पनी का लाइसेन्स निरस्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

गाजियाबाद जनपद में मेसर्स मेडिक्योरा एण्ड ड्रग फार्मास्युटिकल्स नामक दवा कम्पनी का ड्रग अनुज्ञापन 3 मई, 1990 तक निलम्बित था। इकाई का ड्रग अनुज्ञापन दिनांक 4 मई, 1990 को ड्रग विभाग द्वारा बहाल कर दिया गया। तत्पश्चात् आबकारी विभाग ने इकाई के बंध ड्रग अनुज्ञापन के परिपेक्ष्य में, इकाई का एल–1 अनुज्ञापन वर्ष 1990–91 हेतु दिनांक 29 मई, 1990 को नवीनीकृत कर दिया। इससे पूर्व इकाई को वर्ष 1990–91 में स्प्रिट का कोई भी आवंटन नहीं किया गया था। क्योंकि इकाई के विरुद्ध सुरासव के दुरुपयोग का कोई मामला नहीं है, अतः वर्तमान में एल–1 लाइसेन्स को निरस्त करने की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

किशोरी रमण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मथुरा के शिक्षक एवं कर्मचारियों के बकाये धन का भुगतान

37—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि किशोरी रमण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मथुरा के समस्त शिक्षकगणों व अन्य कर्मचारियों को सन् 1974 से अब तक के देय बढ़े हुए वेतनादि की अवशेष धनराशियों का भुगतान, काटी गयी भविष्य निधि का हिसाब, चयन वेतन-मान 1979 और नवीन वेतनमान 1986 अभी तक नहीं दिया गया है? यदि तो इसका क्या कारण है? क्या शासन उपर्युक्त देय राशियों का अविलम्ब भुगतान तथा लाभों को उपलब्ध करायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद उन्नाव, तहसील पुरवा के सम्पर्क मार्गों के निर्माण में अनियमितता की जांच

38—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव की पुरवा तहसील के दो संपर्क मार्गों का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा कराया गया और इस निर्माण में मार्च 90 में फर्जी मजदूरी दिखाकर 12 हजार रुपये का भुगतान एक जूनियर इंजीनियर ने कर लिया, जिसकी शिकायत 20 अप्रैल, 1990 को जिलाधिकारी उन्नाव से जनता ने की? यदि हां, तो उस पर तत्काल क्या कार्यवाही हुयी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं। किन्तु इस आशय का समाचार अखबार में प्रकाशित हुआ है जिसके-आधार पर अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को जांच करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 1990 को दिये गये हैं।

ग्राम केशरुवा ब्लाक महुवा जनपद बांदा को ग्राम सभा घोषित करने की मांग

39—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक महुवा के ग्राम केशरुवा व कोरत पुरवा की आबादी को देखते हुए ग्राम सभा केशरुवा को ग्राम सभा घोषित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

ग्राम केसरुआ को ग्राम सभा घोषित किये जाने की अधिसूचना निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश द्वारा 8 मार्च, 1990 को जारी की जा चुकी है।

40—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

(6वें सोमवार के लिये स्थगित।)

ग्राम नादिन कुर्मियान ब्लाक राम नगर जनपद बांदा में एक कन्या विद्यालय खोलने की मांग

41—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बांदा जनपद में विकास खन्ड रामनगर के अन्तर्गत ग्राम नादिन कुर्मियान में राजकीय कन्या हाई स्कूल स्थापित करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि प्रश्नगत विकास खन्ड में पूर्व से ही राजकीय कन्या इन्टर कालेज संचालित है।

जनपद बांदा राजकीय कन्या इन्टर कालेज, कर्बी के भवन निर्माण हेतु धन की स्वीकृति

42—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के कर्बी तहसील मुख्यालय बांदा जनपद के कर्बी तहसील मुख्यालय में राजकीय कन्या इन्टर कालेज कर्बी के भवन के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या भवन निर्माण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया गया।
हां।

जिला योजना में धन का प्राविधान होने तथा भूमि उपलब्ध होने पर ही निर्माण संभव हो सकेगा।

उर्दू शिक्षा हेतु राजकीय प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग

43—श्री अख्तर—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उर्दू बोलने वाले अल्पसंख्यक बच्चों के लिये पूरे प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा के संबंध में संविधान की धारा 350 के अन्तर्गत सरकार ने क्या योजना बनायी है, जिसके माध्यम से उर्दू भाषी हर बच्चा प्राइमरी शिक्षा अपनी मातृ भाषा में राजकीय स्कूलों में हासिल कर सके? यदि ऐसी योजना नहीं है, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रश्नगत धारा में इस प्रकार का प्राविधान नहीं है।

विकास खन्ड कौडिहार, इलाहाबाद में औनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों के चयन में धांधली की जांच कराने की मांग

44--श्री नजमउद्दीन--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद इलाहाबाद के विकास खन्ड कौड़िहार में अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों के चयन में भारी धांधली एवं अनियमितता जिला अनौपचारिकता शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा की गयी है ? अनियमितता की जांच के लिए प्रश्नकर्त्ता द्वारा चयन के मापदन्ड के संबंध में मई, 90 के द्वितीय सप्ताह में मांगी गयी सूचनाओं को गोपनीयता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किये जाने का क्या औचित्य था ? क्या माननीय मंत्री जी प्रश्नगत मामले की जांच करायेंगे और चयन से संबंधित अभिलेखों को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

जांच की जा रही है। माननीय प्रश्न कर्त्ता ने केवल चयन के मापदन्ड के संबंध में सूचना नहीं मांगी थी।

जांच के पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही प्रश्नगत कार्यवाही की जा सकेगी।

45--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

(6वें सोमवार के लिये स्थगित।)

46--श्री नजमउद्दीन--

(दिनांक 2 जुलाई, 1990 को अता0 प्र0 सं0 102 उत्तरित।)

भूगर्भ जल विभाग के क्रिया प्रणाली के संबंध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र द्वारा पर कार्यवाही

47--श्री रवीन्द्र शुक्ल--

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री को प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 12 जनवरी, 1990 का भूगर्भ जल विभाग की कार्य प्रणाली के संबंध में कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां।

भूगर्भ जल विभाग द्वारा भूगर्भ जल सर्वेक्षण से संबंधित विस्तृत कार्य कराये जा रहे हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में भूगर्भ जल सर्वेक्षण द्वारा ड्रिलिंग के लिए उपयक्त स्थलों का चयन भी सम्मिलित है। किन्तु इस कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए अन्य संस्थाओं से भी कार्य करवाया जा रहा है।

संस्कृत विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद सृजित करने की मांग

48--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद सृजित है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब से उक्त पद स्वीकृत किया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

जी नहीं।

क्योंकि सम्प्रति इसका कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

संस्कृत निदेशालय गठित करने की मांग

49—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्दू के लिए स्वतंत्र शिक्षा निदेशालय गठित कर दिया गया है ? क्या संस्कृत के लिये भी उत्तर प्रदेश शासन स्वतंत्र शिक्षा निदेशालय का गठन करने के पक्ष में है ? यदि हां, तो स्वतंत्र संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन कब तक किया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

अभी इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ?

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में परीक्षा बोर्ड गठन करने की मांग

50—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 26 दिसम्बर, 1978 से प्रवत्त सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अध्याय 9 (बोर्ड) की धारा 49 (901) के उपखण्ड (ड0) के अनुसार सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी म प्रथमा और मध्यमा अध्ययन तथा परीक्षा बोर्ड का गठन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक किया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी । सम्प्रत्ति इसकी समय सीमा इंगित करना सम्भव नहीं है ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बन्धित स्नातक/स्नातकोतर महाविद्यालयों में यू0जी0सी0 वेतन मान देने की मांग

51—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बन्धित कोई स्नातक या स्नातकोतर स्तर का महाविद्यालय है और उसे यू0 जी0 सी0 वेतनमान प्राप्त हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

क्योंकि यू0जी0सी0 ने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल को आवासीय वर्ग देने की मांग

52—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल को आवासीय वर्ग देने की मांग चल रही ह ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या निर्णय ले रही है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

अभी मामला शासन के विचाराधीन है ।

राम रतन इण्टर कालेज, बिलारी में कामर्स कक्षा खोलने की मांग

53—श्री चन्द्र विजय सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र 31 कुन्दरकी में कामर्स की शिक्षा हेतु कोई प्रबन्ध नहीं है ? क्या सरकार वहां के स्कूलों में कामर्स शिक्षायें खुलवाने जा रही है ? याद हां, तो कामर्स कक्षाओं के लिय राम रतन इण्टर कालज, बिलारी म कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

प्रश्नगत विद्यालय का प्रार्थना-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा व बदायूं के मध्य गंगा नदी के कतिपय स्थानों पर स्वीकृत पीपे के पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाने की मांग

54—श्री देवेन्द्र सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद एटा व बदायूं के मध्य में गंगा नदी पर कादरगंज खास व कादरगंज पोस्ता में पीपे का पुल बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर जो लागत मूल्य लगेगा और पक्का पुल बनवाने में जो लागत पड़ती है, उसमें कितना अन्तर है ? क्या मंत्री जी वहां पक्का पुल बनवाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

प्रश्नगत पीपे के पुल के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है।

इस स्थान पर पान्टून तथा पक्के पुल बनवाने की लागत में लगभग 8 करोड़ रुपये का अन्तर अनुमानित है। वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

नैनीताल में स्थापित चिड़ियाघर की लागत

55—श्री किशन सिंह तड़ागी—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल में ऊंचाई पर जो चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है, उस पर अभी तक कितना धन खर्च किया गया है ? अभी इसके पूरा होने में कितना धन और व्यय होगा और इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

नैनीताल में ऊंचाई पर निर्माणाधीन चिड़ियाघर पर वर्ष 1989-90 तक 92.52 लाख रुपये की धनराशि व्यय हो चुकी है, तथा "चिड़ियाघर" की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 99.48 लाख रुपये की धनराशि की निर्माण हेतु और आवश्यकता होगी। जिसके अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय सम्मिलित नहीं है। एवं निर्माण कार्य मार्च, 1992 में पूर्ण होना प्रस्तावित है।

जनपद देहरादून सहस्र धारा क्यारा मार्ग का शेष कार्य पूरा करने की मांग

56—श्री रणजीत सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून में सहस्र धारा-क्यारा मार्ग का निर्माण प्रस्तावित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि प्रस्तावित मार्ग पर लगभग 5 किमी0 कच्चा मार्ग कार्य किया जा चुका है ? यदि हां, तो प्रस्तावित मार्ग का शेष निर्माण कार्य क्यों रोका गया ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद देहरादून में सहस्रधारा क्यारा मोटर मार्ग का निर्माण 12 कि0 मी0 लम्बाई में जब 1979 में स्वीकृत हुआ था। इस मार्ग के प्रथम 5 कि0मी0 लम्बाई में कच्चे मोटर मार्ग का निर्माण किया जा चुका है। शेष 7 कि0मी0 लम्बाई में वन भूमि की अनुपलब्धता तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव कर दिये जाने के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

देहरादून के कतिपय ग्रामों में लकबग्घे के काटने से ग्रामवासी की मृत्यु तथा उसके परिवार को क्षति पूर्ति करने की मांग

57—श्री रणजीत सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष ग्राम बुल्लावाला (मारखम ग्रन्ट) जनपद देहरादून में लकड़बग्घे के काटने से एक ग्रामवासी की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या वन विभाग द्वारा उसके परिवार को क्षतिपूर्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां, गत वर्ष ग्राम बुल्लावाला (मारखम ग्रण्ट), जनपद देहरादून में लकड़बग्घे के काटने से एक अवयस्क बालक तथा एक वयस्क व्यक्ति की मृत्यु हुई । मृतक अवयस्क के आश्रित को नियमानुसार देय पांच हजार रुपये की अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई, परन्तु वयस्क व्यक्ति के अविवाहित होने एवं उसका कोई आश्रित न होने तथा इसीलिये आर्थिक सहायता का कोई आवेदन भी न प्राप्त होने के कारण, कोई आर्थिक सहायता दिये जाने का अवसर नहीं था ।

ललितपुर में प्रत्येक ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग

58—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं ? जनपद में कुल कितनी ग्राम सभायें विद्यालय विहीन हैं ? क्या शासन वर्ष 1990–91 तक उक्त जनपद की प्रत्येक गांव सभा में प्राथमिक विद्यालय मय भवनों के स्थापित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

583

25

जी नहीं ।

क्योंकि इस वर्ष ललितपुर में केवल 18 प्राथमिक विद्यालयों का खोला जाना प्रस्तावित है ।

59—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

(6वें सोमवार के लिये स्थगित)

जनपद हरदोई, ग्राम हथौरा के करेहवा में वन लगाने से अवरुद्ध मार्ग को खुलवाने की मांग

60—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम हथौरा के ग्राम करेहवा में वन विभाग के अधिकारियों ने वन लगाकर वर्षों से चालू मार्ग को क्षेत्रीय जनता के आवागमन के लिये अवरुद्ध कर दिया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग कब तक खुलवा दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी नहीं । हथौरा वन ब्लाक में वन विभाग द्वारा वर्ष 1990 में वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य कराया गया है । इस वन भूमि से तीन आम रास्ते गुजरते हैं जो ग्रामवासियों के आवागमन के लिये छोड़ दिये गये हैं एवं इन रास्तों पर गड्ढे खुदान का कार्य नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर नगर में भांग की दुकान की नीलामी की प्रक्रिया से लाभ का ब्योरा

61—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद कानपुर नगर की भांग की दुकानों को वर्ष 1990–91 की नीलामी स्थानीय आबकारी निरीक्षकों की सहमति से एक ही ग्रुप में कर दी गयी है और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने भी उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो क्या आबकारी मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि इस प्रक्रिया से किसको कितना व्यक्तिगत लाभ पहुंचा है, और प्रदेश में पहिली बार किन परिस्थितियों में यह प्रक्रिया अपनाई गई ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

उत्तर प्रदेश आबकारी (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1990 के नियम 7(3) के प्राविधान के अन्तर्गत राजस्व हित में मांग की दुकानों की नीलामी तहसील स्तर का समूह बनाकर की जा सकती है । उपरोक्त प्राविधान के अन्तर्गत राजस्व हित में जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन से कानपुर नगर की मांग की दुकानों की नीलामी एक समूह में की गई जिससे गत वर्ष की अपेक्षा 31.0 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त हुई । क्योंकि कार्यवाही नियमानुसार की गई । अतः जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

62—श्री तीरथ राज—

(6वें सोमवार के लिये स्थगित ।)

सहायक अभियन्ता, लो0नि0विभाग (बाढ़) लखनऊ, श्री पी0 एन0 सिंह द्वारा आमंत्रित निविदाओं में अनियमितता की जांच

63—श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण खण्ड (बाढ़) लोक नि0वि0, लखनऊ में कार्यरत सहायक अभियन्ता, श्री पी0एन0 सिंह द्वारा दिनांक 5 मई, 1989 को रिंग मार्ग शारदा कैनाल पटरी के किमी0 तीन में बी0एम0एस0डी0सी0 की जो आमंत्रित की गयी निविदाओं में अनियमितायें करती गयी थीं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

रिंग मार्ग शारदा कैनाल पटरी के कि0मी0 तीन में बी0एम0 एवं एस0 डी0सी0 की निविदायें दिनांक 5 मई, 1989 को सहायक अभियन्ता, श्री पी0एन0सिंह द्वारा नहीं अपितु अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (बाढ़), लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा आमंत्रित की गयी थी । निविदाओं के निस्तारण में सहायक अभियन्ता, श्री पी0 एन0 सिंह भी सम्बन्धित थे ।

उक्त निविदाओं के आमंत्रित करने अथवा निस्तारण में हुई कथित अनियमितताओं की मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा विभागीय जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त हो जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय विद्यालयों में की गयी तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण तथा ज्येष्ठता सूची का निर्धारण

64—श्री मयंकर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में मई, 1983 के पूर्व तक स्नातक वेतनक्रम एवं प्रवक्ता वेतनक्रम में कितने शिक्षकों/शिक्षिकाओं की तदर्थ नियुक्तियां की गयी थीं । क्या इन सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को विनियमितीकरण नियमावली, 1979 एवं 1984 के अन्तर्गत विनियमित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो ऐसे अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की संख्या क्या है और इनके विनियमितीकरण न किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या शासन इन शेष सभी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को शीघ्र विनियमित कर इनकी ज्येष्ठता सूची निर्गत करने का आदेश देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मई, 1983 के पूर्व तक स्नातक वेतनक्रम में 2485 तथा प्रवक्ता वेतनक्रम में 593 तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं ।

जी नहीं ।

प्रवक्ता वेतनक्रम के 69 शिक्षक/शिक्षिकाओं तथा स्नातक वेतनक्रम के 288 शिक्षक/शिक्षिकाओं का विनियमितीकरण उनकी गोपनीय आख्या एवं अभिलेख पूर्ण न होने के कारण नहीं किया जा सका है ।

शिक्षा निदेशक को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मैदानी राजकीय इण्टर कालेजों में रिक्त पदों को भरने की मांग :

65—श्री मयंकर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में मैदानी संवर्ग के राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता (पुरुष एवं महिला) पदों की विषयवार संख्या एवं एस0एस0ई0 एस0 (राजपत्रित) पदों की संख्या अद्यावधि क्या है ? क्या उक्त पद रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? इन पदों को कब तक एवं किस प्रकार भरा जायेगा ? क्या सरकार जनहित में इन पदों को शीघ्र भरे जाने का आदेश देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

वांछित विवरण निम्न प्रकार है—

(1) प्रवक्ता

विषय	पुरुष संवर्ग	महिला संवर्ग
1	2	3
1—भौतिक विज्ञान	110	51
2—रसायन विज्ञान	101	54
3—जीव विज्ञान	75	52
4—गणित	88	49
5—हिन्दी	161	141
6—अंग्रेजी	147	123
7—संस्कृत	65	91
8—उर्दू	17	34
9—पी0 टी0	..	6
10—संगीत	..	5
11—सिलाई	..	1
12—मनोविज्ञान	20	61
13—भूगोल	58	42
14—गृह विज्ञान	..	65
15—इतिहास	65	76
16—अर्थशास्त्र	65	77
17—नागरिक शास्त्र	48	78

1	2	3
18—शिक्षा शास्त्र	8	20
19—समाज शास्त्र	12	28
20—अभियंत्रण	40	..
21—कृषि	14	..
22—तर्क शास्त्र	10	..
23—वाणिज्य	39	..
24—फारसी	5	..
योग ..	1148	1054

(2) एस0ई0 एस0 (राजपत्रित) के पदों की संख्या 424 है । केवल कुछ पद रिक्त हैं ।

यह पद भिन्न-भिन्न समय से सेवा निवृत्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण आदि के कारण रिक्त हैं। प्रवक्ता वेतनक्रम के पद तदर्थ नियुक्तियों द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है, जबकि अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपित्रत) के पद पदोन्नति एवं आयोग द्वारा किये जाने वाले चयन के माध्यम से भरे जायेंगे । रिक्त पदों को यथाशीध्र भरा जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती विद्यावती ग्राम मुकरकटी, जनपद बुलन्दशहर की नसबन्दी एक मकान का आश्वासन देकर कराने की जांच

66—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड अधिकारी, दानपुर, जनपद बुलन्दशहर ने श्रीमती विद्यावती, निवासी गांव मुकरकटी गडिया डा0 धरमपुर को एक मकान के निर्माण का आश्वासन देकर उपरोक्त की नसबन्दी दिनांक 25 नवम्बर, 1983 को महिला चिकित्सालय, डिबाई में करा दी थी ? क्या दूसरे बी0डी0ओ0 ने उसके पति सौदान पुत्र छिददा बाल्मीकि को मकान के निर्माण का प्रलोभन देकर उसकी भी नसबन्दी दिनांक 17 दिसम्बर, 1985 को पूर्व चिकित्सालय, डिबाई में करा दी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पति एवं पत्नी को विकास खण्ड अधिकारियों के आश्वासन के अनुसार मकान का निर्माण करा दिया है ? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त विकास खण्ड अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करते हुये उपरोक्त परिवार को तत्काल एक मकान की स्वीकृति प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

श्रीमती विद्यावती एवं उसके पति श्री सौदान पुत्र छिद्दा को उनकी नसबन्दी कराने हेतु मकान निर्माण कराये जाने का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया था । उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ही नसबन्दी करायी । इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं हैं जिसके लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये ।

निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण कराये जाने हेतु लाभार्थियों का चयन गांव सभा की खुली बैठक में कराया जाता है । यदि इनका चयन गांव सभा की खुली बैठक में कर लिया जाता है तो मकान निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

ग्राम किरा, थाना खुर्जा, बुलन्दशहर के विकास के लिये आवंटित धन और निर्माण कार्य

67—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन जिलाधिकारी ने ग्राम किरा, थाना खुर्जा, जनपद बलन्दशहर की दो जातियों के मध्य संघर्ष को दूर करने हेतु उपरोक्त ग्राम के

हरिजन वर्ग के मोहल्लों में विकास कार्य हेतु 5 लाख रुपये की धनराशि मकान एवं खड़न्जा निर्माण हेतु वर्ष 1989 में स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त कार्यों का निर्माण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

68—श्री स्वामी नाथ—

(5व शुक्रवार में अता0 प्र0 संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

जनपद बाँदा की प्रत्येक ग्राम सभा में बेसिक स्कूल खोलने की माँग

69—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बाँदा में कितनी गाँव सभाएं हैं जिनमें बेसिक प्राइमरी पाठशाला नहीं है तथा कितनी ऐसी ग्राम सभायें हैं जिनकी आबादी इस समय 500 से अधिक है तथा उनके एक किलो मीटर के अन्तर्गत कोई प्राइमरी पाठशालायें नहीं हैं ? क्या इनमें बेसिक प्राइमरी पाठशालाएं खोली जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

161

64

वर्ष 1990–91 में 37 प्राथमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।

ग्राम पुरवा, मनोहरगंज, ब्लाक महुआ, जनपद बांदा में बेसिक विद्यालय खोलने की माँग

70—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बाँदा, ब्लाक महुआ के अन्तर्गत स्थित पुरवा मनोहरगंज जिसमें आबादी लगभग 500 होगी तथा हरिजन आबादी है एवं अन्य गावों से दो तीन किलोमीटर की दूरी में है, में बेसिक प्राइमरी पाठशाला खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मानक के अन्तर्गत न होने के कारण।

71—डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

(5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

ग्राम पल्हरी एवं लूक में राष्ट्रीय ग्रामीण योजनान्तर्गत निर्मित कूप पूर्ण कराने की माँग

72—डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाँदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम पल्हरी एवं ग्राम लूक में सन् 1985 से राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत निर्मित कूप आज तक अधूरे पड़े हैं ? यदि हाँ, तो इनके लिये कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

बाँदा जनपद के विकास खण्ड, नरैनी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत सन् 1985 में ग्राम सभा पल्हरी एवं लूक में एक-एक कूप स्वीकृत किया गया था जो अब तक अधूरे हैं ।

ग्राम लूक एवं ग्रामपल्हरी में निर्मित अधूरे कूप के लिये सम्बन्धित ग्राम पचायत अधिकारी एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध जाँच की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी, रामपुर जोगा, पो0 बरौली जाटा, तहसील नवाबगंज में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धन का ब्योरा

73--श्री राज किशोर सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राब सभा, रामपुर जोगा, पो0 बरौली जाटा, तहसील नवाबगंज, ब्लाक-बंकी, जिला बाराबंकी को जवाहर रोजगार योजना को अब तक कितनी किस्तें दी गयी हैं ? उक्त किस्तें ग्राम प्रधान ने किन-किन मद में खर्च किया है ? क्या ससम्बन्ध में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में समस्त ग्रामवासियों ने एक शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, बाराबंकी को दिया था ? यदि हाँ, तो उक्त शिकायती-पत्र पर प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है और बचा हुआ रुपया किस मद में खर्च कर दिया जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

वर्ष 1989-90 में ग्राम सभा रामपुर जोगा, पो0 बरौली जाटा, नवाबगंज, बाराबंकी को जवाहर रोजगार योजना की अब तक तीन किस्तें दी गयी हैं । प्रधान द्वारा सम्पर्क मार्ग एवं खड़ंजा निर्माण पर खर्च किया गया है, जी हाँ । जाँच के आधार पर कुछ कार्य गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप नहीं पाये गये जिनके लिये प्रधान को सचेत किया गया है । ग्राम सभा द्वारा कार्य योजना तैयार की गयी है जिन पर शेष धनराशि व्यय की जायेगी ।

जनपद चमोली में वन पचायतों द्वारा पेड़ों की नीलामी

74--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में 31 मार्च, 1990 तक कुल कितनी वन पंचायतें थीं ? जनवरी, 1985 से लेकर 31 मार्च, 1990 की अवधि में किन-किन वन पंचायतों द्वारा पेड़ों की नीलामी की गयी ? नीलामी किस प्रजाति के वृक्षों की गयी और कितनी संख्या में की गयी ? वन विभाग द्वारा कितनी मात्रा में ऐसी लकड़ियों की निकासी दी गयी तथा अलग-अलग वन पंचायतों को इससे कितना आर्थिक लाभ हुआ ?

श्री मोहम्मद असलम खां--

वाँछित विस्तृत सूचना को एकत्रित एवं संकलित करने में जो धन, समय तथा परिश्रम लगेगा वह प्रश्न के उत्तर से प्राप्त हो सकने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा । अतः सरकार इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझती ।

जनपद सोनभद्र के कतिपय ग्रामों को लघु सिंचाई हेतु सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की माँग

75--श्री विजय सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी, म्योरपुर एवं बभनी विकास खण्ड के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनान्तर्गत क्रमशः गुलाश झरिया, मझोली कटोली तथा म्योरपुर के बिजली झरिया, मोहलाइनसोप, मेडरदह नालों पर चेक डेम बनाने का सर्वेक्षण अविशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, मिर्जापुर द्वारा गत वर्ष किया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त

नालों पर चेक डेम निर्माण का कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी क्षेत्र के सूखे को देखते हुये उक्त नालों पर शीघ्र ही चेक डेम निर्माण कार्य शुरू करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी नहीं, अपितु वर्ष 1987-88 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा विकास खण्ड, दुद्धी के ग्राम मझौली, कटोली एवं गुलालझरिया विकास खण्ड म्योरपुर के ग्राम मोहिलाइनसोत मेड़रदह, कुलडुमरी, बिजलोझरिया के नालों पर डी0 पी0 ए0 पी0 योजनान्तर्गत चेक डैम निर्माण हेतु सर्वेक्षण किया गया था ।

वर्ष 1988-89 में डी0 पी0 ए0 पी0 क्षेत्र में कार्य करने हेतु एक अलग इकाई का गठन किया गया, जिसके कारण कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने के फलस्वरूप उक्त चेक डैम का निर्माण नहीं किया जा सका ।

वर्तमान समय में उक्त नालों पर चेक डैम बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । अतः उक्त नालों पर चेक डैम निर्माण न कराये जाने के कारण का उल्लेख किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

दुद्धी विकास खण्ड, सोनभद्र के दुद्धी मल्देवा बराई डाड मार्ग को पूरा करने की माँग

76--श्री विजय सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी विकास खण्ड के दुद्धी मल्देवा-बराई डाड मार्ग के निर्माण में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा 1981-82 में सोलिंग व गिट्टी बिछाकर छोड़ दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी शीघ्र ही उक्त मार्ग को तारकोल पेटिंग कराने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्या उक्त मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी नहीं । प्रश्नगत मार्ग पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा वर्ष 1981-82 में सोलिंग व गिट्टी बिछाकर उसकी कुटाई का कार्य करा दिया गया था तथा वर्ष 1988-89 में उसकी मरम्मत भी कराई गई । तारकोल पेन्टिंग हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हुई है ।

उक्त मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी को लिख दिया गया है ।

गाजीपुर तथा वाराणसी जनपद के कतिपय ग्रामों को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धन का ब्योरा

77--श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में विरनो, जखनियाँ, मनिहारा, सादात देवकली और वाराणसी जनपद के चिरई गाँव हरहुआ और काशी विद्यापीठ आराजी लाइन्स विकास खण्डों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रधानों को आवंटित धनराशि खर्च कर दी गई है ? यदि हाँ, तो आठों विकास खण्डों का अलग-अलग विवरण क्या है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के विकास खण्डों विरनो, जखनिया मनिहारी, सादात, देवकली एवं जनपद वाराणसी के विकास खण्ड, चिरई गाँव, हलहुआ और

काशी विद्यापीठ अराजी लाइन्स के ग्राम सभाओं को दी गयी धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया गया है ।

विकास खन्डवार विवरण निम्नानुसार है :—

जनपद वाराणसी	आवंटित धनराशि	व्यय की गई धनराशि
विकास खन्ड		
(क) चिरई गाँव ..	49,68593	47,16593
(ख) हरदुआ ..	43,10611	39,93651
(ग) काशी विद्यापीठ	54,37318	50,52686
(घ) आराजी लाइन्स	61,33476	57,81476
2—जनपद गाजीपुर—		
विकासखन्ड		
(क) विरनो	35,74,700	35,74,700
(ख) मनिहारी	49,80,826	45,15,243
(ग) जखनिया	50,39,800	48,93,700
(घ) देवकली	50,06,602	50,03,182
(ङ) सादात	50,63,217	49,30,973

जनपद गाजीपुर में भरदह जलालाबाद मार्ग हेतु भूमि के अधिग्रहीत किये जाने तथा उसका मुआवजा किसानों को न दिया जाना

78—श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में भरदह जलालाबाद मार्ग हेतु भूमि 15 वर्ष पहले अधिग्रहीत होने के बाद आज तक कुछ किसानों का मुआवजा नहीं दिया गया? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन लोग उत्तरदायी है? क्या सरकार उन्हें दंडित करते हुए किसानों को मुआवजे का भुगतान करायेगी ? यदि हाँ तो कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हाँ ।

भूमि अधिग्रहण करते समय प्रान्तीय खन्ड लोक निर्माण विभाग गाजीपुर के मल प्रस्ताव गठित करने वाले तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी एवं वर्ष 1981 से 1986 तक उक्त खन्ड में तैनात संबंधित अधिकारी/कर्मचारी इसके लिये उत्तरदायी है ।

जी हाँ । उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण माँगा जा रहा है तथा आवश्यक कार्यवाही गुण-अवगुण के आधार पर की जायेगी ।

किसानों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने की कार्यवाही शीघ्र ही प्रारम्भ कराई जा रही है तथा विधि सम्मत समस्त औपचारिकताओं को पर्ण करके यथाशीघ्र प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा।

79—श्री भारत सिंह रावत—

(6वें सोमवार के लिये स्थगित)।

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के प्रांगण में आवासीय भवनों के निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री प्रयोग किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की माँग

80— श्री पंचानन राय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील के प्रागण में आवासीय भवनों के निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री प्रयोग किये जाने से संबंधित प्रशनकर्त्ता का पत्र दिनाँक 19 दिसम्बर, 89 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाह: की गई है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हाँ।

शिकायतों की जाँच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ से करायी जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में निर्मित नरहन–लाटघाट मार्ग निर्माण में किसानों से ली गयी भूमि के प्रतिकर भुगतान की माँग

81—श्री पंचानन राय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में निर्मित नरहन–लाटघाट मार्ग के निर्माण में किसानों की ली गई भूमि के प्रतिकर के भुगतान संबधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 11 जनवरी, 1990 अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खन्ड आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हाँ।

जनपद आजमगढ़ में निर्मित नरहन–लाटघाट मार्ग का निर्माण खाद्यान्न योजना नं0 4 एवं 5 के अन्तर्गत कराया गया है, जिसमें भूमि के प्रतिकर का प्राविधान नहीं होता। उक्त योजना के अन्तर्गत भूमि कृषकों की सहजति से प्राप्त की गयी थी अतः इस संबंध में प्रतिकर देने की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ घोसी मार्ग के निर्माण में आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील के ग्राम कंजरा, दिलशादपुर के किसानों की ली गयी भूमि का प्रतिकर का दिया जाना

82—श्री पंचानन राय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे आंजमगढ़ घासी मार्ग के निर्माण में आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील के ग्राम कंजरा दिलशादपुर के किन–किन किसानों को उनकी ली गई भूमि के प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया है? क्या मत्री जी यह भी बतायेंगे कि इससे संबंधित प्रशनकर्त्ता का पत्र दनाँक 19 जनवरी, 1990 अधिशासी

अभियन्ता प्रान्तीय खन्ड आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा ---

अजमतगढ–घोसी मार्ग के निर्माण में आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील के ग्राम कंजरा दिलशादपुर के जिन–जिन किसानों की भूमि ली गई है उन सभी को प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है।

जी हाँ।

माननीय विधायक का सन्दर्भित पत्र दिनाँक 19 जनवरी, 1990 अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खन्ड, आजमगढ़ कार्यालय में दिनाँक 13 मार्च, 1990 को प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा ग्राम कंजरा दिलशादपुर के श्री फौजदार, श्री सूबेदार सिंह, श्री अमलदार सिंह जो भूमि मार्ग निर्माण में ली गई है उसका सत्यापन कराया जा रहा है। इसकी सूचना प्राप्त होते ही मा0 विधायक को तथ्यों से अवगत करा दिया जायेगा।

इन्टर कालेज आजमगढ़ स्थित संकलन एवं मूल्याँकन केन्द्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के सबंध में श्री दिवाकर तिवारी, मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

83—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करगे कि जाँच के समय शिकायतकर्त्ता को साक्ष्य का अवसर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? एक पक्षीय जाँच का क्या औचित्य है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

शिकायतकर्त्ता को लिखित शिकायत संकलन एवं मूल्याँकन संबंधी अभिलेखों को आधार मानकर जाँच की गयी। अतः की गयी जाँच के औचित्य का प्रश्न नहीं उठता है।

आजमगढ़ जनपद में स्थित नीयनपुर–अजमतगढ़ मार्ग पर वर्ष 1987 से 1989 तक काटे गये आज के फलदार वृक्षों की संख्या तथा काटने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की माँग

84—श्री पंचानन राय—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 से 1989 के बीच आजमगढ़ जनपद में स्थित जीवनपुर अजमतगढ़ मार्ग पर कितने आम के फलदार वृक्ष काटे गये? इन्हें काटने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जनपद आजमगढ़ के जीयनपुर–अजमतगढ़ मार्ग पर 1987 से 1989 के बीच 16 आम के वृक्ष काटे गए।

उक्त मार्ग का वह क्षेत्र जहां वृक्ष काटे गए थे, टाउन एरिया में है तथा वहां "उत्तरप्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976" लागू न होने के कारण वृक्ष काटने वालों के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकी।

लखीमपुर खीरी के वन विभाग के अधिकारी द्वारा शाहजहाँपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम अलरिया उमर खन्ड शकरपुर में काले हिरनों का जायजा लिया जानातथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था

85—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 3 अप्रैल, 1990 को लखीमपुर खीरी के वन विभाग के अधिकारी जिला शाहजहाँपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम अलरिया, उमर खन्ड शंकरपुर काले हिरनों का जायजा लेने गये थे? यदि हाँ, तो उसमें उन्होंने कितने काले हिरन देखे और उनकी सुरक्षा की तत्काल क्या व्यवस्था की गई?

श्री मोहम्मद असलम खां—

दिनाँक 3 अप्रैल, 1990 को नहीं, बल्कि 3 मार्च, 1990 को वन्य जीव, प्रतिपालक खीरी अंचल ने जिला शाहजहाँपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम अगरैली गोरा पट्टी तथा खेरारठ क्षेत्र का काले हिरनों की जानकारी करने हेतु भ्रमण किया किन्तु उन्हें उक्त क्षेत्र में कोई हिरन नहीं दिखाई पड़े। इसके पश्चात् दिनाँक 4 जुलाई, 1990 को उप निदेशक, दुधवा टाइगर रजर्व लखीमपुर खीरी ने थाना जैतीपुर के मलरिया मिर्जापुर छेदा पट्टी कुजलपुर गढ़िया गाँव का भ्रमण किया। मलरिया मिर्जापुर में 12 काले हिरन देखे गये। ग्राम प्रधान मलरिया-मिर्जापुर ने दिनाँक 4 जुलाई, 1990 को ही पूछताछ करने पर बताया कि उक्त क्षेत्र में इससे भी अधिक काले हिरन हैं, जो बेंगुल तथा रामगंगा के मध्य 17 कि0 मी0 के क्षेत्र में विचरण करते रहते हैं।

शाहजहाँपुर जनपद में वन्य जीव संरक्षण संगठन का कोई स्टाफ नियुक्त नहीं है, अतः स्थानीय वन कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य के अतिरिक्त उनकी सुरक्षा का ध्यान, रखा जाता है। फील्ड डाइरेक्टर दुधवा पार्क द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी शाहजहाँपुर को न काले हिरनों की सुरक्षा हेतु पहले ही लिखा जा चुका है।

हसनगंज नवैलगंज मार्ग, उन्नाव को मरम्मत कराने की मांग

86—श्री मस्तराम—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के निर्वाचन क्षेत्र हसनगंज के हसनगंज से नैवलगंज मार्ग की हालत अत्यन्त खराब हो गयी है? क्या उक्त मार्ग सामान्य आवागमन लायक भी नहीं है? क्या सरकार बतायेंगी की मार्ग कब बना और वर्ष 1988-89 व 1989-90 में उक्त मार्ग के अनुरक्षण पर कुल कितना धन खर्च किया गया है? अभी तक उक्त सड़क न बनाने का क्या कारण है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग लखनऊ-बांगरमऊ (राज्य मार्ग संख्या 40) का एक भाग है जो वर्ष 1977 से पूर्व का बहुत पुराना निर्मित मार्ग है। इस मार्ग (हसनगंज-नेवलगंज) के अनुरक्षण पर वर्ष 1988-89 में 0.60 लाख रु0 तथा वर्ष 1989-90 में 2.25 लाख रु0 व्यय किया गया।

प्रश्नगत मार्ग का सुदृढ़ीकरण धनाभाव के कारण अब तक नहीं कराया जा सका है

गांधी मिशन इण्टर कालेज मोहान उन्नाव में कार्यरत स्टाफ की संख्या तथा हरिजनों का आरक्षण कोटा

87—श्री मस्तराम—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी मिशन इण्टर कालेज मोहान उन्नाव में कुल कितने अध्यापक एवं चपरासी कार्यरत हैं ? उनमें से कितने हरिजन अध्यापक व चपरासी हैं ? यदि कोई नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

40 अध्यापक तथा 15 चपरासी कार्यरत हैं ।

कोई हरिजन अध्यापक नहीं है, चपरासियों में दो हरिजन हैं ।

नियक्ति के समय योग्य हरिजन अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण हरिजन अध्यापक नियुक्त नहीं किये जा सक ।

फैजाबाद अयोध्या वाईपास निर्माण की योजना

88—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में फैजाबाद अयोध्या वाईपास के निर्माण की कोई योजना विगत दस वर्षों से चल रही है ? यदि हां तो सरकार इस योजना को पूरा करने के लिए शीघ्र ही क्या क्या कार्यवाही करने जा रही है और यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

प्रश्नगत फैजाबाद वाईपास मार्ग पर स्वीकृति के अनुसार भूमि अध्याप्ति एवं मिट्टी व पुलिया का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । उस पर मेटलिंग का कार्य कराया जाना परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति तथा तत्पश्चात धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

गण्डक समादेश में छटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति कराने की मांग

89—श्री शिव प्रताप शुक्ल तथा श्री अमरमणि—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक समादेश के छटनी शुदा कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्तियां हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

अभी तक गण्डक समादेश परियोजना/प्राधिकारों के किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं हुई है बल्कि समापन के कारण सरप्लस हुए कर्मचारियों का समायोजन अन्य विभागों में किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि समायोजन हेतु नियुक्तियां कब तक सम्पन्न हो जायेगी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी के उत्तरी वन प्रभाग की वनरेंज पलिया कामों की भूमि पर अवैध कब्जा

90—श्री छोटे लाल—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के उत्तरी वन प्रभाग की वन रेंजों पलिया कलां, मझगई निघासन, बेलरायां में वर्ष 1982 से अब तक वन भूमि में वृक्षारोपण को उजाड़

कर वृक्षारोपण की नन भूमि पर किन-किन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया ? ऐसे कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज हुये। कितने मुकदमें अभी तक किन-किन लोगों के विरुद्ध न्यायालय में विचारांधीन है ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जनपद खीरी के उत्तर खीरी वन प्रभाग के केवल निघासन राजि के कम्पार्टमेन्ट रननगर में वर्ष 1989 के वृक्षारोपण को स्थानीय सर्वश्री गरूदेव सिंह पुत्र मक्खन सिंह, हरवन्त सिंह पुत्र मक्खन सिंह सुखवतन्त सिंह पुत्र मक्खन सिंह, हरभजन सिंह पुत्र ढूढ़सिंह, दिलीप सिंह पुत्र तरत सिंह, प्रीतम सिंह, मेवा सिंह, प्रताप सिंह पुत्रगण अज्ञात, शिवशंकर सहाय पुत्र दया ।

दुधवा वन प्रभाग अधिकारियो क्षेत्रीय लोगों के साथ कई बैठक में जलौनी लकड़ी आदि के आपूर्ति हेतु लिये गये निर्णय

91—श्री छोटे लाल—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन वन मंत्री श्री अजीत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में दुधवा वन विश्राम भवन में दिनांक 27 जनवरी, 1989 को प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों व क्षेत्रीय लोगों के साथ हुई बैठक में वन मंत्री द्वारा महाप्रबन्धक, वन निगम, उ0प्र0 को दिये गये निर्देशों के तहत सरकार जनपद खीरी स्थित दुधवा राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 5 कि0मी0 दूरी से लगे 21 गांवों के लोगों को डिपो के जरिये लकड़ी जलौनी, घास-फूस की आपूर्ति की जा रही है यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार उक्त की आपूर्ति शीघ्र कराने की कार्यवाही कर रही है यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

तत्कालीन वन मंत्री श्री अजीत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में दुधवा वन विश्राम भवन में दिनांक 27 जनवरी, 1989 को प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों व क्षेत्रीय लोगों की एक बैठक हुई थी। उक्त बठक में उत्तरी खीरी वन प्रभाग से घास देने एवं वन निगम द्वारा जलौनी लकड़ी देने के विषय में निर्णय हुआ था। घास की आपूर्ति उत्तरी खीरी वन प्रभाग से की गई है तथा जलौनी लकड़ी की आपूर्ति हेतु पलिया एवं मझगई में वन निगम द्वारा एक-एक डिपो खोल दिया गया है।

नन्द यादव व अन्य ग्रामीणों द्वारा उजाड़कर नष्ट कर दिया गया था, जिसके लिए रेंज अभियोग संख्या 19/89–90 जारी किया गया तथा थाना कोतवाली-तिकोनिया में प्रथम अपराध सूचना दर्ज कराई गई थी। वन वभाग द्वारा केस को न्यायालय में भेजे जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

जनपद खीरी तहसील निघासन के ब्लाक पलिया कलां में वन भूमि का अतिक्रमण तथा उसकी रिपोर्ट

92—श्री छोटे लाल—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी स्थित तहसील निघासन के ब्लाक-पलिया कलां के क्षेत्र में स्थित ग्राम सुहेला, गद्दनियां, बढ़ैया खेड़ा व ग्राम त्रिकोलिया के किन-किन लोगों ने कितनी वन भूमि पर अवैध कब्जा कर उक्त भूमि को सरकारी कागजात में वर्ग–4 में दर्ज करा रखा है ? क्या सरकार तत्काल अवैध कब्जेदारों को बेदखल कर सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जनपद खीरी स्थित तहसील निघासन के ब्लाक पलिया कलां के क्षेत्र में ग्राम बढ़ैया-खेड़ा व ग्राम त्रिकोलिया में वन क्षेत्र नहीं है, अतः इन ग्रामों में वनभमि पर अतिक्रमण का

प्रश्न नहीं उठता । ग्राम सुहेला व ग्राम गदनियां में क्रमशः 20 व 61 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिनकी सूची संलग्न है । जहां तक अतिक्रमित वनभूमि के उस क्षेत्र का सम्बन्ध है जो सरकारी कागजातों में वर्ग–4 में दर्ज है, जिलाधिकारी खीरी द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण करके विवरण संकलित किया जा रहा है । अवैध कब्जेदारों से अतिक्रमण खाली कराने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रगति पर है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ.....पर) ।

जनपद खीरी के उत्तरी वन प्रभाग की वन रेंजों पलिया कलां मझगई, निघासन बेलरायां में वन्य जीवों के शिकार तथा वनों के अवैध कटान की जानकारी

93—श्री छोटेलाल—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के उत्तरी वन प्रभाग की वन रेंजों पलिया कलां, मझगई, निघासन, बेलरायां में वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा वनों के अवैध कटान करने से बरामद हुई लकड़ी के वर्ष 1982 से अभी तक कितने अभियोग किन-किन लोगों के वरुद्ध वन विभाग तथा पुलिस विभाग में दर्ज हुए ? कितने अभियोगों के मुकदमें किन-किन लोगों के विरुद्ध न्यायालयों में विचाराधीन हैं ? सरकार उक्त वन रेंजों में वनों के अवैध कटान व अन्य जीवों के अवैध शिकार पर सख्त नियंत्रण लगाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

उत्तर खीरी वन प्रभाग की वन रेंजों पलिया कलां, मझगई, निघासन व बिलरायां में वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा वनों के अवैध कटान (जिनमें बरामद हुई लकड़ी के प्रकरण भी सम्मिलित हैं) के निम्नलिखित मामले वन विभाग में दर्ज हुए—

	उत्तर खीरी वन प्रभाग	वन्य जीव परिरक्षण संगठन
	अप्रैल, 1985 से मार्च, 1990 तक	1982 से मार्च 1990 तक
अवैध शिकार	12	97
अवैध कटान	733	25
योग ..	745	122
उक्त में से न्यायालय में विचाराधीन मामले	220	8

वर्ष 1982 से मार्च 1985 तक के अभिलेख जांच के संबंध में लोकायुक्त के पास हैं ।

उपर्युक्त सभी प्रकरणों की विस्तृत सूची वन मंत्री के कक्ष में रख दी गई है । जिसे माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं ।

पुलिस विभाग में दर्ज प्रकरणों की अधिकृत जानकारी वन विभाग को नहीं है ।

न केवल उक्त वन रेंजों में अपितु पूरे प्रदेश में वनों के अवैध कटान व वन्य जीवों के अवैध शिकार पर सख्त नियंत्रण लगाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारियों तथा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को कठोर निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

आशुलिपिकों की वरिष्ठता सूची तथा स्थायीकरण

94—श्री महाबीर सिंह राणा—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के तीसरे 3रे शुक्रवार के अता0 प्रश्न संख्या–160 के सम्बन्ध में श्री यदुनाथ सिंह विधायक का पत्रांक–87/सा0 नि0–89, दिनांक 5 अक्तूबर, 1989 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

उक्त पत्र में आशुलिपिकों के स्थायीकरण, पदोन्नति, वेतनमान तथा तैनाती के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में एफ0डी0आर0 व एस0 आर0 में स्वीकृति से अधिक धन खर्च किये जाने की शिकायत तथा वास्तविक खर्च की जानकारी

श्री महाबीर सिंह राणा—

95—क्या लोक निर्माण मंत्री की जानकारी में हैं कि वर्ष 1980–81 में 1984–85 तक के कार्यकाल में राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में एफ0डी0आर0 व एस0आर0 में स्वीकृति से अधिक खर्च राष्ट्रीय मार्ग सं0 24, 25 व 28 पर हुआ है ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में कितनी -कितनी स्वीकृति के विरुद्ध कितना-कितना खर्चा हुआ ? क्या राष्ट्रीय मार्ग नं0–24 पर कि0मी0 468 व कि0मी0 472 पर पुलियों/पुल का निर्माण कार्य किया गया है ? यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत थी ? और कितना वास्तविक खर्च हुआ ? क्या खर्च स्वीकृत से अधिक हुआ ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही उनकी सेवा-निवृत्ति से पहले लेकर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सामान्यतः अधिक व्यय हुआ है । राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लखनऊ के अन्तर्गत एस0आर0 में केवल रा0मा0–28 पर वर्ष 1981–82 तथा 1984–85 में क्रमशः 5.10 व 5.81 लाख रु0 की स्वीकृति के विरुद्ध क्रमशः 5.51 एवं 5.81 लाख रु0 का व्यय हुआ है । उक्त खण्ड में एफ0डी0 आर0 के अन्तर्गत वर्षवार तथा मार्गवार स्वीकृति एवं व्यय की सूचना (लाख रुपये) में निम्न अनुसार है:–

वर्ष	रा0मा0—24		रा0मा0—25		रा0मा0—28	
	स्वीकृत धनराशि	व्यय	स्वीकृत धनराशि	व्यय	स्वीकृत धनराशि	व्यय
80–81	13.913	15.30	0.168	0.240	24.476	23.650
81–82	6.132	7.00	2.500	3.180	87.031	99.160
82–83	2.204	8.810	2.610	3.130	5.410	15.420
83–84	7.520	27.030	5.280	5.270	6.830	11.930
84–85	3.200	3.320	4.450	4.350	21.540	21.530

राष्ट्रीय मार्ग–24 के कि0मी0–472 में पुलियों/पुल कार्य कोई का नहीं हुआ ।

उक्त मार्ग के कि0मी0 –468 में 468/2 लघु सेतु का कार्य रु0 5.12 लाख की स्वीकृति के विरुद्ध रु0 16.68 लाख व्यय किया गया ।

इस व्ययाधिक्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है तथा अग्रेतर दण्डात्मक कार्यवाही स्थिति स्पष्ट होन के पश्चात् प्रकरण के गुणावगुण पर निर्भर करेगी ।

भू-गर्भ जल विभाग खण्ड–2, फैजाबाद में कार्यरत श्री एच0बी0 शामवेदी अधिशासी अभियन्ता के द्वारा किये गय घपले और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

96—श्री देवकुमार यादव

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को भू-गर्भ जल विभाग खण्ड–2, फैजाबाद में कार्यरत श्री एच0 बी0 शामवेदी, अधिशासी अभियन्ता के द्वारा किये जा रहे घपले और भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती, पत्र दिनांक 9 फरवरी, 1990 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आरोपों और मागों का पूरा विवरण क्या है ? सरकार इस प्रकरण में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

आरोपों एवं मांगों का विवरण संलग्नक—"क" पर अवलोकनीय है ।

प्रकरण में जांच की कार्यवाही चल रही है जिसे शीघ्र पूर्ण किये जाने की आशा है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ.....पर)

जनपद सीतापुर के ब्लाक–पिसाव के अन्तर्गत कुल्हाघाट पर पुल बनाये जाने की मांग ।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

97—क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के ब्लाक-पिसावं अन्तर्गत कुल्हा घाट पर पुल न बनने से यहां के निवासियों एवं यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण अभी तक न कराये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों एवं ग्रामीण मार्ग पर होने तथा सेतुओं के वरीयता सूची में नहीं होने के कारण प्रश्नगत पुल का निर्माण अभी सम्भव नहीं है ।

98—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, कम्पनी सचिव, राज्य सेतु निगम के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई जांच एवं कार्यवाही की सम्यक् जानकारी

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

99—क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एस0के0 श्रीवास्तव कम्पनी सचिव सेतु निगम के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1990 जिसकी प्राप्ति माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्र सं0–सी0एम0वी0को0, एम–2/107/219/फे/90, दिनांक 8 फरवरी, 1990 द्वारा स्वीकार करके सचिव लोक निर्माण विभाग को जांच हेतु भेजा था, पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, कम्पनी सचिव, राज्य सेतु निगम के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का कथित शिकायती पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1990, जिसकी प्राप्ति माननीय मुख्य मंत्री जी के पत्र संख्या सी0एम0

वी0को0/एम–2/107/219/फै0/90, दिनांक 8 फरवरी, 1990 द्वारा स्वीकार करके सचिव, लोक निर्माण विभाग को जांच हेतु भेजा गया बताया गया है, प्राप्त नहीं हुआ है अपितु प्रश्नकर्ता का एक अन्य शिकायती–पत्र दिनांक 29 जनवरी, 1990 प्राप्त हुआ है जिसमें वर्णित बिन्दुओं पर प्रारम्भिक जांच हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को आदेश दे दिये गये हैं ।

रा0मा0 खण्ड लखनऊ में प्रत्येक संयंत्रों पर वर्ष 1980–81 से 1983–84 तक प्रत्येक वर्ष-वार सिविल खण्ड द्वारा मरम्मत एवं उसके चालान हेतु पी0ओ0एस0 पर हुए कुल खर्च तथा कार्य का विवरण

100—श्री महावीर सिंह राणा—

क्या लोक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि रा0मा0 खण्ड, लखनऊ में प्रत्येक संयंत्र (रोलर, जोप, मिक्सोल, मिक्सर आदि) पर वर्ष 1980–81 से 83–84 तक प्रत्येक वर्षवार सिविल खण्ड द्वारा मरम्मत एवं उसके चालान हेतु पी0ओ0एस0 पर अलग-अलग संयंत्र पर कितना-कितना खर्च आया तथा कितना कार्य हुआ ? क्या यह मुख्य अभियन्ता के निर्धारित नार्मस के अन्तर्गत था ? यदि नहीं, तो कितना अधिक खर्च हुआ तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के अतिरिक्त कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता सिविल तथा सेहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को रा0 मार्ग खण्डों में मरम्मत हेतु धनराशि व्यय करने का अधिकार

101—श्री महाबीर सिंह राणा—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता सिविल को रा0 मार्ग खण्डों में मरम्मत करने की कितनी धनराशि व्यय करने का अधिकारी है तथा कितनी धनराशि का सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को संस्तुति के पश्चात् अधिकार है ? क्या उपरोक्त वर्षों में किये गये संयंत्रों की मरम्मत नियमानुसार की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित दोषी अधिकारी अधिशासी अभियन्ता व अन्य के खिलाफ सेवानिवृत्ति के पहले तक कार्यवाही कर ली जायेगी । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक को तदर्थ नियुक्ति एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से त्याग-पत्र दिया जाना

102—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 जुलाई, 1977 से पूर्व अवर अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) के पद पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव की तदर्थ नियुक्ति की गई थी और श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव ने मई, 82 में सार्वजनिक निर्माण विभाग से त्याग-पत्र दे दिया था ? यदि हां, तो श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव अवर अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) का त्याग-पत्र किस तिथि को स्वीकृत किया गया और उन्होंने त्याग-पत्र किस तिथि को क्यों दिया था ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां, इनकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर एवं लोक सेवा आयोग से अनुमोदित होने की प्रत्याशा में की गयी थी ।

जी नहीं, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से अपना त्यागपत्र 29 जन, 1982 को मण्डी परिषद् में अपनी प्रतिनियुक्ति के पद पर संविलयन हेतु अनुरोध सम्बन्धी अपने पूर्व प्रेषित प्रार्थना–पत्र के अनुक्रम में प्रस्तुत किया था ।

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव का त्यागपत्र प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 2 मई, 1983 द्वारा मण्डी परिषद् में उनके सविलयन होने की तिथि से स्वीकार किया गया ।

श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव ने अपना त्यागपत्र दिनांक 29 जून, 1982 को मण्डी परिषद् में संविलयन हेतु पहले से विचाराधीन अनुरोध के अनुक्रम में दिया था ।

लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अवर अभियन्ताओं (विद्युत् /यांत्रिक) का विवरण

103—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या तदर्थ अवर अभियन्ता को प्रतिनियुक्ति पर किसी निगम या परिषद् में भेजा जा सकता है ? यदि हाँ, तो लोक निर्माण विभाग से वर्ष 1977 में कितने तदर्थ अवर अभियन्ताओं (विद्युत्/ यांत्रिक) को प्रतिनियुक्तियों में परिषदों या निगमों में कितनी अवधि के लिये भेजा गया था और उन्हें पुनः कितनी अवधि के बाद मूल विभाग लोक निर्माण विभाग में वापस बुला लिया गया ? कितने ऐसे अभियन्ताओं का संविलयन सम्बन्धित परिषद् या निगमों में कर दिया गया ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

अवर अभियन्ताओं को औपबन्धिक (प्राविजनली) नियुक्ति अस्थायी कर्मचारी के रूप में लोक सेवा आयोग के अनुमोदन की शर्त के अधीन की जाती थी एवं ऐसे अवर अभियन्ताओं को उस समयप्रतिनियुक्ति परभेजा जाता था । वर्ष 1977 मेंऐसे ही केवल एकअवरअभियन्ता (विद्युत्) को मण्डी परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था । आदेश में प्रतिनियुक्ति की अवधि नहीं दी गयी थी । उक्त अवर अभियन्ता द्वारा मण्डी परिषदे में स्थायी संविलयन किये जाने हेतु अपना त्याग-पत्र प्रेषित किया गया था, अतः लोक निर्माण विभाग में वापस नहीं बुलाया गया । मण्डी परिषद् द्वारा उक्त अवर अभियन्ता (विद्युत्) को दिनाँक 24 मई, 1982 से राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में संविलीन कर लिया गया ।

जनपद जालौन में "जवाहर रोजगार योजना" के अन्तर्गत किये गये व्यय की लेखा परीक्षा जाँच

104—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "जवाहर रोजगार योजना" के अन्तर्गत जनपद जालौन में किये गये व्यय की लेखापरीक्षा/जाँच का कोई प्राविधान है ? यदि हाँ, तो लेखापरीक्षा/ जाँच के लिये सक्षम अधिकारी कौन हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हाँ ।

लेखा परीक्षा जाँच के लिये सक्षम अधिकारी निम्नलिखित हैं :

(1) अभिकरण के लेखों, जिसमें जवाहर रोजगार योजना भी सम्मिलित है' की सम्परीक्षा, अभिकरण के अधिशासी निकाय द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रति वर्ष की जाती है ।

(2) इस योजना की सम्परीक्षा यथा समय महालेखाकार' उत्तर प्रदेश द्वारा भी की जायेगी ।

(ग) प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के सम्प्रेक्षण का दायित्व मुख्य लेखा सम्परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियों एवं पंचायतों) द्वारा रैन्डम सैम्पलिंग के आधार पर करने के आदेश हैं ।

उप आबकारी आयुक्त, बरेली इंचार्ज का अर्द्ध शासकीय पत्र तथा आबकारी निरीक्षक, पीलीभीत के प्रति की गई कार्यवाही की जानकारी

105--श्री हृदय नारायण--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप आबकारी आयुक्त, बरेली चार्ज ने अपने आदेश संख्या अ0 शा0 प0 सं0-112, दिनाँक बरेली, 11 अगस्त, 1987 द्वारा पीलीभीत जनपद के एक डिस्टीलरी में कार्यरत आबकारी निरीक्षक के खिलाफ क ी कार्यवाही करने के लिये आबकारी आयुक्त को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? यदि की गई है, तो क्या ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

प्रश्नगत उप आबकारी आयुक्त, बरेली चार्ज का अर्द्ध शा0 पत्र सं0 112, दिनाँक 11 अगस्त, 1987 नहीं, अपितु अर्द्ध0 शा0 पत्र सं0 13, दिनाँक बरेली/11 अगस्त, 1987 प्राप्त हुआ था । इस संदर्भ में मझोला आसवनी पीलीभीत में कार्यरत तत्कालीन आबकारी निरीक्षक के विरद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद चमोली में थराली-देवाल-मन्दोली मोटर मार्ग एवं रुद्रप्रयाग-कोटेश्वर-चोपड़ा मोटर मार्ग के लिये ली गई भूमि का मुआवजा भू-स्वामियों को दिया जाना

106--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में थराली-देवाल-मन्दोली मोटर मार्ग एवं रुद्रप्रयाग-कोटेश्वर-चोपड़ा मोटर मार्ग के निर्माण में ली गई भूमि का मुआवजा भू-स्वामियों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक मुआवजा भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जी नहीं ।

(1) जनपद चमोली के अन्तर्गत थराली-देवाल-मुन्दोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कुल 18 ग्राम के भू-स्वामियों को भूमि का मुआवजा दिया जाना था । मार्च, 1990 तक इनमें से दो ग्रामों को पूर्ण रूप से तथा 9 ग्रामों को आंशिक रूज से मुआवजा दिया जा चुका है ।

(2) रुद्र प्रयाग-कोटेश्वर चोपड़ा मोटर मार्ग के 9 ग्रामों में से अभी तक किसी ग्राम का मुआवजा का भुगतान भू-स्वामियों को नहीं किया गया है क्योंकि उक्त मार्ग में ली गयी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही आपसी बात-चीत द्वारा चल रही है ।

उपरोक्त मार्गों के शेष मुआवजे की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित भू-स्वामियों को शीघ्रातिशीघ्र नियमानुसार औपचारिक कार्यवाही पूर्ण करके कर दिया जायेगा ।

जनपद-चमोली में उच्च शिक्षा के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के विरुद्ध रिक्त पदों की जानकारी तथा उन्हें भरने के लिये शासन से मांग

107--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चमोली में उच्च शिक्षा के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के कितने पद 31 मार्च, 1990 तक रिक्त पड़े हैं ? इनको भरने हेतु शासन क्या कदम उठा रहा है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

31 मार्च, 1990 तक चमोली जनपद के राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के 50 पद रिक्त थे ।

इन पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है । आयोग द्वारा चयन में विलम्ब होने की दशा में पूर्व में आमंत्रित किये गये स्वयं सेविय को पुनः आमंत्रित कर शिक्षण कार्य पूरा किया जायेगा ।

प्रबन्ध निदेशक मण्डल विकास निगम, मुरादाबाद को भट्ठा प्लाट नं0 47 मौजा रमपुरा जट तहसील सम्भल के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी ।

108--श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

क्या ग्राम्य विकास मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्रांक-76868, 23 मार्च, 1990 प्रबन्ध निदेशक मण्डल विकास निगम, मुरादाबाद को प्राप्त हुआ है जिसमें शिकायत की गई है कि निगम ने लीज पर लेकर जो भट्ठा प्लाट नं0-47 मौजा रमपुरा जट तहसील सम्भल, मुरादाबाद वर्ष (1987-88) में चलाया है, उसमें लाखों रुपये का घोटाला किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हाँ । माननीय विधायक ने अपने उक्त पत्र में शिकायतों का उल्लेख करते हुये उन पर जाँच कराये जाने हेतु नहीं लिखा था, बल्कि कुछ बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी । उक्त ईंट भट्ठे के संचालन में अनियमितताओं की जाँच पहले से ही परगनाधिकारी, सम्भल द्वारा की जा रही है ।

परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, मुरादाबाद के भ्रष्ट एवं अनियमित कार्यों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

109--श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्रांक 23219, दिनाँक 22 दिसम्बर, 1989 को उन्हें प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, मुरादाबाद के भ्रष्ट एवं अनियमित कार्यों की शिकायत की गई थी ? यदि हाँ, तो उस पर जाँच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जाँच आख्या सदन के पटल पर रखी जायेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हाँ । उक्त शिकायती पत्र शासन में दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 को प्राप्त हुआ है, इसे जिलाधिकारी, मुरादाबाद को जाँच हेतु भेजा गया । तदोपरान्त श्री एन0 सी0 अग्रवाल, तत्कालीन परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मुरादाबाद को विभिन्न अनियमितायें बरते जाने के कारण शासन द्वारा दिनांक 8 जून, 1990 को निलम्बित कर दिया गया है तथा मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है । जाँच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को नये वेतनमान के अनुसार जनवरी, 1986 से दिसम्बर 1989 तक की बकाया धनराशि का दिया जाना ।

110--श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को नये वेतनमान के अनुसार जनवरी, 1986 से दिसम्बर, 1989 तक बकाया धनराशि देय है ? यदि हाँ, तो

प्राथमिक शिक्षकों को नये वेतनमान की बकाया धनराशि दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इसकी अदायगी कर दी जायेगी ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हाँ ।

कुछ शिक्षकों को दे दी गयी है ।

शिक्षा निदेशक को शीघ्र भुगतान हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड पहाड़ी अन्तर्गत ग्राम नोनार में प्राइमरी पाठशाला भवन हेतु स्वीकृत धनराशि की जनकारी एवं निर्माण कार्य अविलम्ब किया जाना ।

111—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के विकास खण्ड, पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम नोनार में बेसिक प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो किस वर्ष में एवं कितना धन निर्माण के लिए किस विभाग को दिया गया है ? भवन निर्माण में विलम्ब के क्या कारण है? क्या उसका निर्माण कराया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

वर्ष 1990–91 म रु0 90,000 स्वीकृत किया गया ह । निर्माण कार्य जिलाधिकारी द्वारा चयनित एजेन्सी से करवाया जायेगा । निर्माण इसी वर्ष पूर्ण हो जाने की आशा है ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड, पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम देवल में बेसिक प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण हेतु दी गई धनराशि तथा कार्य अधूरा रहने की शिकायत

112—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के विकास खण्ड, पहाड़ी के अन्तर्गत ग्राम देवल में बेसिक प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण बांदा द्वारा सन 1980 के पूव धन दिया गया था, और उसमें स्कूल की दीवारें तथा बरामदा बनाया गया था तथा स्कूल भवन की छत, छपाई, दरवाजा आदि का काम शष ह ? यदि हां, तो इस अर्ध निर्माण के पिछले दस सालों से रुके रहने का क्या कारण है ? क्या इस शिथिलता के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

अर्द्ध निर्माण के पिछले 10 सालों से रूके रहने के कारणों की जांच किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रदेश में अवैध शिकार के मामले की जानकारी तथा इसे रोकने का प्रबन्ध

113—डाक्टर दिनेश जोहरी—

क्या वन मंत्री बताने की ; कृपा करेंगे कि गत वर्ष प्रदेश में अवैध शिकार के कितने मामले पकड़े गये, उन पर कितना जुर्माना किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करगे कि अवध शिकार रोकने के लिए वह क्या कदम उठा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

गत वर्ष (1989–90) में प्रदेश में अवैध शिकार के 810 मामले पकड़े गये और रुपये 6,14,759.00, मुआवजा के रूप में वसूल किये गये। अवैध शिकार को रोकने के लिये प्रदेश के वन क्षत्रों में नियुक्त सशस्त्र वन्य जीव स्टाफ द्वारा नियमित रूप से गश्त किया जाता है। वन क्षेत्रों के बाहर जहां वन्य जीव परीक्षण संगठन का स्टाफ तैनात नहीं है, वहां वन प्रभागों के फील्ड स्टाफ, अपने कार्य के साथ–साथ, अवैध शिकार की रोकथाम भी करते हैं।

कुमायूं विश्वविद्यालय के उप कुलपति के विरुद्ध लगभग 40 विधायकों एवं सांसदों की संस्तुति के साथ दिया गया पत्र एवं उसकी जांच की मांग।

114—डाक्टर विनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि कुमायूं विश्वविद्यायलय के उपकुलपति के विरुद्ध लगभग 40 विधायकों एवं सांसदों की संस्तुति के साथ एक पत्र जनवरी माह वर्ष, 1990 में मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां। लेकिन उस पर 40 सांसद एवं विधायकों के हस्ताक्षर नहीं हैं।

जी हां ।

इस सम्बन्ध में कुलपति की आख्या प्राप्त हो गई है जो विचाराधीन है ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र शाहगंज के जिला सहकारी बैंक लि0 मानीकला द्वारा चयनित लाभार्थियों को दिये गये सामान में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सदस्य विधान परिषद के पत्र पर कृत कार्यवाही

115—श्री दशरथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपुर जनपद के विकास क्षेत्र शाहगंज के जिला सहकारी बैंक लि0 मानीकला द्वारा 30–31 मार्च, 1990 को आई0 आर0 डी0 पी0 योजना में चयनित लाभार्थियों को सामान दिलाया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त सामान वितरण में भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायती-पत्र विधान परिषद सदस्य श्री ज्ञानचन्द्र द्विवेदी ने एक अप्रैल, 1990 को जिलाधिकारी जौनपुर को तथा सदस्य विधान परिषद् श्री राजनाथ सिंह ने 25 अप्रैल, 1990 को मुख्य मंत्री को दिया है ? यदि हां, तो क्या दोनों शिकायती पत्रों की जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार में कितने कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ?

श्रीमती शुक्ला मिश्रा—

जी हां।

जी हां।

जिला विकास अधिकारी, जौनपुर द्वारा जांच प्रारम्भ कर दी गई है। जांच शीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां के घटिया निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत तथा जिलाधिकारी, जौनपुर की निरीक्षण रिपोर्ट की जानकारी

116---श्री अमर नाथ यादव---

क्या लोक निर्माण मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपदके वि0क्षे0 शाहगंज के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग हुआ है ? यदि हां, तो अधिशासी अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रश्नगत अस्पताल के निर्माण में हुये अनियमितता के संबंध में जिलाधिकारी, जौनपुर ने अपने 15 फरवरी, 1990 के निरीक्षण रिपोर्ट में क्या लिखा है और शासन उस पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

जनपद जौनपुर के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां के निर्माण में कतिपय अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जाँच करायी जा रही है ।

जिलाधिकारी, जौनपुर की निरीक्षण रिपोर्ट दिनाँक 15 फरवरी, 1990 में किसी अनियमितता का उल्लेख न होकर केवल भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण करके उसे हस्तान्तरित करने हेतु लिखा है । भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है ।

अयोध्या राजकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं की संख्या तथा उनके बैठने की समुचित व्यवस्था की जानकारी

117---श्री शिव प्रसाद शुक्ल---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या राजकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं की कितनी संख्या है ? क्या इन छात्राओं को बैठने की समुचित कुर्सी मेज की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार छात्राओं को बैठने की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी---

550 (पाँच सौ पचास) ।

400 छात्राओं हेतु फर्नीचर उपलब्ध है ।

क्योंकि सभी छात्राओं हेतु फर्नीचर क्रय करने के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं हो सकी ।

हाँ ।

फर्नीचर क्रय हेतु प्रत्येक वर्ष धन आवंटित किया जाता है । सभी छात्राओं के लिये फर्नीचर की व्यवस्था शनैः शनैः ही सम्भव हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

118---डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा---

(6वें सोमवार के लिए स्थगित)

119---श्री राज किशोर सिंह---

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

120---श्री रमेश करन---

(6वें सोमवार के लिये स्थगित)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड उरई, जनपद जालौन द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 में क्रय किया गया लोहा तथा निर्माण कार्य में उसे प्रयुक्त किये जाने की जानकारी

121---श्री शिव राम सिंह कुशवाहा---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड उरई, जनपद जालौन द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 में कितना लोहा क्रय किया गया ? उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान

कितना लोहा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गाया ? क्या लोहा आवश्यकता से अधिक खरीदा गया? यदि हाँ, तो सरकारी धन अवरुद्ध करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड उरई, जनपद जालौन द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 में 185.70 मी0टन लोहे की आवश्यकता के विपरीत 149.61 मी0 टन लोहा क्रय किया गया ।

उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान 66.78 मी0टन लोहा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गया ।

लोहा आवश्यकता से अधिक नहीं खरीदा गया, अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

गण्डक समादेश प्रक्षेत्र विकास परियोजना में कथित क्रय की गयी कारें तथा समादेश के समापन के पश्चात् उनकी उपयोगिता की जानकारी

122--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि गण्डक समादेश प्रक्षेत्र विकास परियोजना में फरवरी, 1990 में कितनी कारें खरीदी गयी हैं ? क्या यह सही है कि समादेश का समापन हो रहा है और समादेश में पहले से उपलब्ध सभी गाड़ियों का कोई उपयोग नहीं रह गया है ? यदि हाँ, तो पुनः कारें खरीदने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

गण्डक समादेश में फरवरी, 1990 में कोई कार क्रय नहीं की गयी है ।

जी हाँ । परन्तु समापन के कार्य में लगे अधिकारियों के लिए मापन का पूर्ण होने तक वाहनों की आवश्यकता बनी रहेगी ।

फरवरी, 1990 में कोई कार न खरीदें जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न का यह भाग अप्रसाँगिक हो जाता है ।

123--श्री कृष्ण किंकर सिंह--

[6वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा कटेहरी क्षेत्र में स्थित मड़हा नदी पर पुल बनाने की मांग

124--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित गोसाईगंज-भीटी मार्ग पर मड़हा नदी का पुल टूट जाने से उक्त मार्ग पर से जाने वाली रोडवेज की बसों समेत सभी प्रकार के भारी वाहनों और जीपों का आवागमन रुक गया है जिससे उस क्षेत्र के नागरिकों को घोर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उक्त सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उक्त पुल के स्थान पर स्वीकृत नये पक्के पुल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो उक्त नये पुल का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करा कर पुल को आवागमन हेतु कब तक जनता को उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जी हां ।

प्रश्नगत सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा उक्त सेतु का पूर्ण किया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु तुरन्त धन उपलब्ध कराने की मांग

125—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1989–90 में स्टेट सेक्टर के नए स्वीकृत कार्यों हेतु आवंटित और अवमुक्त करने का आधार क्याहै और अब तक किन–किन जनपदों को इस संबंध में धन अवमुक्त किया गया है तथा निर्धारित मानक में कौन सी शर्त पूरी नहीं थी जिसके कारण जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 1989–90 में स्टेट सेक्टर के स्वीकृत नए कार्यों के लिए अभी तक धन का आवंटन नहीं किया गया है ? क्या सरकार लो0 नि0 वि0, फैजाबाद को वर्ष 1989–90 में स्टेट सेक्टर में कटेहरी विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत नए कार्यों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत धन तुरन्त आवंटित और अवमुक्त करने की कृपा करेगी ताकि सभी स्वीकृत कार्यों पर कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा सकें ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

कार्य की प्राथमिकता तथा मांग के आधार पर धन आवंटित एवं अवमुक्त किया जाता है। राज्य सेक्टर की योजनाओं पर जनपदवार धन का आवंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 1990–91 में मात्र 4 माह का लेखानुदान स्वीकृत होने के कारण जनपद फैजाबाद में केवल चालू कार्यों पर कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1989–90 में स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ करने के लिये वर्ष 1990–91 का बजट पारित होने के पश्चात प्रदेश के समस्त कार्यों की प्राथमिकताओं को देखते हुए धन आवंटित करना संभव हो सकेगा। बजट पास होने के पूर्व 60 प्रतिशत धनराशि आवंटित करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण की मांग

126—श्री मुक्ति नाथ यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र सड़कों की दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ? यदि हां, तो सरकार उसे दूर करने हेतु क्या उपाय कर रही है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

127—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

(5वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद जौनपुर के लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खन्ड में मस्टर रोल कर्मचारियोंकी सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

128—श्री अमर नाथ यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खन्ड में मस्टर रोल के किसी कर्मचारी की सेवायें समाप्त करने हेतु

सदस्य, विधान परिषद् श्री राजनाथ सिंह ने 16 मार्च, 1990 को उन्हें पत्र लिखा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां।

शिकायतों की जांच की गई। आरोप निराधार पाये गये। पर कर्मचारी को स्थानान्तरित करने के आदेश कर दिये गये हैं। उसके अपराधिक प्रवृत्ति के होने के आरोप की जांच पुलिस विभाग से करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड दुद्धी व म्योर में निर्मित इंदिरा आवासों में रहने वालों का विवरण

129—श्री विजय सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खन्ड दुद्धी, विकास खन्ड म्योरपुर एवं विकास खन्ड बभनी में क्रमशः कितने निर्बल आवास व इन्दिरा आवास निर्माण किए गए हैं? उनमें से कितने आवासों में लोग रह रहे हैं।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद सोनभद्र के विकास खन्ड, दुद्धी, म्योरपुर व बभनी में क्रमशः 520, 493 व 125 निर्बल वर्ग आवास निर्मित किये गये हैं, जिनमें से क्रमशः 418, 245 व 125 आवासों में लोग रह रहे हैं। इन्दिरा आवास योजना में इन विकास खन्ड में क्रमशः 136, 95 व 107 आवास बने हैं, जिनमें से 98, 75 व 107 आवासों में लोग रह रहे हैं।

जनपद सीतापुर के विकास खन्ड सिधौली के खन्ड विकास अधिकारी, श्री राम लोटन मिश्र के विरुद्ध लगाये गये आरोप

130—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खन्ड सिधौली, जनपद सीतापुर में तैनात खन्ड विकास अधिकारी, श्री राम लोटन मिश्र अपनी राजकीय सेवा के दौरान कितनी बार निलम्बित हो चुके हैं? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी को पूर्व तैनाती स्थानों पर इनके विरुद्ध लगाए गए आरोप सही पाए गए और इनको निलम्बित कर दिया गया था? यदि हां, तो इनको निलम्बन आदेश हस्तगत न कराए जाने के क्या कारण हैं? इसके लिये दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

श्री राम लोटन मिश्र, अपने सेवाकाल में एक बार निलम्बित हुए। श्री राम लोटन मिश्र, खन्ड विकास अधिकारी को जिन अनियमितताओं के लिये निलम्बित किया गया था वे उनके कार्यकाल से संबंधित नहीं थी। उक्त तथ्य प्रकाश में आ जाने के फलस्वरूप निलम्बन आदेश इन्हें हस्तगत नहीं कराया गया। उक्त अनियमिततायें श्री ओकार सिंह, खन्ड विकास अधिकारी के कार्यकाल से संबंधित थी। चूंकि श्री सिंह का देहान्त 8 सितम्बर, 1987 को हो गया था। अतः इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खन्ड सिधौली के अन्तर्गत बनाये निर्बल वर्ग आवासों की संख्या

131— श्री यदुनाथ सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खन्ड सिधौली द्वारा अब तक वित्तीय वर्ष 1989–90 के अन्तर्गत निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना में कितने ग्रामों में कितने निर्बल वर्ग आवासों का निर्माण कराया गया है ? क्या यह सही है कि खन्ड विकास अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर किये गये प्रतिवेदन में बहुत से आवासों का निर्माण पूरा किया गया है ? यदि हां, तो गलत प्रतिवेदन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

विकास खन्ड सिधौली, जनपद सीतापुर में नौ (9) ग्रामों में सत्रह (17) निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासों का निर्माण कराया गया है ।

जी हां । तत्कालीन खन्ड विकास अधिकारी द्वारा दी गयी भौतिक प्रगति रिपोर्ट तथा वास्तविक रूप से निर्मित आवासों की संख्या में अन्तर पाया गया।

तत्कालीन खन्ड विकास अधिकारी, सिधौली श्री राम लोटन मिश्रा को गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आधार पर प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है ।

132—डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा—

(6वें सोमवार के लिये स्थगित) ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक -बड़ागांव के ग्राम कुंडी में स्थित जूनियर हाई स्कूल को स्थायी मान्यता देने की मांग

133—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कुंडी, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में एक जूनियर हाई स्कूल करीब 9–10 वर्ष से चल रहा है ? यदि हां, तो क्या इसको स्थायी मान्यता दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर इस स्कूल को स्थायी मान्यता देगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

जी नहीं ।

नियमों में संशोधन विचाराधीन होने के कारण ।

संशोधित नियमों के अन्तर्गत आने पर ही स्थायी मान्यता दी जा सकेगी ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक ताड़ी में स्थित प्रा0 पाठशाला के पुनर्निर्माण की मांग

134—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 पाठशाला, ताड़ी ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी की इमारत अत्यन्त जर्जर हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके पुनर्निर्माण की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

एक विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में है ।

जिला योजना में प्राविधान किये जाने पर ही पुनर्निर्माण सम्भव हो सकेगा ।

जनपद बांदा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तरीय कमेटियों का गठन तथा चयन प्रक्रिया में जन प्रतिनिधियों के भागीदारी की मांग

135--श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तरीय कमेटियों का गठन किया जा चुका है ? यदि हां, तो ब्लाक स्तरीय समितियों के गठन का क्या स्वरूप है ? क्या ब्लाक स्तरीय कमेटियों की बैठकें बुलाई गयी हैं ? यदि हां, तो किस ब्लाक की और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अनुदेशक/अनुदेशिकाओं के चयन में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी है ? यदि हां, तो किस रूप में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

जी नहीं ।

समितियों का गठन निम्न प्रकार होता है:--

1--विकास खण्ड प्रमुख	..	अध्यक्ष
2--विकास खण्ड अधिकारी	..	सदस्य
3--प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	..	सदस्य
4--सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका	..	सदस्य
5--सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0वी0)	..	सदस्य
6--सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	..	सदस्य
7--जिला आर्गेनाइजर, वी0आर0डी0	..	सदस्य
8--प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक के परियोजना अधिकारी		सदस्य/सचिव

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि कमेटियों का गठन नहीं हुआ है ।

जी हां ।

चयन के लिये गठित की जाने वाली समिति में गांव के एक-दो व्यक्ति रखे जाने का प्राविधान है ।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रम्हपुर के ग्राम बिशुनपुर मटियारा के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में सांसद के पत्र पर कृत कार्यवाही

136--श्री केदार नाथ सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रम्हपुर अन्तर्गत ग्राम बिशुनपुर मटियारा को जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त लगभग 51 हजार रुपये एवं अन्य 12 हजार रुपये का प्रधान द्वारा किये जा रहे दुरुपयोग के विषय में श्री हर्षवर्धन सिंह, सांसद, महराजगंज, जनपद महराजगंज का कोई पत्र मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश व जिलाधिकारी, गोरखपुर को माह अप्रैल, 1990 में साधारण डाक व रजिस्ट्री डाक से भेजा है ? यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच जिला पंचायत राज अधिकारी, गोरखपुर द्वारा स्वयं की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के आबकारी निरीक्षक, श्री आर0 पी0 सिंह के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

137---श्री केदार नाथ सिंह---

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने अपना पत्र दिनांक 10 अप्रैल, 1990, जो श्री आर0पी0 सिंह, आबकारी निरीक्षक, सदर क्षेत्र, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध था, आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायतों की जांच कराये जाने पर श्री सिंह के विरुद्ध एक आरोप सिद्ध पाया गया जिसके लिये उनकी दो वेतन वृद्धियां रोकी गयीं और उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां के ग्राम बड़ागांव में ईट भट्ठा कृषि भूमि पर खोदा जाना तथा शिकायती प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

138---श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर, की तहसील पुवायां के ग्राम बड़ागांव के अनेक कृषकों और हरिजनों ने 18 दिसम्बर, 1989 को जिलाधिकारी, शाहजहांपुर तथा परगनाधिकारी, पुवायां को ईट भट्ठे रोकने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया ? यदि हां, तो उस पर आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुयी ? क्या यह भी सही है कि उक्त भट्ठा शिकायतकर्ता हरिजन व अन्य की कृषि भूमि में खोदा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था, पर शिकायतकर्ता में कोई हरिजन नहीं है ।

शिकायती-पत्र की जांच कराने पर शिकायत निराधार पाई गई । जी नहीं । भट्ठा स्वामी ने भट्ठा अपनी निजी भूमि पर लगाया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-देहरादून के सीनियर बेसिक स्कूलों (जू0हा0स्कूल) में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

139---श्री रणजीत सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून में ऐसे कितने सीनियर बेसिक स्कूल हैं (जूनियर हाई स्कूल) जहां विज्ञान, गणित, अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान की शिक्षा देने वाले अध्यापक नहीं हैं तथा ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां उक्त विषयों के एक से अधिक अध्यापक हैं ? क्या मंत्री जी शीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति कराने की कृपा करेंगे ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

75

22

यथाशीघ्र व्यवस्था की जायेगी ।

140—141—श्री पंचानन राय—

(6वें सोमवार के लिये स्थगित)

जनपद बरेली में स्थित हार्टमैन कालेज में दुगुनी फीस को कम करने की मांग

142—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बरेली में स्थित हार्टमैन कालेज में एक वर्ष में लगभग दुगुनी फीस बढ़ा दी गयी व के0जी0 व नर्सरी की फीस 120 रुपये प्रति माह कर दी गयी ? क्या मंत्री जी उक्त स्कूल का गत एक वर्ष का आय–व्यय का ब्योरा सदन के पटल पर रखने एवं बढ़ाई गयी फीस को कम करने के आदेश देने की कृपा करेंगे । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

शिक्षा निदेशक (बेसिक)/(मा0) को जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद ललितपुर की नारायण नदी पर बड़ा पुल बनाने की मांग

143—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली सड़क पर जनता के आवागमन की सुविधा हेतु ललितपुर में टीकमगढ़ वाया बानपुर की जामनी नदी पर ललितपुर से बरायठा बन्डा वाया गिरार पर धसान नदी पर एवं ललितपुर से बुरई खिमलास वाया परिघाट पर नारायण नदी पर बड़े पुल बनाने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

जनपद गाजीपुर के ब्लाक जखनियां में स्थित जूनियर हाई स्कूलों को ग्राण्ट-इन-एड पर लिये जाने की मांग

144—श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूलों को इन दिनों ग्राण्ट-इन-एड पर नहीं लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? गाजीपुर जनपद के विकास खण्ड जखनियां मनिहारी, बिरनों, देवकली और सादात में ऐसे कितने जूनियर हाई स्कूल हैं, जिन्हें ग्राण्ट-इन-एड नहीं मिला है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

19

जनपद गाजीपुर के किसान लघु माध्यमिक विद्यालय, गोदसैया की क्षतिपूर्ति का भुगतान

145--श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की क्षतिपूर्ति भुगतान करने के कौन-कौन से मापदण्ड हैं ? क्या गाजीपुर जनपद के किसान लघु माध्यमिक विद्यालय, गोदसैया की क्षतिपूर्ति सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूरी होने के बावजूद सन् 1981 से अब तक नहीं की गयी है ? यदि हां तो क्यों ? यह कब तक कर दी जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी---

मापदण्ड निम्न प्रकार हैं :

1---विद्यालय मान्यताप्राप्त हो ।
2---छात्र संख्या जनपदीय अधिकारी तथा सम्बन्धित लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो ।
3---हरिजन छात्र संख्या का स्पष्ट उल्लेख हो तथा कुल छात्र संख्या में से इसे घटा दिया गया हो ।
4---मांग पत्र जनपदीय अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुआ हो ।
5---मांग पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किया गया हो ।

वर्ष 1985-86 तक का भुगतान किया जा चुका है । वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक के अनुदान का मांग पत्र विचाराधीन है ।

भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा ।

उन्नाव, लोक निर्माण विभाग में जालसाजी के आधार पर नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

146---श्री हृदय नारायण---

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग में पहले से दैनिक वेतन पर कार्यरत मेट/चौकीदार/छटनीशुदा कर्मचारी को ही मेट पर नियुक्त किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्राविधानों का अनुचित लाभ उठाते हुये छटनी शुदा कर्मचारियों को अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 ख0, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 1975 को जारी अधिकृत सूची के क्रमांक 32 पर फेरबदल कर ऐसे व्यक्ति को छटनी शुदा कर्मचारी दिखाया गया है जो वास्तव में कभी कर्मचारी था ही नहीं ? यदि हां, तो जालसाजी के आधार पर अगस्त, 1988 में नियुक्ति देने वाले नियुक्ति अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार इसे पूरी जालसाजी की जांच सतर्कता विभाग से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

जी नहीं ।

छटनीशुदा कर्मचारियों की सूची के क्रमांक-32 पर फेरबदल करके मेट के पद पर नियुक्त किये गये श्री गौरीशंकर पुत्र श्री मोहन प्रसाद की सेवायें दिनांक 1 मार्च, 1990 को समाप्त कर दी गई हैं ।

उक्त अनियमितता के लिये नियुक्ति अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । जांचोपरान्त दोषी अधिकारी को दण्डित किया जायेगा ।

जी नहीं ।

अभी सतर्कता जांच की आवश्यकता नहीं है

जनपद लखीमपुर-खीरी को स्टेट प्लान योजनाओं हेतु समता के आधार पर फण्ड देने की मांग

147--श्री निरवेन्द्र कुमार--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर-खीरी द्वारा गत तीन वर्षों में स्टेट प्लान से योजनाओं के लिये कितना फण्ड प्रति वर्ष मांगा गया उसके विपरीत कितना फण्ड स्टेट प्लान से दिया गया ? क्या मांग के विपरीत अन्य जनपदों को आवंटित फण्ड से कम फण्ड लखीमपुर को दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जनपद लखीमपुर-खीरी में स्थित लोक निर्माण विभाग के खण्ड से गत तीन वर्षों में स्टेट-प्लान की योजनाओं के लिये परिव्यय (फण्ड) की मांग एवं आवंटित का विवरण निम्नवत् है:

वर्ष	मांग (लाख रु0)	आवंटित फण्ड (लाख रु0)
1987-88	--	40.00
1988-89	77.14	87.50
1989-90	103.46	62.00

जी नहीं। कार्य की महत्ता को देखते हुये मांग के विपरीत अन्य जनपदों को आवंटित फण्ड से कम फण्ड लखीमपुर-खीरी को नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

148--श्री राम विशुन आजाद--

(6वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न सं0 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)।

लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता देने पर विचार

149--श्री महावीर सिंह राणा--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी में है कि लोक निर्माण विभाग के अन्य कर्मचारियों को जिनकी संस्तुतियां पत्रांक 994 ई बी-6 ई बी-25-90, दिनांक 24 फरवरी, 1990 तथा 3869 ई0 ए-2-ई ए-25/89, दिनांक 12 सितम्बर, 1989 को प्रमुख अभियन्ता को प्राप्त हो गयी थी, को प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जी हां। किन्तु पत्र दिनांक 24 फरवरी, 1990 के साथ वांछित प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त हुआ था। पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1989 के साथ प्रमाण-पत्र निदेशानुसार आशुलिपिक और टंकण की गति अलग-अलग न दर्शाये जाने के कारण त्रुटिपूर्ण था। अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल रूप में अधीक्षण अभियन्ता को वापस भेजे गये।

इन प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारियों से सही रूप में वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी।

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों की वरिष्ठता सूची बनाने की मांग ।

150—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि मुख्य अभियन्ता मुख्यालय–2 ने पत्रांक 182 व्यय–12 व्यय–85, दिनांक 18 जनवरी, 1989 के अनुसार वेतनमान 515–860 रु0 में पदोन्नति हेतु अर्हकारी परीक्षा लेकर चयन किया जाना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वेतनमान 570–1100, 515–860 एवं 470–735 के किन-किन आशुलिपिकों की नियुक्ति बिना पदोन्नति परीक्षा के की गयी और वेतनमान 570–1100 एवं 515–860 में कार्यरत किन-किन आशुलिपिकों की परीक्षा कब-कब लेकर पदोन्नति की गयी ? क्या वेतनमान 470–735 के आशुलिपिकों की वरिष्ठता सूची विभाग में बनायी जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वृत्तीय आशुलिपिकों की पदोन्नति हेतु अर्हकारी परीक्षा मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) के पत्रांक 182 व्यय–12 व्यय/85, दिनांक 18 जनवरी, 1989 द्वारा लोक निर्माण विभाग लिपिक वर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 1965 के नियम–5 के अनुसरण में दिनांक 17/18 फरवरी, 1989 को आयोजित होनी थी, जिसे विभागीय आशुलिपिक संघ के विरोध के कारण स्थगित कर दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वेतनमान 470–735 रु0 में कार्यरत आशुलिपिकों के दो अलग-अलग संवर्ग हैं— खण्डीय एवं वृत्तीय । इन दोनों संवर्ग की ज्येष्ठता सूचियां पहले से बनी हैं ।

राष्ट्रीय मार्ग पर स्वीकृत आगणन के आधार पर पुलिया का निर्माण तथा अन्य विवरण

151—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि वर्ष 1984 में राष्ट्रीय मार्ग 24 के कि0 मी0 330 में आगणन के प्राविधानों के अनुसार 22.5 मीटर चौड़ी पुलिया के स्थान पर 12.5 मीटर चौड़ी पुलिया बनायी गयी ? यदि हां, तो एम0 ओ0 टी0 के आगणन के विरुद्ध सड़क की चौड़ाई कितनी कम की गयी ? सड़क की चौड़ाई एवं पुलिया की चौड़ाई कम होने से कितनी सामग्री लगनी थी और कितनी कम लगायी गयी ? इस कार्य को किन अधिकारियों की देख-रेख में कराया गया ? क्या यह सही है कि इसमें लगभग 10 लाख रुपये की शासकीय हानि हुयी ? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त धनराशि की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वर्ष 1984 में राष्ट्रीय मार्ग सं0 24 के कि0मी0 330 में परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आगणन के प्राविधानों के अनुसार ही 12 मीटर चौड़ी पुलिया का निर्माण किया गया है तथा सामग्री भी तदनुसार ही लगाई गई ।

यह कार्य श्री आई0 डी0 सिंघल, अधिशासी अभियन्ता व श्री डी0 पी0 पाण्डेय, सहायक अभियन्ता की देख-रेख में किया गया ।

जी, नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद आजमगढ़ में तैनाती अवधि में श्री ए0 क्यू0 खां अधि0 अभि0 लोक निर्माण के विरुद्ध तामील आरोप-पत्र

152—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ए0 क्यू0 खां अधिशासी अभियन्ता जब जनपद आजमगढ़ में तैनात थे तो श्री डी0 टी0 ठाकुर एवं श्री जय प्रकाश, प्रथम अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इनके विरुद्ध भेजे गये कितने आरोप पत्रों को तामील कराया गया? कितने शेष हैं और उन्हें कब तक तामील कराया जायेगा? इन आरोप पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या विलम्ब के लिए विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

श्री डी0 टी0 ठाकुर, अधीक्षण अभियन्ता तथा श्री जय प्रकाश, अधीक्षण अभियन्ता ने श्री ए0 क्यू0 खां, अधिशासी अभियन्ता की आजमगढ़ जनपद में तैनाती की अवधि का कोई आरोप पत्र नहीं भेजा है अतः उन्हें तामील कराने का प्रश्न नहीं उठता।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली-सुल्तानपुर मार्ग के चौड़ाकरण में व्यय धनराशि

153—श्री गुलाब सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि रायबरेली-सुल्तानपुर मार्ग के चौड़ाकरण का कार्य वर्ष 89-90 में किन-किन किलोमीटर में कितनी कितनी लागत का कराया गया है? क्या एक ही कि0 मी0 में दायीं एवं बायीं ओर की सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अलग-अलग अनुबन्ध बनाए गए? यदि हाँ, तो कितने कि0 मी0 में ऐसा किया गया? क्या एक ही कि0 मी0 में बनाए गए अनुबन्धों की सामग्री की दरों एवं मात्राओं आदि में भिन्नता है? यदि हाँ' तो क्यों और इससे शासन की कितनी हानि हुई है? क्या अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित कर शासकीय हानि की वसूली की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वर्ष 1989-90 में रायबरेली-सुल्तानपुर मार्ग के चौड़ाकरण का कार्य कुल 10 कि0 मी0 में (कि0 मी0 16 से कि0 मी0 25 तक) रु0 25.04 लाख की लागत से कराया गया।

जी हाँ।

कुल 10 कि0 मी0 में अनुबन्ध अलग-अलग बनाये गये।

अनुबन्धों की सामग्री की दरों में भिन्नता है परन्तु मात्राओं में कोई भिन्नता नहीं है

सामग्री की दरों में भिन्नता का कारण अलग-अलग अनुबन्धों हेतु अलग-अलग निविदाओं का प्राप्त किया जाना है, जो वस्तुतः तकनीकी दृष्टि से मार्ग के एक तरफ का चौड़ीकरण करने के उपरान्त ही दूसरी तरफ का चौड़ीकरण करने के उद्देश्य से किया गया। इससे कोई हानि नहीं हुई है अपितु कुछ धन की बचत ही हुई है। प्रश्न नहीं उठता।

दीवानी न्यायालय, रायबरेली साइकिल स्टैन्ड के निर्माण में घायल श्रमिकों को मुआवजा देने की माँग

154—श्री गुलाब सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि दिनांक 29 मार्च, 199क्रो0 थायी खन्ड, लो0 नि0 वि0, रायबरेली द्वारा निर्माणाधीन दीवानी न्यायालय

साइकिल स्टैन्ड की छत गिर जाने से कितने हरिजन श्रमिक मरे? उनके उपचार हेतु क्या कार्यवाही की गई? क्या मृतक हरिजनों को विभाग द्वारा मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों ? दीवानी न्यायालय की छत गिरने का क्या कारण था तथा इससे सरकार को कितनी हानि हुई ? क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

ठेकेदार द्वारा दीवानी न्यायालय, रायबरेली के साइकिल स्टैन्ड की छत का ढोला बनवाते समय कुछ बल्लियों के टूट जाने से ढोले का आँशिक भाग टूट कर गिर जाने से पाँच श्रमिक घायल हो गए । किसी श्रमिक की मृत्यु नहीं हुई।

ठेकेदार द्वारा इनका उपचार कराया गया।

विभाग द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उक्त कर्मचारी ठेकेदार के अधीन थे और उनके उपचार की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की गई। उक्त श्रमिकों से मुआवजे इत्यादि के विषय में कोई शिकायत न प्राप्त होने के कारण मुआवजा दिलवाने की कार्यवाही नहीं की गई।

कोई छत नहीं गिरी। केवल ढोला बनाते हुए कुछ भाग ढोले का टूट गया । ठेकेदार द्वारा ढोला दुबारा ठीक कराके छत डाल दी गई। कोई हानि नहीं हुई ।

छत का ढोला आँशिक रूप से टूटने हेतु कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के विकास खन्ड फाजिलनगर में राष्ट्रीय मार्ग पर सोलिंग का कार्य कराने की माँग

155--श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)--

क्या ग्राम्य बिकास मंत्री विकास खन्ड फाजिलनगर देवरिया में ग्राम धुनवलिया से त्रिमुहानी घाट वाया करजही कोटवा संपर्क मार्ग जो राष्ट्रीय मार्ग-28 से सैकड़ों गाँवों को जोड़ता है, का सोलिंग वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराने की कृपा करेंगे?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देवरिया के प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक दिनाँक 24 जून, 1990 को आयोजित हुई थी जिसमें लिये गये निर्णय के अनुसार समिति के सदस्यों (विधायक एवं साँसद) से निर्माण कार्यों हेतु प्रस्ताव माँगे गये हैं। यदि उक्त माँग की सोलिंग हेतु प्रस्ताव प्राप्त होता है तो कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जा सकेगा।

156--श्री नजमउद्दीन--

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद बलिया के भरौली-टुटवारी मार्ग का निर्माण-कार्य

157--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे भरौली-टुटवारी मार्ग, जनपद बलिया का निर्माण किया जा चुका है? यदि नहीं, तो उस मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं।

जिला सेक्टर के अन्तर्गत होने के कारण प्रश्नगत मार्ग का निर्माण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

वन विभाग में प्लान्टेशन जमादार व उपराजिक के पद को समाप्त करने हेतु शासनादेश

158—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि उन्होंने दिनांक 11 अप्रैल, 1990 को विशेष सचिव, वन विभाग को वन विभाग में प्लान्टशेन जमादार व उपराजिक के पद को समाप्त करने के लिए शासनादेश जारी करने हेतु निर्देश किया है? यदि हाँ, तो इस बावत शासनादेश कब तक जारी हो जायेगा?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग में वन राजिक पदों पर आरक्षण कोटा पूरा करने की माँग

159—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या वन मंत्री यह बतायेंगे कि लगभग 12 वर्ष पूर्व से उप राजिक से बन राजिक के पद पर पदोन्नति क्यों नहीं की गयी और पदोन्नति हेतु वन राजिक के कितने पद रिक्त हैं तथा उनमें अनुसूचित जाति के लिये कितने पद आरक्षित है? क्या अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहम्मद असलम खां—

अप्रैल, 1979 के बाद से उप वन राजिकों की वन राजिक के पद पर पदोन्नति कुछ कनिष्ठ वन राजिकों द्वारा न्यायालय से प्रोन्नति के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण नहीं की जा सकी। स्थगन आदेश का संशोधन होने पर दिसम्बर, 1988 में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को चयन हेतु अधियाचन भेजा गया। तदुपरान्त वन रेंजर का पद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अन्तर्गत आ जाने के कारण नियमित चयन हेतु अधियाचन जनवरी, 1989 में चयन बोर्ड को भेजा गया। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा यह सूचित किया गया कि उप राजिकों से वन राजिक के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन करने का अधिकार चयन बोर्ड को नहीं है। वन राजिकों के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियमित चयन सक्षम स्तर से कराने की कार्यवाही विचाराधीन है। उप राजिकों से वन राजिक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्तमान में 439 पद रिक्त हैं उनमें से 76 पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है। वर्तमान में कार्यरत प्रोन्नति प्रतिभाग के 107 वन रेंजरों में से 22 वन रेंजर अनुसूचित जाति के हैं। अतः प्रोन्नति प्रतिभाग के कार्यरत वन रेंजरों में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मीटी में स्थित गांव सभा पिंगरियावां में जवाहर योजना के अन्तर्गत कराय गये कार्यों की जांच

160—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है जनपद फैजबाद के विकास खण्ड मीटी में स्थित गांव सभा पिंगरियावां में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मार्च, 1990 तक बड़े पैमाने पर बिना कार्य करा ये फर्जी बाउचर तैयार कराकर सरकारी धन का गबन और दुरुपयोग कर लिया गया है ? क्या यह सही है कि विकास खण्ड भीटी की काफी गांव सभाओं में अधिकारियों की जानकारी और सहयोग से यह कार्य बड़े पमाने पर हुआ ? यदि हां, तो राज्य मुख्यालय से एक जांच दल भेजकर विकास खण्ड मीटी के जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विस्तृत भौतिक सत्यापन और जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्राप्त सूचनानुसार विकास खण्ड भीटी की ग्राम सभा पिंगरियावां के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है । जांच आख्या के आधार पर दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

अन्य ग्राम समाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर ही जांच कराया जाना व्यावहारिक रूप से सम्भव होगा ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र, कटेहरी में स्थित मड़हा नदी पर नये पुल बनाने की मांग

161—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र, कटेहरी में स्थित गोसाईगंज-सरायवीर सिंहपुर मार्ग पर ग्राम बालापकौली के पास मड़हा नदी का पुल काफी जर्जर हो गया है जिससे किसी भी समय भयंकर दुर्घटना हो सकती है ? क्या यह सही है कि उक्त पुल विभाग द्वारा निर्धारित मानकों में वरीयता (प्राथमिकता) की सूची में आता है ? क्या विभाग द्वारा उसका सर्वेक्षण कराकर आगणन भी लगभग 2 वर्ष पूर्व मंगाया गया था ? यदि हां, तो प्राथमिकता प्रदान करके उक्त स्थान पर नये पक्के पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मरम्मत के उपरान्त पुल से यातायात गुजर रहा है ।

पुल राज्य मार्ग पर न होने के कारण वरीयता कम होने से प्राथमिकता में नहीं आता है ।

जी नहीं ।

प्रस्तावित स्थल से लगभग 1 1/2 कि0 मी0 जल प्रवाह से ऊपर एक पुल निर्माणाधीन है । अतः प्रश्नगत पुल का निर्माण प्राथमिकता प्राप्त होने एवं भविष्य में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

162—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

(6वें सोमवार के लिए स्थगित ।)

जनपद वाराणसी में स्थित हाई स्कूल, मीरापट्टी के अध्यापकों के वेतन का भुगतान करने की मांग

163—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल, मीरापट्टी, जिला वाराणसी के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले वेतन भुगतान पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने रोक लगा दिया है ? क्या इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 17 अप्रैल,

1984 को वेतन देने का आदेश दिया गया है और उस आदेश की प्रति उप निदेशक शिक्षा, जिला विद्यालय, निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को भेजी गयी है ? यदि हां, तो उक्त अध्यापकों व कर्मचारियों का वेतन भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को न मानने के संबंध में कार्यवाही करगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

जी हां ।

भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी–जौनपुर मार्ग के पिंडिरा बाजार में स्वीकृत कार्यों को लोक निर्माण विभाग से कराने की मांग

164—श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी-जौनपुर मार्ग में पड़ने वाले पिंडिरा बाजार की सड़क को ऊंचा करने और किनारे पक्की नाली का निर्माण करने का कार्य कब तक किया जायेगा ? क्या पिंडरा ड्रेन के पुल को जो सकरा एवं नीचा है उस पर पुल का निर्माण पुनः किया जायेगा ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग अब राष्ट्रीय मार्ग घोषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को आदेश देगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

प्रश्नगत पिंडरा बाजार में मार्ग को ऊंचा करने एवं किनारे पक्की नाली के निर्माण का कार्य परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृत पर निर्भर है ।

पिंडरा ड्रेन का पुल वर्ष 1988 में पुनः निर्माण कर ऊंचा तथा चौड़ा कराया जा चुका है । इस पर पुल का निर्माण पुनः कराने की वर्तमान में परिवहन मंत्रालय की कोई योजना नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्ग को ऊंचा करने व किनारे पक्की नालियों के निर्माण का कार्य कराया जाना परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर है। उक्त हेतु आवश्यक आगणन उन्हें भेजा जा चुका है जिसमें मार्ग के दोनों ओर नाली एवं स्टोन सीलिंग का प्राविधान है ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ा गांव में स्थित जू0हा0स्कूल, कुवार को भवन बनाने की मांग

165—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनियर हाई स्कल, कुबार, ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी में गत 10/12 वर्षों से भवन बिहीन स्कल बेसिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी द्वारा चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक इमारत न बनाये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस विद्यालय के लिए जल्द से जल्द धन उपलब्ध कराकर इमारत बनाने क आदेश जारी करेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां।

इस हेतु धन की व्यवस्था न होना ।

प्रश्नगत विद्यालय का निर्माण इसी वष प्रस्तावित है ।

सिधौरा से धरसौना तक जिला वाराणसी के मार्ग को पक्का बनाने की मांग

166—श्री ऊदल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिधौरा से धरसौना, जिला वाराणसी के मार्ग को कब तक पक्का कर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि यह मार्ग वाराणसी–जौनपुर एवं वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग को जोड़ता है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

प्रश्नगत मार्ग जिला योजना के अन्तर्गत आता है तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर खड़ंजा स्तर तक निर्मित किया जा चुका है ।

जी नहीं । यह वाराणसी-आजमगढ़ तथा भोजूवीर-सिधौरा मार्ग को जोड़ता है ।

जनपद वाराणसी के पिंडरा में कन्या जू0 हा0 स्कूल खोलने की मांग

167—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक ब्लाक में लड़कियों की शिक्षा हेतु एक-एक हाई स्कूल खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या कन्या जू0 हाई स्कूल, पिंडरा, जिला वाराणसी को कन्या हाई स्कूल खोलने की सरकार मन्जूरी देगी या दूसरा हाई स्कूल, पिंडरा में लड़कियों के लिए खोलने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

168—श्री पंचानन राय—

(6ठें सोमवार के लिए स्थगित ।)

जनपद आजमगढ़ के हरैया विकास खण्ड में सम्पर्क मार्गों को लेपन स्तर तक निर्माण कराने की मांग

169—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला के हरैया विकास खण्ड में विकास खण्ड द्वारा किन-किन सम्पर्क मार्गों का सोलिंग स्तर तक निर्माण कराया गया है ? इनकी अलग-अलग लम्बाई क्या है और इसको लेपन स्तर तक निर्मित कराने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड हरैया में विकास खण्ड, द्वारा कुल 20 सम्पर्क मार्ग पर 9.323 कि0 मी0 लम्बाई में सोलिंग स्तर तक का कार्य कराया जा चुका ह जिसका पूर्ण विवरण संलग्न ह । लेपन स्तर तक निर्मित कराने हेतु प्रबंध कारिणी समिति द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी गई ह ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या. 181 पर) ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड, आजमगढ़ में सम्पर्क मार्गों को लेपन स्तर तक निर्माण करने की मांग

170—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अजमगढ़ विकास खण्ड द्वारा किन-किन सम्पर्क मार्गों का सोलिंग स्तर तक निर्माण कराया गया है ? इनकी अलग-अलग लम्बाई क्या है और इनको लेपन स्तर तक निर्मित कराने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

आजमगढ़ जनपद के आजमगढ़ विकास खण्ड द्वारा कुल 15 सम्पर्क मार्गों पर 11.100 कि0 मी0 की लम्बाई में सोलिंग स्तर तक का कार्य कराया गया है जिसका पूर्ण विवरण संलग्न है ।

लेपन स्तर तक निर्मित कराने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी गई ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ संख्या 182 पर) ।

जनपद ललितपुर के ग्राम उकौना के पास बड़ी पुलिया बनाने की मांग

171—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के महरौनी से मडावरा रोड़ पर ग्राम उकौना के पास बहुत छोटी पुरानी पुलिया निर्मित है जिसके कारण प्रतिवर्ष दर्जनों मकान ग्राम दररैना तथा नैनवारा के बरसात में गिर जाते हैं और जन-धन की काफी हानि होती है ? क्या मंत्री जी उक्त पुरानी पुलिया के स्थान पर बड़ी पुलिया बनवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी नहीं ।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद ललितपुर के विकास खण्ड, बिरथा के ग्राम महौली में हरिजनों हेतु निर्मित आवासों में हुई अनियमितताओं की जांच

172—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विकास खण्ड बिरथा के ग्राम महौली में कितने इन्दिरा आवास, निर्बल वर्ग आवास या हरिजन आवास निर्मित किये गये हैं ? क्या उक्त सभी आवास ध्वस्त हो चुके हैं या अधूरे बनाये गये हैं ? इनमें हरिजन या निर्बल वर्ग के कितने व कौन-कौन व्यक्ति रहते हैं ? क्या इन आवासों के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच मंत्री जी करायेंगे तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

ग्राम महौली, विकास खण्ड बार में नहीं है । यह ग्राम विकास खण्ड, बिरधा, जनपद ललितपुर में है ।

ग्राम महौली, विकास खण्ड, विरघा में वर्ष 1984–85 में 6 निर्बल वर्ग आवास तथा 1985–86 में 8 इन्दिरा आवासों का निर्माण कराया गया था । यह सभी आवास पूर्ण रूप से निर्मित हैं, कोई आवास ध्वस्त नहीं हुये हैं । सभी आवासों में लाभार्थी निवास कर रहे हैं । इनमें 1 लाभार्थी निर्बल वर्ग (सामान्य) का तथा शेष 13 लाभार्थी अनुसूचित जाति के हैं।

वर्ष 1989–90 में ग्राम महौली में 13 निर्बल वर्ग आवासों का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 12 अनुसूचित जाति तथा 1 (सामान्य जाति का लाभार्थी है) इन आवासों का कार्य शीघ्र पूर्ण होने वाला है ।

उपर्युक्त आवासों के निर्माण में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है । अतएव किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

आबकारी विभाग में कार्यरत आबकारी निरीक्षकों का स्थायीकरण

173––श्री अकबर हुसैन बाबर––

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षकों को स्थायी किये जाने के लिये नियमों के अनुसार कितनी सेवा अवधि निर्धारित है ? क्या वर्ष 1983 में सेवा में लिये गये निरीक्षकों का स्थायीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा––

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19(1) के अनसार आबकारी विभाग में नियुक्त आबकारी निरीक्षकों को स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा । परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी । वर्ष 1983 में सेवा में लिये गये आबकारी निरीक्षक जो नियमानुसार अर्ह पाये गये, के स्थायीकरण के आदेश पारित किये जा चुके हैं ।

जनपद सोनभद्र के रेनूकूट वन प्रभाग में स्थानीय वन कर्मियों के स्थानान्तरण की मांग

174––श्री विजय सिंह––

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सोनभद्र के रेनूकूट वन प्रभाग में स्थानीय वन कर्मी (फारेस्ट गार्ड व फारेस्टर) 8–10 वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं ? यदि हां, तो इनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन की क्या नीति है ? क्या इन स्थानीय वन कर्मियों का स्थानान्तरण रेनूकूट वन प्रभाग से बाहर करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां––

जी नहीं । उक्त वन प्रभाग में ऐसा कोई स्थानीय वन कर्मी 8–10 वर्षों से एक स्थान पर तैनात नहीं है ।

वन रक्षक (फारेस्ट गार्ड) का स्थानान्तरण प्रत्येक 5–6 वर्षों में एक रेंज से दूसरे रेंज में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाता है तथा वन क्षेत्र (फारेस्टर) का स्थानान्तरण भी उसी नीति के आधार पर प्रभागीय स्तर द्वारा एक रेंज से दूसरे रेंज में तथा वृत्त स्तर द्वारा एक प्रभाग से दूसरे प्रभाग में किया जाता है । वन रक्षक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कोटि में आता है । अतः बिना निजी अनुरोध के उनका स्थानान्तरण प्रभाग से बाहर नहीं किया जाता ।

रेनूकूट वन प्रभाग में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

175—श्री विजय सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेनूकूट वन प्रभाग वृक्षारोपण कार्य में लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 जनवरी, 1988 जो उप वन संरक्षक, रेनूकूट को सम्बोधित तथा वन संरक्षक, दक्षिणी वृत्त, इलाहाबाद, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन विभाग, लखनऊ को पृष्ठांकित था, प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

जी हां। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 जनवरी, 1988 प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट के कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसका मुख्य विषय विधायक जी द्वारा अग्रिम मिट्टी कार्य का विवरण तथा अनुसूचित दरों की सूची की मांग करना था। पत्र में न्यूनतम मजदूरी न देने का कोई प्रकरण विशेष का उल्लेख नहीं था।

अग्रिम मिट्टी कार्य का विवरण तथा अनुसूचित दरों की सूची प्रश्नकर्ता के कार्यकर्ता को नोट करा दी गई थी।

176—श्री विजय सिंह—

(दिनांक 18 जून, 1990 को ता0 प्र0 संख्या 4 द्वारा उत्तरित।)

राजकीय महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बाराबंकी के प्रवक्ताओं का स्थानान्तरण

177—श्री प्रदीप कुमार यादव एवं श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बाराबंकी से जुलाई, 1988 में मैथमेटिक्स और साइन्स की लेक्चरर के स्थानान्तरित होने के बाद से 31 अगस्त, 1989 तक उनके स्थान पर उस विद्यालय में मैथमेटिक्स और साइन्स की लेक्चरर की नियुक्ति नहीं की गयी ? यदि हां, तो किसकी लापरवाही से यह नियुक्ति नहीं हुई ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रश्नगत प्रवक्ताओं का स्थानान्तरण नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के कम्पनी सचिव, श्री एस0 आर0 गुप्ता एवं वित्तीय परामर्श दाता, श्री बी0बी0 मुखर्जी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

178—श्री ओम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री कपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के कम्पनी सचिव, श्री एस0 आर0 गुप्ता एवं वित्तीय परामर्शदाता, श्री बी0बी0 मुखर्जी कितने-कितने समय से निगम में कार्यरत हैं ? उन्हें निदेशक मण्डल द्वारा कितना-कितना वेतनमान अनुमन्य है और कितना-कितना वेतन इन्हें दिया जा रहा है ? निगम के उक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध किस-किस प्रकार की वित्तीय अथवा अन्य जांचें लम्बित हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निगम के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक, श्री जे0 सी0 तायल द्वारा उपरोक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न गम्भीर अनियमितताओं की जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के कम्पनी सचिव श्री एस0आर0 गुप्ता एवं वित्तीय परामर्शदाता श्री बी0 बी0 मुखर्जी क्रमशः दिनांक 28 अक्तूबर, 1978 एवं 11 मार्च, 1976 से निगम में कार्यरत हैं । इन दोनों अधिकारियों को निगम के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर, 1978 से रु0 1950–2250 का उच्च वेतनमान स्वीकृत किया जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति दिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है । अब अद्यतन वेतनमान पुनरीक्षित होकर रु0 5100–6150 हो गया है । श्री बी0बी0 मुखर्जी, वित्तीय परामर्शदाता को वेतनमान रु0 5100–6150 में दिनांक 1 जून, 1990 से रु0 6150 प्रतिमास का वेतनमान अनुमन्य है । श्री एस0 आर0 गुप्ता, कम्पनी सचिव का वेतनमान रु0 5100–6150 में वेतन निर्धारित किया जा रहा है ।

तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, श्री तायल ने कम्पनी सचिव, श्री एस0आर0 गुप्ता को वर्ष 1988 में दो कारण बताओ नोटिस दिये थे जो कम्पनी सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता को दिनांक 1 दिसम्बर, 1978 से दिये गये उच्चीकृत वेतनमान रु0 1950–2250 को शासन से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने में वर्ष 1982 के बाद कोई अग्रेतर कार्यवाही न किये जाने से सम्बन्धित थे । दिनांक 1 दिसम्बर, 1978 से उच्चीकृत वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । श्री बी0बी0 मखर्जी, वित्तीय परामर्शदाता को भी कतिपय वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, श्री तायल द्वारा वर्ष 1988 में दो कारण बताओ नोटिस दिये गये । इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है । जांच अधिकारी की आख्या प्रतीक्षित है ।

भूमिगत जल प्रदूषण एवं खारे भू-जल की समस्या में अन्तर और निराकरण

179—श्री हृदय नारायण—

कुंवर मानवेन्द्र सिंह, पूर्व सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 1988 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भमिगत जल के प्रदूषण के अध्ययन का कार्य किन-किन जनपदों में किया गया है ? क्या जनपद, उन्नाव के विकास खण्ड असोहा, हिलौली, नवाबगंज में वर्ष 1990–91 में भूमिगत जल प्रदूषण का कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश के वित्तीय सहयोग से लखनऊ नगर महापालिका क्षेत्र में भू-गर्भ भूमिगत जल प्रदूषण सम्बन्धित एक परियोजना पर अध्ययन प्रारम्भ किया जा चुका है ।

भू-गर्भ जल विभाग द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई है । जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है ।

180—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

(6वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न सं0 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

181—श्री निरवेन्द्र कुमार—

(दिनांक 6 मार्च, 1990 की अतारांकित प्रश्न सं0 60 द्वारा उत्तरित ।)

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड, सरोजनीनगर के ग्राम सभा, सरसवां (अर्जुनगंज) में खड़ंजा लगाने की मांग

182—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा, सरसवां (अर्जुनगंज) विकास खण्ड, सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ के निवासियों के संयुक्त प्रार्थना-पत्र पर तत्कालीन राज्य

ग्राम्य विकास मंत्री ने दिनांक 23 अगस्त, 1988 व 21 जुलाई, 1989 एवं ग्राम्य विकास मंत्री ने दिनांक 21 जुलाई, 1989 को नई बस्ती में खड़ंजा लगाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ को स्पष्ट आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

नई बस्ती, अर्जुनगंज विकास खण्ड, सरोजनी नगर के कतिपय प्रार्थियों का एक संयुक्त प्रार्थना-पत्र जिस पर तत्कालीन राज्य मंत्री ग्राम्य विकास के आदेश दिनांक 22 अगस्त, 1988 अंकित हैं तथा जो उनके कार्यालय से 23 अगस्त, 1988 को जिलाधिकारी, लखनऊ को भेजा गया, प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्त नई बस्ती, अर्जुनगंज के कतिपय प्रार्थियों के एक संयुक्त प्रार्थना-पत्र, जिस पर तत्कालीन राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास के आदेश दिनांक 21 जुलाई, 1989 अंकित थे, प्राप्त हुआ था । कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र, जिस पर ग्राम्य विकास मंत्री जी के आदेश दिनांक 21 जुलाई, 1989 अंकित हो, प्राप्त नहीं हुआ ।

जी नहीं ।

नई बस्ती में खड़ंजा लगाने की कार्यवाही धनाभाव के कारण नहीं की जा सकी ।

जनपद गोरखपुर के थाना गुल्हरिया, ग्राम भटहट, टोला बड़हरिया स्थित कसाई बाड़ा में वध किये जाने वाले पशुओं का विवरण

183—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भटहट टोला बड़हरिया, थाना गुल्हरिया, जनपद गोरखपुर में कोई कसाई बाड़ा है ? यदि हां, तो उक्त स्लाटर हाउस का लाइसेन्स किसके नाम से है और उसमें कौन-कौन से पशु काटे जा सकते हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

स्लाटर हाउस का लाइसेन्स सैय्यद जावेद अली पुत्र सैय्यद काजिम अली के नाम से है । लाइसेन्सी को भैंसे काटने का अधिकार रहता है ।

184—श्री ऊदल—

(6वें सोमवार के लिये स्थगित) ।

बुन्देलखण्ड के विकास के लिये आवंटित धन का विवरण

185—डा० सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिये बुन्देलखण्ड विकास परिषद् एवं बुन्देलखण्ड विकास निगम का गठन कब किया गया ? इनकी बैठकें नियमानुसार वर्ष में कितनी बार होनी चाहिये ? वर्ष 1989–90 में 31 जनवरी, 1990 तक कितनी बैठकें हुई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1989–90 में उपरोक्त के लिये शासन स्तर से कितना धन आवंटित किया गया ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

बुन्देलखण्ड के विकास के लिये बुन्देलखण्ड विकास परिषद् का गठन नहीं किया गया है, अपितु बुन्देलखण्ड विकास सलाहकार परिषद् का गठन दिनांक 17 मार्च, 1981 को किया गया है । उक्त परिषद् की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिये यह निर्धारित नहीं है । वर्ष 1989–90 में 31

जनवरी, 1990 तक उक्त परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई है । शासन द्वारा उक्त परिषद् को वर्ष 1989–90 में उपरोक्त के लिये कोई धन आवंटित नहीं किया गया है ।

उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम की स्थापना दिनांक 30 मार्च, 1971 को की गई थीं । नियमानुसार निगम के निदेशक मण्डल की एक वर्ष में चार बैठकें होनी चाहिये । वर्ष 1989–90 में 31 जनवरी, 1990 तक निगम की दो बैठकें आयोजित की गयी । शासन द्वारा वर्ष 1989–90 में उपरोक्त के लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी ।

उत्तर प्रदेश के विकास खण्डों में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी, पंचायत (उद्योग) के स्थायीकरण की मांग

186––श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य––

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विकास खण्डों में कितने सहायक विकास अधिकारी पंचायत (उद्योग) के पद पर कब से कार्यरत हैं ? क्या सरकार नियमानुसार उक्त पदधारकों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा––

केवल जनपद बाराबंकी के पंचायत उद्योग बंकी में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), पंचायत निरीक्षक (उद्योग) के पद पर दिनांक 1 जनवरी, 1981 से सेवारत हैं ।

जी नहीं ।

पंचायत निरीक्षक (उद्योग) पदों पर अन्य कोई सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवारत न होने के कारण उनके स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित हाईड्रम योजना के अधिकारी कर्मचारियों को लघु सिंचाई विभाग में संविलयन किया जाना ।

187––श्री काशी सिंह ऐरी––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान के कार्यालय ज्ञाप संख्या दो/7265–वि0 अ0–तेरह–67–78–89, दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 जिसकी प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई को पृष्ठांकित है, द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित हाईड्रम योजनाओं को कर्मचारी/अधिकारी सहित लघु सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित किया गया ? यदि हां, तो क्या हस्तान्तरित किये गये कर्मचारियों का लघु सिंचाई विभाग में समनुरूप पदों पर संविलयन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय विकास अनुभाग–3 के पत्र संख्या 2431/384–84' दिनांक 28 अप्रैल, 1984 के अनुपालन में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा––

जी हां ।

जी हां । लघु सिंचाई विभाग में विद्यमान पदों के समनुरूप अर्हता रखने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को संविलीन किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त प्रकरण से सम्बन्धित संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय विकास अनुभाग–3 के पत्र संख्या 2431/38–4–84, दिनांक 28 अप्रैल, 1984 में संलग्न श्री गोपाल दत्त ढौंडियाल, ग्राम्य विकास

अधिकारी, विकास खण्ड, धराली, चमोली के प्रार्थना-पत्र पर विचार किया गया । श्री ढौंडियाल लघु सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता (ल0 सिं0) पद के लिये निर्धारित अर्हता नहीं रखते थे । अतः उनका इस पद पर नियुक्ति का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम अहेचा के प्रधान के विरुद्ध आरोपों की जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही ।

188—डाक्टर बृज भूषण मणि त्रिपाठी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अहेचा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के प्रधान के विरूद्ध किन्हीं आरोपों की जांच नायब तहसीलदार, अकबरपुर द्वारा माह मार्च, 1990 में की गई है ? यदि हां, तो क्या-क्या आरोप थे और जांच में नायब तहसीलदार/तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में क्या लिखा है ? उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

ग्राम अहैचा के प्रधान के विरुद्ध ग्राम तथा भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया । जांच में प्रधान के विरुद्ध उत्तरदायित्व का निर्वाह न करने एवं अवैधानिक रूप से भूमि पर प्रधान द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया गया ।

जांच के आधार पर परगनाधिकारी', अकबरपुर द्वारा प्रधान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 95 जी के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया तथा आरोप पत्र निर्गत किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद्, बाराबंकी में नियुक्त किये गये कर्मचारियों के संबंध में विभागीय नियमों का पालन

189—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् बाराबंकी में दिसम्बर, 89 व जनवरी, 90 के मध्य कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये, उनकी नियुक्ति के आधार क्या थे ? क्या इन नियुक्तियों में शासकीय एवं विभागीय नियमों का पूर्णतया पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जिला परिषद् बाराबंकी में दिसम्बर, 89 व जनवरी, 90 के मध्य पांच कर्मचारी (चार लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी) कार्यहित में तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये तथा उस समय शासकीय नियमों का पालन न हो सका जिसे नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

जिला परिषद्, बरेली के सेवा निवृत्त अधिकारियों के पेंशन का पुनर्निर्धारण

190—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जिला परिषद् बरेली ने अपने उन अधिकारियों को जो 31 मार्च, 1979 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए थे, राज्य सरकार

द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 389, दिनांक 2 फरवरी, 1989 के होते हुए भी राज्य कर्मचारियों के अनुरूप 1 अप्रैल, 1979 से उदारीकृत पेंशन फार्मूला के अन्तर्गत पेंशन का पुनर्निर्धारण नहीं किया है ? क्या इस संबंध में श्री रवि शंकर जौहरी, सेवा निवृत्त कर अधिकारी, जिला परिषद्, बरेली ने दिनांक 25 अगस्त, 1989 को तत्कालीन पंचायती राज मंत्री को आवेदन पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

राज्य कर्मचारियों के अनुरूप जिला परिषद् कर्मचारियों को पेंशन दिये जाने में शासनादेश संख्या 389/जी 33–2–107जी/85, दिनांक 2 फरवरी, 1988 द्वारा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या सा0–4–1120/दस–87–301-87, दिनांक 28 जुलाई, 1987 के अनुरूप दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवा निवृत्त जिला परिषद् के सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन ढांचे का सरलीकरण/अभिनवीकरण किया गया है । संदर्भित पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1989 शासन को प्राप्त हुआ है । उक्त शासनादेशों के तहत पेंशन निर्धारण/पुनरीक्षण का कार्य पूर्णतः निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से संबंधित है तथा उन्हें इस संबंध में यथोचित निर्देश शासन द्वारा दिये जा चुके हैं ।

जनपद बलिया के समस्त विकास खन्डों हेतु वर्षवार आवंटित धन का विवरण

191—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में वर्ष 1987–88 1988–89 और 1989–90 में जिला विकास अभिकरण, आर0 ई0 एल0 जी0 पी0 और एन0 आर0 ई0 पी0 का धन विकास खन्डवार कितना–कितना वर्षवार स्वीकृत व खर्च किया गया है तथा कितना–कितना खर्च होने से रह गया है ? क्या सरकार धन का मानक के होने से रह गया है ? क्या सरकार धन का मानक के विपरीत खर्च कर संतुलन बिगाड़ने वाले अधिकारियों पर जनहित में कार्यवाही सुनिश्चित कर दण्डित करेगी ताकि आर्थिक विकास के असंतुलन पर अंकुश लगाया जा सकें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सोनभद्र के विकास खन्ड, दुद्धी में निर्माणाधीन मार्ग में कार्यरत मजदूरों के मजदूरी का भुगतान करने की मांग

192—श्री विजय सिंह—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के दुद्धी विकास खन्ड में जिला परिषद् द्वारा निर्माणाधीन मार्ग झारो–मझौली कटौली पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर कार्यरत मजदूरों की मजदूरी का भुगतान ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो मजदूरी का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

रुपया 1,35,499 की धनराशि अब तक व्यय हो चुकी है।

कार्य विभागीय एजेन्सी द्वारा कराया गया था। मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद के सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व विधायक श्री वंश गोपाल चतुर्वेदी को जिला परिषद् का सदस्य के रूप में मनोनयन

193—श्री विमल प्रसाद तिवारी तथा श्री सत्य प्रकाश विकल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, फर्रुखाबाद में अप्रैल, 1990 में जनपद से सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व विधायक श्री वंश गोपाल चतुर्वेदी का मनोनयन शासन ने सदस्य के रूप में किया तथा चौबीस घंटे के अन्दर श्री चतुर्वेदी को स्वर्गवासी बताकर एक अन्य सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मनोनयन कर दिया गया? यदि हां, तो एक जीवित सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति इस प्रकार का व्यवहार किये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां। परन्तु गलत सूचना के आधार पर श्री वंश गोपाल चतुर्वेदी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्थान पर श्री होरी लाल यादव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सदस्य जिला परिषद्, फर्रुखाबाद चुना गया था।

2—अतएव श्री होरी लाल यादव का मनोनयन संबंधित अधिसूचना दिनांक 18 अप्रैल, 1990 निरस्त किया जा रहा है।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खन्ड स्यालदे में स्थित राजकीय हाई स्कूल मालीखेत में रिक्त पदों को भरने की मांग

194—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हाई स्कूल, मालीखेत वि0 खं0 स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1987 से मार्च, 1990 तक किस-किस विषयों के अध्यापकों का स्थान रिक्त रहा है? किन कारणों से स्थान रिक्त रखे गए हैं और कब तक शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जायगी—

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है:—

विषय	वर्ष 1987 रिक्त पदों की संख्या
1	2
1—अंग्रेजी	.. 1
2—जीव विज्ञान	.. 1
3—विज्ञान/गणित	.. 1
4—सामान्य	.. 4
	वर्ष 1988
1—अंग्रेजी	.. 1
2—विज्ञान/गणित	.. 1
3—जीव विज्ञान	.. 1
31 अगस्त, 1988 को आयोग से चयनित अभ्यर्थी से भरा गया —	
4—सामान्य	.. 4

1	2
वर्ष 1989	
1—अंग्रेजी	.. 1
2—विज्ञान/गणित	.. 1
3—सामान्य	.. 4
4—कला	.. 1
फरवरी, 89 से रिक्त पदोन्नति के कारण	
वर्ष 1990	
1—अंग्रेजी	.. 1
2—विज्ञान/गणित	.. 1
3—सामान्य	.. 4
4—कला	.. 1

उक्त विषयों के अध्यापक उपलब्ध न होने के कारण पद रिक्त रहे।

यथा शीघ्र।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खन्ड सल्ट में स्थित रा0 इ0 कालेज, कोटाचानी में विषयवार रिक्त पदों को भरने की मांग

195—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा0 इ0 कालेज, कोटाचानी, वि0 खन्ड, सल्ट, जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1987 से 1990 तक कितने शिक्षकों के (विषयवार) स्थान रिक्त हैं? यह स्थान कब तक भर दिए जायेंगे?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है :—

वर्ष	रिक्त पद सं0	विषय का नाम
1987	9	अंग्रेजी, रसायन, जीव विज्ञान, हिन्दी, भौतिकी विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, गणित, भाषा।
1988	5	अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान गृह, विज्ञान, गणित।
1989	5	जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, सामान्य।
मार्च 1990	6	जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिन्दी, गृह विज्ञान सामान्य।

यथा शीघ्र।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर, परगना खन्डासा के ग्राम प्रधान बकचुना द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की गयी अनियमितताओं के संबंध में कार्यवाही की मांग

196—श्री बलबीर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम प्रधान बकचुना, परगना खन्डासा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की गयी अनियमितताओं के संबंध में वहां के ग्रामवासियों का कोई शिकायती पत्र माह फरवरी, मार्च 1990 में एस0

डी0 एम0, बीकापुर, जनपद फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत प्रकरण में जांच परगनाधिकारी, फैजाबाद द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट पूर्ण होने पर आवश्यकतानुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

व्यवस्था का प्रश्न उठाने के संबंध में वार्ता हेतु बैठक बुलाये जाने की सूचना

श्री हृदय नारायण--

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं

श्री रवीन्द्र शुक्ल--

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे आज इसलिये प्रश्न न करें क्योंकि 3 दिन पहले मैंने सदन में यह घोषणा की थी कि व्यवस्था का प्रश्न उठाने के संबंध में मैं इस सदन के सभी दलों के नेताओं, उप नेता और सचिव की एक बैठक बुलाऊंगा । आज मेरे यहां 8 बजे यह बैठक हो रही है। उसमें इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं सभी नेताओं से परामर्श करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और उसे आपको अवगत करा दिया जायेगा। चूंकि आज प्रश्नों का समय अब समाप्त हो गया है और 4 मिनट अधिक हो गये हैं, कोई ऐसी बात आपके प्रश्न में रह गई ह तो मैं आपसे निवदन करूंगा कि आप मेरे कक्ष में आजायं और यदि कोई विषय मंत्री जी से संबंधित हो तो मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा .....

श्री हृदय नारायण --

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का सवाल है ....

श्री सुरेश कुमार खन्ना-- [× × × [(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी।

श्री हृदय नारायण --

न लिखी जाय, आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष--

मैं कह रहा हूं कि आप मेरे कक्ष में मिल लें। इसमें क्या आपत्ति है। व्यवस्था का सवाल आज आप न कर। कल कर लें इसपर आज वार्ता हो रही है।

नोट--(×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हृदय नारायण-- [× × × [(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कोई बात नहीं लिखी जायेगी। आप नियम देख लें।.....(व्यवधान) सदन का समय होता है।

नियम 301 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई। पहली सूचना श्री देवेन्द्र कुमार सिंह की जनपद ललितपुर में बने राजघाट, शजाद एवं सजनाम बाधों के भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दूसरी श्री शिवकरन सिंह की उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कथित रूप से किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में, तीसरी श्री राम करन आर्य की ग्राम मानपुर राह परगना देवा तहसील नबाबगंज जनपद बाराबंकी में गांव के रास्ते तथा पंचायत घर की जमीन पर अवैध कब्जों के संबंध में, चौथी श्री मयंकर सिंह की जनपद बहराइच की केसरगंज तहसील के घाघरा व सरयू की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, पांचवी श्री श्याम देव राय चौधरी दादा जी की जनपद वाराणसी एवं जौनपुर में संप्रति जाली नोटों के चलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में छठी श्री विमल प्रसाद तिवारी जी की जनपद फर्रुखाबाद के परगना परमनगर में आवारा पशुओं द्वारा फसलों की क्षति के संबंध में है। और सातवीं सूचना श्री पंचानन राय जी की जनपद आजमगढ़ की विद्युत् व्यवस्था की गंभीर स्थिति के संबंध में है।

आप सहमत हों तो यह सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायं?

(सदन की सहमति से सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी)

जनपद ललितपुर में बने राजघाट, शजाद एवं सजनाम बांधों के भराव से किसानों की तबाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना :

*श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

[मान्यवर, जनपद ललितपुर में बन रहे राजघाट, सजनाम, शहजाद बांधों के भराव क्षेत्र के लगभग 60 गांव के 30, हजार अधिक किसानों के साथ जीवन मृत्यु का भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। इन बांधों से सैकड़ों किसानों की सम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं हुआ है एवं मुआवजा शासन द्वारा नहीं दिया गया है। जनपद के प्रशासन द्वारा सजनाम बांध को उच्चतम स्तर तक भरने के लिये बांध के दरवाजे बन्द कर दिये हैं और किसानों को बिना मुआवजा दिये गांव खाली करने के आदेश दिये हैं। सजनाम बांध के ग्राम बडगाना, भराव झमलियां, जमुनियां के हजारों एकड़ भूमि तथा सम्पत्ति के अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण किये बिना सिंचाई विभाग किसानों एवं उनकी सम्पत्ति को डुबोने पर उतावली है। इसी प्रकार शहजाद बांध के टेटा, जमालपुर, कलोधरा, सेरवास आदि गांव तथा राजघाट बांध, सुखारा, बकलपारा, तेलवारा, गुदावल मीनावरी गदौरा, भदावनी सेवनी आदि ग्रामों 20 तारीख को डूब चुके हैं। तथा अन्य ग्रामों के इस माह डूबने की स्थिति पैदा हो गई है। परन्तु मुआवजा देने व अधिग्रहण की कार्यवाही अभी तक शेष है किसानों की अपने जीवन एवं सम्पत्ति के

नोट--(×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संवैधानिक अधिकारों के सुरक्षा हेतु इन बांधों को भरने पर उतारू हैं किसानों में भय एवं आक्रोश उत्पन्न हो गया है । स्थिति फोटक है तथा प्रशासन की असंवैधानिक कार्यवाही से हजारों की मृत्यु की सम्भावना पैदा हो गई है । अभी तक एक व्यक्ति की मत्यु हो चुकी है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर मैं मांग करता हूं शासन उपरोक्त मामले में मुआवजा तथा पुनर्वास की व्यवस्था तुरन्त करें] ।

उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम में अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव करन सिंह—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण प्रकरण लाना चाहता हूं—

जनहित में संचालित उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम में इस समय भ्रष्टाचार गबन एवं अराजकता अपने उत्कर्ष पर है । निगम मुख्यालय में कार्यरत दो प्रशासनिक अधिकारी कार्मिक एवं सामान्य जो कि मात्र बाबू स्तर के कर्मचारी हैं जिन्हें प्रशासनिक अनुभव लेश मात्र भी नहीं है जो निम्न वेतनमान में होते हुये भी उच्च पद का कार्य सम्पादित कर रहे हैं, जो कि इनकी क्षमताओं से परे हैं और शुरू से ही मुख्यालय में तैनात हैं । इनके द्वारा मनमानी करने के इतने प्रकरण दिनों दिन प्रकाश में आ रहे हैं कि क्षेत्रीय एवं मुख्यालय पर स्थित कर्मचारी आत्मदाह पर उतारू हैं । नमूने के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गाली देना, उन्हें कार्यालय में विपरीत ड्यूटी लगाना उनका शारीरिक शोषण उनसे शराब मंगाकर कार्यालय में पीना, कार्यालय कक्ष में अन्य कर्मचारियों की फाइलें गायब कराना संप्रति किसी भी समय दृष्टव्य है । अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ब्लैक मेल किया जा रहा है । अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति में उन्हें माफिया सरगनाओं का नाम लेकर एवं अराजक तत्वों को बुलाकर धमकाया जा रहा है, फर्जी शिकायतें कराई जा रही हैं तथा अखबारों में मनगढंत खबरें देकर ब्लैक मेल करने का प्रयास किया जा रहा है । गोपनीय पत्रावलियों की फोटो कापी दिलाना एक आम बात है । यह प्रयास निगम को उनका चारागाह बनाने एवं जनहित को नकार कर शासन की छवि को धूमिल करने के लिये किये जा रहे हैं ।

अतः मेरी स्पष्ट मांग है कि निगम के उक्त अधिकारियों को यथाविधि दंडित कर शासन की नीतियों को सुचारू रूप लागू किया जाये] ।

ग्राम मानपुर राह, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी में गांव के रास्ते तथा पंचायत घर की जमीन पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम करन आर्य—

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह लाना चाहता हूं कि:—

ग्राम मानपुर राह, परगना देवां, तहसील-नवाबगंज, जिला बाराबंकी के कुछ सवर्ण व्यक्तियों ने गांव के रास्ते खसरा नं0 66,101 तथा कोल्हू की जमीन खसरा सं0 67 व स्कूल तथा पंचायत घर के लिये छोड़ी गयी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है । मामले की जानकारी शासन के संज्ञान में लायी गयी और कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की गयी है । परन्तु खेद का विषय यह है कि मौके की जांच में पक्षपात किया गया और खसरा संख्या 65, 66, 67 की ठीक से पैमाइश नहीं की गयी और अनेक व्यक्ति जो इन पर कब्जा किये हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है ।

नोट:— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अतः आपसे प्रार्थना है कि खसरा 65, 66, 67, 101 की जांच और पैमाइश मौके पर जिले के किसी उच्चाधिकारी से कराने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें और अबिलम्ब अनाधिकृत कब्जे हटाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें] ।

जनपद बहराइच की कैसरगंज तहसील में घाघरा व सरजू की बाढ़ से तबाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मयंकर सिंह—

[मान्यवर, कैसरगंज तहसील के घाघरा के भयानक गांवों को भयानक कटान से त्राहि-त्राहि मच गयी है, मझारा, तोकली, अलीपुर, दरौना, समदा, संगवा, घूरदेवी, मौरी, सिपहिया, रानीबाग, सिलौटा, गोलागंज सुकईपुर, मंगरवल, कपरवल, मुरौव्वा, मुसारी, सेसारी, घनौली, आदि तमाम ग्रामों के अनेक मकान हजारों एकड़ जमीन तथा घाघरा की कटान में कट कर बह गये तमाम लोग बेघर हो गये रहने और खाने को नहीं । यहां तत्काल राहत सामग्री तथा बड़े पैमाने पर नावों की व्यवस्था की जाय ।

यही स्थिति सरयू के तटवर्ती गांवों की है यहां तत्काल जन धन की सुरक्षा हेतु गावों का बड़े पैमाने पर समुचित प्रबन्ध होना चाहिये ।

इस अबिलम्बनीय लोक महत्व की सूचना प्रभावी कार्यवाही हेतु माननीय सदन को दे रहा हूं] ।

जनपद वाराणसी एवं जौनपुर में जाली नोटों की चलन से भयावह स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

[मान्यवर, भदोही पुलिस ने 4 जुलाई को सौ रुपये का नोट बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर उसके पास से तीस नोट बरामद किया है । जाली नोटों के छापने व उसको कम दाम पर बेंचकर लोगों को लूटने के काम में बहुत से लोग और गिरोह लगे हुये हैं जो वाराणसी, जौनपुर तथा आस-पास के अन्य नगरों उप नगरों में फले हुये हैं, अक्सर लोग ठगे जाते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा इन गिरोह के सरदारों को पकड़े जाने हेतु कोई ठोस कार्यवाही न किये जाने तथा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण यह धन्धा जोरों से पनप रहा है । कभी कभार पुलिस द्वारा एक-आध व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से बहुत मामूली बरामदगी दिखाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती है ।

अतः इस दिशा में व्यापक अभियान चलाकर इस धन्धें पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अबिलम्ब किया जाना अत्यावश्यक है ।

अतः लोक महत्व के अबिलम्बनीय व सुनिश्चित विषय पर शासन का ध्यान आकर्षण की मांग करता हूं] ।

जनपद फर्रुखाबाद के परगना परम नगर में लावारिश पशुओं से फसलों की बर्बादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[मान्यवर, फर्रुखाबाद जनपद की तहसील सदर के परगना परम नगर के किसान एक भीषण समस्या से त्रस्त हैं । पशुपालक अपनी गाय एवं भैंस रात्रि में छोड़ देते हैं जिनके झुंड के झुंड

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोटः— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आकर इस क्षेत्र की समस्त फसलें खा जाते हैं जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 50 हजार रुपया है। किसानों ने अनेकों ज्ञापन जिला प्रशासन को दिये परन्तु समस्या का निदान नहीं हुआ। सारे क्षेत्र में किसान त्रस्त हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाते हुये मांग करता हूं कि इन आवारा पशुओं को पकड़ कर अन्य जनपदों में भेजे जाने का तथा ऐसे पशपालकों पर भारी जुर्माना लगाने का अभियान चलाया जाय ता किइसक्षेत्र के किसान तबाही से बच सकें]।

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में विद्युत व्यवस्था में गड़बड़ी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन राय—

[मान्यवर, आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील के ग्राम भदांव में दिनांक 2 जुलाई, 1990 को जमीन पर गिरे बिजली के तार में करेंट आने के कारण खेत में हल जोतते हुये श्री गोमल हरिजन तथा उनके बैल की घटना स्थल पर मृत्य हो गई। यह तार 21 मई, 1990 की आधी में टूट कर गिरे थे।

सगड़ी तहसील में विद्युत की खराब स्थिति के बारे में दिनांक 15 जून, 90 को इस सदन में ध्यान आकृष्ट किया गया तथा कई बार औचित्य एवं प्रश्न के माध्यम से भी इस समस्या को उठाया गया किन्तु स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया।

आज भी सैकड़ों ट्रांसफारमर जले हैं तार खम्भे टूटे हैं। विद्युत उप केन्द्र बन्द हैं। विद्युत् की आपूर्ति अनिश्चित एवं अनियमित हैं।

मेरा आग्रह है कि श्री गोमल हरिजन के आश्रितों को उचित मुआवजा दिया जाय। दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी दंडित किये जांय तथा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।]

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 29 जून, 1990 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनाँक 6 जुलाई, 1990 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिशे के दिनाँक 6 जुलाई, 1990 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष मैं आपकी आज्ञा से सूचित करता हूं—

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 3 जुलाई' 1990 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनाँक 6 जुलाई, 1990 को विधान परिषद् सचिवालय से प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनाँक 6 जुलाई, 1990 को वापस प्राप्त हो गया।

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से सूचित करता हूं कि--

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 28 जून, 1990 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनाँक 28 जून, 1990 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनाँक 7 जुलाई, 1990 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तरप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा--

मैं माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से घोषित करता हूं कि--

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1990 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 3 जुलाई, 1990 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधानपरिषद् बिना किसी सिफारिश के दिनाँक 6 जुलाई, 1990 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाँक 6 जुलाई, 1990 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1990 का उत्तर प्रदेश का 13वाँ अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि--

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 29 जून, 1990 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनाँक 6 जुलाई, 1990 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति से दिनाँक 6 जुलाई, 1990 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1990 का उत्तर प्रदेश का 14वाँ अधिनियम बन गया ।

(श्री अनिल कुमार सिंह यादव का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अभी आ रहे हैं, आखिर में ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है । माननीय सुलेमान आपका बाद में ले लेंगे औचित्य के प्रश्न के निस्तारण के बाद ।

काँग्रेस दल के सदस्यों द्वारा दिनाँक 6 जुलाई, 1990 को सदन में हंगामा किये जाने से बजट पर चर्चा न होने के सम्बन्ध में औचत्य का प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य की चार सूचनायें प्राप्त हुई (1) श्री रविदास मेहरोत्रा (2) श्री प्रमोद कुमार महरोग, (3) श्री पंचानन राय और (4) श्री कुंवर सिंह नेगी जी की ।

माननीय मेहरोत्रा जी आपको कुछ कहना है ?

*श्री रविदास मेहरोत्रा--

मान्यवर, 6 जुलाई, 1990 को नगर विकास मंत्री ने अपने विभाग का बजट पेश करना था जिसमें नगरों की समस्याओं के बारे में हमको तमाम सुझाव रखने थे । लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों ने उस दिन हंगामा खड़ा कर माननीय नगर विकास मंत्री जी को बोलने नहीं दिया और उनके द्वारा जो तमाम घोषणायें होनी थीं वह नहीं हो पायीं और उस पर जो हम लोगों ने सुझाव देने थे वह भी हम नहीं दे पाये । इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण विषय थे माननीय श्रम मंत्री जी का वक्तव्य था वह भी नहीं हो पाया । इस प्रकार की पहले भी कई घटनायें हो चुकी हैं । मुझे आपसे अनुरोध करना है कि इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मेहरोत्रा जी ऐसा है मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं यह सदन व्यवस्थित ढंग से चले इसके लिये सभी दलों के नेताओं की बैठक हो रही है । मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि सदन व्यवस्थित ढंग से चले इसके लिये मैंने बैठक बुलाई है उसे हो जाने दें ।

श्री रविदास मेहरोत्रा--

हम लोगों को अपने सुझाव रखने का अवसर नहीं मिल पाया जिसमें हमने महत्वपूर्ण सुझाव रखने थे जिससे हम वंचित रह गये । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है इसको मैं सुरक्षित रखता हूं ।

मुख्य मंत्री द्वारा कर्जा माफी के सम्बन्ध में सदन के बाहर घोषणा किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का लोकतंत्र में न विश्वास है और न निष्ठा ही है, इसलिये सदन की हर दिन की कार्यवाही सदन की अवमानना से शुरू होती है और सदन की गरिमा गिराने के लिये नये-नये कदम उठाये जाते हैं । सदन इस बात से चिन्तित था कि सरकार ने झूठे वायदे करके 10 हजार रुपये कर्ज माफी का जो एलान किया था उसका कब पालन होगा, लेकिन सरकार सदन से मुंह चुराती रही। मान्यवर, संविधान की धारा 164 (2) में स्पष्ट है कि मंत्रिमण्डल की सदन के प्रति जिम्मेदारी होती है किन्तु मुख्य मंत्री जी ने पत्रकार सम्मेलन में 10 हजार रुपये कर्ज माफी की घोषणा करके इस सदन की गरिमा को गिराया है, सदन की अवमानना की है और लोकतंत्र की व्यवस्थित ढंग से हत्या करने की कोशिश की है । मान्यवर, आपकी पीठ से समय-समय पर निर्देश सरकार को दिये गये हैं कि जब कोई नीतिगत घोषणा होगी तो सदन के अन्दर पहले होगी, सदन चल रहा था, मात्र एक दिन का अन्तर था, लेकिन इस सरकार ने संविधान की पीठ में छूरा भोंक कर कल मुख्यमंत्री ने पत्रकार सम्मेलन में घोषणा किया । मान्यवर, 10 हजार रुपये कर्ज किसानों, बुनकरों और दस्तकारों की माफी की घोषणा नीतिगत थी, परिवर्तन होता है तो वह भी नीतिगत परिवर्तन होता है । यदि कोई भी परिवर्तन करना था तो उसकी घोषणा पहले सदन में करना था और सदन में न करके सदन का अवमान किया है और लोकतंत्र की परम्पराओं की हत्या की है, इसलिये आग्रह है कि भारत के संविधान की धारा 164 (2) का उल्लंघन किया गया है, इसलिये आप इसमें व्यवस्था दें ।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, श्री प्रमोद कुमार जी मंत्रिमण्डल के सदस्य भी रह चुके हैं और उस समय जब हम लोग बराबर मांग करते थे कि किसानों को उनकी उपज का लागत मूल्य नहीं मिल रहा है वह दिलायें और 10 हजार रुपये किसानों के कर्जे माफ किये जायं किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया था लेकिन जब हमारी सरकार आयी तो घोषणा-पत्र में प्राविधान ही नहीं बल्कि आते-आते ही एलान किया और कहा कि इसी वर्ष लागू करेंगे। मान्यवर, इस सदन में मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया तो उसमें भी कहा कि 10 हजार रुपये बुनकरों, किसानों और दस्तकारों के कर्जे माफ करेंगे और उसके तहत कल प्रेस के जरिये कुछ स्पष्टीकरण दिया है, जो लोगों में भ्रम था, कि 10 हजार रुपये कर्ज की माफी उनको कब मिलेगी, तो कल मान्यवर, मुख्य मंत्री और भारत सरकार ने मान लिया है कि विभिन्न बैंकों में जो 10 हजार रुपये से ऊपर ऋण है जिसमें ब्याज और मूलधन मिलाकर 10 हजार से ऊपर होता है उसको रियायत दी जायगी। मान्यवर, हम तो उनके पापों को किसी तरह मिटा रहे हैं और यह उसको कुरेद रहे हैं। किसानों, बुनकरों और दस्तकारों की जो हालत खराब कर दी गयी है, जो मेहनत से पैदा करते हैं, उनको मूल्य जो मिलता था उससे वह कर्ज को अदा नहीं कर सकते थे, इसलिये वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें इसीलिये 10 हजार रुपये कर्ज माफी की रियायत देने की घोषणा किया है। इसलिये मान्यवर, इनके इस औचित्य के प्रश्न को आप अस्वीकार करें।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, नीतिगत परिवर्तन हुआ है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि स्पष्टीकरण के माध्यम से नीति स्पष्ट किया है। इस प्रकार मुख्य मंत्री जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में या बजट में जो कहा था उससे हटकर कहा है, इसलिये इससे अधिक और क्या औचित्य का प्रश्न हो सकता है। (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, 10 हजार रुपये तक कर्जे की माफी की घोषणा सदन में और सदन के बाहर बार-बार हुई है, इसमें क्या नई नीति आ गयी है। इसलिये इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार किया जाये।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है।

(व्यवधान)

मैं अपने मामा श्री से यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

गन्ना विकास एवं राजस्व मंत्री (श्री रामशरण दास)—

यह अपने फूफा श्री को लेने आये हैं यह मैं उनसे पूछना चाहता हूं। यह कौन बड़ी बात हो गई कि अच्छी बात यहां बाहर कह दी। अच्छी बात कहीं भी हो वह तो ठीक है। पत्रकारों में कह दिया तो कौन बुरा हो गया।

(एक सदस्य द्वारा बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात कार्यवाही में नहीं आएगी, माननीय सदस्य बिना इजाजत बोल रहे हैं यह कार्यवाही का भाग नहीं बन रहा है..(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामशरण दास--

देखिये मान्यवर, यह कहां का औचित्य है कि तिवारी जी यहीं से पत्रकारों में अपना पर्चा बांटते घूम रहे हैं । इसमें वह अपने फूफा का भी ध्यान नहीं रखते ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय प्रमोद कुमार जी से मैं चाहूंगा कि उन्होंने प्रेस-गैलरी में अपना वक्तव्य या उसको जो बांटा है, यह उचित नहीं है ।

पंचानन राय जी आपकी सूचना यह है कि मंत्री जी ने गलत सूचना दी है, तो यदि मंत्री जी ने गलत सूचना दी है तो आप उस पर विशेषाधिकार हनन की सूचना दीजिए, औचित्य के प्रश्न में इसे क्यों उठा रहे हैं ?

प्रश्नों का उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री पंचानन राय—

इस बारे में सदन में उन्होंने कहा था कि वहां पर स्थिति नियंत्रित है...

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी बात मानता हूं । इस पर आप विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दीजिए, उनके खिलाफ ।

कुंवर सिंह नेगी ने जो अपना प्रश्न उठाया है, इस सम्बन्ध में पहले निर्णय हो चुके हैं । तो इसके पहले कि मैं इस पर अपना निर्णय दूं, आप दो-एक मिनट में बात कह दें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न आज की कार्य-सूची में अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के सम्बन्ध में है,

श्री अध्यक्ष--

केवल इस औचित्य के प्रश्न को आप पढ़ दीजिए, ताकि सारे माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी हो जाए ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मेरे इस प्रश्न का मंत्री जी ने उत्तर दिया कि वांछित विस्तृत सूचना को एकत्रित एवं संकलित करने में जो धन, समय तथा परिश्रम लगेगा वह प्रश्न के उत्तर से प्राप्त होने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा । अतः सरकार इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझती । तो मान्यवर, जो यह प्रश्न है यह केवल एक जनपद चमोली का और वहां की वन पंचायतों के सम्बन्ध में है ।

श्री अध्यक्ष—

आपका औचित्य का प्रश्न केवल इतना है, जो मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि इसके उत्तर देने से जो लाभ होना है, उससे कहीं ज्यादा व्यय इस सूचना को एकत्र करने में लगेगा, जो जनहित में नहीं है । इस सम्बन्ध में पीठ से कई एक निर्देश हो चुके हैं । इस निर्देश में यह कहा गया है कि यदि कोई ऐसा प्रश्न है, जिसकी सूचना एकत्र करने में, यदि सम्भव भी है, इतना अधिक परिश्रम, समय और धन व्यय होगा तो उससे जनहित में यही लाभकर होगा कि वह उत्तर न आ सके । तो मैंने इसलिये यह कहा कि यह ऐसा औचित्य का प्रश्न था कि नये सदस्यों के संज्ञान में भी उसकी जानकारी आ जाए । ऐसा उत्तर देने का मंत्री जी को अधिकार प्राप्त है या नहीं, इस सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय देता हूं कि इस पीठ से निर्देश हो चुके हैं, मंत्री जी को जनहित में

ऐसा उत्तर देने का अधिकार है । यदि इस सम्बन्ध में आप कोई विस्तृत बात जानना चाहते हैं.. (व्यवधान).. मंत्री जी को यह अधिकार तो है.. (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह नेगी—

हमारी नियमावली के नियम 45 में यह है कि मंत्री जी यदि यह समझते हैं कि यह सवाल काफी विस्तृत है और इस पर धन और समय लगेगा तो भी वह इसके लिये बिना आपकी अनुमति के उत्तर देने से रोक नहीं सकते हैं ।

मान्यवर, उन्होंने आपकी अनुमति नहीं ली । मान्यवर, इस पर 17 मार्च, 1983 को अध्यक्ष पीठ से भी निर्णय हुआ था कि अध्यक्ष की आज्ञा लेकर ही किसी मंत्री को यह कहने का अधिकार है कि वांछित प्रश्न का उत्तर देना जनहित में नहीं है अथवा इस पर धन और श्रम अधिक व्यय होगा । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आपसे कोई स्वीकृति नहीं ली है । इस प्रकार से यह हमारे प्रश्न का जो उत्तर दिया इससे हमारे अधिकार का हनन होता है और जो आपने निर्णय दिये हैं, उनका भी हनन होता है, अवमानना होती है । मान्यवर, प्रश्नों की सूचना प्राप्त करना हमारा महत्वपूर्ण अधिकार है । इससे हमें वंचित किया गया है । यह एक गम्भीर प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

श्री प्रमोद तिवारी जो का कर्जे माफी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न नहीं है, वह अस्वीकार है । श्री कुंवर सिंह नेगी जी का भी अस्वीकार है ।

आगरा काण्ड से प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा सहायता देने में उदासीनता बरतने

के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा प्रकरण की ओर दिलाना चाहता हूं । जैसा कि पहले भी इस सदन में चर्चा हो चुकी है और सरकार कई मर्तबा इस बात की भी घोषणा कर चुकी है कि स्थिति नियंत्रण में है । लेकिन मैं और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय काशीराम जी, मेरे दल के दो सांसद एडवोकेट मायावती तथा राम कृष्ण यादव तथा मेरे दल के कई विधायक दिनांक 6 जुलाई, 1990 को आगरा जिला प्रशासन की अनुमति लेने के बाद वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिये आगरा गये । वहां जाने पर हमें मालूम हुआ कि आगरा के अन्दर (शोर) हरिजनों के ऊपर अत्याचार और अन्याय हो रहा है । उसका सिलसिला अभी तक जारी है । जिस दिन वहां शादी होने वाली थी तो शादी को रोकने के लिये कुछ लोग हथियार और दल-बल के साथ आये । जिलाधिकारी वहां मौजूद थे । जिलाधिकारी ने आत्मरक्षा के लिये पी0 ए0 सी0 को हवा में फायरिंग करने के लिये लिखित आदेश दिये । अगर पी0 ए0 सी0 हवा में फायरिंग कर देती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती । जिलाधिकारी के आदेश देने के बाद भी पी0 ए0 सी0 ने उन आदेशों को नहीं माना । मैं इस सदन से मांग करता हूं कि पी0 ए0 सी0 के उन जवानों को सस्पेण्ड किया जाय जिन्होंने जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया । मान्यवर, मैं जिला अस्पताल में गया । वहां पर हजारों हरिजन महिलाएं भर्ती थीं...

श्री अध्यक्ष—

आपने लिखित सूचना दी है उस सूचना में यह है कि अभी एक दो दिन के अन्दर आप गये और आपने देखा, उसके बारे में सूचना है । उसी पर बोलें ।

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान--

उसी के बारे में बता रहा हूं कि मैं सिविल अस्पताल गया, वहां देखा कि नादान बच्चों के सि फोड़े गये हैं । औरतों के साथ बलात्कार किया गया है ।

(व्यवधान)

आतंकित हरिजन पलायन किये हैं बंजर जमीन पर पड़े हैं । सरकार ने उनकी कोई व्यवस्था नहीं की है । सिधौली गांव के बच्चे, औरतें, बंजर जमीन पर पड़े हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

(व्यवधान)

मैं सरकार से मांग करता हूं कि उन हरिजनों को बसाने की अन्य किसी जगह व्यवस्था की जायें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं एक दल के नेता ने एक बात कहनी चाही उसकी अनुमति मैंने नहीं दी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री जी आप अपने दल के सदस्यों से निवेदन कर दें जब मैंने उनको बोलने की अनुमति 311 पर ग्राह्यता पर बोलने की दी और उनसे यह भी कहा कि जो आपकी सूचना है उसमें सीमित रहें ।

(व्यवधान)

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मैं समझता हूं आप इसको नियम 56 में सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब एक दल के नेता खड़े हों तो और लोगों को नहीं खड़ा होना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

आपकी आज्ञा का सत्तापक्ष आदर करेगा । आपका अधिकार है अगर कोई सूचना किसी नियम में दी जाती है तो उसको आप दूसरे नियम में सुन लें । इसको आप नियम 56 में सुन लें । इन्होंने कहा कि खुले आसमान के नीचे लोग रह रहे हैं तो मैंने इसमें सूचना मंगवाई है कोई भी खुले आसमान के नीचे नहीं रह रहा है ।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया) ।

एक सदस्य—

दन को गुमराह किया जा रहा है इनकी सूचना असत्य है ।

(घोर व्यवधान)

(श्री शेख मोहम्मद सुलेमान के प्रयास से फ्लोर पर आये हुये सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, आपके माध्यम से हमारा बी0एस0पी0 के लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से वह अपनी बात करते हैं और सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं तो सरकार की बात भी वह ध्यानपूर्वक सुना करें । अगर कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो शांतिपूर्वक खड़े हों और जो सदन की मर्यादा है, पहले सुनें और सुनने के बाद यदि कोई स्पष्टीकरण मांगना हो तो मांगे । बीच में खड़े होकर हल्ला मचाने की परम्परा संसदीय परम्परा में नहीं है । अगर कोई नयी परम्परा स्थापित करना चाहते हैं तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है (शोर) ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जब बहुजन समाज पार्टी के नेता बोल रहे थे तो मैंने निर्देश दिया था कि सभी दलों के सदस्यों को जब एक दल के नेता बोल रहे हों तो भले ही आपके कानों को बात अच्छी न लगे लेकिन शांतिपूर्वक उसे सुनना चाहिये । यही सदन की परम्परा है । इसी प्रकार से जब सत्ता दल की ओर से उत्तर आ रहा हो और वह आपके कानों को अच्छा न लगे, तो आप कहते हैं कि हम सुनेंगे, नहीं यह परम्परा गलत है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद दूगां कि आपने लोगों को अच्छी शिक्षा दी । यह जो विषय है इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है । लेकिन आपने एक दल के नेता का आदर किया और अपनी बात कहने की अनुमति दे दी । हम भी मुनासिब समझते हैं कि यदि कोई बात एक दल के नेता ने उठायी तो हमें उसका उत्तर देना चाहिये । लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि दल के नेता से कि वह अपने दल के लोगों को बता दें कि यहां पर कार्यवाही कैसे चलती है । वहां पर जो लोग घायल हुये हैं, जिन लोगों की क्षति हुयी है उस सम्बन्ध में साढ़े 9 लाख रुपये की सहायता दी गयी है । जो लोग अपने गांव से बाहर गये हैं उनके खाने-पीने की और रहने की सुविधा सरकार ने उपलब्ध करायी है कोई भी खुले आसमान के नीचे नहीं है । स्थिति सामान्य हो रही है । हम सब लोगों की मदद करना चाहते हैं । विधान सभा में इस तरह की बात उठाकर, हमारा प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से लगा हुआ है, उसमें कोई व्यवधान नहीं डालना चाहिये । स्थिति बहुत जल्दी सामान्य होगी और कोई अप्रिय घटना नहीं होगी ।

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान—

आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है । मैं आपके उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं । मैं वाई-काट कर रहा हूं । मैं सदन से वाक आउट कर रहा हूं ।

(श्री शेख मोहम्मद सुलेमान अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये) ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत 19 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं जिनमें से निर्देश संख्या 15 के अनुसार 10 सूचनायें चयनित की गयी हैं ।

पहली सूचना माननीय पंचानन राय, माननीय प्रमोद कुमार माननीय कुंवर सिंह नेगी, माननीय ईश्वर शरण विद्यार्थी, माननीय जयराज गौतम एवं माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह की सूचना इलाहाबाद नगर में दिनांक 7 जुलाई, 1990 को शातिपूर्वक प्रदर्शन पर लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । नियम 311 के अन्तर्गत यही सूचना प्राप्त हुयी है जिसको मैंने इसी में जोड़ लिया है ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय पर मैं कोई चर्चा नहीं कराऊंगा ।

श्री बाबू राम यादव—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

माननीय बाबू राम जी, आप बैठ जाइये । आप पुराने सदस्य हैं और आपको शब्दावली का भी ज्ञान नहीं है कि कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिये । आपकी पूरी बात को मैं कार्यवाही से निकालता हूं । आप बैठ जाइये ।

(श्री बाबू राम यादव और श्री पंचानन राय के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

*लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, इसमें कोई अशोभनीय बात नहीं है, हम लोगों में विरोध पक्ष का तेवर अभी बाकी है और आपको सत्ता पक्ष का नशा बाकी है ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, इस देश और प्रदेश के जनतंत्र के इतिहास में परसों 7 तारीख को जो घटना हुई...
(व्यवधान)

पूरी बात सुनने का तो धैर्य रखा करिये। (व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

गुप्ता जी सुन लें, जब मैंने एक माननीय सदस्य को अपनी बात कहने के लिये अनुमति दे दी और वह बोलने लगे, तो आप व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े हो गये ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, कार्य विन्यास के बारे में मेरी व्यवस्था केवल इतनी है कि अभी आपने केवल एक नाम बताया और बुलवाना शुरू कर दिया, जबकि परिपाटी यह रही है कि सारे नाम पहले ही बता दिये जाते थे, उसके बाद बुलवाया जाता था, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप पहले सारे नामों को बता दें ।

(व्यवधान)

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गुप्ता जी, आपके प्रश्न में बल है । उसमें लाटरी निकलती है, 5 सूचनायें हैं, आप चाहते हैं कि आपको पहले बता दूं । बहरहाल इतना बता देता हूं कि आपकी सूचना है ।

दूसरी सूचना श्री रवीन्द्र शुक्ल और श्री अरविन्द कुमार की है । तीसरी सूचना श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी) की है । चौथी सूचना श्री मयंकर सिंह की है । पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री विमल प्रसाद तिवारी की है । छठीं सूचना श्री अमर नाथ यादव की है । सातवीं सूचना डा0 दिनेश जौहरी की है । आठवीं सूचना श्री शिव बहादुर सक्सेना, श्री राम सेवक सिंह और श्री श्याम बिहारी सिंह की है । नवीं सूचना डा0 सरजीत सिंह डंग और श्री सत्य प्रकाश विकल की है । दसवीं सूचना श्री किशन गोपाल, श्री शेख मोहम्मद सुलेमान की जो नियम 311 में प्राप्त हुई थी ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

माननीय राजेन्द्र जी, इसको बताने में कठिनाई यही है। उस समय आप खड़े हो गये। जब लाटरी निकलती है तो मैं क्या बताऊं ?

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, 7 तारीख को इलाहाबाद में भारत के प्रधान मंत्री जी पधार रहे थे। इस देश की जनता को अधिकार है कि वह अपनी पीड़ा को, तकलीफ को मुखरित कर सके। इस देश के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वालों ने, इस देश का संविधान बनाने वालों ने भारत की जनता को इस बात की आजादी दे रखी है कि अपनी पीड़ा को वह मुखरित कर सके। इलाहाबाद में जब प्रधान मंत्री पधार रहे थे तो वहाँ के लोगों को उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों को जो बढ़ती हुई मंहगाई है, भ्रष्टाचार है और कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति है उसको बताना चाहते थे। इस देश के प्रधान मंत्री को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और उनके जनताँत्रिक अधिकारों की हत्या की गयी और यहाँ पर उसको सुनने का धैर्य नहीं पैदा किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त करें।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, लाठी चलायी गयी, लाठी गोली के बल पर जनता की आवाज को दबाने की कोशिश हुई (व्यवधान) मान्यवर, मैं माँग करता हूं कि सदन का कार्य रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, 7 तारीख की घटना इस सरकार के माथे पर कलंक के रूप में याद की जायेगी। वह खुली जीप में पंजाब में जायेंगे और इलाहाबाद में बुलेट प्रूफ कार में बैठकर आये थे। उनमें साहस नहीं था । प्रधान मंत्री के आने के एक घटा पूर्व सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और महिलाओं को लाठियों से मारा गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अभी दो मिनट भी नहीं हुए हैं । मान्यवर, भूतपूर्व विधायक श्री अशोक बाजपेयी गंभीर हालत में हैं, गोपाल दास घायल है, श्याम सूरत उपाध्याय जी घायल हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, नैनी जेल में इनको लगातार बन्द रखा गया है सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक (जिस समय इनको बसों में ले जाया जा रहा था, मान्यवर, मैंने घटना देखी है, आप मुझे सुने । मान्यवर, बसों से उतारकर प्रदर्शनकारियों को जार्ज टाउन थाने के सामने पीटा गया, महिलाओं के ऊपर लाठियाँ चलाई गयीं और पुरुष सिपाहियों के द्वारा अश्लील गालियाँ बिलवाई गयी। मान्यवर, यह सरकार बतावे कि उन्हें गिरफ्तार करके क्यों रखा गया दूसरे वह खुली जीप में आ सकते थे तो बुलेट प्रूफ कार में क्यों आये। मान्यवर, इस सरकार को यह सबसे बड़ी काली करतूत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठें।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, कांग्रेस के नेता जिनमें शेखर बहुगुणा, सतीश जायसवाल, भूतपूर्व विधायक और यहां की कांग्रेस की महिला अध्यक्ष प्रेमलता गुप्ता आदि सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को प्रधान मंत्री जी के आगमन से आधा घंटे पहले गिरफ्तार कर नैनी थाने में रखा गया और 8 बजे रात को बिना शर्त उनको रिहा कर दिया गया। वहाँ पर प्रदर्शनकारी बिल्कुल शान्तिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे । हजारों लोग काले झंडे प्रधानमंत्री को दिखा रहे थे लेकिन वहाँ पर लाठी चार्ज किया गया जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गये।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद इलाहाबाद में भारत के प्रधान मंत्री 7 जुलाई को प्रथम बार आये। इलाहाबाद के इतिहास में 7 जुलाई काले अक्षरों से लिखा जायेगा। मान्यवर, पूरा जनपद इलाहाबाद छावनी बना दिया गया था।

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद छावनी बनायी थी। बी0एस0एफ0 को बुलाया गया था। प्रधान मंत्री की भावनाओं के विरुद्ध, उनकी इच्छा के विपरीत उत्तर प्रदेश के कांग्रेसजनों पर लाठी चार्ज किया गया। वहाँ के शहर काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक बाजपेयी के नेतृत्व में वहाँ प्रदर्शन किया जा रहा था। उसमें उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया। महिलाओं पर लाठयाँ चलाई गयीं । यही नहीं मान्यवर, नैनी थाने में जो लोग ले जाए गये, उनको पानी तक नहीं दिया गया। मैं माँग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जिनके नाम नहीं है, उनको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, क्या इस विषय पर चर्चा शुरू कर दी है ?

श्री अध्यक्ष--

चर्वा नहीं है, जिनके नाम हैं, केवल उन्हीं को ग्राह्यता पर बुलवाऊंगा। (घोर व्यवधान) जिनके नाम नहीं हैं, कोई नहीं बोल पाएगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जय राज गौतम--

अध्यक्ष, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जबकि वहां के प्रशासन ने निश्चय कर लिया था..... (घोर व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

सभी लोग यही बात कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह--

मान्यवर, यह एक ऐसी दुखद घटना है जिसमें जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हमारे महात्मा गांधी जी इसी के लिये संघर्ष करते रहे अपनी समस्याओं को सुनने के लिये मूख हड़ताल करेंगे और अपनी समस्याओं को शासन को देंगे। लेकिन इससे ज्यादा बुरी घटना और क्या हो सकती है कि प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के पहली बार इलाहाबाद आगमन पर, हमारे कार्यकर्त्ताओं पर, जो वहां पर एकत्र होकर सरकार को अपनी मांगे देना चाहत थे, जनता की समस्याओं से उनको अवगत कराना चाहते थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया :—

श्री अध्यक्ष —

(घोर व्यवधान के मध्य) अब आप बैठें।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया, इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री शैलेन्द्र कुमार सदन त्याग कर चले गये)

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

(घोर व्यवधान के कारण श्री इम्तियाज मोहम्मद खां का भाषण ठीक से सुना नहीं जा सका।) मान्यवर, इलाहाबाद की जनता ने इसी राजा को कुछ वर्ष पूर्व भरपूर्य र दिया था और भारी मतों से चुना था। राजा ने इलाहाबाद नगर के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए नगर की जनता में उनके प्रति भयंकर आक्रोश था। इलाहाबाद की जनता को लाठियों और गोलियों से कुचला जायगा (घोर व्यवधान) मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं उसी राजा से पूछना चाहता हूं जिसको इलाहाबाद की जनता ने प्यार दिया था (घोर व्यवधान) कानून व्यवस्था का कार्य तो जिला प्रशासन का है फिर जनता दल के गुन्डों को क्या अधिकार था कि वे लाठी डन्डे व स्टेनगन लेकर कांग्रेस के लोगों पर स्वयं हमला करें। उनके विरुद्ध क्यों नहीं कोई कार्यवाही की गई। उनके विरुद्ध क्यों नहीं मुकदमें पंजीकृत हुए।

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह जो कुछ कह रहे हैं, वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है, सिवा उनके कोई भी सदस्य बोलेगा तो वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, प्रधान मंत्री जब किसी भी प्रदेश में जाते है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनके कार्यक्रमों को शांति पूर्वक सम्पन्न करावें। मान्यवर, यह जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर है। कल इनके ऊपर थी। इलाहाबाद के लोगों को तो खुशी होनी चाहिये कि एक तरफ स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाया गया है।

श्री प्रमोद कुमार--

इसीलिये बुलेट प्रूफ कार में आये हैं, अगर हिम्मत थी तो खुली जीप में आना चाहिये था। (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जो इलाहाबाद के उधर माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उन पर गर्व भी है प्रधान मंत्री के कार्यक्रम में किसी माननीय सदस्य ने व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया। (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

लाठी चार्ज करायेंगे, उनके आने के एक घंटा पहले गिरफ्तारी करवायेंगे, लाठी चार्ज करायेंगे, तो क्या होगा? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार--

बी0 एस0 एफ0 के जवानों ने लाठी चार्ज किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रमोद तिवारी जी आप पिछले सदन में मंत्री रहे हैं, आप इतनी जोर से बोलेंगे तो कैसे ठीक रहेगा?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मंत्री जी झूठ न बोलें, उससे तकलीफ होती है।

श्री अध्यक्ष--

अगर झूठ है तो सुनने की आदत डालिये, आपको भी कहने का मौका मिलेगा। यह क्या कि आप खड़े हो जाते हैं? (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं तो विद्यार्थी जी की और माननीय शैलेन्द्र जी की तारीफ कर रहा हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम म कोई व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

हम लोगों ने नारेबाजी किया, गिरफ्तारी दी। (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

शांति भंग की जब आशंका पैदा हो गयी, आप लोग सुन तो लें, राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसको शांतिपूर्वक संपन्न कैसे करायें?

(व्यवधान)

अध्यक्ष—

आप लोग बैठें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

205 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुंवर सिंह नेगी जी ने कहा कि नैनी थाने में रखा गया। अब जानकारी ही नहीं है, उनको पूरी शाम 8 बजे उनको छोड़ भी दिया गया। उनकी पूरी खातिर करके छोड़ दिया गया। (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह सदन को गुमराह किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया गया, वहां पर।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

इस मामले में आप राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। इनके जो वहां के विधायक हैं, व कुछ बोले नहीं। मैंने बताया कि 205 लोगों को डिटेन किया गया और शाम को छोड़ दिया गया। कोई भी राज्य सरकार होगी, उसे कार्यवाही करनी ही होती है। इलाहाबाद की जनता से कहना चाहूंगा कि धैर्य रखें। इतनी स्वच्छ छवि का प्रधान मंत्री पहली बार देश को मिला है, उनके कार्यों में सहयोग दें। कोई व्यवधान उत्पन्न करने वाला काम नहीं करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह, मुन्ना—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो बिचार व्यक्त किये। मान्यवर, वह सत्य से परे हैं। तमाम विधायक साथियों और कार्यकर्त्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। हजारों कार्यकर्त्ताओं को ले जाकर के नैनी सेन्ट्रल जेल के सामने जो नैनी थाना बना है उसमें हेल्ड–अप किया गया। वे मंहगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गिरती हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ, हरिजन उत्पीड़न के खिलाफ बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। कानून व्यवस्था को जनता दल के कार्यकर्त्ता साथी, हमारे साथी, जनता दल विधायक गण हाथ में ले रहे ह, यह कितनी शर्मनाक और निन्दनीय घटना है। इस पर चर्चा करायी जाय, पूरे मामले पर।

मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट न होते हुए सदन का त्याग करता हूं।

(श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना अपने दल के सदस्यों के साथ नारे लगाते हुए सदन त्याग कर चले गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(सत्ता दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाने से घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह सरकार हत्यारी सरकार है, इसने बेगुनाहों पर लाठी चार्ज किया है, महिलाओं पर लाठी चार्ज किया है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय प्रमोद जी, अभी तक ऐसी परम्परा रही है कि यदि किसी बात से किसी को कष्ट है, तो वह व्यक्ति या वह दल, सदन से बहिर्गमन कर जाता है, इसका आपको अधिकार है। आप बहि-

गमन कर भी गये, लेकिन आपको कम से कम एक मिनट लाबी में रहकर आना चाहिये था । मैं सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से भी कहूंगा कि सदन व्यवस्थित ढंग से चले, इसमें जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन सत्ता दल की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है, यह आप लोग ध्यान में रखियेगा ।

*श्री रवीन्द्र शुक्ल---

मान्यवर, जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम असोहा, सरसहा, हिलौली, बद्री खेड़ा आदि अन्य गांवों में पीने का पानी बहुत प्रदूषित है, जिस कारण वहां पर पानी में 2 प्रतिशत से लेकर 2.5 प्रतिशत तक फ्लोराइड होना बताया गया है, इसके परिणाम स्वरूप इन गांवों में 8 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों के पैर तीर-कमान की तरह ढेढ़े हो गये हैं और जो व्यक्ति 35-40 वर्ष की उम्र या उससे ऊपर हैं, उनकी कमर टूट गयी है, जिनमें कई महिलायें भी हैं । यह समाचार कई समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुका है और कई बार प्रकाशित हुआ है, इसको लेकर वहां के लोगों ने कई बार आन्दोलन भी किया है । अभी जनता दल के वहां के प्रतिनिधि ने भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है । स्वास्थ्य विभाग का कोई भी राहत दल आज तक वहां नहीं पंहुचा, इस कारण एक पीढी पर बहुत बड़ा संकट स्वास्थ्य विभाग की अकर्मण्यता के कारण गहराया हुआ है ।

(श्री अरविन्द कुमार का नाम पुकारे जाने पर) ।

मान्यवर, अभी मुझकों एक मिनट भी नहीं हुआ है, आप नियम-56 पर एक घंटा बोलने के लिये देते हैं, मुझकों 2 मिनट भी नहीं दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

अगर कांग्रेस दल के 7 सदस्य 15 मिनट में बोलें, तो आपको क्या 15 मिनट मिलेगा, आपको तो 2 ही मिनट मिलेगा ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल---

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन्नाव जनपद में नवाबगंज तहसील में बहुत बड़ा भाग पीने के पानी कसमस्या से बीमारी के कारण परेशान है । यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, मैं मांग करूंगा कि इस पर कार्य रोक कर चर्चा कराई जाय ।

श्री अरविन्द कुमार---

मान्यवर, जनपद उन्नाव के नवाबगंज तहसील के सैकड़ों गांव में ग्रामीण जनता पीने का पानी प्रदूषित होने के कारण गम्भीर बीमारियों का शिकार है, वहां के कुओं, हैण्डपम्पो का पानी प्रदूषित हो गया है, जिसेके कारण 5 से 10 वर्ष के बच्चों के अंग टेढ़े हो गये हैं, जो बड़ी उम्र के 40 साल के आस-पास के लोग हैं, उनकी कमर टूट गयी है । मैं एक डाक्टर होने के नाते बता रहा हूं कि वहां लोगों की जिन्दगी के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, कई दफ सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है....

सरकार ने इस पर लापरवाही बरती है । वहां पर कोई इन्तजाम नहीं किया गया है । मेरा सुझाव है कि पूरे स्वास्थ्य विभाग को वहां पर लगाया जाय । इस बात की खोज की जाय कि ऐसा क्यों हुआ । पानी की व पूरे खाद्य पदार्थो की जांच कराई जाय ताकि जनता के जीवन की रक्षा हो सके ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, यह मामला जन स्वास्थ्य से सम्बन्धित है । हम इसे दिखवायेंगे, जो भी कार्यवाही होगी, वह की जायेगी ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

मान्यवर, बाराबंकी के इतिहास में 72 घण्टे के अन्दर 6 व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर दी गई यह सरकार के लिये एक शर्मनाक बात है । 4 जुलाई, 1990 को 3 बजे ग्राम सेमरी, थाना कोठी के देरी प्रसाद नाम के हरिजन की अल्प संख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने कुल्हाड़े से व फरसे से गर्दन काटकर हत्या कर दी, मसौली थाने के श्री सुखीराम की हत्या कर दी गई, इसी तरह से राम चन्द्र नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी थाना रुदौली के श्री रामेश्वर मौर्य की हत्या कर दी गई, शिव-नारायण नाम व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई । यहां पर रोज माननीय मुख्य मंत्री जी व संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार के खिलाफ हम प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं ।

बाराबंकी का एक जागरूक सदस्य होने के नाते, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आज बाराबंकी की कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है । आज वहां पर बुद्धिजीवियों व पत्रकारों की सुरक्षा नहीं है । नेशनल हैरेल्ड के पत्रकार श्री टी0के0 राव दनिक जागरण के श्री राजीव अवस्थी को, जो इन अपराधों का पर्दाफाश कर रहे हैं, मारने की साजिश की जा रही है । आज बाराबंकी में साम्प्रदायिकता फैलाने की कोशिश सरकारी पक्ष की ओर से की जा रही है । वहां की मानवता को कलंकित करने की एक सुनिश्चित योजना बनाई जा रही है सरकार अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है । इसलिये मेरी मांग है कि इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, अब आप कृपा करके बैठ जांय । आब आप जो कहेंगे वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, जनपद बाराबंकी में दिनांक 4 जुलाई, 1990 को ग्राम सेमरी, थाना कोठी के बेरी प्रसाद (हरिजन) की हत्या हुई, थाना मसौली के सुखीराम की दिनांक 3 जुलाई, 1990 को हत्या हुई, थाना रुदौली में दिनांक 3 जुलाई, 1990 को रामेश्वर मौर्य की हत्या हुई, दिनांक 5 जुलाई, 1990 को ग्राम बेलहारा, थाना टिकैतनगर में शिव नारायण की हत्या हुई । ये सब घटनायें अलग-अलग तिथियों में हुई । इन सभी के सम्बन्ध में तत्काल मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्यवाही की जा रही है । इन सभी घटनाओं का कारण व्यक्तिगत रंजिश होना पाया गया है । इनमें से कोई भी घटना साम्प्रदायिक तनाव से सम्बन्धित नहीं है । पूरे जनपद में सौहार्दपूर्ण वातावरण सभी सम्प्रदायों के बीच बना हुआ है ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

[× × ×]

(कई सदस्यों के खड़े होने से घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के बाद मेरी अनुमति के बिना जो बोल रहे हैं कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने से व्यवधान) ।

पहले मेरी बात सुन लें, आपको मौका दूगां ।

मेरा कहना यह है कि ग्राह्यता पर मैं सुन रहा हूं । नियमानुसार लाटरी में जो 5 नाम आये हैं उनको सुन रहा हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी सूक्ष्म में उसका उत्तर देते हैं, यदि उत्तर गलत है तो आपके पास विशेषाधिकार ह, आपके तर्क में यदि बल है तो मेरा यह निर्णय तो अभी बाकी ही है कि सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूं, किस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और कौन सी चर्चा के लिये स्वीकार कर रहा हूं लेकिन यह परम्परा मत डालिये कि संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर के बाद माननीय सदस्य फिर बोलने लगें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि 5 मामलों को ग्राह्यता पर सुनते हैं । माननीय सुन्दर लाल दीक्षित किसी विशेष घटना के कारण, जो उनके जिले में घटी है, उत्तेजना में आ गये, लेकिन जिस गम्भीरता के साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री को अपने पद का निर्वहन करना चाहिये, उस गम्भीरता का परिचय उन्होंने नहीं दिया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं पुराने साथी हैं, आज सत्ता की जिम्मेदारी ह, मंत्री भी रह चुके हैं, उनका यह कहना कि ऐसी घटनायें तो होती ही रहती हैं, कुछ अच्छा नहीं लगा । आपसे प्रार्थना करूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को शिक्षा दें कि इतने गम्भीर विषय पर इतने हल्के और गैर जिम्मेदाराना बयान उत्तेजना का विषय बन सकते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, आभारी हूं गुप्ता जी का कि उन्होंने मुझे शिक्षा देने का प्रयास किया । हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि सदन के सामने कोई तथ्य छिपायें नहीं, जो स्वाभाविक स्थिति है प्रदेश की और समाज की, उससे सब वाकिफ हैं । इसमें एक-दो घटनायें ऐसी हैं कि चचेरे भाइयों ने मार डाला । क्या कहा जायगा कि ऐसी घटनायें भविष्य में नहीं होंगी ? आज का जो सामाजिक परिवेश है उसमें ऐसे समाज की स्थापना के लिये आपका और हमारा दोनों का प्रयास होना चाहिये जहां पर कि ऐसी घटनायें न हों, ऐसी घटनाओं को राजनीतिक रूप देकर प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । हमारा प्रयास है कि रंजिश की घटनाओं पर भी पुलिस काबू पाये । सब जानते हैं कि क्या स्वाभाविक है और क्या अस्वाभाविक है । रंजिश में जो कत्ल होते हैं उसमें सरकार की जिम्मेदारी कम होती है । सरकार की कमजोरियों की वजह से, जातीय विद्वेष के कारण जो कत्ल इत्यादि की घटनायें होती हैं, उसमें सरकार की जिम्मेदारी अधिक होती है । बंटवारा और रंजिश के कारण भी कोई घटना न हो इसमें आप भी सहयोग करें, हम भी सहयोग करें, ऐसा रामराज्य आ जाय तो बहुत अच्छा है ।

*श्री मयंकर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस प्रदेश में ऐसी घटनाओं ने प्रजातंत्र का गला घोंट दिया है, जैसी कि यह 1985–86 की घटना है बहराइच में जरवल चीनी मिल में माता प्रसाद ने कुछ मांगों को लेकर अनशन शुरू किया था । जब वह अनशन पर बैठा था तो अनशन स्थल से पुलिस उसे उठा कर ले गयी और मारा-पीटा जिसके कारण उसे बहराइच अस्पताल में ले जाया गया किन्तु वहां के डाक्टरों ने जब उसे जवाब दे दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो उसको लखनऊ बलरामपुर अस्पताल लाया गया । बाद में जब परिवार वालों को पता चला तो वह यहां बलरामपुर अस्पताल में आये तो यहां उसे बतलाया गया कि माता प्रसाद तो मर गया । परिवार वालों को उसके शव का पता नहीं चला ।

माता प्रसाद एक श्रमिक व्यक्ति था और स्थायी श्रमिक था । हथौड़ा लगने से उसका अंगूठा पिच्चा हो गया था । डाक्टरों ने उसे जब जवाब दिया तो रक्त संचार प्रभावित होने से उसके आधे शरीर पर लकवा मार गया था । जब कि ऐसी हालत में उसे सहायता दी जानी चाहिये थी, दवा दी जानी चाहिये थी नियमानुसार लेकिन उसके साथ ऐसी लापरवाही बरती गयी कि वह मर गया और उसके शव का भी आज तक पता नहीं चला है । उस समय माननीय नारायण दत्त तिवारी जो मुख्य मंत्री थे, नेता सदन थे ।

(शोर व्यवधान)

श्री भयंकर सिंह--

विरोध पक्ष में माननीय नेता मुलायम सिंह जी थे जो कि आज नेता सदन हैं और मुख्य मंत्री भी हैं उन्होंने इस घटना के विरोध में नेता सदन को एक पत्र दिया था और उस पर तत्कालीन मंत्री ने जवाब भी दिया था लेकिन मान्यवर, इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात सामने आ गयी, विषय का महत्व जाहिर हो गया आपने सदन को उससे सूचित कर दिया है, अब आप बैठें ।

श्री भयंकर सिंह--

माननीय मंत्री जी उसके परिवार को मुआविजा देने की घोषणा करें तथा मृतक का शव उसके परिवार वालों को दिलाया जाय ।

श्री राम तेज--

मान्यवर, मुझको भी सुन लें क्योंकि यह मेरे जनपद की घटना है ।

श्री अध्यक्ष--

आप नहीं बोल सकते हैं इस पर ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, जब कोई बात सदन में आ जाती है तो वह सदन की सम्पत्ति हो जाती है । माननीय राम तेज इस घटना के बारे में जानते हैं, यदि वे बोलना चाहते हैं तो आप उनको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

यदि आप चाहते हैं तो वह बोलें तो बोलें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, जब आप आज्ञा देंगे तभी वे बोलेंगे ।

राजस्व मंत्री (श्री राम शरण दास)--

जिस सदस्य को घटना का पता हो, यदि आप उसको सुन लें तो क्या मजबूरी है आपकी ?

श्री अध्यक्ष---

नियम 56 की ग्राह्यता पर जो माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं उनको दो मिनट का समय ग्राह्यता पर बोलने के लिये समय दिया जाता है और उनको सुन लिया जाता है । लेकिन यह कोई चर्चा की बात नहीं है संसदीय कार्य मंत्री का उस पर आश्वासन आता है या इसके सम्बन्ध में वे कुछ कहना चाहते हैं तो कह देते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन यह परम्परा नहीं है । जो माननीय सदस्य सूचना देते हैं, उनके ही ग्राह्यता पर बोलने के लिये आप कहते हैं । लेकिन यदि आप देखेंगे तो कभी-कभी अपवाद स्वरूप इधर के भी माननीय सदस्यों ने प्रतिवाद किया है, मंत्री के अलावा । माननीय भयंकर सिंह ने जिस घटना का जिक्र किया है, उस क्षेत्र से मेरा भी करीब का ताल्लुक है, मैं भी वहां से चुनाव लड़ चुका हूं ।

श्री प्रमोद कुमार---

लेकिन हार गये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

हार गये तो क्या हुआ ? वहां से जिता के भी लाये हैं ।

(भा0 ज0 पा0 के कई सदस्यों द्वारा एक साथ अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान) ।

पहले आप पूरी बात को सुन लें । यह जो आप बोल रहे हैं यह कौन से नियम के अन्तर्गत आता है ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष---

यह बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी, सिर्फ संसदीय कार्य मंत्री जी की ही बात कार्यवाही का अंग बनेगी । सिवाय संसदीय कार्य मंत्री के अलावा और किसी की बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

मैंने कसम खायी है कि गलत बोलूंगा ही नहीं । जो गलत हैं, उन्हीं को मेरी बात गलत लगेगी । मेरा इस बात का दावा है और गर्व है । हमारी बात को सच्चे लोग ज्यादा मानेंगे । भयंकर सिंह ने जो सूचना दी है, उसकी सूचना मेरे पास अभी तक नहीं आ सकी है । मैं उसकी जानकारी करूंगा और जो कार्यवाही होगी, वह करूंगा ।

श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त---

मान्यवर, जो अगली पंक्ति में बैठे हैं, उन्हें उदार होना चाहिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

उदारता दोनों ओर से आती है । हम लोग मुजरिम की हैसियत से यहां नहीं पर बैठते हैं । अगर गलत आरोप लगाया जायेगा तो उसी तरह से जवाब मिलेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, जो प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं वह कृषकों से सम्बन्धित है और अविलम्बनीय लोक महत्व का है । मैं एक ऐसा सन्दर्भ सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं

कि हम सभी को चिन्ता का विषय होगा । आलू उत्पादक किसान आलू कोल्ड स्टोरेज में रखता है । मान्यवर, हमारे पास वर्ष 1981 से 1990 तक के आंकड़े हैं । एक रुपये प्रति बोरी से अधिक कभी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, लेकिन इन 6 महीनों में न जाने क्या हो गया है कि उनकी दरों में बेतहाशा वृद्धि हुई है । फरवरी में 27 रुपये की दर घोषित की गयी, पिछले वर्ष 26 रुपये थी और उसके पहले 24 रुपये थी । मैं आंकड़ों में न जाकर कहना चाहता हूं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोल्ड स्टोरेज के जो मालिकीन हैं, उन्होंने एक परिपत्र जारी किया है और 4.50 रुपये प्रति बोरी की वृद्धि कर दी है । मैंने इसकी जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की और मुझे जानकारी मिली है कि 4.50 रुपये प्रति बोरी कीमत बढ़ा दी गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस का समर्थन दिया है, क्या सरकार की जानकारी में यह बात है य नहीं है या पूंजीपतियों ने अपने आप इस कीमत को बढ़ा दिया है । क्या सरकार को इस बात का एहसास हुआ है । कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के तीन दिन पहले ही परिपत्र को जारी किया है और काश्तकारों के लिये यह चिन्ता का विषय है । तात्कालिक घटना है और अविलम्बनीय लोक महत्व का है । इसलिये मैं अपने कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर बल देता हूं और सरकार से जानना चाहता हूं कि यह 4.50 रुपये की वृद्धि अगर सरकार की ओर से की गयी है, तो सरकार ने अपनी घोषित नीति के विरूद्ध यह कार्य क्यों किया है और अगर उन्होंने मर्जी से यह रेट बढ़ा दिए हैं, तो सरकार का उन पर क्या अंकुश है । आप इस प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक प चर्चा करा दें ।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न बड़ा चिन्ता का विषय है । मैं मानता हूं कि जो प्रश्न माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने उठाया है और जो मैं कह रहा हूं वह अविलम्बनीय विषय है । ग्राम्य विकास मंत्री जो बैठी हैं, वह उस समिति की अध्यक्ष हैं, जिसमें कोल्ड स्टोरेज के रेट निर्धारित किये जाते हैं । शीत गृह अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष में एक बार रेट निर्धारित किया जाता है । जब एक बार इस वर्ष 27 रुपये का रेट निर्धारित हो गया, तो यह बढ़ोत्तरी किस आधार पर की गयी । जब आलू निकालने का समय आया है, और उत्पादक हजारों कुन्तल गेहूं निकाल रहा है, तो अचानक यह रेट बढ़ गये हैं । मैं मानता हूं कि ग्राम्य विकास मंत्री जी ने नहीं किया है । लेकिन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनकी शह पर यह परिपत्र जारी हुआ है । 31 रुपये यानी एकदम 4 रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी । शीतगृह अधिनियम में इस तरह की आज तक व्यवस्था नहीं हुई है । कानपुर में 31 रुपये की रसीद काटकर निकासी कर रहे हैं । वहां पर सबसे अधिक शीतगृह हैं । कहीं पर 31 रुपये की रसीद कट रही है और कहीं 27 रुपये की रसीद कट रही है और चार रुपये अलग से लिये जा रहे हैं ।

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर और अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । इस पर शासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि जो भ्रम वहां पर जन साधारण में पैदा हो गया है वह दूर हो सके । इस सम्बन्ध में शासन की क्या नीति हैं, उसके अनुरूप ऐसे अधिकारी और थैलीशाह शीतगृहों के मालिकान के ऊपर कोई कारगर कार्यवाही हो सके । मान्यवर, इससे अधिक दूसरा कोई लोक महत्व का विषय हो नहीं सकता है । यह मेरा मंत्री जी पर आक्षेप नहीं है । मैं जानता हूं कि कोई न कोई साजिश अधिकारियों की इसमें है । कौन ऐसा अधिकारी है ? उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें । प्रदेश भर से किसानों का प्रति मिनट हजारों क्विंटल आलू शीतगृहों में जा रहा है । एक मिनट की देरी का मतलब है लाखों रुपये की लूट किसानों की जेब से की जा रही है । इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह अत्यन्त गम्भीर लोक महत्व का प्रश्न है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य—

कह दीजिये विचार करेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, विचार नहीं करेंगे, स्पष्ट जवाब देंगे । विचार करने वाली सरकार उधर बैठी है । मान्यवर, कोल्ड स्टोरेज में आलू के भण्डारण का अधिकतम प्रभार 27 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । इस दर में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है । शासन के टेलेक्स संख्या 4201/12–4–90, दिनांक 3 जुलाई, 1990 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों, जिला उद्यान अधिकारियों, उप निदेशक एवं निदेशक उद्यान को पुनः निर्देश दिये गये हैं कि शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम प्रभार 27 रु0 प्रति क्विंटल की दर में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की गई है । यदि किसी कोल्ड स्टोरेज का मालिक निर्धारित प्रभार से अधिक की वसूली करता है तो कोल्ड स्टोरेज अधिनियम के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय । उसका लाइसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही भ: की जाय ।

इससे अधिक क्या स्पष्ट आदेश हो सकते हैं । यह सरकार मुख्य रूप से किसानों को सुविधा पहुंचाने वाली सरकार है, किसानों का अहित करने वाली सरकार नहीं है । यदि कोई कोल्ड स्टोरेज का मालिक 27 रुपये से अधिक ले रहा हो तो आप बता दें, अवश्य कार्यवाही की जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने सूचना माननीय मंत्री जी को भेज दी है और उसमें शासन से जो परिपत्र जारी हुआ है उसकी कापी भी भेजी है । मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने शासन की नीति स्पष्ट की है । जो बात मैंने लिखी है, उसके पीछे आधार है । इसलिये मान्यवर, इसकी जांच करके आप उचित कार्यवाही करने के निर्देश दें, जिससे शासनादेशों का कठोरता से पालन हो ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

हर हालत में और निश्चित रूप से किया जायेगा ।
हर हालत में 27 रुपये से अधिक कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं पायेगा ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैंने ग्राह्यता पर अपनी बात कही । आपकी नीयत साफ है । आपका 27 रुपये रेट है और वह किसानों के हित में आप कर रहे हैं । लेकिन कौन अधिकारी ऐसे हैं जिसनें कोल्ड स्टोरेज के मालिकान से साजिश करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है । यही मैं निवेदन कर रहा हूं ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई अन्य सदस्य नहीं बोलेगा । (व्यवधान) इस परम्परा को न डालिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, अब कौन सी शंका रह गई है, जो बोलनी है ?

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी तथा माननीय तिवारी जी ने मुख्य रूप से प्रश्न उठाया है उसमें उन्होंने बताया कि शासन के तो निर्देश हैं लेकिन इसी बीच में शासन के एक परिपत्र द्वारा यह वसूली होती जा रही है और हो गई है ।

इसलिए इस विषय में मैं शासन को वक्तव्य देने के लिये निर्देश देता हूं । बाकी अन्य 5 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(मद संख्या 10 पुकारे जाने पर)

रायल होटल में बिजली एवं पानी की आपूर्ति बंद होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डाक्टर बृज भूषण मणि त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं नहीं सुनूंगा (व्यवधान)

डाक्टर बृज भूषण मणि त्रिपाठी--

मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कल से रायल होटल में बिजली पानी बंद है.....

श्री अध्यक्ष--

त्रिपाठी जी जो बोल रहे हैं कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा । आप लिख कर दे दीजिये ।

डाक्टर बृज भूषण मणि त्रिपाठी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें क्योंकि रायल होटल में कल से बिजली पानी नहीं है हम लोग आज बिना स्नान किये यहां आये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है माननीय त्रिपाठी जो ने जो बात कही है लिख ली जाय । आप लिख कर दे दें शासन को भेज दी जायेगी ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों केलिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-13 कृषि तथा सम्बद्ध अन्य विभाग, (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्यसम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या-19-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या 53-राष्ट्रीय एकीकरण

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,76,62,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी सभी को एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,00,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,60,70,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होनेवाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,07,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि इस सदन में ग्राम्य विकास/कृषि विभाग के बजट पर बोलने और उसे प्रस्तुत करने का अवसर मिला। यह बजट मान्यवर, प्रदेश के एक लाख 12 हजार गांवों में रहने वाले मेहनतकश किसानों से संबद्ध है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया है और भविष्य में देश की आर्थिक स्वतंत्रता में अपनी मेहनत और पसीने से योगदान दे रहे हैं । भारत वर्ष गांवों में बसता है । महात्मा गांधी जी ने कहा था कि प्रत्येक इंसान को रोजगार का अधिकार है और काम करने का अधिकार है और उस अधिकार के लिये सरकार का दायित्व है कि उसकी वह व्यवस्था करे और उसको मौका दे ।

आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसका भी यही उद्देश्य है । गांधी जी के शब्दों में जो समाज में बेकाम है उसके लिये अगर कोई ईश्वर है तो उसकी रोजी रोटी है ।

(इस समय 1 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र त्रिपाठी पीठासीन हुये ।)

यह भी बहुत गर्व का विषय है कि इसी विधान सभा में भारतवर्ष में भूमि सुधार की दिशा उ0 प्र0 से ही मिली, यह सदन का गौरव है । और इसी सदन में पं0 गोविन्द बल्लभ पंत मा0 चौधरी चरण सिंह जैसे लोग ग्रामीण विकास और भूमि सुधार में इस सदन के द्वारा ही हिन्दुस्तान को दिशा दी । आजादी के बाद ग्रामीण समाज को इस विरासत में एक वर्गीकृत समाज मिला और इतिहास भी इस बात को बताता है कि अकबर के समय टोडरमल और उसके बाद इंतजामिया कान्फ्रेन्स और हेंस्टिंग्स के इंतजाम के बाद यदि उसको किसी ने ठहराव दिया तो इसी विधान सभा में चौधरी चरण सिंह जी को यह श्रेय प्राप्त है, उन्होंने 11 मई, 1962 को कृषि मंत्री की हैसियत से इसी विधान सभा में कहा था कि मार्केट डेवलप इसलिये नहीं हो पा रहा है कि हमारे मासेज, बहुसंख्यक, के पास क्रय शक्ति नहीं है । क्रय शक्ति इसलिये नहीं है कि देश के 82 1/2 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश के 86 1/2 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और वह खेती पर बसर करते हैं । इसलिये जब खेती की पैदावार बढ़ेगी और पास में पैसा होगा तो वह जूता और कपड़ा खरीदने के लिये लालायित हो जायेंगे इससे क्रय शक्ति बढ़ेगी । जब उनका पेमेन्ट हो जायेगा तो माल पैदा करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हो जायेंगे, तो बिना खेती की पैदावार बढ़ाये कारखाने नहीं चल सकते हैं और जो कारखाने लगे हैं वह बंद हो जायेंगे । उनका कहना था कि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाकर देश में औद्योगीकरण किया जा सकता है और किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाकर देश को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है ।

मान्यवर, यह बात भी इतिहास बताता है कि इस देश में गंगा बेसिन का उपजाऊ क्षेत्र है जो अपनी संस्कृति और उपज के लिये मशहूर है जिसको हम लोग पूर्णरूप से विकसित नहीं कर सके और यदि कर लेते तो आज हमारा किसान गरीबी रेखा से आगे बढ़ा होता । मान्यवर, यूरोप की औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया में अगर कोई क्रांति हुई तो वह हरित क्रांति हुई और इस क्रांति के द्वारा आज हम लोग जिस ओर बढ़ रहे हैं, जो देश और प्रदेश में उन्नति हुई उसके लिये हम लोगों को गर्व है लेकिन प्रत्येक क्रांति में कुछ ऐसी बातें हुआ करती है कि उसके अंदर जब तक सरकार का दखल न हो उस क्रांति को संतुलित करने के लिये, यदि सरकार बीच में न आये तो क्रांति का प्रभाव उल्टा पड़ सकता है और यही हरित क्रांति लाल रंग में बदल सकती है । यही कारण है आज ग्रामीण विकास का यह बजट

सरकारी दखल इसके लिये जरूरी हुआ और आज यह बजट जो प्रस्तुत करने जा रही हूं वह इसी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिये है, गरीबों को, सीमांत कृषकों और मजदूरों को गरीबी रेखा से से ऊपर उठाने लिये है । आज खेती पर बहुत भार बढ़ रहा है । हिन्दुस्तान और प्रदेश की जनसंख्या बहुत ब रही है। उसको देखते हुए यह आज की मांग है कि हमारी योजना इस तरह की हो, जिसमें हमारे नौजवानों का, हमारे अन्य बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जा सके, और जिससे हमारी जमीन पर बहुत ज्यादा भार न आ सके, ताकि उसके अर्थशास्त्र में हम सफलता न पा सकें। इसलिये हमारी जो योजना है आज की वह रोजगार को मद्देनजर रखते हुए हैं ।

भारत सरकार ने जो आठवीं योजना बनाई है, उसके तहत इसका लक्ष्य 3 प्रतिशत रखा गया है, तथा इसी के अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना और एकीकृत ग्राम्य विकास योजना का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । इस योजना के तहत 510 करोड़ 93 लाख रुपयों का परिव्यय रखा गया है, जिसमें से 408 करोड़ 72 लाख केन्द्र का होगा और 102 करोड़ 18 लाख राज्य सरकार का अंश होगा। इस योजना के अन्तगत गावों में प्रधान को यह अधिकार होगा कि वह अपनी स्थानीय समस्याओं का देखते हुए, अपनी स्थानीय परेशानियों को देखते हुए इस हिसाब से गाँव में काम करें कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार भी मिले और छोटे-छोटे काम का वह अपने स्थानीय स्तर पर बना सकें। यह धन इसीलिए सीधे प्रधानों को दिया जाता है। इसमें 60 प्रतिशत हिस्सा रोजगार का होगा और 40 प्रतिशत हिस्सा सामग्री का होगा, जिससे लोगों को अच्छा और ज्यादा रोजगार मिल सके इसके साथ-साथ आपको यह भी जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष हरिजनों के लिए उनकी जमीन पर कुल परिव्यय को 20 प्रतिशत से 10 हजार वहाँ पर कुयें खोदे जायेंगे, जिससे हमारी सिंचान क्षमता बढ सके और हमारी उपज बढ सके। इसके अन्दर यह एक नई स्कीम आई है-एकीकृत ग्राम्य विकास स्कीम इसमें जो हमारे लघु और सीमान्त भूमिहीन कृषक हैं, उनके लिए 14,727.97 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। इसमें भी केन्द्र का अंश 7,363.98 लाख रुपया है और राज्य का भी 7,363.98 लाख रुपया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, जिनको ऋण देकर हम गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, और जो हम जमीन पर भार कम करना चाहते हैं, उनको ऋण देकर उनके लिए ऐसी परिसंपत्तियाँ बनाना चाहते हैं, जिसमें वह स्वयं आत्मनिर्भर हो सकें, पूरी तरह सफल हो सके इस योजना में पहले जो धनराशि मिलती थी, उसके बारे में हमारा और भी आभास होगा कि उनको जो धन मिलता था उससे उनका पूरा उद्यम नहीं हो पाता था। इसलिए प्रति परिवार को 10 हजार का धन अब उपलब्ध कराया जायगा, जिससे वह जो कार्य करना चाहें कर सकें। जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं अर्थात जिनकी आमदनी सालाना 4600 रुपया है, उनका इस गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिये उसमें 80 लाख का परिव्यय है। इससे हम यह कोशिश कर रहे हैं कि इस दशक की समाप्ति होने पर काफी मात्रा में ये लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ जायं। यह हमारा लक्ष्य इस शताब्दी में खत्म होगा ऐसी हम आशा करते हैं । लघु कृषक हम उनको मानते हैं जिनके पास 2.5 एकड़ किन्तु अधिकतम 5 एकड़ भूमि है और 25 प्रतिशत छूट देते हैं, यह अधिकतम रु0 3000 है। सीमान्त कृषक हम उनको मानते हैं जो 2.5 एकड़ भूमि के स्वामी हैं। 33.103 प्रतिशत अधिकतम 3000 रु0 तक छूट देते हैं । अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों के लिये 50 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव है। इसके लिए अधिकतम 5000 की धनराशि होनी चाहिये । हम आशा करते हैं कि इस लक्ष्य से जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं वह ऊपर उठ सकेंगे। 1990-91 में राज्य सरकार द्वारा लगभग 98 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं

40 प्रतिशत लाभार्थियों को इस योजना के द्वारा लाभ होगा। इस बजट में यह भी प्रस्ताव है कि 3 करोड़ 14 लाख की ट्राईसेम योजना चलायेंगे। जिसका उद्देश्य यह होगा कि स्वत: रोजगार लोगों को मिल सके। 18 से 35 वर्ष की आयु के बच्चों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। ताकि वह प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वत: रोजगार के लायक बन सकें। इससे 35 हजार 880 व्यक्ति लाभान्वित होंगे और प्रशिक्षण पायेंगे। इसी के साथ-साथ महिलाओं पर विशेष ध्यान रखा गया है। उनके लिए ग्रामीण महिला एवं बाल उत्थान कार्यक्रम (बी0 डब्लू0 सी0) बनाया गया है जिसके लिये धन भारत सरकार से मिलता ह। एक करोड़ परिव्यय है। इस योजना में गाँव की 15 महिलाओं का समूह बना लेते हैं और उसमें 15000 रुपये की धनराशि देते हैं जिससे वे लोग थोड़ा-थोड़ा सामान खरीदकर अपने समूह में काम करती है।

उन्हें अपने ढंग से जीवन निर्वाह करने के लिये धन कमाने की योजना और उनके आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिये यह योजना बनायी गयी है। वनों के संरक्षण लिए, जो ईंधन हम जलाते हैं उसके लिए, गाँव में स्वच्छ जल, महिलाओं को समय मिल सके और शीघ्र अपना काम कर सकें, रोशनी की व्यवस्था के लिये बायोगैस योजना 1990-91 से चलाई जा रही है। इससे 12 हजार परिवारों को लाभ होगा। 6 करोड़ 70 लाख इसमें परिव्यय रखा गया है और 22 हजार 500 परिवारों तक बायोगैस पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे जो इसका रख-रखाव कर सकें और व्यवस्था कर सकें।

हमारे इस ग्राम विकास के बजट में "हरिजन पेय जल" की व्यवस्था की गयी है। परिव्यय 7 करोड़ होगा। हम जल निगम को इसका कार्य सौंपते हैं। 4000 हैन्ड पम्प लगाये जायेंगे। पहाड़ों में 150 डिग्गी बनायी जायेंगी। इस व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जहाँ पर 250 की जनसंख्या के गांव है वहाँ पर एक इंडिया मार्क-2 हैन्डपम्प लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ किसी भी योजना को चलाने के लिए प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है इसके लिए हमने 360,52 रुपये रखे हैं इसमें ग्राम्य विकास कार्यों से जुड़े हुए सभी स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया जायगा। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गये हैं इस प्रदेश में 22 क्षेत्रीय एवं 51 जिला ग्राम्य विकास संस्थान कार्यरत है जिसमें समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिससे नयी योजनायें आएं और पुरानी योजनायें जो चल रही हैं उनको नियमानुसार चला सकें। हमारे सामुदायिक विकास केन्द्र बनाए जा रहे हैं। जिसमें जिला विकास भवन 10, आवासीय भवन, 263, अनावासीय भवन दो हैं। इसके अतिरिक्त बताना चाहूगी कि सिंगल विन्डो कन्सैप्ट चलाए गये हैं ताकि जो गाँव की समस्यायें हैं, हमारे प्रधान जो होते हैं वह बहुत सीधे होते है दफ्तर -दफ्तर उनको दौड़ना पड़ता है इन सबको सुविधा देने के लिए सिंगल विन्डो कन्सैप्ट चलाया गया है। सब लोग जानते हैं कि ग्रामीण अभियन्त्रण प्रदेश में है। पी0 डब्लू0 डी0 विभाग बड़ी-बड़ी योजनायें चलाता था, बड़ी-बड़ी योजनायें बनती थीं, उस समय ग्राम्य विकास विकसित नहीं था कि गाँव में काम होउस समय ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन आज जो छोटे-छोटे काम हैं स्कूल बनते हैं, सड़के बनती हैं, नालियाँ बनती हैं खड़ंजे बनते हैं, इन कामों के लिए इस विभाग की बहुत आवश्यकता है इसलिये इस विभाग को चलाने के लिए इसका अलग धन नहीं होता था, लेकिन जो धन ग्रामीण अभियन्त्रण को मिला है, समय-समय पर मिलता है औरइससे सड़क बनाना है, नालियाँ बनाना है खड़ंजा पड़वाना है आदि कार्यों को किया जाता है इस तरह के छोटे-छोटे कामों को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग करता है। इसमें जो इंजीनियर होते हैं वह ज्यादातर डेपुटेशन पर बाहर से आते हैं वह हमारी व्यवस्था करते हैं। उसमें जो कमियाँ आती हैं उसके लिए सख्त कदम उठाए हैं और हम आशा करते हैं कि

भविष्य में कोई शिकायत नहीं आएगी ,अगर कोई शिकायत आती है तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जायगा।

एक कार्यक्रम लघु सिंचाई का है, तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि दो लाख कुएं खोदे गये हैं। फ्री बोरिंग के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है इसके लिये तीन हजार, चार हजार, पाँच हजार रुपया अनुदान देते हैं और फ्री बोरिंग कराते हैं । आपको जानकर प्रसन्नता होगी भारतवर्ष में फ्री बोरिंग होती है, 1990–91 में फ्री बोरिंग का लक्ष्य जो है वह चार लाख है, उत्तर प्रदेश में दो लाख फ्री बोरिंग का लक्ष्य रखा गया है जो संपूर्ण फ्री बोरिंग का 50 प्रतिशत होगा, इस वर्ष इसको हम पूरा कर लेंगे और आशा करते हैं कि जितनी सिंचित जमीन की आवश्यकता है उससे हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ–साथ कहाँ खारा पानी है कहाँ मीठा पानी है, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भू–गर्भ विभाग काम करता है इसके द्वारा कहां कैसा पानी मिलेगा इसका पता चलता है । इसी के साथ–साथ मैं बताना चाहूंगी कि भारतवर्ष में पंचायती राज या पंचायत आदिकाल से चली आ रही है । ग्राम प्रधान देश होने के कारण इसकी अहम भूमिका रही है ।

यह भूमिका, जब भारत वर्ष बना था, जब भारतवर्ष का प्रादुर्भाव हुआ था, जब सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था तब से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में पंचायतों की अहम भूमिका रही है । हमारी ग्राम पंचायत व्यवस्था इतनी सशक्त है कि किसी राजनीतिक फेर बदल के बावजूद भी गांवकी पंचायत राज व्यवस्था वैसे ही रही । महाभारत में शांति पर्व में पंचायतों का उल्लेख है । मनु-स्मृति में भी ग्राम पंचायतों का उल्लेख है । सर जार्ज कैवेलियर एक बहुत बड़े महान इतिहासकार हुये हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की भूमि पर अनेक आक्रमण हुये जिससे तमाम चीजें बदलीं लेकिन पंचायत व्यवस्था ने घास की तरह जमीन में जड़ें बनायी रखीं और जहां और चीजों को नहीं बचाया जा सका वहीं ग्राम पंचायतें बचीं रहीं ।

ग्राम पंचायतों का पुराने समय से लेकर आज तक का एक इतिहास रहा है । ग्राम पंचायत व्यवस्था के रखरखाव, उसको मजबूत करने के लिये हमारा दायित्व है और उसी को ध्यान में रखकर ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिये हम लोगों ने यह प्रस्ताव रखा है कि गांव में छोटे-छोटे काम जैसे गांव की स्वच्छता, गांव के लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाया जाय । इस साल विशेष तौर से 27 करोड़ रुपये से लगभग 2 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है । इससे गांव में जो महिलायें हैं जिनको शौच जाने में परेशानी होती है उनको बड़ी सुविधा मिलेगी । इसके साथ ही साथ पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये और पंचायत राज व्यवस्था में विश्वास रखने के लिये भी कदम उठाये गये हैं । हम आशा करते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था द्वारा हम अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ायेंगे । मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा जो युवक कल्याण निदेशालय है उसके अन्तर्गत 1990–91 में 6800 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसके लिये 75 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । पिछले सालों में इस तरफ कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया था लेकिन इस साल यह व्यवस्था की गयी है । लेगों को वर्दियां दी जायेंगी और ट्रेनिंग दी जायगी । गांव में जो मेले लगते हैं, बाजार लगते हैं, इनकी सहायता ली जायगी और इससे उनको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी इसके साथ ही साथ हम लोगों ने गांवों में स्टेडियम बनाने की योजना के तहत स्टेडियम बनाने की योजनायें बनायीं हैं और इसके लिये 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है और इससे 5 स्टेडियम बनायें जायेंगे जिससे हमारे गांव के युवक और बच्चे खेलों की तरफ ध्यान दें । इनके द्वारा हम गांवों के लोगों को आगे बढ़ायेंगे । मान्यवर, जमीन को बढ़ाया नहीं जा सकता है लेकिन जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है । इस बात को मद्देनजर रखते हुये हमारे यहां 2–3 योजनायें चलती हैं । इसमें से एक शारदा सहायक कमांड एरिया प्रोजेक्ट है । इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भारत सरकार ने 1989–90 में नैनीताल, खटीमा, पीलीभीत, खीरी, बरेली, शाहजहांपुर

हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और लखनऊ जनपदों में प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया था। 1986 लाख हेक्टयर कमांड एरिया में 10 वर्ष की अवधि में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर आनपातिक व्यय वहन के आधार पर पूर्ण करने की योजना अनुमोदित की गयी थी। इसका लक्ष्य था कि हम अपनी सिंचन क्षमता को बढ़ायें ताकि हमारी उपज बढ़ायी जा सके। इसमें शारदा सहायक नहर प्रणाली के अन्तर्गत कार्य हेतु कुल धन की आवश्यकता (1) स्थापना व्यय 40 करोड़ रु0 (2) प्रक्षेत्र विकास कार्य 66.00 करोड़ रु0 (3) विविध कार्यों हेतु (मृदा सर्वेक्षण आदि) 4.00 करोड़ रु0। इससे 16.66 लाख हेक्टेयर सी0सी0ए0 क्षेत्र में सिंचन क्षमता वृद्धि हेतु करन का उद्देश्य है।

इसमें राम गंगा योजना में 50 प्रतिशत भारत सरकार और 50 प्रतिशत राज्य सरकार से मिलता है। इसमें कुल 39 भूमि संरक्षण इकाई हैं। इसके अन्दर 29 जून, 1990 द्वारा ये सभी परियोजनाओं की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रदेश एवं भारत सरकार को प्रस्तुत की है। इसमें मेरठ, मुरादाबाद, बुन्देलखण्ड डिवीजन्स हैं। इसमें नैनीताल का सभतल क्षेत्र भी है। इस प्रकार राम गंगा सभादेश की कुल 39 भूमि संरक्षण इकाइयों के लिये 3 हजार प्रति इकाई के मानक के आधार पर 1.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रक्षेत्र विकास कार्यों से आच्छादन के भौतिक लक्ष्य 30.61 करोड़ रु0 का वित्तीय लक्ष्य प्रस्तावित है।

मान्यवर, जिला परिषदों के बारे में मैं कहना चाहती हूं। 28 जिला परिषदों को हम धन तो नहीं देते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था, उनकी शक्ति को बढ़ाने ताकि वह अपने क्षेत्रों की व्यवस्था कर सकें, गांवों में सड़कों की व्यवस्था कर सकें, इन सब बातों पर विचार-विमर्श चलता रहता है उसका जो इन जिला परिषदों का कार्य-क्षेत्र है, जो सम्पूर्ण जिलों में होता है, जैसे स्कूलों की देख-रेख करना, निर्माण कार्य करना, हमारी जिला परिषदें करती है। और इसी के तहत जिला परिषद की एक समिति बनी है जो कि अन्य कार्यों को भी जिलों में जो हो रहे हैं, करती है। हमारी जो रामगंगा कमाण्ड और शारदा सहायक थी, इसमें जो विशेष बात है, इनकी एक समिति हर एक गांव में बना दी गयी है, जो पानी का वितरण आदि देखेगी। ओसरा बन्दी के बाद यह कार्य समिति को दे दिया गया है। वह समिति ग्राम पंचायत में रहेंगी। उसके सदस्य कर्जा भी ले सकते हैं। यह विशेष व्यवस्था इसलिये की गयी है कि यह काम होने के बाद, उसके रख-रखाव की व्यवस्था नहीं होती थी, उसकी व्यवस्था समिति के द्वारा हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मान्यवर, हम उम्मीद करती हैं और हमें पूरी आशा है कि इस योजना के तहत ग्राम्य विकास का यह जो बजट है, यह प्रदेश के गांवों को आगे ले जायगा ताकि अगले साल गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध भाग (क्षैत्रीय विकास) के अन्तगत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया करदी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।
(समय 2 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण विभाग का बजट प्रस्तुत किया । इस बजट को प्रस्तुत करने में अगर इसका अवलोकन किया जाय तो कोई नई बात नहीं ह । फर्क सिर्फ इतना हैं कि पिछली सरकार में एक माननीय मंत्री जी ने पुरुष के रूप में इस बजट को प्रस्तुत किया था और आज उसी कांग्रेस की संस्कृति से पली, पोसी और बड़ी हुई एक माननीया मंत्री जी ने इस बजट को प्रस्तुत किया हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

कहीं ऐसा तो नहीं हैं कि इन्होंने लक्ष्मी के रूप में बजट प्रस्तुत किया हो ।
(व्यवधान)...

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, सबसे बड़े प्रसन्नता तो इस बात की हैं ।

मान्यवर, मैं बड़े ही धैर्य से सहानुभूति पूर्वक इस बजट को सुनता रहा हूं, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप भी मेरी बात को सुने ।

(व्यवधान)...

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, शुरूआत में माननीय उपाध्याय जी ने जो कहा हैं कि उस पर एतराज जाहिर करती हूं ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय उपाध्याय जी से यह निवेदन करूंगा कि वह कांग्रेस की पली पोसी सभ्यता के अन्तर्गत, जिसमें वह स्वयं बैठे हैं, क्या कोई नई धारा इधर दे रहे हैं, कोई नई संस्कृति दे, ग्राम्य विकास के बारे में कोई नया दर्शन दें तब तो कोई बात है वर्ना वही घिसी पिटी लकीर पीटने के लिय यहां बैठे हैं तो कोई बात नहीं हैं ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, आज मैं एक नई चीज देख रहा हूं कि जनता दल के कुछ बुजुर्ग टाइप के जो सदस्य हैं वह आज ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत ज्यादा खुशी की बात हैं कि इस समय आप पीठासीन हैं ।

मान्यवर, उस तरफ के हमारे बैठे लोग राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का तथा जोरदार चुनावी लुभावने वादों का सहारा लेकर आज सत्ता में आये हैं (व्यवधान) आप सच्चाई को सुनने का माद्दा रखिये ।

श्री बाबू राम यादव—

माननीय अधिष्ठाता जी, आप इनको निदेशित करिये कि वह ग्राम्य विकास के बजट पर बोलें। बाबरी मस्जिद और इसका कोई सवाल नहीं हैं ।

(व्यवधान)...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उपाध्याय जी, आप अपनी बात को बोलते रहें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, जिस तरह से यह सरकार सत्ता में आई है इससे आप पूर्णतया परिचित हैं और आज अध्यादेशों का सहारा लेकर यह सरकार चल रही है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान) . .

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

कृपया मुझे कहने का अवसर दें । मैंने बड़े धैर्यपूर्वक इनकी बातो को सुना था । मान्यवर, जब भी मंत्री जी जवाब देती तो बिना आवश्यकता के मेरी सरकार पर कटाक्ष करती हैं । मान्यवर, जिला परिषदें इस विभाग के अन्तर्गत आती हैं और तीसरी चीज जो अध्यादेश लाये गये हैं । मान्यवर, घोषणाओं और वायदों के आधार पर बनी यह सरकार आज अध्यादेशों के सहारे चल रही है । 6 माह के अन्दर 21 विधेयक लाये जा चुके हैं जबकि पिछली सरकार पूरे अपने में कार्यकाल 25 अध्यादेश लाई थी ।

आज इनके मंत्रिमण्डल का शपथ ग्रहण हुआ क्रीड़ा के मैदान में ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उपाध्याय जी, आप विद्वान सदस्य हैं । आप बार-बार विधेयक कह रहे हैं आपका अध्यादेश से मतलब है या विधेयक से ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, अध्यादेश से मतलब है । मान्यवर, इस सुझाव के लिये मैं आपका आभारी हूं । मेरा मतलब आर्डिनेन्स से है । मान्यवर, बाद में वही विधेयक का रूप धारण करता ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई विधेयक आवे तो आप पास करें । विधेयक से नाराजगी नहीं होनी चाहिये ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, आपने सही सुझाव दिया है, आभारी हूं । मेरा मतलब अध्यादेश से था । मान्यवर, मंत्रिमण्डल का गठन हुआ और माननीय मुख्य मंत्री जी ने और श्रीमती सुखदा मिश्रा ने शपथ ग्रहण की । हम लोगों को बड़ी खुशी हुई ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उपाध्याय जी, आप इस समय माननीय मंत्री जी को देख कर भ्रम में पड़ रहे हैं । मैं आपको बता दूं कि माननीय मंत्री जी मंत्रिमण्डल के विस्तार में नहीं आयीं, बल्कि जो पहला मंत्रिमण्डल बना, तो उस समय आयी थीं ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, पहले माननीय मुख्य मंत्री जी बने और फिर जो पहली बार विस्तार हुआ तब आयी थीं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मेरा कहना है कि क्रीड़ा के मैदान में माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण की और फिर मंत्री जी ने शपथ ग्रहण की, तब बड़ी खुशी हुई थी । विशेष रूप से उस समय जब

इनको पंचायती राज और ग्राम्य विकास का विभाग सौंपा गया, यह लगा था कि खुशहाली और विकास इस प्रदेश में आएगा । यह प्रसन्नता की बात है कि दोनों एक ही जनपद के हैं और दोनों में काफी ताल मेल है । इनके नाम के अनुरूप इस प्रदेश की जनता को आशा थी कि ये इस विभाग के लिये, इस प्रदेश की 85 प्रतिशत जनता के लिये बहुत ही सुखदायी साबित होंगी । मान्यवर, इस आशा से हम लोगों ने इनके शपथ ग्रहण का स्वागत किया था, लेकिन, जब नाम के अनुरूप ये ग्रामीण जनता के लिये सुखदायी साबित नहीं हुई और आज बजट प्रस्तुत किया तो बड़ी निराशा हुई । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी और इनकी सरकार का कहना है कि 51.3 भाग, पूरे बजट का हम ग्रामीण अंचलों को दे रहे हैं और ग्रामों के विकास, खुशहाली के लिये दे रहे हैं । मान्यवर, अगर हम पूरे बजट को देखें तो पूरा बजट जो इस प्रदेश का है, वह 133 अरब के लगभग का है । यह विभाग डायरेक्ट, सीधे ग्राम्य विकास से जुड़ा हुआ है, चाहे ग्राम्य विकास से सम्बन्धित हो या ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली और सुख समृद्धि से सम्बन्धित हो । लेकिन कुल बजट यानी 133 अरब का 51.3 परसेन्ट निकाला जाय तो लगभग 68 अरब होता है । मान्यवर, मैं मानकर चलता हूं कि और भी विभागों को ग्राम्य विकास के लिये बजट दिया गया होगा, लेकिन इसको आज देखा जाय तो 68 अरब जो 51.3 परसेंट हुआ, उसका कम से कम आधा बजट माननीय सुखदा मिश्रा जी के विभाग को देना चाहिये था, तो किसी हद तक कहा जा सकता था कि वास्तव में हमारे बजट और हमारी सरकार का उद्देश्य ग्रामोन्मुखी है और गाँवों में खुशहाली देने का है । लेकिन वास्तविकता यह है कि 51.3 परसेन्ट यानी 68 अरब का आधा 34 अरब रुपये तो कौन कहे, मात्र 8 अरब रुपया इनके पूरे विभाग को मिल सकता है । अब मैं जानना चाहता हूं कि वह सरकार जो आज ग्राम्य विकास, ग्रामीण खुशहाली और ग्रामीण हित की बात करती है. . .उससे जो विभाग प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नैतिक उत्तरदायित्व हो, उस विभाग को लगभग 8 अरब रु0 ही दिया जाय तो क्या यह सरकार का नारा कि गाँव की ओर चलो, ग्रामोन्मुखी हो गाँव के विकास के प्रति हमारा ध्यान है, यह इसके विपरीत सा साबित होता है जिससे प्रदेश की जनता को बड़ी निराशा होगी ।

आप सुन तो लें, मैंने और भी विभागों के लिये कहा । इनके विभाग में क्षेत्रीय विकास का बजट है । पिछली सरकार से भी बजट कहीं अधिक कम कर दिया गया है, 1989-90 के बजट में इसमें 44 करोड़ 66 लाख 99 हजार का बजट था, इस बार जब माननीया मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया और ग्राम्य विकास का नारा दिया तो केवल मात्र 21 करोड़ 60 लाख 70 हजार रु0 का प्राविधान रखा गया है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय उपाध्याय जी 99 का चक्कर इन्होंने छोड़ दिया है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, आप इनसे भलीभांति बहुत दिनों से परिचित हैं । क्षेत्रीय विकास इनके विभाग का महत्वपूर्ण अंग है । पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार ने 23 करोड़ 6 लाख 29 हजार का बजट कम रखा है जो कि क्षेत्रीय विकास के लिए बहुत ही अपर्याप्त है और यही सब कारण है कि आप प्रदेश की जनता के सामने जब यह बजट जायगा तो उनमें निराशा और कुंठा की भावना जागेगी । यह जरूर कहा जायेगा कि और बजट बढ़ाया है । लेकिन आप देखें उस समय विकास कार्यों में, और चाहे जीवन उपयोगी वस्तुयें हों, जीवनोपयोगी तीन चीजें मुख्यत: आती हैं रोटी कपड़ा और मकान इसके साथ ही साथ विकास सम्बन्धी कार्यों के लिये चाहे वह मकान की बात हो, गृह निर्माण की बात हो, इन्दिरा आवास योजना हो और चाहे सड़क निर्माण हो, सभी सामग्रियों के दाम आज आकाश छू रहे हैं । जो एक किमी0 सड़क बनाने की लागत किसी समय अगर 1 लाख लगती थी तो आज वह 1 लाख 66 हजार के लगभग पड़ रही है । चाहे विकास सामग्रियों सम्बन्धी काम हों, निर्माण सम्बन्धी हों या जीवनोपयोगी मनुष्य को जीवित रखने के लिये

आवश्यक सामग्रियों की बात हो, मंहगाई आज हर चीज में चरम सीमा पर पहुंच रही है । माननीय मुख्य मंत्री जी को उधर बैठे माननीय सदस्यों ने धरती पुत्र से उन्हें संकेत किया था । मैं उनके प्रति खुद बड़ा सम्मान रखता हूं वास्तव में जब वे इधर बैठते थे, धरती से जुड़े लोगों से रिश्ता जोड़ रखा था, ग्राम्य विकास की बातें वे करते थे, गरीबों की आवाज उठाते थे, आज भी मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं । लेकिन आप देखें कि जब तक हमारे ग्रामीण अंचल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गरीब जनता खुशहाल नहीं होगी समृद्धिशाली नहीं होगी, तब तक वास्तव में पूरे प्रदेश को खुशहाल और समृद्धिशाली हम नहीं कह सकते हैं । आज उनके जीवन में काम आने वाली सभी वस्तुओं के दाम आकाश छू रहे हैं कमर तोड़ महगाई बढ़ रही है, कैसे विकास कार्य पूरे होजायेंगे । उनका जीवन यापन कैसे चल रहा था उसमें कठिनाई होगी । जो उधर बैठे माननीय सदस्यगण हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री को धरती पुत्र न कह कर आकाश छूने वाली मंहगाई को देखते हुये "आकाश पुत्र" कहें तो यह माना जायेगा कि आप उनके सही शुभचिंतक हैं, सही सलाह देने वाले हैं, विकास कार्यों में उनको सुझाव देना चाहते हैं । अगर उन्हें धरती पुत्र की जगह आकाश पुत्र की संज्ञा दें, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय उपाध्याय जी, आप मंहगाई के सवाल से चिन्तित हैं, तो इसके लिये कुछ सुझाव भी तो दें, वरना ग्रामीण विकास से इसका सम्बन्ध कैसे जुड़ेगा।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, ग्रामीण जनता जो ग्रामों में रहती है, उसे भी आज मिट्टी के तेल की जरूरत है, नमक की जरूरत है, उसे भी कच्चे मकान से पक्के मकान की जरूरत है, जिसके लिये सीमेन्ट चाहिये, लोहा चाहिये, यह भी चीजें केवल सरकारी अनुदानों से पूरी नहीं होंगी । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुये बजट को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिये था ।

श्री चौधरी शंकर सिंह--

तो फिर आप उसमें कटौती क्यों रख रहे हैं ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, कटौती रखने का मतलब यह नहीं होता, जो शंकर जी समझ रहे हैं । मान्यवर, कटौती का मतलब विभागीय नीति की आलोचना करना व सुझाव देना होता है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय शंकर सिंह जी आप आपस में बात करते हैं, इससे व्यवधान होता है, लेकिन आपने जो बात कही, उसका जवाब उपाध्याय जी ने दे दिया है, इनका मन्तव्य यही है ।

श्री चौधरी शंकर सिंह--

मान्यवर, मुझे खेद है, आपस में बात करने का । लेकिन अब बात स्पष्ट हो गयी है कि उपाध्याय जी केवल औपचारिकता पूरी कर रहे हैं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पुनः शंकर सिंह जी को बता दिया, वैसे वह पहले से इसको जानते थे । मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी की आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी कर्मठता और योग्यता पर मुझे कोई सन्देह नहीं है और न ही मुख्य मंत्री जी की कर्मठता पर कोई प्रश्न चिन्ह है ।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, उपाध्याय जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर रहे हैं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, अगर आस्था न होती, तो मैं यहाँ सुझाव ही क्यों देता ? तो मैं यह कह रहा था कि जिस कार्य को करने जा रहे हैं, उस पर कितनी लागत आती है, इसका ध्यान रखना चाहिये । वैसे माननीय मंत्री जी का माननीय मुख्य मंत्री जी से तालमेल बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों ही लोग एक ही जगह के हैं । मैं कहना यह चाहता हूं कि आप क्षेत्रीय विकास पर बजट को बढ़ायें और कम से कम पिछली सरकार के बराबर तो ले आवें ।

मान्यवर, जो योजनाओं की बात है, वह कोई नई योजना इस बजट में माननीय मंत्री जी द्वारा नहीं रखी गयी है । जो कांग्रेस सरकार के समय योजना बनायी गयी थीं, लगभग वही सभी योजनायें हैं इसके लिये इनको आधार प्रकट करना चाहिये कि बजट कि डुप्लीकेट कापी यहाँ रख दी गयी है । वरना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो योजनायें ग्रामीण अंचल के विकास, विशेष रूप से निर्बल वर्ग और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गयी थीं, उनको ही वैसा रख दिया गया है, वरना यह सरकार उनको भी न बना पाती, इसलिये इनको हमारा आभारी होना चाहिये। एकीकृत ग्रामीण योजना है । इस योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और उन्हें स्वतः रोजगार उपलब्ध कराना है । यह हमारी सरकार की योजना थी । बहुत से ऐसे लोग थे, जिनका अपना व्यवसाय था, किन्तु वह उसे नहीं कर पा रहे थे, जैसे कुक्कुट पालन, बकरी पालन, भेंड़ पालन आदि । इस व्यवसाय को लोग अब कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने उनके लिये योजना बनाई थी । गरीबी की रेखा केवल आंकड़ों के सहारे नहीं उठाई जा सकती है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । चाहे वह अपनी ही सरकार का क्यों न हो, हम उसे स्वीकार करने में हिचकिचाते नहीं हैं । मुझे एक कार्यक्रम में जाना पड़ा । उस समय वहां आई0आर0डी0 के सामान का वितरण हो रहा था । एक खड़खड़ा लाया गया, जब मैंने उसके पावदान पर पैर रखा तो वह नीचे आ गया । इसलिये मेरा कहना है कि आंकड़ों से इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है । इसकी मानिटरिंग होनी चाहिये । जो लाभार्थी हैं, उन्हें उसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं, इसे देखा जाना चाहिये । हम सबको इसके लिये जागरूक रहना चाहिये । राष्ट्रीय ग्रामीण योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है । रोजगार से भी इसका सम्बन्ध है । हमारी सरकार ने 13.50 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये प्रति दिन के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी तय कर दी थी । लेकिन इसमें अब यह देखना है कि जिन लोगों के लिये यह योजना बनाई गई है, उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं । आज ज्यादातर कार्य ठेके पर हो रहे हैं । ट्रैक्टर द्वारा सड़कों की पटाई हो रही है । माननीय मन्त्री जी को जो वरिष्ठ अधिकारी मिले हैं, उनसे मंत्री जी को सहयोग भी मिल रहा होगा । श्री हर्ष वर्धन सतवाल जी, जो हमारे यहां जिलाधिकारी रह चुके हैं, जैसे अधिकारी उनके पास हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि जो इस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं, उन्हें आप रोकें । आपको योजनायें ढूंढने की जरूरत नहीं है । हमारी सरकार ने कई योजनायें आपको दे रखी हैं । यदि उनका ही कार्यान्वयन आप कर दें तो इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो जायेगा ।

एक योजना और है भूमिहीन गारन्टी रोजगार योजना । इस योजना के तहत प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो भूमिहीन बेरोजगार है, उसे हर वर्ष 100 दिन तक काम अवश्य दिया जायेगा । हमारी सरकार ने एक आर्थिक रजिस्टर भी तैयार किया था और उसके तहत जो व्यक्ति इस योजना के सुपात्र होते थे, उन्हें ही इसका लाभ दिया जाता था । इसमें भी आपको कड़ी नजर रखनी पड़े । तभी जाकर जो इसके वास्तविक लाभार्थी हैं, उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा ।

एक ट्राइसेम योजना है । इस योजना के अन्तर्गत जिसको रुचि हो और आवश्यकता हो इसमें पात्र व्यक्तियों का चयन करके उनको ट्रेनिंग दी जाय और जिस चीज में ट्रेनिंग ले लें चाहे ग्रामीण उद्योग हो या अपना व्यवसाय करना हो, उससे स्वतः रोजगार मिल सकेगा, वे स्वावलम्बी हो सकेंगे इसको सक्षम ढंग से जागरूक होकर लागू करना होगा । इस सरकार के लिये सौभाग्य की बात है और आभार प्रगट करूंगा माननीय राजीव गांधी को, जिन्होंने, 2 जून, 1989 को जवाहर योजना को दिया । पहले ग्राम्य विकास के लिये जिला स्तर पर कार्य करने के लिये प्रदेश स्तर से योजनायें बनती थीं । जिस जिले के लोग मंत्री हुआ करते थे, उस जिले में ज्यादा विकास हो जाता था अन्य जिले पिछड़े रह जाते थे । हमारी सरकार ने 1980 के प्रारम्भ में जिला योजना दी । जिस प्रकार हम जिला स्तर पर योजना बनाते हैं, सम्मानित विधायकगण भी सदस्य होते हैं जिले के और अपने क्षेत्र का विकास करते हैं । माननीय राजीव जी ने सोचा और इससे आगे बढ़कर जवाहर रोजगार योजना दी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम सभा को..

(व्यवधान)...

श्री अधिष्ठाता--

आपने दो बार नाम लिया राजीव गांधी का, तो माननीय राजीव गांधी जी ने नहीं बल्कि प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने दिया था ।

(व्यवधान)...

चौधरी शंकर सिंह--

और भूल सुधार कर दूं । उन्होंने कहा कि आप राज्य मंत्री थे, जिस समय राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे उस समय आप मंत्री नहीं थे ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मैं पहले भी प्रधानमंत्री कहना चाहता था लेकिन मेरी इच्छा थी कि यह शब्द आपके मुख से निकले, आपने उन्हें प्रधानमंत्री कहकर सम्बोधित किया । ईश्वर करे कि आपके मुंह से निकले हुये शब्द शीघ्र सही हो जांय ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपने कर्तव्य का पालन करें दूसरे के सहारे कब तक जीवित रहेंगे ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

प्रथम चरण में 601 करोड़ रु0 उत्तर प्रदेश को दिया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

व्यवस्था का प्रश्न है । कटौती प्रस्ताव वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ रख रहे हैं या कांग्रेस शासन की पूर्वकाल की नीतियों की प्रशंसा के लिये रख रहे हैं ? मैं निवेदन करना चाहूंगा यह सदन नियमावली के तहत चल रहा है, आज ग्राम्य विकास का बजट प्रस्तुत हुआ है । अपनी सारी बात रखने का इनको पूरा अधिकार है लेकिन पूर्व काल की सरकार ने क्या किया यह तो प्रश्न नहीं है ? इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वर्मा जी ने जो व्यवस्था उठायी है और जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है वह उचित है । माननीय सदस्य विषयान्तर कर रहे हैं लेकिन यह स्वतंत्र हैं अपने विचारों को रखने के लिये ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, जब तक हमारी सरकार के कार्यों की समीक्षा हम न कर लें तब तक हमें वर्तमान सरकार की आलोचना करने का हक नहीं है । मान्यवर, सबसे ज्यादा समय तो ये लोग ले लेते हैं ।

श्री बाबू राम यादव—

आप आलोचना कीजिये, समालोचना कीजिये, लेकिन पूर्व सरकार ने क्या किया, यह कह कर समय को बर्बाद न कीजिये ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

उस समय 601 करोड़ रुपया जवाहर रोजगार योजना को माननीय राजीव गांधी ने दिया था और साढ़े चार करोड़ रुपया राज्य सरकार ने लगाया था । इससे पहले प्रधान लोग एम0एल0ए0 और एम0पी0 के पास दौड़ा करते थे, लेकिन इस योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में विकास का कार्य हुआ है । इस सरकार को इस बात के लिये आभारी होना चाहिये । मैं तो इच्छुक था कि इस तरह कोई योजना यह सरकार भी लाती लेकिन यह सरकार इस प्रकार की कोई योजना न ला सकी जिससे हम उसका स्वागत करते । ग्रामीण के विकास की जितनी भी योजनायें हैं यह सब कांग्रेस सरकार की देन हैं । केवल कुछ योजनाओं पर मैं बल देना चाहता हूं । जो निर्मूल चूल्हा की बात और बायो गैस की बात माननीय मंत्री जी ने कही यह ग्रामीण महिलाओं के लिये बहुत ही आवश्यक है । माननीय मंत्री जी ने पेयजल के बारे में हैण्ड पम्प लगाने की बात कही है कि चार हजार की संख्या में यह ग्रामीण अंचल में लगाये जायेंगे तो जब वे जवाब देने के लिये खड़ी होंगी तो वे इस बात की जानकारी जरूर दें कि हैण्ड पम्पों के लगाने का मानक क्या होगा, यह मैं चाहता हूं ।

इसके अतिरिक्त एक बात और है जो कि महत्वपूर्ण है "युवा मंगल दल" की बात । इसको जब तक ग्रामीण स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जायेगा, तो इससे ग्रामीण अंचलों को कोई लाभ होने वाला नहीं है । इसके अलावा मैं पंचायती राज की ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा आज सरकार 85 प्रतिशत गांव में रहने वाले के लिये कार्य कर रही है । हमारी सरकार ने पंचायती राज को तृस्तरीय रूप दिया था । जिसमें 74 हजार गांव सभाओं के चुनाव प्रधानों के माध्यम से 895 क्षेत्रीय विकास समितियों, ब्लाक प्रमुख और 56 जिला परिषद् अध्यक्ष द्वारा । जब इस सरकार ने जिला परिषद को भंग किया था, हमारी सरकार ने चुनाव करा कर इसे गठित किया ।

अभी विधान परिषद् के चुनाव हुये हैं और विकास गोष्ठी के नाम पर काफी दौरे माननीय मुख्य मंत्री ने, माननीय खाद्य मंत्री ने और स्वयं माननीय ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने भी दौरे किये हैं । मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि इसको सुधार लिया जाय अन्यथा आपकी कथनी और करनी में अन्तर सबको दिखायी पड़ेगा कि विकास गोष्ठी के नाम पर तीनों व्यक्तियों ने पूरे प्रदेश में दौरा किया हेलीकाप्टर से और विकास गोष्ठी कहीं नहीं हुई बल्कि चुनाव गोष्ठी होती रही । आपने जनपद गोण्डा की बात मैं कह रहा हूं कि कोई भी विकास कार्यक्रम पर विचार-विमर्श नहीं हुआ केवल चुनाव दौरा किया गया और इस तरह से जनता का पैसा खराब किया गया ।

एक तरफ तो यह सरकार विकास कार्यक्रम पर बड़ी सहानुभूति दर्शाती है और दूसरी तरफ दूसरी मद का पैसा किसी दूसरी मद में खर्च करके चुनाव का कार्य करती है । विकास कार्यक्रमों को सक्षम और प्रभावशाली बनाना होगा पंचायती राज को जब तक सक्षम और प्रभावी नहीं बनायेंगे विकास नहीं होगा और आज सक्षम और प्रभावी की बात कौन कहे, इस सरकार ने अध्यादेश लाकर जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं, उनके अविश्वास प्रस्ताव के कार्यकाल को कम कर दिया है । जिला परिषद् के जो सदस्य हैं, जो नामित किये गये थे, उनको हटा देने का इरादा है बहुत सी जगहों पर

हटा दिये गये हैं। आप विकास के कार्यों को करने का ढिढोरा पीटते हैं, लेकिन विकास का कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। आप कहते हैं कि पंचायत राज को सक्षम बनायेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सक्षम बनाने की बात तो दूर रही, आप उनको कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अभी आप और कितना समय लेंगे ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, 10–15 मिनट और लूंगा। मान्यवर, लघु सिंचाई विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। फ्री बोरिंग के नाम पर बहुत गड़बड़ी होती है। आज आप जाकर देखें तो आपको पता चल जायेगा। यहां तक बोरिंग का सामान लादकर जो जाता है, वह भी गरीब मजदूर के कंधों पर जाता है या उनके पैसों पर सामान पहुंचाया जाता है। जितनी गहरी बोरिंग होनी चाहिये, वह नहीं की जाती है। तो इस पर आपको बड़ी निगरानी रखनी होगी। यह योजना, वह बहुत अच्छी है, लेकिन इसका सही रूप से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। इसका लाभ बड़े लोग उठा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का जो विभाग है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, इसको आर0 ई0 एस0 भी कहते हैं। इस विभाग पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस विभाग ने विकास के रूप में बहुत काम किया है और बहुत योगदान दिया है, लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं। कि इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार फैल गया है। हमारी सरकार के समय में भी इस विभाग ने बहुत सी गड़बड़ियां की हैं और उस समय हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। श्री राम अवतार दीक्षित जो बैठे नहीं हैं, वह जानते हैं जो उस समय के मुख्य अभियन्ता थे सिद्दीकी, उन्होंने इस विभाग को मनमाने ढंग से चलाया है और लूट घसोट किया है। उस समय इस विभाग के मंत्री श्याम सरत उपाध्याय जी थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस विभाग का कच्चा चिट्ठा आपके समक्ष रख दूं। मान्यवर, जिस समय हम लोगों ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, तो उस पर जांच पड़ताल हुई थी। मैं कहना चाहता हूं कि मदन मोहन संगल ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में अधीक्षण अभियन्ता हैं, इनका काम है कि अधिकारियों और अभियन्ताओं के खिलाफ जांच पड़ताल करा देना और फिर उस अधिकारी से पैसा वसूलना एक उदाहरण में देना चाहता हूं, बिजनौर में अधिशासी अभियन्ता एस0 पी0 नारुला से इन्होंने एक लाख रुपये की मांग की। इस मामले को अधिकारी और कर्मचारी महासंघ ने भी उठाया है और मुझे भी सूचना मिली है। वह 19 अप्रैल को रात्रि में नारुला के घर गये और रुपये की मांग की, इससे नारुला की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गयी उनकी पत्नी ने लिखित शिकायत की है। आप एक नारी हैं इस नाते उसकी सहायता की मैं आप से अपेक्षा करता हूं और आप भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपस में आप बात न करें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, वह लोगों की चरित्र पंजिका में प्रविष्ट कराने के लिये पैसा लेते हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उस पर हत्या का आरोप है। इस पर जांच हो। आज उनकी यह मांग है, चूंकि उनका मूल विभाग सिंचाई विभाग है इसलिये उनको

वहां पर भेज दिया जाय । मान्यवर, इस मामले को उच्च स्तर से दिखवा लें और दिखवाकर उनके ऊपर कठोरतम कार्यवाही करने का कष्ट करें। (व्यवधान) ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, बैठ जायं। यहां पर एक परिपाटी रही है। उसका हमको भी निर्वहन करना पड़ रहा है कि जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता है उनके लिये समय की सीमा निर्धारित नहीं है। वह स्वयं नियंत्रण रखते हैं ——(व्यवधान) इसीलिये मैं बार-बार इशारा करता हूं। आप धैर्य रखें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मेरे व्यवधान के समय का भी आप ध्यान रखें। मान्यवर, इनके कहने का मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये नये सदस्य हैं। म निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली कटौती के प्रस्ताव में माननीय राम शरण दास जी थे, कितना समय उन्होंने बेनी बाई, गौरी शंकर और स्वरूप कुमारी जी के बारे में लिया है। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि उनकी जांच की प्राथमिकी भी भेजी जा सकती है मैं मंत्री जी का इस ओर ध्यान चाहूंगा कि जो ये एम0 एम0 संगल ह, इनकी जांच की प्राथमिकी भी तथा उसकी पूरी आख्या भी भेजी जा चुकी ह। म अपेक्षा करता हूं कि ज इस विषय की गंभीरता को देखते हुए, इनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

मान्यवर, स्वच्छ प्रशासन की इस सरकार ने दुहाई दी है और इस सरकार की माननीया सुखदा मिश्रा जी एक बहुत बड़ी अंग ह, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की बात है । इसी प्रकार श्री एम0 आर0 सिद्दीकी पूर्व मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के हैं । उनके खिलाफ सतर्कता विभाग द्वारा जांच हुई। जांच संख्या 84 है। यह 700 अवर अभियन्ताओं की अनियमित नियुक्ति के संबंध में दोषी हैं। टी0 ए0 सी0 द्वारा भी जांच की गई। 8 लाख रुपये की रिकवरी और भ्रष्टाचार से संबंधित यह मामला है, पूरी जांच हो चुकी है। यह 7 मार्च, 1986 का मामला है। इनके खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार न नहीं की है और यह सरकार स्वच्छ प्रशासन की दुहाई देती है ।

मान्यवर, इसी तरह से एक श्री ए0 के0 गर्ग हैं, अधीक्षण अभियन्ता हैं ।

श्री बाबू राम यादव—

चार लोगों को सुपरसीड करके (×××) ने 8 लाख रुपये लेकर सिद्दीकी को मुख्य अभियन्ता रखा था..... (व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, इसको आप कार्यवाही से निकलवा दें। क्योंकि वह सदन के सदस्य नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

जिस संदर्भ में आपने कहा उसी संदर्भ में उन्होंने उनका नाम लिया है ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने से व्यवधान)

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मेरे व्यवधान के समय का ध्यान रखें।

श्री महाबीर सिंह राणा—

मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है। [×××] सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिये उनका नाम कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अधिष्ठाता—

कार्यवाही देख लेंगे।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

इस प्रकार नाम लेना उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं कार्यवाही को दिखलवा लूंगा अगर कोई आपत्तिजनक बात होगी तो निकाल देंगे। (व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

पहली चीज तो यह है कि उस समय [×××] जो मंत्री नहीं थे।

श्री अधिष्ठाता—

आपने भी नाम लेना शुरू कर दिया है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

दूसरे अधीक्षण अभियन्ता श्री ए0 के0 गर्ग हैं यह मुख्य मंत्री जी के जनपद इटावा में रहे हैं इन्होंने दो करोड़ रुपये का बिना इस्टीमेट के पेमेन्ट कर दिया कोई राठी उद्योग को जो गाजियाबाद में है तो इस प्रकार से लाखों रुपया का पेमेन्ट अनियमित रूप से कर दिया जिसकी जांच संख्या 69/122 है। इसी तरह से दो सौ अनियमित नियुक्तियां कर लाखों का घपला किया है जिसकी जांच टी0 ए0 सी0 ने की और 7 लाख की रिकवरी उनके ऊपर प्रस्तावित है। 26 दिसम्बर, 1985 को जांच पूरी हो चुकी है लेकिन आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।

तीसरा मामला श्री बी0 डी0 सिंह यह भी अधिशासी अभियन्ता हैं। इन्होंने झांसी, रायबरेली और कानपुर आदि में विभिन्न मामलों में घपला किया और 6 लाख रुपये का कोई हिसाब नहीं दिया है। इनके खिलाफ मामला 23/68 दर्ज हुआ है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

आप सुझाव दीजिये।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

एक अधिशासी अभियन्ता श्री एम0 एम0 खान हैं। इनके खिलाफ की भ्रष्टाचार के आरोप हैं (व्यवधान) में विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है। इनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और सी0 बी0 आई0 ने इनको दोषी पाया है। लेकिन यह एक माननीय मंत्री जी के हकीकी रिश्तेदार हैं जिसके कारण उनके दुष्कर्मों पर पर्दा डाला जा रहा है।

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

किसके रिश्तेदार हैं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

एक माननीय मंत्री जी के हकीकी रिस्तेदार हैं । जिसके कारण उनके कार्यकलापों पर पर्दा डाला जा रहा है और उनसे प्रस्तावित रिक्वरी नहीं की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उपाध्याय जी, आप संक्षेप करें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

इसी तरह से श्री एस0 के0 बजाज हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

(व्यवधान)

मि0 खान अधिशासी अभियन्ता हैं उनके खिलाफ फर्रुखाबाद में गड़बड़ी और गबन के आरोप हैं। इस तरह से कितने और अधिकारी हैं। श्री आर0 के0 गोयल हैं, श्री पी0 के0 अग्रवाल हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप समय का ध्यान रखें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

आप कहें तो मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से एक-एक कापी भेज दूंगा । (व्यवधान) जैसा आप आदेश दें यह सरकार स्वच्छ प्रशासन की हामी भरती है। इस विभाग के बजट के द्वारा विकास के कार्य होते हैं इसलिये मैं यह बात कह रहा हूं कि विभाग का पैसा सही माने में खर्च हो और लाभार्थी को उसका सही लाभ मिल सके इसलिये जन प्रतिनिधि को इस विभाग के प्रति जागरूक होना पड़ेगा तभी उसका लाभ सही मानों में ग्रामीणों तक पहुंच सकेगा। वरना योजनायें रह जायगी और ऐसे अधिकारियों, जिनके ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के सम्बन्ध में कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, की जेबों तक धन जाकर रह जायेगा ।

मैं आभारी हूं आपका कि इतना समय दिया और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

चौधरी शंकर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय.....

श्री अधिष्ठाता—

बोलने के लिये 5 मिनट का समय रहेगा और 4 मिनट पर लाल बत्ती होगी तो अपने भाषण को संक्षिप्त माननीय सदस्य करेंगे ।

*चौधरी शंकर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ग्राम्य विकास बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं वहीं कटौती का प्रस्ताव जो श्री उपाध्याय जी लाये और उसमें जो कहा उसको सुनकर मुझे निराशा हुई । वह वरिष्ठ सदस्य हैं और जब बोलने के लिये खड़े हुये तो मुझे प्रसन्नता हुई कि, कम से कम जैसे शुरुआत किया कि सुझाव और आलोचना करेंगे तो उससे विभाग को निश्चित रूप से लाभ होगा किन्तु जैसे-जैसे उनका भाषण आगे बढ़ता गया वैसे-वैसे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह केवल बजट का विरोध करने के लिये ही भाषण दे रहे हैं ।

मान्यवर, इन्होंने अन्त में जो अधिकारियों के कारनामों और भ्रष्टाचार की बात कही उससे स्पष्ट था कि जो इनका पुराना भ्रष्टाचार था उस पर पड़ी धूल को साफ करते जा रहे हैं, जितने भ्रष्टाचार के मामले बताये वह आपके समय के हैं । मान्यवर, जनता दल सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो उसके खिलाफ, सख्त कार्यवाही करने का काम कर रहा है और कड़े कदम उठाये हैं जिसको आप भी जानते हैं ।

मान्यवर, वह एक रुपये की कटौती की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि बजट ज्यादा बढ़ाना चाहिये । आपका यह कहना कि धनराशि बढ़ना चाहिये, यह अपने आप में साबित करता है कि आपका इस सरकार और विभाग में आस्था है । वरना बजट बढ़ाने की बात नहीं करते । मान्यवर, यह भ्रमित हैं उन्होंने उदाहरण दे दिया आपको यानि हमारी सरकार ने घोषणा किया कि गांवों के विकास के लिये 51 प्रतिशत बजट गांवों में खर्च होगा, गांवों की ओर होगा और आप मानकर बैठे हैं कि पूरा बजट इसमें है लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें गांव न जुड़ा हो चाहे पशुधन विभाग, चाहे ट्रान्सपोर्ट विभाग, चाहे सिंचाई, चाहे विद्युत, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो सभी गांवों के विकास की ओर जाते हैं और सभी में धन आवंटित होता है । आप नहीं समझ सकते इसलिये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं । जो सरकार ने संकल्प लिया है उसमें 51 प्रतिशत कुल बजट का गांवों के लिये जायेगा ।

मान्यवर, मंत्री जी ने बजट को प्रस्तुत करते हुये कहा है कि बजट के सम्बन्ध में सरकार का जो उद्देश्य है गांधी जी का जो सपना था उसको पूरा करना है । गांधी जी ने सपना देखा था कि गांव में रहने वाले 84 प्रतिशत लोगों का विकास और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो इसलिये गांव के लोगों की आय बढ़ाने की बात कही गयी है । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिये जो कदम उठाये हैं उसमें ग्राम पंचायतें आती हैं और उनकी नींव यदि मजबूत नहीं है तो लोक सभा, विधान सभा और जनतंत्र कमजोर हो जायेगा, इसलिये ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने का जो कदम है वह प्रशंसनीय है । जहां तक गांव के विकास के लिये गांव वालों की आय बढ़ाने का सुझाव दिया है, वह ठीक है । अब मैं जो पिछड़े क्षेत्र हैं, बुन्देलखण्ड के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं । यह बहुत बड़ी महिला है और इसके अन्तर्गत वहां पर लघु सिंचाई का इस विभाग का बहुत महत्वपूर्ण काम है । हर जगह ट्यूब वेल और नहर सफल नहीं हो सकते हैं । इसलिये ऐसी जगहों पर सिंचाई के एक मात्र साधन लघु सिंचाई के ही रह जाते हैं । पहले जनपद जालौन में लघु सिंचाई का एक प्रखण्ड था, जो सन् 1984 से 1987 तक चलता रहा' लेकिन उनकी सरकार ने इसे वहां से तोड़ कर हटा दिया था । आज जालौन में जहां पर लघु सिंचाई का सबसे ज्यादा कार्य है, वह डिवीजन वहां से हटा दिया गया है । मैं चाहूंगा कि उसको पुनः वहां स्थापना कर दी जाए । जो निःशुल्क बोरिंग है, उसमें लघु किसान को 3 हजार और सीमान्त किसान को 4 हजार मिलता है, जो कि आज की इतनी बढ़ी हुई महंगाई में बहुत कम है । आज 10 हजार में यह बोरिंग नहीं हो पाता है, इसलिये इस धनराशि को भी बढ़ा दिया जाए । रिंग बोरिंग में 2 लाख खर्च आता है । आप केवल 50 प्रतिशत या अधिक से अधिक 30 हजार रुपया देते हैं । तो यह 30 हजार रुपया 2 लाख का आधा कहां से होता है । इससे तो वह अपना यह काम कतई करा ही नहीं सकता है । अतः इस धनराशि को बढ़ाया जाए । पम्पिंग सेट्स पर जो आप ऋण देते हैं, उसमें

आप प्राईज लिस्ट के आधार पर देतें हैं केवल 6 हजार रुपया । लेकिन वह वास्तव में 10 हजार में मिलता नहीं है, इसलिये आप इसे भी दिखवा कर, इस धनराशि को बढ़वाने की कृपा करें । इन सुझावों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री शिव बालक पासी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने ग्राम्य विकास विभाग के प्रस्तुत बजट पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, जहां तक मंत्री जी के व्यक्तिगत आचरण की बात है, मैं भी उनके साथ उस तरफ रहा हूं उनकी योग्यता और कर्मठता में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है । लेकिन जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, गरीबों, निर्बलों और अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के उत्थान के लिये और लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये, उसे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारी योग्य मंत्री जी केवल वही पुरानी योजनायें इसमें लेकर आई हैं और अपना सन्तोष व्यक्त कर रही हैं । जहां से इन गरीब आदमियों का स्थायी विकास हो सकता है, उसकी तरफ हमारी योग्य मंत्री जी ने कोई सोचने की भी कोशिश नहीं की है । मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पंचायतों को ग्राम्य विकास का मेरुदण्ड माना है और यह कहा है कि जब भारत का प्रादुर्भाव हुआ था, तभी से हमारी पंचायतें कायम हैं तथा उसी पंच परमेश्वर की कहावत पर वे चलती हैं और पंचायतें हमेशा अच्छा काम करती हैं । लेकिन हमें आश्चर्य होता है, कि पंचायतों में उन गरीब आदमियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा है । इस पर न कुछ मंत्री जी ने कहा और न ही मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कुछ कहा है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर 73927 गांव सभाएं हैं । जिसमें अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कुल मिलाकर 4925 ग्राम प्रधान हैं । अब अगर आप उसमें आरक्षण देतीं, उसके बारे में कुछ सोचतीं तो हमारे प्रदों की संख्या 14785 बनती । मान्यवर, आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि जितने भी विकास के काम आप दे रही हैं वह सब ग्राम प्रधान कर रहे हैं । मान्यवर, आपने मुझे पांच मिनट का समय दिया है बोलने के लिये । मैं निवेदन करूंगा कि मुझे 2–4 मिनट का समय और दे दिया जाय । तो महान कृपया होगी ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, जहां पर अंधियारी बस्ती दिखाई देती है तो समझ लें कि वह हरिजनों का मोहल्ला है । आप पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प की बात कर रही हैं वह भी ग्राम प्रधानों के जरिये लगते हैं । अनुसूचित जाति के मोहल्ले में जो भी पीने के पानी की व्यवस्था हो वह ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिये । मान्यवर, यह ग्राम पंचायतें ग्राम विकास का मेरुदण्ड हैं । विगत वर्ष हमारे माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने जब डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया तो उन्होंने घोषणा की कि हम ग्राम सभाओं में, क्षेत्र समितियों में और जिला परिषदों तथा अन्य स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों एवं जन-जाति के लोगों के लिये आरक्षण की व्यवस्था करेंगे । लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि माननीया मंत्री जी ने अपने पूरे इस बजट भाषण में कहीं एक शब्द भी गरीब आदमी के लिये इस हेतु नहीं कहा है । एक तरफ तो आप गांव की ओर जाने की बात कर रही हैं दूसरी ओर एक शब्द भी गरीब आदमी के लिये नहीं है । मैं उम्मीद करता हूं कि इन गरीब आदमियों की जरूरत को आप कम से कम जवाब के समय शामिल कर लेंगी ।

दूसरी बात मान्यवर, आपने इन्हीं गरीब आदमियों के लिये निर्बल वर्ग आवास योजना में 7500रु0 जिसमें 4000रु0 अनुदान शेष ऋण के रूप में कुल अनुदान और इन्दिरा आवास योजना (10,200) का प्राविधान किया है । निर्बल वर्ग के लिये आवास बनाने की इस योजना को भी इन्दिरा आवास योजना के बराबर करें । मान्यवर, आपने हरिजनों के आवासों का नक्शा भिखमंगों की तरह बना लिया है । उनके पास जानवर होते हैं, उन्हें जो जमीन आवंटित की

जाती है उसके पीछे की तरफ एक कमरा पक्का करा दें शेष आगे की जमीन पर बाउन्डरी वाल बना कर मेढ़ लगवा दें । ताकि उन्हें रहने की असुविधा न हो ।

मान्यवर सम्पर्क मार्गों में पड़ने वाली भूमि के अधिग्रहण एवं प्रतिकर देने का प्राविधान किया जाय । अन्त में बजट का विरोध और श्री रघुराज उपाध्याय के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रदेश के ग्राम विकास के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, मुझे दुख है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैंने समझा था कि उसमें मौलिक आधारभूत कोई परिवर्तन जिसमें ग्राम विकास की आधार शिला मजबूत हो सके, सम्बन्धी कोई सुझाव होगा लेकिन इसमें इस तरह का कोई सुझाव नहीं आया । मान्यवर, मैं सैद्धान्तिक दृष्टि से सुझाव के रूप में तीन-चार बातें रखना चाहता हूं ।....

श्रीमान ग्राम्य विकास जो है यह गांव की पहली सीढ़ी है और ग्राम सभाओं के पास आय का कोई स्रोत नहीं है । आय के स्रोत के लिये पिछली सरकार ने भी और इस सरकार ने भी कहा कि मू राजस्व के अंशदान से, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया जायेगा । गांव के प्रधान को प्रदेश सरकार का मुह देखना पड़ेगा और केन्द्र सरकार से याचना करना पड़ेगा गांव का ग्राम प्रधान झोली फैलाये खड़ा रहेगा, गांव का विकास कैसे किया जायेगा । हमारे यहां एक ग्राम सभा चंदवार है उसकी आमदनी 70 हजार है । विगत वर्षों में जब से हम आजाद हुये हैं तबसे अगर उसकी आमदनी का एक अंश उस गांव के विकास पर लगाया होता तो एक आदर्श गांव दिखाई देता, सड़क साफ होती, सारी सुविधाये होतीं, लेकिन अभी भी वही छप्पर है, वही फूस है, वही सड़ी गलियां हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था । यह जो आपने पुस्तिका दी है इसके पृष्ठ 14, 15, 16, 17, 18 में आप देखें जहां ग्राम्य विकास के ऊपर धन खर्च करने की व्यवस्था की गई है । ग्राम सभाओं में जो विकास कार्य किये जायेंगे इसके लिये सरकार धन देगी परन्तु ग्राम सभाओं को दस प्रतिशत धनराशि अपने पास से लगानी होगी । मान्यवर, ग्राम सभाओं की अपनी कोई आय हीं होती है और वह इस पैसे का कहां से इन्तजाम करे । टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज, म्युनिसिपैलिटी की संचित निधि होती है और उनके पास आमदनी के साधन होते हैं वह अगर लिखकर प्रमाण-पत्र दें कि हमने धनराशि का उपयोग कर लिया है तो उनको धनराशि दे दी जाती है लेकिन आपने जो ग्राम सभाओं के लिये 10 प्रतिशत की शर्त लगाई है उसको खत्म कर दें ताकि गांवों में विकास कार्य हो सके ।

आपने शौचालय के लिये 770 रुपये रखे हैं इसमें प्रदेश सरकार देगी 40 प्रतिशत और केन्द्र सरकार देगी 40 प्रतिशत और लाभार्थी 20 प्रतिशत देगा तो 770 रुपये में मान्यवर कोई शौचालय नहीं बन सकता है कि वह ऊपर से कवर भी हो जाए । आपने जो शौचालय बनवाने की व्यवस्था की है उनमें वर्षा ऋतु में और ठण्डक में महिलाओं की हालत क्या होगी, इसको आपने नहीं सोचा, हम चाहेंगे कि जो शौचालय के लिये 770 रुपये धनराशि रखी गई है उसको 1000 कर दिया जाए और शुष्क शौचालय की जगह सुलभ शौचालय बनवाया जाए । अगर शौचालय का मलवा बहाया नहीं जाएगा, तो वह और हानिकारक होगा । आप जो अनुदान का रुपया खर्च करना चाहते हैं उसको सुलभ शौचालय में खर्च करें आप भारत सरकार से निवेदन करें कि चाहे एक ही शौचालय बनवाया जाए लेकिन सुलभ शौचालय बनवाया जाए, ताकि लगे कि गांव में स्वच्छता आ रही है । चौधरी चरण सिंह जी ने एक नारा दिया था कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेत-खलिहान से निकलता है, उस नारे को साकार करने की आवश्यकता है । इन्हीं शब्दों के साथ, जो माननीय मंत्री जी ने नयी नीतियों को लेकर बजट रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री किशोरी श्याम--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। साढ़े 3 बजे हैं मैं बिल्कुल ठीक समय पर समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, पहली बात तो यह है कि माननीया मंत्री ने जो बताया है उसमें मैंने 10 बातें नोट की हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने गांव में स्टेडियम बनाने की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि गांव में स्टेडियम बनाना बिल्कुल बेकार है, उसका कोई औचित्य नहीं है और यदि स्टेडियम बनाने की योजना चली गयी गांवों में, तो गांव वाले लड़कर मर जायेंगे। एक मोहल्ले वाला कहेगा मेरे यहां बने दूसरे मोहल्ले वाला कहेगा यहां बने और आपस में झगड़ा होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि पहलवानी के लिये इनाम रखें, कबड्डी, खो-खो, ऊंची कूद, लम्बी कूद, खेलों के लिये ईनाम रखें। आज गांव वालों को स्टेडियम की जरूरत नहीं है। अगर गांव के आदमी को बलशाली बनाना है तो स्टेडियम का पैसा सड़कों पर लगा दें।

दूसरी बात माननीया मंत्री जी ने रामगंगा कमाण्ड की कही है। यह मेरी आंखों का देखा दृश्य है। रामगंगा कमाण्ड की योजना इन कांग्रेस वालों ने ऐसी चलाकर एक नयी बीमारी पैदा कर दी है। रामगंगा कमाण्ड एरिया में जो नालियां पक्की की जा रही हैं वह ऐसी बनी हैं कि पानी नीचे रह जाता है और वह ऊंची हैं जिससे नाली में पानी जाता ही नहीं हैं और सारे किसान परेशान हैं। नाली कच्ची थी तो पहले बेचारे किसान खोद लेते थे और अब नाली खोद भी नहीं सकते हैं क्योंकि नाली पक्की है। मेरे पास कितने ही किसानों के प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस योजना के लिये जो पैसा रखा गया है उसको सड़कों और खड़ंजा बनाने में लगा दिया जाय और नालियां पहले की तरह रहने दी जाय यदि आप बढ़िया व्यवस्था चाहते हैं तो रजबहों की पटरियों को और नाली की पटरियों को माननीय मंत्री जी पक्का करवा दें और यह जो नाली की बीमारी है इसको दूर करें।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कुयें खोदने की बात आपने कही है। मैं यह समझ नहीं पाया कि मंत्री जी कच्चा कुंआ खोदेंगे या पक्का कुंआ खोदेंगे या कुएं में हमें डालेंगे। आखिरकार मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कुओं की जरूरत नहीं रह गयी है। पहले गांवों में चर्खों से पानी भरा करते थे। पक्के कूएं थे आज कच्चे व पक्के कुओं की जरूरत नहीं रह गयी है। आज बोरिंग की जरूरत है। पाताल तोड़ ट्यूबवेल बनाकर पानी निकाला जाय और सिंचाई के लिये दिया जाय। 4 जगहों पर व्यवस्था करने से अच्छा है कि एक जगह पर उचित व्यवस्था की जाय और सही काम किया जाय। तभी लोगों को लाभ होगा। यह कुयें खोदने वाली बीमारी कहां से लग गयी है। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि हैण्ड पम्प लगायेंगे। हैण्ड पम्प लगाने में मंत्री जी यह ध्यान दें कि जहां पानी खारा है वहां पर यह हैण्ड पम्प न लगाये जाय। मैंने देखा है कि बहुत सी जगहों पर जहां पर पानी खारा था वहां पर हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं। हैण्ड पम्प लगाने के पहले यह देख लिया जाय कि वहां पर पानी मीठा है या नहीं। अगर मीठा पानी हो तो हैण्ड पम्प लगायें। जहां पर खारा पानी हो वहां पर जल निगम द्वारा मीठे पानी के ट्यूबवेल लगाये जायं और उनसे जनता को पानी दिया जाय।

दूसरी बात, शौचालय वाली बीमारी माननीया मंत्री जी ने की है, मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि महिलायें सड़क के किनारे बैठ जाती हैं इसलिये उनके लिये शौचालय बनाये जायेंगे। मान्यवर, यदि शौचालय बनवाये गये और ठीक प्रकार से न बन पाये, मुझे इस बात में खतरा नजर आता है कि यदि शौचालय बना दिये गये तो गांव की बेचारी महिलायें जानती तो हैं नहीं और वह दरवाजे पर ही टट्टी कर जायेंगी और गन्दगी साफ करने की व्यवस्था यदि नहीं हुयी तो ऐसी गन्दगी फैलेगी जो सुधारने से भी नहीं सुधरेगी। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का वाली हालात सामने आ जायगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन बातों पर माननीय मंत्री जी आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

विशेष ध्यान दें और उन्होंने स्कूलों के निर्माण की जो बात कही है, गांवों में स्कूलों के निर्माण और गांव पंचायतों की व्यवस्था के बारे में जो बात माननीया मंत्री जी ने कही है, मान्यवर यह कार्य बहुत जरूरी है, इसे अवश्य करवाना चाहिये। मान्यवर, स्कूलों की इमारतें सारी टूटी पड़ी हैं। माननीया मंत्री जी, वहां पर कन्या पाठशालायें जो हैं, वे तो चौपट हो रही हैं। मेरे यहां एक पाठशाला है, वह बिल्कुल चौपट हो रहा है। हमारे यहां पर कन्या पाठशाला की व्यवस्था ठीक न होने के कारण वहां की एक छोरी भी बी0 ए0 नहीं पास कर सकी है। [×××]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठे यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री किशोरी रमण—

मान्यवर, मेरे सुझावों पर ध्यान देने की कृपा करें।

*श्री धनीराम वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के प्रस्तुत बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आभारी हूं और बजट का समर्थन करते हुये यह कहना चाहता हूं कि प्रस्तुत बजट में ग्रामीण अंचल के विकास के लिये बहुत सी योजनायें हमारी ग्रामीण विकास विभाग मंत्री महोदया ने जो बजट में सम्मिलित किया है, उनसे निश्चित रूप से ग्रामीण अंचलों का विकास होगा। और पिछली सरकार जो बार-बार ढिंढोरा पीटती रही है कि हम गांव का विकास करेंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि 86 प्रतिशत जो जनता गांवों में रहती है, बिना गांवों के विकास के देश का विकास कैसे हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो थोड़ा-बहुत बजट गांव के विकास के लिये दिया भी, उसका दुरुपयोग हुआ। पिछली सरकार की पकड़ प्रशासन पर नहीं थी, अधिकारियों पर नहीं थी, इसीलिये पिछली सरकार के प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम 100 रु0 दे दिये हैं विकास के लिये, लेकिन 15 रु0 ही लगते हैं, विकास में, यह उन्होंने अपनी जुबानी कहा और उसका जीता-जागता उदाहरण पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के, मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा और माननीया मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जिसके लिये हमने लिखकर दिया है, उसकी जांच वह जरूर करवायें। मान्यवर, बहुत सी सड़कें हमारे क्षेत्र में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा बनाई गयीं, चाहे वह रामपुर की हो, चाहे वह निजामपुर की हो, दो-दो बार, 3–3 बार पेमेन्ट हुआ और मिट्टी नाम के लिये डाली गयी है।

मान्यवर, सामुदायिक विकास केन्द्र, हरचन्दपुर की इमारत बनाई गयी हैण्ड ओवर नहीं हुई, टूट गयी। इसी तरह से बेला पशु चिकित्सालय की इमारत बनाई गयी, अधूरी रह गयी और उसकी दीवालें क्रैक हो गयीं। इसी तरह से बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी विद्यालयों की इमारतों में से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा बनाई गयी रुरुखुर्द की इमारत बन कर तैयार हुई और लिंटर खोलने के टाइम ही गिर गयी। फैजुल्लापुर की प्राइमरी पाठशाला की इमारत बनाई गयी 6 महीने के अन्दर ही गिर गयी। हथनापुर प्राइमरी पाठशाला की इमारत बनाई गयी, लेकिन आज तक विभाग को हैण्ड ओवर नहीं हुई, क्योंकि वह टपकती है। उसकी दीवालें और खम्भे टूट गये ह, छत टपक रही है, छात्रों को बैठने लायक नहीं है, जिससे विभाग ने उसे अपने हाथ में नहीं लिया ह। प्राइमरी पाठशाला, बरकसी, प्राइमरी पाठशाला, पुरवालक्षीराम, डहरियापुर की इमारतें अधूरी खड़ी पड़ी हैं, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के पूर्व अधिकारियों ने

नोट—[×××]यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल लिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

ने सारा पैसा ले लिया है और इमारत अधूरी की अधूरी रह गयी है । इन इमारतों को उन्हीं अधिकारियों से पैसा वसूल कर पूरा कराया जाय । पूरी रकम वह डकार गये हैं उनसे वह वसूल की जाय चाहे जहां वह हो और उन इमारतों को बनवाया जाय । यही नहीं मान्यवर, ऐसा ब्लाक में हैण्डपम्प लगाये गये । वहां 4 नालियां स्वीकृत थी और एक नाली लगाई गयी यह पिछली सरकार के जमाने में हुआ । मान्यवर, वहां पानी ऊंचाई पर है बहुत कम गहराई पर मिलता है तो वहां एक नाली से काम चला लिया और तीन नालियां बेच दी । इसी तरह से लैट्रिन टैंक बनाये गये वह आधे खोदे गये और सारा पैसा डकार गये । यही नही बेला का पशु अस्पताल अधूरा बना पड़ा है और जितना बना है वह क्रैक हो चुका है । हरबन्दपुर सामुदायिक विकास केन्द्र बनवाया गया लेकिन उसकी पूरी छत टपकती है और दीवाले क्रैक हैं इसीलिये विभाग ने उसे हैण्ड ओवर नहीं किया है ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार की अधिकारियों पर कोई पकड़ नही थी इसीलिये भ्रष्टाचार बढ़ा । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अधिकारियों को सचेत करें और कह दें कि अगर भ्रष्टाचार होगा तो ऐसे लोगों को हम सर्विस में नहीं रहने देंगे, हम उनको निकालकर बाहर करेंगे और साथ ही साथ ग्राम प्रधानों द्वारा जवाहर योजना के अन्तर्गत कच्चा काम करवाया गया है कच्चा कार्य जैसे गांव की सड़क या गली में मिट्टी डाली गयी है, उस पर जल्दी खड़ंजा लगवाया जाय । नहीं तो मिट्टी बहकर चली जायेगी और पुनः मिटटी का काम होता रहेगा तो इससे विकास नहीं हो पायेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो दुबारा किस्त मिले उसमें पक्का काम 80 प्रतिशत करवाया जाय और 20 प्रतिशत ही कच्चा काम करवाया जाय ।

इसके साथ ही एक सुझाव और देना चाहता हूं कि माननीया मंत्री जी अपने विभाग में थोड़ी सी सतर्कता लायें और अधिकारियों को सचेत करें । मान्यवर, मैंने एक असेम्बली क्वेश्चयन किया था ग्राम सभा भदौरा के ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों के विरोध में कि प्रधान ने कोई कार्य नहीं करवाया है तो उसका उत्तर मुझे इस प्रकार मिला कि ग्राम प्रधान ने ईंटे खरीद ली है, रसीद देख ली गयी है और कोई अनियमितता नहीं हुई है । यदि इसी प्रकार ईटा खरीद कर ही रास्ता बनाने का काम पूरा होना दिखाया जायेगा तो वह लोग सामान खरीदकर काम पूरा दिखा देंगे और भ्रष्टाचार बढ़ जायेगा । इन सुझावों के साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री शैलेन्द्र कुमार---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मै माननीय उपाध्याय जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं । मान्यवर, मैं सुझाव के तौर पर कुछ बातें रखना चाहता हूं । मान्यवर, डी0आर0डी0ए0 के बारे में जो ऋण की व्यवस्था की गयी है उसके अनुदान में कुछ वृद्धि की गयी है, इसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जितना भी धन ऋण के रूप में आपने फिक्स्ड किया है वह कायदे से आज किसी पात्र व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है और बिचौलिये खा जाते हैं ब्लाक स्तर पर जितना लक्ष्य रखा जाता है उसकी जांच करा लें , उससे स्पष्ट हो जायेगा कि कितने पात्र व्यक्तियों को ऋण मिल रहा है । इसके साथ ही निर्बल आवास के बारे में 2 लाख भवन बनाने के लिये आपने बजट में घोषणा किया है । इसके पूर्व सरकार ने 5 लाख भवन बनाने का प्राविधान इस वित्तीय वर्ष में किया था, जैसा कि कुछ सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात कही है निर्बल आवास में जहां एक कमरा और छोटा सा बरामदा बनाते हैं वहीं पर उनको कुछ थोड़ी सी जमीन भी दें । क्योंकि जो निर्बल वर्ग के लोग हैं उनके पास पशु भी होते हैं तो उनको बांधने के लिये जगह चाहिये, इसलिये जगह का प्राविधान करें । इसके साथ ही हैण्ड पम्प के बारे में योजना रखी है, इसके लिये बधाई देना चाहता हूं । कुछ ग्रामीण अंचलों में जहां भी हैण्ड पम्प लग रहे हैं, इन्हें जल निगम लगाता है, 4 हजार हैण्ड पम्प लगाने की बात कही गही है, यह 4 हजार हैण्ड पम्प हरिजन बस्तियों को दे दें । क्योंकि इस समय हरिजन

बस्तियों में पेयजल की बहुत समस्या है और ये हैण्ड पम्प हमारे जन–प्रतिनिधियों, विधायकों को सूची पर लगायें । आपने यह कहा है कि ढाई सौ की गांव की आबादी में लगायेंगे । मेरा अनुरोध है कि इससे कम आबादी में जहां डेढ़ सौ, दो सौ की आबादी है वहां का लक्ष्य रखें ताकि सही तरीके से लोगों को लाभ मिल पाये ।

इसी प्रकार से कुछ जगहों पर ग्रामीण अंचलों में पंचायत भवन बने हैं, जो जर्जर हालत में हैं और उनकी हालत खराब है । मेरा निवेदन है कि उनकी मरम्मत के लिये बजट में कुछ अतिरिक्त धन रखें, ताकि उनका निर्माण हो सके । इसी तरह से एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम और ग्रामीण महिला बालोत्थान योजना हमारे यहां मूरतगंज में चल रही है । मेरे यहां नेवादा और चायल में भी इस योजना को चालाया जाय, क्योंकि यह हरिजन बाहुल्य और बहुत ही पिछड़े हुये क्षेत्र हैं । फ्री बोरिंग का जहां तक सवाल है, हमारे यहां मूरत गंज, नेवादा और चायल में उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है । आप देखें कि इसमें किसानों को या तो थोड़ा सा धन दे देते हैं या पाइप दे देते हैं, यहां तक कि उनको मजदूरी तक नहीं मिल पाती है । मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में स्टेडियम की बात कही गयी है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ब्लाक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनवायें ताकि ग्रामीण नवयुवकों को लाभ मिल सके । आर0ई0एस0 की जो पुरानी सड़कें हैं उन पर बोल्डर और खडंजों की स्थिति खराब है । वहां पर लेपन की व्यवस्था करें । इसी प्रकार से आपने युवक मंगल दल के बारे में कुछ खास बजट में नहीं रखा । उसको ब्लाक स्तर पर मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ब्लाक स्तर पर विकास योजनाओं में उनको भागीदारी ली जाय, ताकि क्षेत्रों का विकास हो सके । इन शब्दों के साथ मैं माननीय उपाध्याय जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री मंत्री प्रसाद नैथानी––

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे ग्राम्य विकास और पंचायती राज के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपका आभारी हूं । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और जो उपाध्याय जी के माध्यम से कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं । माननीय उपाध्याय जी ने जो यह कहा कि यह जो वर्तमान बजट, है, पिछली सरकार की नीतियों के आधार पर रखा गया है । मान्यवर, शायद माननीय उपाध्याय जी ने पूरा बजट पढ़ा नहीं है । बहुत सारी ऐसी योजनायें हैं, जो हमारी सरकार द्वारा और माननीय मंत्री जी द्वारा नये तरीके से रखी गयी हैं । पहली बात महिला शौचालय की है । आपकी सरकार ने, हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी रहीं, लेकिन उन्होंने कभी इस ओर नहीं सोचा । महिलाओं को जो कठिनाई है, शौचालय की, उसके लिये क्या व्यवस्था करें , इस बारे में नहीं सोचा । इसके बारे में राजीव गांधी प्रधान मंत्री रहे, उन्होंने भी नहीं सोचा । मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जो गांवों में स्टेडियम की बात आयी है, पिछली सरकार ने नारे तो बहुत दिये, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं किया । यह पहला अवसर है जब गांवों में स्टेडियम की बात हो रही है । वहां के नौजवानों को खेल के क्षेत्र में और अपने शारीरिक विकास की दृष्टि से मौका मिलेगा । माननीय उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जनता रोजगार योजना को लागू किया । हमारे देश का दुर्भाग्य यह रहा कि परिवार वाद चला । जवाहर रोजगार योजना में सबसे बड़ी भूल यह हुई कि पहले गांवों में आई0आर0डी0, एन0आर0ई0 पी0 और हरिजन अन्त्योदय योजनायें थी । उनको तोड़कर जवाहर रोजगार योजना बनी । लेकिन पहले उन तीन योजनाओं में एक गांव को 1.85 लाख रुपय पहले मिलता था, लेकिन पिछली सरकार ने, जो बड़ी बहादुरी से कहती थी कि राजीव गांधी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मान्यवर, जवाहर रोजगार योजना में 1.85 लाख की तीन योजनाओं की जगह एक लाख मात्र गांव सभा स्तर पर रखा गया। तो मान्यवर पहला धोखा है, पिछली सरकार ने जवाहर रोजगार योजना में 85 हजार कटौती की है (शोर होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

आप सब लोग बैठें कृपया शांति बनायें रखें ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

मान्यवर, यह लाल बत्ती बुझा दें, एक मिनट मौका दे दें ।

प्रधानों को ठेकेदार बनाया गया, इस तरह से ग्राम्य विकास को ठेस पहुचायी है, पिछली सरकार मे । प्रधान ठेकेदार हो गये हैं, प्रधान गल्लेदार हो गये हैं । मान्यवर, एक मिनट सुन लें । मैं सुझाव देना चाहता हूं । हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में यह जो आर0ई0एस0 के माध्यम से भवनों का निर्माण किया जाता है, उसमें बहुत से ऋषिकेश में हैं, जिस भवन का निर्माण 1 लाख या 2 लाख में किया जाता है मैदानों में उसी तररह से 1 लाख या 2 लाख में किया जाता है । हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर मेरे विधान समा क्षेत्र देव प्रयाग के अन्तर्गत ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे वहां पर ग्रामीण लोगों को जो उस काम को करें सुचारू रूप से करे । मेरा सुझाव है कि धन के मामले में जो मापदण्ड मैदानी इलाकों में रखा गया है वही मापदण्ड पर्वतीय क्षेत्र के इलाकों में न रखा जाय, इसे संशोधित किया जाय, क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थिति अलग है । इसी के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर माननीय रघुराज प्रसाद उपाध्याय जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं ।

बजट चर्चा में भाग लेने हेतु सदस्यों को बुलाये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अनिल कुमार भारद्वाज--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी माननीय शिवराम कुशवाहा जो बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लें, उसके बाद कोई व्यवस्था का प्रश्न उठायें ।

*श्री अनिल कुमार भारद्वाज--

मान्यवर, आप किस प्रकार से बोलने के लिये बुलवा रहे हैं, मान्यवर, सबसे पहले मैं आपकी व्यवस्था एक बात पर यह चाहूंगा, मैं यह चाहूंगा कि कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि बोलने का क्रम किस प्रकार होगा । आपके द्वारा आपको पीठ के द्वारा लगातार एक व्यक्ति सत्ता पक्ष की ओर से और एक व्यक्ति बिपक्ष की ओर से लगातार बोलने के लिये बुलाया जा रहा है । ऐक घंटे पूर्व हमारे द्वारा आपके पास एक पर्ची बोलने हेतु भेजी गयी थी, लेकिन क्या क्रम से वह नाम बुलाये गये हैं अथवा नहीं । अगर क्रम से नाम बुलायें गये हैं तो बताने का कष्ट करें ?

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें ।

श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

मैं निर्दलीय सदस्य हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

एक भी निर्दलीय सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिला है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें । माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, आपने पर्ची भेजी और इनका नाम भी नहीं बुलाया गया, यह भी माननीय सदस्य को कष्ट है, उनको कोई सूची है, उस सूची के अन्तर्गत कोई नाम नहीं पुकारा गया माननीय सदस्य को यह भी कष्ट है कि उनकी तरफ निगाह नहीं जाती । मैं आपको सदन की परिपाटी और गरिमा दोनों की तरफ ध्यान दिलाते हुये बताना चाहता हूं कि पीठ की यह परिपाटी रही है कि जिसकी ओर निगाह पड़े, वह बोलने का अधिकारी हो जाता है । जो लोग दल की सूची यहां भेजते हैं, वह माननीय पीठ की सहायता के लिये होती है, उसके माध्यम से कुछ नाम उपलब्ध करवा दिये जाते हैं कि इन सदस्यों ने विशेष रूप से तैयारी की है, और उनको मौका मिलेगा, तो वह अच्छे सुझाव देंगे, लेकिन उनको बुलवाना पीठ की बाध्यता नहीं है । इसलिये आप लोग अपना आसन ग्रहण करें और कुशवाहा जी को सुनें ।

(पुनः कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, आपकी पीठ के प्रति आक्षेप लगाये जा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि वह अपना स्थान ग्रहण करें और कुशवाहा जी को अपनी बात कहने दें ।

वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बन्ध विभाग (पंचायत राज), अनुदान संख्या 19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (क्रमागत)

*श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ग्राम्य विकास के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, इस बजट के परिप्रेक्ष्य में कुछ बिन्दुओं पर माननीय मंत्री महोदया का ध्यान आकृष्ट कराना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि वह इन सुझावों को सुनें और इसको अपने बजट में अवश्य शामिल करें आज लघु और सीमान्त कृषकों की शासन ने ढाई एकड़ और 5 एकड़ की सीमा बनाई है । इस प्रदेश में कई जगह ऐसी है, जहां पैदावार अच्छी होती है, लेकिन हमारे बुन्देलखंड इलाके में पैदावार कम होती है । मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से शासन द्वारा सीलिंग की सीमा निर्धारित की गयी है, उसको लघु और सीमान्त कृषकों के लिये 5

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एकड़ से साढ़े 7 और साढ़े 12 एकड़ तक किया जाय । इसी तरह से जो ग्रामीण अंचल के मजदूर, सीमान्त कृषक हैं, उनकी आय बहुत कम है, वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दिला पाते हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि आप उन गरीब तबके के बच्चों के लिये प्रारम्भ से लेकर डिग्री स्तर तक निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करें । आप यह भी देख रहे हैं कि देहातों में हमारे बहुत गरीब किसान हैं, जो बिजली के कनेक्शन भी नहीं ले पाते हैं, उनके लिये ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे जो लघु और सीमान्त किसान, भूमिहर हैं, उनको बिजली कनेक्शन की फ्री व्यवस्था की जाय । इसी तरीके से आज गरीब किसान धनाभाव के कारण बीज नहीं ले पाता है, न उसको खाद मिल पाती है । मैं चाहता हूं कि ऐसे किसानों के लिये खाद और बीज सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाय । आज जवाहर रोजगार योजना में ग्राम प्रधानों को पैसा दिया जाता है, जो मनमाने तरीके से उस पैसे का दुरूपयोग कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इसके लिये ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे इस पैसे का सदुपयोग हो सके । मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इसके लिये एक सरकारी नियम बनाया जाय और उसी के माध्यम से इस योजना को संचालित किया जाय । आज ऐसे लोग हैं, जो विभिन्न कर्मचारियों से, अधिकारियों से पैसा ऐंठते हैं हमारे यहां एक अधिशासी अभियंता एस0 पी0 नरूला है, जो एक लाख रुपये की मांग कर रहा है, मैं चाहता हूं कि ऐसे अभियंता के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय, इसी अपेक्षा के साथ मैं निवेदन करता हूं कि मेरे सुझावों को अपने बजट में शामिल करने की कृपा करें, धन्यवाद ।

श्री मुक्तिनाथ---

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और माननीय श्री उपाध्याय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं । ऐसा प्रतीत होता है कि श्री उपाध्याय जी ने बजट का सही ढंग से अध्ययन नहीं किया है । उन्होंने अपनी सरकार की गाथा यहां पर गायी । जिस माननीय नेता का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने खुद कहा था कि जो धन हम गांवों के विकास के लिए देते हैं, उसका 85 फीसदी धन सत्ता के दलाल खा जाते हैं । वर्तमान सरकार की जो नीति निर्धारित है और ग्राम्य विकास का जो बजट है, उसमें सीधे-सीधे गांवों को ऊपर उठाने की बात है । महिला शौचालय की बात 42 साल के इतिहास में यह पहली बार व्यवस्था की गई है । गांव की इस दुर्व्यवस्था की तरफ पिछली सरकार का ध्यान नहीं गया था, जब कि उस सरकार का नेतृत्व महिला प्रधान मंत्री करती थी ।

निर्बल वर्ग के लोगों के लिए आवास की व्यवस्था का सवाल है । मैं कहना चाहता हूं कि 42 सालों से यह परिपाटी चली आई कि ऐसे लोगों को मनुष्य समझा ही नहीं गया । इनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जो भवन बनाये गये हैं, उनमें हवा की व्यवस्था नहीं है, उनमें रहने की व्यवस्था नहीं है । मैं वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूं कि उनका पुनः सर्वेक्षण कराया जाय, इसके लिए पुनः नक्शे दिये जायं । कम से कम एक मनुष्य के रहने के लिए जिस तरह का भवन होता है, उस तरह का भवन बनना चाहिए ।

माननीय, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । विगत वर्षों में उस क्षेत्र के विकास के लिए एक पैसा भी व्यय नहीं किया गया है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनपद देवरिया जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और उसमें भी रुद्रपुर जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, उसके विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा धन व्यय किया जाय । जहां पर पेयजल की समस्या है, वहां पर अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं । पूरे प्रदेश की जो सीमा निर्धारित की गई है हैण्ड पम्प लगाने के लिए या अन्य सिंचाई के साधनों के संबंध में, उस मानदण्ड से भी कम धन यहां खर्च किया गया है पिछली सरकार द्वारा । इसलिए मेरी वर्तमान सरकार से मांग है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस क्षेत्र के विकास के लिए अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, काफी उठा-पटक के बाद आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत बजट के कुछ बिन्दुओं पर

माननीया मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । सबसे पहले तो ब्लाक स्तर पर कृषि विभाग को अलग कर दिया जाना चाहिए । प्राय: यह देखा जाता है कि ब्लाक स्तर पर जो ग्राम विकास अधिकारी होते है, या ग्राम पंचायत अधिकारी होते है, वह ऐसे आइटमों के चक्कर में लगे रहते हैं, जिसमें उनको कमीशन मिलता हो । कृषि की तरफ उनका कोई रुझान नहीं होता है । तो मैं अनुरोध करूंगा कि ब्लाक स्तर पर कृषि विभाग को अलग करके अलग विभाग की स्थापना करायें । महिला कल्याण कार्यक्रम एवं पुष्टाहार के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि यह जो कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश के स्तर पर कागज में चल रहा है । इतना भ्रष्टाचार है कि और कहीं इतना भ्रष्टाचार नहीं है । अगर इटावा जनपद के ही एक ब्लॉक की जांच करा ले तो सन्तुष्ट हो जायेंगी कि खाने-पीने के अलावा और कुछ नहीं है । मेरी मांग है कि या तो इस कार्यक्रम को खत्म कर दें नहीं तो इसकी जाँच कराकर इसको उचित ढंग से चलायें ।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि खरीद में जो बिचौलियों को रखते है उसके बजाय सीधे तौर पर लाभार्थी को धन दे दें जो खरीदना चाहे खरीद लें इस बात की जाँच करा लें कि जिस चीज के लिये पैसा दिया गया है, उसे खरीदा है या नहीं ।

ट्राईसेम योजना के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि इसमें जो 3–3 महीने के लिये प्रशिक्षणार्थी जाते हैं, इसका केन्द्र बना लें और सामूहिक रूप से प्रशिक्षण के लिये 6 महीने का समय निर्धारित कर दें।

माइनर इरीगेशन के सम्बन्ध में सुझाव दूंगा कि आपने जो 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में देने की बात कही है और पठारी क्षेत्रों के लिये 15 हजार रु0 मशीनों के लिये जमा कराने का काम किया है, प्रदेश स्तर पर मशीनों की कमी है, हर जिले में बोरिंग कराने के लिये लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती जाती है, इसलिये मशीनें नहीं उपलब्ध करा पाते तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मध्य प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर से बोरिंग होती है और उसका अनुदान स्टेट गवर्नमेण्ट देती है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी प्राइवेट सेक्टर से बोरिंग करवाने की अनुमति दे दें और उसके लिये शासन से अनुदान की व्यवस्था करायें ।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप समाप्त करें ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा––

ऐसे ही बताना चाहूंगा कि चैक डैम्स में मैण्टीनेन्स का कोई प्राविधान नहीं रखा गया है । चैक डैम्स बनने के एक साल के बाद स्वत: खराब हो जाते हैं, ढह जाते है, करोड़ों रुपया बेकार हो जाता है । बाँदा का उदाहरण देता हूं कि जितने भी चैक डैम्स खराब हो गये हैं, जिनकी कि मैण्टीनेन्स के लिये कोई बजट नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप समाप्त करें और बैठें ।

डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा––

फ्री बोरिंग के बारे में कहना चाहूंगा कि फ्री बोरिंग 30–40 फिट पाइप से नहीं हो पाती है । इसके लिये कम से कम 10 हजार रु0 दें ।

आर ई0 एस0 के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहूंगा, जो बजट इसके द्वारा सड़कों का निर्माण होता है, इसमें भी मैण्टीनेन्स के लिये कोई बजट नहीं होता है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आगे आप जो बोल रहे हैं कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा । आप बैठें ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने से घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ ।)

*श्री अनिल कुमार भारद्वाज--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जनता दल की सरकार का पहला ग्राम्य विकास का बजट सदन में प्रस्तुत किया है । सदन में जो बजट रखा गया है उसमें विरोध पक्ष की ओर से माननीय उपाध्याय जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है ।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने तथा ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो ग्राम्य विकास विभाग के बारे में समय-समय पर जो घोषणायें करते रहे हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप ही यह बजट है । उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग में जो निर्माण इकाई है वहाँ उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में इंजीनियर श्री सिद्दीकी, जोकि काम कर रहे थे, उनको हटा कर जड़ पर कुठाराघात किया । मैं इसके लिये माननीया मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

लेकिन इसके साथ ही साथ में यह भी चाहूंगा ग्राम्य विकास विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी इसकी जड़े बैठ गयी हैं कि उनको दूर करने के लिये बहुत बड़ी योजना बनानी होगी, इसके लिये बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा ।

ग्राम्य विकास विभाग का प्रारम्भ होता है, ग्राम्य पंचायत से, यह इसकी पहली सीढ़ी है । इस पहली सीढ़ी पर ही चढ़ कर जहाँ इतना भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया है, जब तक उस स्थान से हम भ्रष्टाचार नहीं मिटाना चाहेंगे, यहाँ का भ्रष्टाचार मिटाना होगा, तब तक ग्राम्य विकास विभाग का कोई कार्य प्रगति नहीं कर सकता है ।

अभी जवाहर रोजगार योजना का जिक्र किया गया । जवाहर रोजगार योजना के लिये, गाँवों के विकास के लिये जो धन दिया गया, वह स्पष्ट रूप से इसलिये दिया गया कि वह धन ग्राम्य विकास के नाम पर जवाहर रोजगार योजना में जाये । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई विकास कार्य गाँवों में नहीं हुआ है इसका कुछ सदुपयोग नहीं किया गया, यह धन एक तरह से चुनावों में प्रधानों को पटाने की साजिश थी । ग्राम प्रधानों को पटा कर चुनाव में वोट लेने की साजिश थी । जब जनता ने देखा कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जो धन गाँवों के विकास कार्यों के लिये दिया गया है और उससे कोई विकास के कार्य नहीं हुये हैं, जो पैसा विकास के कार्यों में लगाया जाना चाहिये था, वह नहीं लगाया गया है बल्कि पूरी तरह से चुनाव में झोंक दिया जा रहा है तो उसने भी पूरी तरह से सरकार का सर्वनाश कर दिया और जनता ने भी उलट कर जवाब दे दिया ।

मैं कहना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना इस मुल्क के लिये, प्रदेश के लिये एक बोझ थी, इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय । ग्राम्य विकास योजना के खिलाफ जब तक जाँच पूरी न हो जाय, प्रदेश में देखा गया है कि जितनी भी योजनायें हैं ग्राम्य विकास के लिये, कितनी ही योजनाओं में ग्राम प्रधानों के खिलाफ जाँच चल रही है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जब तक वे प्रमाणित न हो जाँय ।

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया अपनी बात पूरी कर लें और आगे कोई बात न कहें क्योंकि अब आपकी बात लिखी नहीं जा रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अनिल कुमार भारद्वाज--

मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी को बजट प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद देता हूं ।

(व्यवधान)...

*श्री मुईद अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर 3-4 बार उठने बैठने पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार आयी तो इसने कहा कि हम ग्राम का विकास करेंगे और बजट गाँव की ओर ले जायेंगे, लेकिन जब बजट लाया गया, तो उसमें कोई ऐसी योजना, ऐसी नयी योजना देखने को नहीं मिली, जो गाँव के विकास के लिये हो और किसानों और मजदूरों के हितकर होती । जो कुछ योजनायें, हैं, वह कांग्रेस के शासन की हैं । चाहे एन0 आर0पी0 और चाहे आई0आर0डी0 हो, सभी कांग्रेस के शासन काल की हैं । सभी वही पुरानी योजनायें हैं, कोई नयी योजना आपकी नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो जवाहर योजना पर प्रतिबन्ध लगाया है 60 और 40 का , इस को आप हटा दें, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न परिस्थितियां होती हैं । कहीं पर मेटेरियल अधिक हो जाता है और कहीं पर मजदूरी अधिक हो जाती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि 60 और 40 का वर्गीकरण हटा दें और पूरे जिले में सामंजस्य को देखा जाये और उसी थोड़े से परसेन्टेज में यह योजना चलनी चाहिये । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हर जगह पर अवरोध उत्पन्न होगा । मान्यवर, आर0ई0एस0 द्वारा प्राइमरी स्कूल बनाये जाते हैं । जिस इन्जीनियर ने प्लान बनाया हो, जिसने नक्शा बनाया हो उसको आप जिम्मेदार बनावें । वह 60 हजार और 65 हजार में स्कूल बना देता है, ईंटा थर्ड क्लास का लगा देता है, सीमेंट सही नहीं लगाता है । उस विद्यालय में फर्श नहीं होती है । यह सिद्ध हो चुका है कि गाँव में स्कूल 90 हजार से कम में नहीं बन सकता है, इससे कम में अच्छे विद्यालय नहीं बन सकते हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, दो मिनट का समय और लूंगा । मान्यवर, विकास के नाम पर यह सरकार ढिंढोरा पीटती है । विकास के बदले अपने दल के लिये रुपये खर्च करना कहां का नैतिक अधिकार इनको है । मुख्य मंत्री ने हेलीकाप्टर लेकर विकास गोष्ठियाँ की और अपने चुनाव का प्रचार किया, यह गलत है । मैं कहना चाहती हूं कि सुलतानपुर में जवाहर योजना का पिछले साल से ढाई करोड़ रुपया फंस गया है । पिछली योजना का पैसा रोक लिया गया है । अगर यह पैसा नहीं दिया जाता है, तो पुराने कार्य अधूरे पड़े रह जायेंगे, इसलिये आप उन कामों को पूरा करायें । इन शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्रीमती विमला राकेश---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं । मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहती हूं...

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

जिन्होंने अपने वार्षिक बजट में अनेकों नये कार्यक्रम लागू करके गाँवों की जनता को लाभान्वित करने का दृढ़ संकल्प लेकर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है और चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार किया है । मान्यवर, चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसानों के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है । हमारी सरकार ने अपने बजट के आधे से अधिक हिस्से का गाँवों को देकर यह साबित कर दिया है कि जनता दल सरकार गाँवों का विकास चाहती है, मजदूरों का विकास चाहती है, देहात में रहने वालों का विकास चाहती है । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जिला परिषद् के माध्यम से नजूल की जमीनों पर तत्परता के साथ दुकानों का निर्माण कराकर उन्हें रोजगार, शिक्षित नवयुवकों को कम ब्याज पर आवंटित किया जाय । इसके साथ ही साथ गरीब मजदूर किसानों को भी कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । मान्यवर, ऋणों में या कर्जों में जो सुविधायें हमारी सरकार दे रही है, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि वह लाभ सीधा उस लाभार्थी को दे और उसमें जो सरकारी तंत्र का दखल है उसको समाप्त किया जाय । मान्यवर, मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी को और देना चाहती हूं कि जिला परिषद् के माध्यम से जो टैक्स गाँवों पर लगे हुये हैं, जो यह प्रथा काँग्रेस सरकार से चली आ रही है, उस टैक्स उगाने की प्रथा को तत्परता के साथ समाप्त किया जाय ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान निर्बल विकास योजना, इंदिरा विकास योजना की ओर भी ले जाना चाहती हूं । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इस योजना में लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है जिसका अधिकाँश भाग सरकारी तंत्र की जेबों में जाकर पाश्चात्य जगत की रंगीनियों को रंगीन बना रहा है । मेरा सुझाव है कि इस योजना में सरकार कर्मचारियों का जो दखल है, उसको समाप्त किया जाय ।

मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । मेरे चुनाव क्षेत्र में ग्राम लखनौर के पास हिन्डन नदी पर एक पुल के निर्माण की माँग मैं बहुत पहले से करती चली आ रही हूं । किन्तु काँग्रेस की यह गूंगी बहरी सरकार ने कभी भी गम्भीरता के साथ इस ओर ध्यान नहीं दिया है । मैं आपके माध्यम से माँग करती हूं कि इस पुल को तत्परता से बनाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं । धन्यवाद ...

श्री प्रागी लाल अहिरवार--

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने गाँवों की ओर ध्यान देते हुये कहा कि जवाहर योजना एक बहुत अच्छी योजना है । हम भी कहते हैं कि यह बहुत अच्छी योजना है । लेकिन इस सरकार की व्यवस्था अच्छी नहीं है । मान्यवर जवाहर योजना का जो पैसा गांव स्तर पर जाता है उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी और ए0डी0ओ0 (पंचायत) होते हैं उनका परसेन्ट बंधा हुआ है । जब प्रधान बैंक से पैसा लेकर निकलता है तो उसका 20-30 परसेन्ट वहीं ले लिया जाता है । जो ग्राम प्रधान नहीं देता है उसको दुबारा चेक से पैसा निकालने में परेशान करते हैं और जो 18 रु0 मजदूरों का मजदूरी निर्धारित है वह आज भी नहीं दी जाती है वह केवल कोरे कागज में वाउचर बनाकर दस्तखत करा लिये जाते हैं । अगर कोई ग्राम वासी ए0 डी0 ओ0 पंचायत या बी0 डी0 ओ0 से शिकायत करता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि उन सब को परसेंटेज मिला होता है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ब्लाक स्तर पर एक जाँच कमेटी बनाई जाय जिससे ग्रामीणों का पैसा सहीरूप से इस्तमाल हो सके । इसके अलावा जो ऋण किसानों को दिया जाता है उसमें भी कर्मचारी कमीशन लेते हैं उसपर भी ध्यान दिया जाय ताकि किसान पैसा लेने में परेशान न हों और जो छूट किसानों को मिलती है वह सही माने में उनको मिल सके ।

जो आवास ग्रामों में बनाये गये हैं उनकी भी दशा खराब है, उनके बनाने में कमीशन लिया गया है । आज वह मकान गिर रहे हैं लोग उसमें रह नहीं रहे हैं । इसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप स्थान ग्रहण करें। (कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान) माननीय सदस्य बैठें मैंने राम दुलारे जी को पुकारा है। अभी उपाध्याय जी को और फिर मंत्री जी को बोलना है साढ़े चार बज रहे हैं।

श्री राम दुलारे सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय हमें ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। आज कांग्रेस के लोग जो गावों के विकास की बात कर रहे हैं उन्होंने ग्राम विकास के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखा है उसकी हमें निन्दा करनी चाहिये।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, यह जो शब्द "निन्दा" इन्होंने प्रयोग किया है यह असंसदीय है इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

इसको हम देख लेंगे अगर असंसदीय होगा तो निकाल दिया जायेगा।

श्री राम दुलारे सिंह--

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाने की योजना रखी है। इसी तरह से दो लाख निःशुल्क बोरिंग के लिये लक्ष्य रखा गया है 1 लाख 92 हजार रुपया आवास निर्माण के लिये रखा है, 22 हजार 500 बायोगैस बनाने की योजना है। अनुसचित जाति के लोगों को 30 से बढाकर 50 प्रतिशत अनुदान में बढोत्तरी की गयी है।

श्री अधिष्ठाता--

आप संक्षेप मे सुझाव दें।

श्री राम दुलारे सिंह--

इसी तरह से लघु सिंचाई की योजना इस बजट में रखी गयी है। महिलाओं के विकास के लिये योजना चलाई गयी है। इन सभी कार्यो के लिये बजट में प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय ग्राम विकास मंत्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन इसी के साथ एक शंका जरूर करता हूं कि इसी विभाग के पूर्व मंत्री थे, जिन्होंने सारे प्रदेश का मुर्गा खा लिया था, और इस विभाग के कर्मचारियों ने विभाग का सारा धन खा लिया था और उन पापों के कारण आप लोग उधर बैठे हैं लकिन कर्मचारी वही हैं, इसलिये मंत्री जी मैं आप को सावधान करता हूं कि आपके विभाग में जो कर्मचारी हैं जिनकी आदत अभी कमीशनखोरी की छूटी नहीं है। इसलिये उनके ऊपर आप ध्यान रखें और उन पर कठोर अंकुश लगायें।

मान्यवर, अब अपने क्षेत्र में निशुल्क बोरिंग के संबध में कहना चाहता हूं कि जसरा और कौधियारा विकास खन्डों में केवल कागजों पर यह काम हुआ है इसलिये मंत्री जी से आग्रह है कि आप जाँच करायें और दोषी कर्मचारियों को दण्डित करें।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ। आप बैठ जायं।

श्री राम दुलारे सिंह--

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भवन आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 80 से 89 तक एक भी हरिजन आवास पूर्ण रूप से नहीं बनाया गया। मैं माँग करता हूं कि इसकी जाँच करायी जाये। (व्यवधान) इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता ।

(व्यवधान)

श्री अमरमणि--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं।

(व्यवधान)

श्री शिव करन सिंह--

मुझे बोलने का समय दिया जावे वरना मैं 5 बजे तक खड़ा रहूंगा।

(व्यवधान)

(दोनों सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थानों से बोलने का प्रयास करते रहने पर घोर व्यवधान) ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठिये, आप दोनों बैठ जाइये। अमरमणि जी आप भी बैठें। जब मैं खड़ा हूं, आप दोनों बैठ जायं। देखिये आप लोग आपस में अपने दलों के अनुशासन को भी मानेंगे या ऐसी ही चलाएंगे। इस तरह चलायेंगे तब तो हमें बहुत परेशानी होगी।

श्री शिव करन सिंह--

मैं देखता हूं कि जो जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं, उनको मौका मिल जाता है। इसलिये मैं तब तक खड़ा रहूगा, जब तक मुझे बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता--

देखिये, यहाँ पर काँग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। उन दलों की संख्या के आधार पर हम उनके दल के सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं। पहले एक सदस्य इधर का बोलता है, जिनकी संख्या इधर से काफी ज्यादा है-दुगुनी करीब है, उसके बाद आप लोगों में से एक सदस्य को बुलाया जाता है । इसलिये आप लोग आपस में निश्चय कर लें और मैं चाहता हूं कि दो-दो मिनट में आप केवल सुझाव दें।

*श्री अमरमणि--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में महात्मा गांधी को याद किया केन्द्र में तो आपके सरकार ने अपने पहले बजट भाषण में देश के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू को ही भुला दिया था। महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वाराज्य का एक सपना देखा था, जिसको मंत्री जी सफल करना चाहती हैं अपने बजट के माध्यम से । ग्राम्य विकास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये हमारी कांग्रेस

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया है।

सरकार ने विशेष ध्यान देकर कहा था कि आबादी के बाद जो हम रास्ता भूल गये थे, जो गांव के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए था, उस पर उतनी सतर्कता और सचेष्टता से गांव के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिये जवाहर रोजगार योजना बनाई। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भलीभांति परिचित हूं पहले गावों के विकास हेतु जो पैसा मिलता था, वह ब्लाक स्तर तक समाप्त हो जाता था और गांव में इसके लिये कोई पैसा नहीं जा पाता था, लेकिन अब जब मैंने गांव प्रधानों की बैठक बुलाई गावों के विकास की समस्याओं पर और आवश्यकताओं पर बिचार करने के लिय तो उन्होंने बताया कि अब जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से हमें इतना पैसा मिलने लगा है, जिससे हम अपने सारे काम करा लेने में सक्षम हैं।

मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जो फ्री बोरिंग की योजना है, उसके अन्तर्गत 3 हजार रुपये का निर्धारण किया गया है, उसमें सही लाभार्थी को एक हजार रुपये का सामान ही मिल पाता है, किन्तु उसके अलावा जो शेष दो हजार और मिलना चाहिये, वह उसे नहीं मिल पाता है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि फ्री बोरिंग जो कराई जा रही है, उसमें उसका पूरा पैसा लाभार्थी को मिले, इसके लिये वह कोई अच्छी और त्रुटिरहित योजना बनाएं। जो प्राविधान स्कूल भवनों और पंचायत भवनों के निर्माण के लिये किया गया है, उसमें उनके लिये जो धन का निर्धारण किया गया है वह आज की बढ़ती मंहगाई को देखते हुए काफी कम है। इस धनराशि से स्कूल भवनों और पंचायत भवनों का बनाना संभव नहीं है। इसमें जो 3–3 साल से भवन अधूरे पड़े हैं, उसके लिये संबंधित जिम्मेदार अधिकारी को सजा दी जाय और उनसे कुल की वसूली की जाए।

(इस समय 4 बजकर 39 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)।

मान्यवर, गांव के विकास के लिए जो आर० ई० एस० संस्था हैं, वह भ्रष्ट हो गयी है। जो एक–एक मार्गों का निर्माण कई–कई बार कराकर उसका फर्जी भुगतान करा रही है जिससे सही मायने में गांव का विकास संभव नहीं हो पा रहा है। (व्यवधान) अन्त में मैं उपाध्याय जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उस पर बल देता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री जागेश्वर—

[×××]

श्री अध्यक्ष—

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, इसलिये आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(श्री जागेश्वर व्यवधान के मध्य बोलते रहे) (घोर व्यवधान)

श्री जागेश्वर—

[×××[

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, ग्राम विकास का जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह चतुर्मुखी विकास की तरफ एक इशारा है। मान्यवर, हमारे विद्वान साथी उपाध्याय जी ने जो कटौती प्रस्तुत की है, मुझे बड़ा खेद है कि उन्होंने बजट का अध्ययन नहीं किया। उन्होंने यह इंगित किया है कि बजट में धनराशि पिछली सरकार से इस सरकार में कम रखा गयी है। मान्यवर, यह बजट की पुस्तिका है, इसमें सारी चीजें लिखी हैं। यदि इन्होंने बजट का अध्ययन किया होता तो यह ऐसा नहीं कहते। इनको पढ़कर आना चाहिए था। मान्यवर, चाहे ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हो, चाहे ट्राइसेम योजना हो, चाहे ग्रामीण विकास योजना हो, जो भी योजना हो सब में पिछली सरकार से अधिक धन लिया गया है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना चलाई लेकिन उनके और हमारे उद्देश्य में फर्क है। उनकी योजना गांव के विकास के लिए नहीं थी। यह योजना उन्होंने उस समय चलाई जिस समय कांग्रेस सरकार अंतिम सांसे ले रही थी। जिस तरह अंतिम समय में पिंडदान, गऊदान होता है उसी तरह जवाहर योजना उस समय चलाई गयी थी। मान्यवर, इन्होंने पिछली सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनायी हैं :—

वह एक कोरी बात है:—
थोथे बादल क्वार के ज्यों रहीम घहरात,
धनी पुरूष निर्धन भये करत पाछली बात।।

(व्यवधान)...

प्रति ब्लाक 10 प्रतिशत ग्राम प्रधानों से काम कराये गये हैं। दस प्रतिशत कामों की जांच कराई जाय और वहां के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाय।

(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री बाबू राम यादव—

हरिजन बस्तियों में नल नहीं लगे हैं यह गलत है सबसे पहले हरिजन बस्तियों में ही नल लगाये गये हैं। उपाध्याय जी ने जो अधिकारियों पर आरोप लगाये हैं, तो यह सब अधिकारी उपाध्याय जी की सरकार के नियुक्त किये हुये हैं।

(व्यवधान)...

मैं उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चर्तुमुखी विकास की ओर जाने वाले बजट का स्वागत करता हूं।

श्री शिव करन सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि तमाम गांव में जो सैट्रोन बताने की बात कही गई है वहां ऐसे भी क्षेत्र हैं कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहे हैं तो वहां उन सैट्रोनों का कोई लाभ नहीं है। आवागमन के साधन नहीं है, उन क्षेत्रों में सबसे पहले मार्गों को बनवाने की व्यवस्था कराई जाय।

उसके बाद लैट्रीनों की व्यवस्था करायें । ट्राइसेम जो योजना है इस योजना का लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाता है, तो इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर लें उन्हीं अभ्यर्थियों को पैसा दिया जाना चाहिये ताकि सही ढंग से कार्य हो सके ।

ग्राम्य विकास पर तमाम बातें कही गईं, तो जब तक हर गांव को सड़क से नहीं जोड़ा जायगा सीधा सम्पर्क नहीं होगा तो कोई भी विकास का लाभ मिलना सम्भव नहीं है। तो हर गांव को शहरों से जोड़ा जाय ताकि गांव का आदमी शहरों की सुविधा के बारे में जान सके । जब गांव तरक्की नहीं करेगा, गांव का विकास नहीं होगा तमाम योजनाओं को कागजों पर ही लायेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है । मेरा सुझाव है जो हर चीज में आप दस पैसे, पन्द्रह पैसे प्रतिशत (व्यवधान) की छूट देना चाहते हैं उनको खत्म किया जाये और उसके बदले एक योजना फ्री की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें । (कई सदस्वों के एक साथ बोलने पर) ।

आप अपने सुझाव लिखकर मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय का नाम पुकारे जाने पर) ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र—

मान्यवर, आप मुझे बोलने के लिये 2 मिनट का समय दे दें । मैं नया सदस्य हूं । आप बोलने की आज्ञा दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप जो सुझाव हों उनको लिखकर मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायगा (शोर) मेरे पास आपका नाम नहीं आया है ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही में लिखा नहीं जायगा ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र—

जब से मैं आया हूं, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया है । मैं नया विधायक हूं । आपका यह कोई तरीका है मैं बहुत अहम सुझाव देना चाहता हूं । 2 मिनट का समय भी आप नहीं दे सकते ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें । आपका नाम मेरे पास नहीं आया है ।

नोट—[× × ×] यह अंश भी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जयराज गौतम—

मान्यवर, माननीय सदस्य को 2 मिनट का समय दे दीजिये ।

(शोर)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि 4 हजार हैण्ड पंप लगाये जायेंगे तो यह जो प्राविधान रखा गया है यह कैसे पूरा होगा यह मैं जानना चाहूंगा । प्रदेश में 74 हजार ग्राम सभायें हैं जिनके लिये 4 हजार हैंड पंप अपर्याप्त हैं ।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर यह लगाये गये तो इनके आधार और मानक क्या होंगे । तीसरी बात यह है कि जो आपने 5 स्टेडियम पूरे प्रदेश में बनाने की बात कही है तो उसका आधार क्या होगा और प्रदेश में यह स्टेडियम कहां-कहां, किन जनपदों में बनेंगे । यदि आपने इनके बनाने के लिये स्थान चयनित कर लिया है तो बतायें यदि नहीं किया है तो इनके चयनित करने का आधार क्या होगा । मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले घोषणा की गयी थी कि जिस गांव की जो मालगुजारी होगी वह उस ग्राम सभा को दे दी जायगी जिससे वहां पर विकास कार्य किये जायेंगे । तो मेरा अनुरोध है कि जिस गांव की जो मालगुजारी उस गांव के विकास कार्यो के लिये दी जाय तो जो धन अन्य विकास कार्यो के लिये उस ग्राम सभा को दिया जाता है उसमें से उसकी कटौती न की जाय । इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के जरिये जिन सड़कों का निर्माण किया जाता है उनके रख-रखाव की व्यवस्था के लिये कोई धन नहीं दिया जाता है और यह विभाग मात्र एक एजेन्सी के रूप में रह गया है ।

मैं मान्यवर, चाहता हूं कि जो भी फण्ड एलाट हो, जिस सड़क के निर्माण के लिये, जिस तरह से पी0डब्लू0डी0 में कर दिया गया है, उसी तरह से खडंज स्तर तक इस विभाग में भी कर दिया जाय । मान्यवर, खडंजे स्तर और लेपन स्तर तक की व्यवस्था कर दी जाय । इस विभाग को उपकरण उपलब्ध कराये जायं, ताकि इन्हें पी0डब्लू0डी0 का सहारा न लेना पड़े । मान्यवर, पी0डब्लू0डी0 पतली सड़कों को बनाने के लिये जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता है, जहां पर हरिजन आवास और निर्बल आवास बन रहे हैं, वहां पर सामग्री का मूल्य बढ़ गया है, जो पहले धन रखा गया था, उसे अगर वास्तव में इस प्रदेश की जनता और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिये कुछ करना है, तो इसके लिये जरूरी है, सही माने में उनके मकान बनाने हैं, तो इस मंहगाई को देखते हुये, इस धन को बढ़ाना आवश्यक है ।

एक सुझाव मेरा और है कि न्याय पंचायतों का गठन शीघ्र कर दिया जाय । हम सस्त और सुलभ न्याय की मांग करते हैं, जिससे छोटे-छोटे मामलों का निस्तारण न्याय पंचायतों द्वारा हो जाय । इसका जल्दी गठन कर दें और चुनाव की तिथि या सम्भावित तिथि आज ही सदन में बता दें, तो यह उनकी कृपा है । एक बात और है कि जिस तरह से और चुनावों की तिथि निर्धारित होती है, उसी तरह से पंचायत राज के अन्तर्गत आने वाले जितने चुनाव हों, उसको सुदृढ़ बनाने के लिये, उसके लिये प्राविधान होना चाहिये । मेरा अपना सुझाव है कि 5 साल तक जो इनकी अवधि हो, उसके अन्तर्गत इसका चुनाव निर्धारित कर दिया जाय और सभी चुनाव हो जाने चाहिये । आज जो पेयजल की बात है, जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये । एक कुटीर जोत की योजना जो चलाई गयी है, मैं अनुरोध करूंगा कि इस कुटीर जोत योजना का जो कांग्रेस की ही देन है, उसको माननीया मंत्री जी भी मानती हैं, जो ग्राम सभायें ऊर्जाकृत हैं, उनमें हरिजन बस्तियों में जहां पर सम्मेलन देना पड़े, उसे ग्रामीण हरिजन बस्तो को इसका लाभ दिया जाय, इसमें और अधिक फण्ड की आवश्यकता हो, तो फण्ड बढ़ाया जाय । स्ट्रीट लाइट हरिजन बस्ती को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाय । जहां पर रास्ता सकरा होता है, अंधेरा रहता है, वहां पर लाइट की बहुत बड़ी आवश्यकता है ।

माननीय महिला शौचालय की जो बात रही रखी गयी है, यह बहुत अच्छी योजना है, लेकिन माननीय, आज आप शहर में देख लें जो जनरल पाखाने हैं, वे किस तरह से बने हैं, उनकी क्या दशा है यदि वहां पर फ्लश की व्यवस्था न की गयी और पानी की व्यवस्था न की गयी, यहां तक कि सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था न की गयी, तो पूरा प्रदेश शौचालय बन जायगा । वहां पर इतनी गंदगी हो जायगी कि वहां पर लोगों का रहना दूभर हो जायगा । माननीय, हम तो जो चाहते हैं, वोट की लालच में कह देते हैं, जब माननीय ये सुलभ शौचालय बनाये जा रहे हैं, जो सही बात है, उसको मैंने स्वीकार भी किया, इसमें पानी की सुविधा क्या होगी, स्थान कैसे चयनित होगा, इसके लिय प्रत्येक गांव सभा के लिये कोई फण्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिये । जिससे शौचालय की व्यवस्था हो सके । यथा जो अपने एक अच्छा कदम उठाया है यह अपके लिए अभिशाप बन जायेगा । मैं स्वागत करता हूं कि अगर यह अच्छी तरह से स्कीम लागूहोगी तो धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दे दूंगा लेकिन जो मैंने सुझाव दिया है उसको क्रियान्वित करना बहुत ही आवश्यक है । माननीय, जितने भी उपकरण अनुदान के रूप में या किसी भी रूप में आपके पंचायत राज द्वारा दिलाये जायं, मैं चाहता हूं कि उसमें सामान्यतया जनप्रतिनिधियों का चाहे इधर के हों या उधर के हों, उसमें उनकी जागरूकता उनकी भागीदारी बनाई जाय । उसके वितरण पर चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के हों उनको उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाय या किसी भी रूप में उनको बुलाया जाय और उनके द्वारा उसका वितरण हो । इससे उनको जानकारी हो जाती है । मैंने एक उदाहरण दिया था । माननीय, कभी कभी यह देखने को मिलेगा कि जो बैल या बकरी दिया जाता है उसके दाम भी नहीं मिलते मैं तो इसमें इन जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाय । माननीय, इस पवित्र मंडप में जितने भी माननीय सदस्य बैठते हैं, कोई भी सम्मानित सदस्य ऐसा नहीं होगा जो दुबारा यहां न आना चाहे, तो उसके द्वारा सही सुविधा लाभार्थियों को पहुंचाई जायेगी और वह इस बात का प्रयास करेगा कि सही लाभार्थी को ही इसका लाभ मिले । प्रायः यह देखा जाता था कि इसके लिए मीडिएटर होते थे अगर किसी किसान को, निर्बल वर्ग के लोगों को, सीमान्त कृषकों को, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सामान मिलता है तो यह कहा जाता था कि खरीदवाएगी दूसरी एजेंसी तो वह एजेंसी भी दूसरी तरह के से, गलत तरीके से लाभान्वित होती थी । तो जिसके लिए पैसा जा रहा है अगर थोड़ी बहुत वह अनियमितता करे तो गुंजाइश है लेकिन जो आता नहीं है वह लाभान्वित हो और जिसको मिलना चाहिए वह लाभान्वित न हो, यह गलत है ।

माननीय, एक भाई ने बड़ी तेजी से कहा, मैंने कहा था कि क्षेत्रीय विकास पर कम दिया है। इसमें पूर्व सरकार की अपेक्षा 23,6,29,000रु0 कम रखा गया है, बाबू राम जी आ रहे हैं । माननीय, क्षेत्रीय विकास पर कम रखा गया है, मैंने कहा था । इस पर आपकी सरकार ने बजट कम कर दिया है । मैं चाहता हूं कि इस बजट को आप कृपया बढ़ा दें ।

मैं आभारी हूं कि आपका और सम्मानित सदस्यों का जिन्होंने किसी न किसी रूप में मेरे विचार का समर्थन किया है भले ही दबे मन से विरोध किया,, इसलिए कि हो सकता है कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में आ जायं । (व्यवधान) माननीय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से जो हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे पक्ष और विपक्ष में, उनका स्वागत करती हूं और इसके लिए धन्यवाद देती हूं कि जो सुझाव उन्होंने रखे वह हमारे लिए लाभप्रद होंगे और हम उनका सदुपयोग करने की कोशिश करेंगे । माननीय उपाध्याय जी ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिये, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को इस कटौती के लिए बधाई देती हूं कि जब उनको मंत्री बनना था तो उन्होंने इस विभाग में एक माननीय उपाध्याय जी को ढूंढा और जब उन्हें इसकी कटौती का प्रस्ताव रखना था तो उन्होंने माननीय उपाध्याय जी का रखा, उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी को बधाई देते हैं । दूसरी बात माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि यह बजट पहले जो था उससे कम है । अगर वह सारी हमारी जो फीगर्स हैं, उनको तुलना करें तो देखेंगे कि अगर

कहीं कोई कमी है तो दूसरी जगह बढ़ाया गया है । यही देखते हुए कि हमको रोजगार को बढ़ाना है । खेती पर जनता का जो दबाव है, उसको कम करना है । हमने अपने घोषणा-पत्र में जो वादा किया है कि अधिक से अधिक रोजगार देंगे उसको देखते हुए हमने कुछ प्रावधान किये हैं और असली बात यह है कि दूसरी जो बात कही कि जो योजनाएं हैं, वह हमारी पुरानी योजनाएं हैं और उन्हीं को पुनः रख दिया गया है, तो योजनाएं कुछ पुरानी हो सकती हैं । खेती को और इस ग्राम प्रधान देश को आगे बढ़ाना था । स्वतंत्रता के पहले या बाद में यह बात रही, लेकिन बढ़ाया या नहीं और कितनी सफलता मिली, यह देखने की बात है । देखना यह है कि जो उन्नति होनी चाहिये थी, जो गरीबी की रेखा से ऊपर कृषकों को उठना चाहिये था, उसमें सफलता मिली या नहीं । यह असली मुद्दा है । हम उपाध्याय जी को विश्वास दिलाते हैं कि अगर वह कहते हैं कि कुछ योजनाएं उन्हीं की हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उन्हीं योजनाओं को, जिनके द्वारा आप गरीबों का भला नहीं कर पाए, हम उन्हीं योजनाओं को अच्छी तरह से चलाकर आगे बढ़ायेंगे और किसानों की गरीबी को दूर करने का प्रयास करेंगे ।

(कई सदस्यों द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न उठाने का तरीका यह होता है कि आप खड़े हो जायं । जैसे आप खड़े हो गये और मा0 मंत्री जी बैठ जाती हैं, अगर मा0 मंत्री जी बैठ गयीं तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कटौती के प्रस्ताव पर मा0 मंत्री जी उत्तर दें तो उसका तात्पर्य यह होता है कि ध्यान से पूरा सदन सुने, मा0 मंत्री जी बैठ गयी हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री जय सिंह यादव--

मान्यवर, मा0 मंत्री जी अभी योजनाओं की बात कर रही थीं । किसानों के हित में एक बहुत हितकारी योजना आपने अभी समाप्त कर दी है । मेरी प्रार्थना है सभी लोगों से, चाहे इधर के हों या उधर के, कृषि सेवा केन्द्र थे, जिन पर ट्रैक्टर, लघु और सीमान्त कृषकों को सस्ती दर पर मिल जाते थे । कुछ को अच्छे औजार मिल जाते थे.....

श्री अध्यक्ष--

यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है । आप तो भाषण दे रहे हैं ।

श्री जय सिंह यादव--

आपने यह योजना समाप्त कर दी । मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि कृषि सेवा केन्द्र जो समाप्त कर दिये गये हैं, अभी थोड़े दिनों पहले, क्या उसको कृषकों के हित में देखते हुए पुनः लागू करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

मान्यवर, मा0 उपाध्याय जी ने कहा कि ग्रामीण अभियंत्रण में बहुत खामियां हैं और उन्होंने कुछ अभियंताओं के नाम लिये । हालांकि मैं मानती हूं और सहमत हूं कि ग्रामीण अभियंत्रण के जो हमारे अभियंता और जूनियर अभियंता या सहायक अभियंता हैं, वह राजनीति में कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं और मेरी आशा है कि वह अपने इस रुख में बदलाव लाएंगे । लेकिन जो उन्होंने विशेष दृष्टांत दिये, मैं सूचना के लिये यह भी बताऊं कि शायद उन्होंने यह बात कल नहीं देखी होगी कि कल रात को मेरे पास एक पोस्टर आया था, जो मैं उम्मीद करती थी कि यहां पर बोलेंगे....

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मैं पोस्टर वाले वाले सदस्यों में से नहीं हूं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

आपको लाने का अधिकार था । उसमें उन्होंने जो तमाम नाम दिये थे, छपे थे । और यही था कि एक दूसरे के खिलाफ, आप ने कुछ लोगों के नाम लिये, उसमें उन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार की बातें कहीं हैं और यह कहा है कि यह यह लोग भ्रष्ट हैं इनके खिलाफ जांच हो रही है कि नहीं हो रही है । यह बात जरूर है कि यह लोग एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं । जहां तक जांच का प्रश्न है, मेरे सामने तो कोई भी ऐसी पत्रावली आती है जिसमें जांच होनी चाहिये, शायद ही कोई गल्ती से ऐसी पत्रावली हमारे हाथ से निकल जाय जिसमें हमने जांच के आदेश नहीं दिये, छोटे से छोटे कर्मचारी और बड़े से बड़े अधिकारी, कई सदस्यों ने उनके नाम भी लिये, मैंने आते ही हटाया इसी कारण जिनके खिलाफ उनके भ्रष्टाचार की जांच चल रही थीं । आपने कहा और आप जानते होंगे कि कई की जांच चल रही हैं ।

इसके साथ ही साथ उनकी गुणवत्ता के आधार पर यहां पर एक अधिशासी अभियंता, तीन सहायक अभियंता, बारह अवर अभियंताओं को निलम्बित किया गया । एक अधिशासी अभियंता को निन्दात्मक प्रविष्टि दी गयी । एक अधिशासी अभियंता को विशेष भर्तसनात्मक प्रविष्टि दी गयी और इसके अतिरिक्त 6 अवर अभियंताओं को निन्दात्मक प्रविष्टि दी गयी, तीन की वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गयी । मान्यवर, कई लोगों के खिलाफ अभी जांच चल रही है । यह अधिकारियों ने सूचना नहीं दी है, मैं जानती हूं कि मैंने उसके आदेश दिये हुए हैं । आपने नाम गलत लिये, अधिशासी अभियंताओं की आपसी राजनीति चल रही है, उनकी आपसी राजनीति है । लेकिन यह बात सही है कि मदन मोहन संगल, अधिशासी अभियंता जिनका नाम लिया गया, नरूला साहब जिनकी हृदयगति रुकने से देहान्त हो गया उनकी पत्नी भी मुझसे मिली थी, आप सभी जानते हैं और आपको यह आशा होगी जो कुछ सहायता हम कर सकते थे हमारे विभाग में उनको नौकरी भी दे दी गयी ह । उनके खिलाफ जांच भी चल रही है जो भी उनके साथियों ने मेरे सामने उनके खिलाफ शिकायत रखी हैं वह जांच चल रही है । लेकिन, इसके साथ-साथ यह भी सूचना है कि इन लोगों के आपसी कुछ मतभेद चलते रहते हैं लेकिन यह आश्वासन देती हूं कि कोई भी अधिशासी अभियंता या कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अगर वह शिकायत के तौर पर जांच का पात्र होगा तो उसके खिलाफ जांच अवश्य होगी और कार्यवाही भी अवश्य होगी । यह भी, बात भी सदन की भावनाओं से अवगत हैं और मैं जानती थी कि यह बजट आने पर सब लोगों की भावनायें कुछ इसी तरह से होंगी । इस बात को गंभीरता से कहना चाहती हूं कि यह बात नहीं है कि पिछली सरकार का प्रश्न या इस सरकार का प्रश्न । लेकिन यह सदन की भावना है और सदन के बाहर भी यह भावना रही, आज बहुत से लोगों ने इस बात को कहा कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को जितना काम करना चाहिये था जिस ईमानदारी से करना चाहिये था वह काम नहीं हुआ है यही इसका नतीजा है कि रोज शिकायतें आती रही कि सड़क बनी और सड़क नहीं है मिट्टी पड़ गयी पेमेन्ट हो गया इस तरह की तमाम शिकायतें आती रही । माननीय सदस्यों से यहां पर यह अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे सभी सम्मानित सदस्य हमारे सहयोग करें, हमारे साथी सहयोग दें अगर वह यह चाहते हैं कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से भ्रष्टाचार मिटाया जाय तो उनके सहयोग के बिना विशेष रूपसे विधायकों के बिना सहयोग के नहीं हटा पाऊंगी । क्योंकि वे लोग हमारे बहुत से सहयोगियों का सहारा ले लेते हैं, उनको गुमराह करके दूसरी बातें बता देते हैं, जिससे मामले का राजनीतिकरण हो जाता है और जिस तत्परता से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी उसको हटाना चाहते हैं उसमें कुछ बाधा पैदा हो जाती है । मैं यह आशा करती हूं कि उधर जो हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं और हमारे इधर के साथी इस ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से भ्रष्टाचार को मिटाने में हमारा साथ देंगे ।

इसके साथ-साथ मान्यवर, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने कहा कि गांव में जो भी कार्य आरम्भ किया जाता है, उसमें 10 परसेन्ट गांव सभाओं से लिया जाता है । मैं बताना चाहती हूं कि इसमें केवल एक ही अभिलाषा होती है, एक ही मुद्दा होता है कि हर एक काम में उनकी भी जिम्मेदारी और भागीदारी हो, इस कारण से उनसे 10 फीसदी

धन लिया जाता है। जहां तक प्रश्न इस बात का है और जैसा कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि 60 फीसदी जो धन है, वह रोजगार में खर्च किया जाता है और 40 फीसदी सामग्री में, इससे संतुलन नहीं रहता है, और समस्या पैदा होती है। मैं पूरे बजट के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहती हूं कि जवाहर रोजगार योजना हो या ग्राम विकास की अन्य कोई योजना हो, चाहे नलकूप की कोई योजना हो, इसके अलावा 3–4 और वृहत् योजनायें हैं, इसमें माननीय सदस्यों को यह जानना आवश्यक है कि सारी योजनायें भारत सरकार की हैं, इसमें 50 फीसदी धन हम यहां से देते हैं और कुछ योजनायें पूर्ण रूप से भारत सरकार की है, जिसमें पूरा धन वहीं से आता है। कुछ लोगों ने जो एतराज किया कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई कार्य–प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया गया। मान्यवर, उसका यही कारण है कि भारत सरकार ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसी कारण से हम उसमें कोई परिवर्तन करने में सक्षम नहीं हो सके हैं। मेरा विचार था कि कुछ योजनाओं में परिवर्तन किया जाय, लेकिन चूंकि भारत सरकार ने अभी आज्ञा प्रदान नहीं की है, इसलिए परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा हमारे माननीय सदस्य मथुरा ने कहा कि कुयें खुदवाये जायें। मान्यवर, इस हेतु इस योजना के तहत भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपये हमको दिया है और यह कहा है कि हमारे हरिजन भाइयों की जमीन पर कच्चे कुयें बनवाये जायें। अभी यह योजना हमारे पास पूरी नहीं आई हैं, क्योंकि नई योजना है, लेकिन जैसे ही यह योजना हमारे पास आई, मैंने भी यही सोचा कि यह योजना कितना सफल हो सकेगी, इसका कितना लाभ लोगों को होगा, इसको देखते हुए हमने भारत सरकार से वार्तालाप शुरु कर दिया है और मैं उनसे आग्रह कर रही हूं कि इसको किसी और ढंग से परिवर्तित करके बनाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके, हमारा वार्तालाप उनसे बराबर चल रहा है। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि हमारे द्वारा 3 बार वार्ता करने पर वहां जाने पर, लिखकर भेजने पर अभी हम सफल नहीं हो सके हैं, क्योंकि वह अपनी योजना पर दृढ हैं, लेकिन हम उनसे बराबर कह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन कर हमारा सहयोग करें और परिवर्तन हेतु आज्ञा प्रदान करें। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगी कि रोजगार दिलाना सबके चिन्तन का विषय है, गावों में रोजगार उपलब्ध कराना तथा वहां का छोटा औद्योगीकरण करना ही इस बजट का मूल लक्ष्य है और यह समय की मांग है। मैं बताना चाहूंगी कि इसी को मद्देनजर रखते हुए 1990-91 में 16, 720.24 लाख मानव दिवस जवाहर रोजगार योजना में सृजित होंगे और 24.130 इन्दिरा आवास निर्मित होंगे।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

एकीकृत ग्रामीण योजना के अन्तर्गत 1990–91 में 4.68 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठायेंगे। लगभग 1.87 लाख महिलाओं को और 2.34 लाख अन्य जन जातियों के परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था 1990–91 में 35,880 युवकों को कार्य मिलेगा। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में 22,500 बायोगैस संयत्र उपलब्ध कराये जायेंगे और 52 प्रतिशत कार्यशील यंत्रों को चलाने का प्रयास किया जायेगा। निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत 22 करोड़ रुपए का परिव्यय मैदानी क्षेत्र के लिये और 3.5 करोड़ रुपये का परिव्यय पर्वतीय क्षेत्र के लिये उपलब्ध कराया गया है। इसका एक मात्र उद्देश्य यह है कि हमारी जो रोजगार योजना है वह आगे बढ़े और अधिक लोगों को रोजगार मिले। मैं माननीय श्री उपाध्याय जी को याद दिलाना चाहती हूं, उन्होंने शायद श्री प्रेम चन्द्र जी की किताब पढ़ी होगी। जिसमें होरी का वर्णन है। वह मरने से पहले गौदान करना चाहता है, परन्तु मेहनत करने के बाद भी वह नहीं कर पाता है। हमारा लक्ष्य है कि इस शताब्दी के अन्त तक हर एक किसान अपनी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकेगा और खुशहाल जीवन बितायेगा।

जहां तक स्टेडियम का प्रश्न है। इसमें अभी हमने स्थानों का चयन नहीं किया है। मैं यहां पर यह भी साफ बता देना चाहती हूं कि जिस स्टेडियम की शायद आप कल्पना कर

रहे हों, जैसे लखनऊ में स्टेडियम है, ये वैसे स्टेडियम नहीं होंगे। ये गावों के छोटे-छोटे स्टेडियम हैं, जहां पर गांव के खिलाड़ी अपने कपड़े बदल सकें। इसके लिये हमने 50 लाख रुपए का प्राविधान किया है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

ये पांच स्टेडियम कहां बनेंगे, इसे बता दें। 4 हजार आपने जो यह हैन्ड पम्प लगाने की बात कही है, ये क्या सब इंडिया मार्का–टू हैं या सामान्य किस्म के भी इसमें हैन्ड पम्प हैं। इनको जो संख्या है, क्या वह पर्याप्त है। इसे आप बढ़ाने पर बिचार करेंगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

4 हजार हैन्ड पम्प का हमने प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए के आम हैन्ड पम्प लगते हैं। चूंकि श्री पान्डेय जी का विभाग इसे करता है, परन्तु वह ग्रामीण विकास के बजट से ही जुड़ा होता है। इस प्रकार आप देखें तो यह 107 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास के कार्यों के लिये होता है। श्री उपाध्याय जी ने आलोचना की और कहा कि वह बातें हैं, वही बजट है, वही योजनायें हैं, इसलिये उसी संबंध में मैं यह कहना चाहती हूं कि "कैसी मसालें लेकर चले थे तीरगी में आप, पहले जो रोशनी थी, अब वह भी नहीं रही।" इन्हीं शब्दों के साथ आपसे वायदा हुआ था कि आप वापस ले लेंगे। मेरा अनुरोध है कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पारित हो जानें दें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6, 76, 62, 34, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,00,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21, 60,70,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि को पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,07,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1990

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री—(श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हू कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, उस संशोधन विधेयक के ऊपर पहले ही विचार हो चुका है, जिसमें जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने का समय एक वर्ष किया गया है । इसके पीछे एक ही भावना थी और वह यह थी कि एक वर्ष का ही अविश्वास प्रस्ताव का समय होना चाहिये चाहे वह मुख्य मंत्री हो या कोई और हो । जिला परिषद में दो वर्ष का अविश्वास का प्रस्ताव लाने का पहले प्राविधान था ।

इसमें मान्यवर, ऐसा होता था कि अगर किसी कारणों से अविश्वास का प्रस्ताव पारित न हो सका या अविश्वास का प्रस्ताव न आ सका तो फिर दो वर्ष के लिये आगे मामला टल जाता था, इसका नतीजा यह होता था कि जिससे लोग प्रसन्न नहीं है या वह काम सही नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी चार साल तक के लिये वह कार्यरत होता था । ऐसा भी आभास हुआ है । जैसा कि आप लोगों ने कहा कि यह प्रजातंत्र पर कुठाराघात है तो ऐसी बात नहीं है बल्कि यों कहिये कि प्रजातंत्र में भी स्वतंत्रता नहीं थी इसीलिये दो साल की अवधि को घटा कर एक साल के लिये कर दिया गया है । अगर किसी का कार्य ठीक नहीं है और लोग उससे प्रसन्न नहीं हैं या लोगों का विश्वास उस पर नहीं है तो उसके प्रति विश्वास प्राप्त किया जाय । लेकिन इसके लिये आवश्यक नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से वह व्यक्ति हट ही जाये । अगर उनको विश्वास है और उसके सहयोगियों को उनके प्रति विश्वास है तो अविश्वास का प्रस्ताव पास भी नहीं होगा और उनके अपने पद से हटने की भी बात नहीं होगी । यह तो केवल एक मौका देने के लिये ऐसा बनाया गया है जिसका खास मुद्दा यही है कि एक साल के अन्दर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सके । यह विधेयक पंचायती राज के लिये अलग मतदाता सूची हटाने के लिये है क्योंकि यहां मतदाता 18 वर्ष का होता ह । जैसा कि विधान सभा में भी होता है, इसलिये यह संशोधन लाया गया ह और मैं आशा करती हूं कि इस संशोधन को आप लोग पारित कर देंगे ।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तावित करता हूं कि उत्तर प्रदेश, पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि अभी माननीया ग्राम्य विकास मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि किस प्रकार से इस संशोधन को लाया गया है तो इसमें सरकार की नियत साफ नहीं थी क्योंकि अधिकांश जिला परिषदों में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अब इनको कैसे हटाया जाय और कैसे इनके स्थान पर जनता दल के लोग आयें, इसलिये माननीय मंत्री जी का विचार है कि अगर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो ठीक रहेगा । लेकिन मेरा इस सम्बन्ध में निवेदक है कि अगर माननीय मंत्री जी की नियत साफ है तो फिर वे यह क्यों नहीं स्वीकार कर लेती हैं कि इस संशोधन विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय इससे प्रजातंत्र की निचली इकाई की स्थापना में भी लोकतंत्र रहेगा । मैं समझता हूं कि वे इसमें सहयोग देंगी और इनकी प्रजातंत्र की भावना की पुष्टि भी तभी होगी जब ये संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को सौपने के लिये मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेती हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, इसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे आश्चर्य है कि माननीया मंत्री जी के प्रस्ताव पर माननीय तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है, मैं नहीं समझ पाया कि आजकल क्या मामला चल रहा है किस इस विधेयक के माध्यम से कि जो तानाशाही जिला परिषद के अध्यक्षों के मन में पैदा हो रही है उस पर अंकुश लगाने के लिये काम किया जा रहा है तो इसमें माननीय तिवारी जी को क्या एतराज है ? एक अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य कर रहा हो, पद का दुरुपयोग कर रहा हो तो अगर उसकी नियत ठीक नहीं है , वह भ्रष्टाचार शुरू कर देता है तो उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव जरूर लाना चाहिये सरकार का भी चुनाव होता है लेकिन हर 6 माह पर उसके प्रति भी अविश्वास का प्रस्ताव लाये जाने का नियम है । फिर यह तो डाईरेक्ट चुन कर आते हैं उनके लिये माननीया मंत्री जी अगर तानाशाह को रोकने के लिये विधेयक में संशोधन लायी हैं, मैं इसीलिये इसका समर्थन करता हूं ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, जो हमारे विधेयक हैं, जब उनको कार्यान्वित किया जाता है, तो तमाम प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये संशोधन लाये जाते हैं । माननीय मंत्री जी ने संशोधन रखकर जन तंत्र लाना चाहती ह और मैं कहना चाहता हूं कि संशोधन लाकर वह जनतंत्र की हत्या करना चाहती हैं । माननीय सदस्य का जो प्रवर समिति में इसे भेजने का सुझाव है, वह ठीक है । सदस्यों की एक समिति बन जाये और जो उसमें कमियां हों वह एक ही बार में दूर हो जाये । इससे बार-बार संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं होगी । होता क्या है जो सुझाव नौकरशाही दे देती है, उनको यह संशोधन के रूप में ले आते हैं या जब कोई राजनैतिक नेतृत्व को कोई काम करने में कठिनाई होती है, तब यह संशोधन ले आते हैं । तो प्रवर समिति के माध्यम से यह सम्भव होगा कि इस विधेयक की जो कमियां हैं, सारी की सारी सामने आ जायेगी, इसलिये मैं तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, तिवारी जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उससे आश्चर्य होता है इससे वही कहावत चरितार्थ होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जो भी बात यहां पर की जाती है, वह समझते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है कि कांग्रेस को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको हटाने की यह प्रक्रिया है। जो चेयरमैन, हैं, उन पर दो साल के पहले कोई ऊंगली नहीं उठा सकता है। हमने एक वर्ष कर दिया। अगर उसका विश्वास ह, तो वह बना रहेगा और जब विश्वास खो देगा तो उसे हटना पड़ेगा। आपकी पीठ से भी यह आया है कि अगर विश्वास नहीं होगा तो एक दिन भी मैं इस कुर्सी पर नहीं रहूंगा। इस लिये मेरा निवेदन है कि तिवारी जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी, आपने तो बहुत कुछ कह दिया।

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

अगर आप कह दें तो तिवारी जी अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 5 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1990

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1954 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायगा।

(2) यह 21 अप्रैल, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 2 का संशोधन:

2-संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में खण्ड (झ) निकाल दिया जायगा।

धारा 9 का प्रतिस्थापन

3-मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात:-

गांव सभा की निर्वाचक नामावली

"9-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन तैयार की गयी तत्समय प्रवृत्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली जहां तक उसका सम्बन्ध किसी गांव सभा क्षेत्र से है, उस गांव सभा के लिये निर्वाचक नामावली होगी :"

प्रतिबन्ध यह है कि गांव सभा में किसी निर्वाचन के लिये नामांकन करने के अन्तिम दिनांक के पश्चात और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में की गयी कोई शुद्धि, लोप या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये विचार में नहीं लिया जायगा।"

4—मूल अधिनियम की धारा 12—बी बी के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात:— धारा 12—बी बी का प्रस्थापन

"12—बी बी—इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये, गांव पंचायतों के सदस्यों तथा गांव सभाओं के प्रधानों और उप-प्रधानों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण, निर्वाचन निदेशक (पंचायत) में निहित होगा।" निर्वाचनों का अधीक्षण

(1) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सामूत समय पर प्रवृत्त थे। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1990

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5, तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 1990 जैसा उत्तर प्रदेश, विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) जिधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 1990

नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

विचार तो वही हैं, जो आ चुके हैं सदन में।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

श्रीमन्, वर्ष 1989 तक अधिकाँश नगरपालिका, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के चुनाव हो चुके थे केवल 10—11 के चुनाव ही नहीं हो पाये थे। 12 जनवरी को इस सदन में

एक विधेयक लाया गया और सदन में यह प्रार्थना की गई थी कि इसके लिये 31 मार्च, 1990 तक चुनाव कराने की अनुमति दे दी जाय । उसके लिये इस सदन ने अनुमति दे दी । मान्यवर, 17 जनवरी, 1990 को विधान परिषद् ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी किन्तु कतिपय कारणों से समय के अन्दर ये चुनाव नहीं हो पाये जिसके लिये 29 मार्च, 1990 को एक अध्यादेश लाना पड़ा जिसमें कहा गया कि 30 सितम्बर, 1990 तक जो शेष नगरपालिकायें, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया के चुनाव रह गये हैं, वे हो जायेंगे । श्रीमन्, 21 जून, 1990 को विधान परिषद् में यह विधेयक पारित हो गया और आज यह विधेयक इस सदन में इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि जो 11 स्थानीय निकाय रह गई हैं जिनमें हाई कोर्ट का स्थगन आदेश पड़ा है, जिससे चुनाव नहीं हो सके हैं, हम जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं । इसलिये मात्र 30 सितम्बर, 1990 तक का समय चाहते हैं और इस माननीय सदन से चाहते हैं कि वह इस पर विचार करें और अपनी अनुमति दें ।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्प कालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो शब्द कहना चाहूंगा । इसी लिये मैं इस संशोधन को लाया हूं । जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि 30 सितम्बर तक जहाँ चुनाव 11 जगहों पर बाकी हैं, वहाँ करा दिये जायं और वह आवश्यक भी है । सम्भव है हाई कोर्ट का स्थगन आदेश हो, उसकी वजह से न हो पाये हों या और कोई कठिनाई रही हो, किन्तु मेरा प्रवर समिति में भेजने का सुझाव इसलिये आप मान लें कि... (व्यवधान) मेरे पुराने साथी हैं, नहीं चाहते हैं कि मैं इस पर बोलूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप माइक पर बोलें, तब बोलने देंगे ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है । जैसा कि कहा गया जिला परिषद् में मेम्बरों द्वारा अध्यक्ष चुने हुये थे लेकिन नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया में जो अध्यक्ष 1 लाख से कम हैं, के म्युनिसिपल बोर्ड हैं वहाँ के अध्यक्ष जनता द्वारा चुने हुये थे, उनको भी दूसरे संशोधन के माध्यम से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिये मान्यवर, इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि विस्तार से इस पर विचार हो जाय और आप जो नये चुनाव सितम्बर तक कराना चाहते हैं तो उनमें भी उसका सुझाव समाविष्ट हो जाय ।

श्री श्याम नारायन--

मान्यवर, आप कृपया ध्यान दें । संशोधन जो प्रस्तुत है यह दो बार पहले भी आ चुका है और यहाँ पर दो बार उन्हीं कारणों से इसका समय बढ़ाया जा चुका है । इसके द्वारा तीसरी बार समय माँग बढ़ाने की हो रही है । 16 जून को इसपर विचार हुआ था और उस समय माननीय सदस्य बहराइच धर्मपाल जी ने शंका व्यक्त की थी कि यह पुनः समय बढ़ायेंगे तो वह बात सही निकली और पुनः आशंका व्यक्त करता हूं कि आप फिर समय बढ़ायेंगे क्योंकि आपकी नियत साफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहींहै । अखबारों में भीआपने देखा होगा उसमें आरहा है किअगस्त, सितम्बर में विधान सभाओं के उप चुनाव होंगे वर्षान्त में हमारे महाराजगंज विधान सभा सीट जो खाली है वहाँमध्य वर्शात में चुनाव होंगे और इन चुनावों में इनको फिर समय बढ़ाना पड़ेगा । यह चुनाव न कराकर नौकर शाहो को अधिकार देना चाहते हैं और जन प्रतिनिधित्व की भावना को आघात इससे पहुंचा रहे हैं इसलिये इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो छान बीन कर अपने सुझाव दें ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने आशंका प्रकट की है कि सरकार की नियत साफ नहीं है तो मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की नियत बिल्कुल साफ है मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं जब हम आपकी तरफ बैठा करते थे पिछले साल जब बजट आया तो आज जो हमारे मुख्य मंत्री हैं उस समय वह नेता विरोधी दल थे तो इसी बात पर पूरा बजट सत्र का बहिष्कार किया था कि जब तक आप नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज का चुनाव कराने की घोषणा नहीं करेंगे तब तक बजट सत्र में हम नहीं बैठेंगे । तो जब हम विपक्ष में थे तो हमने इस बात के लिये दबाव डाला था और जब सेवा का मौका मिला और 5 दिसम्बर, 1990 को सेवा का मौका दिया तोहमने पहली बैठक में यह बात तय की और 12जनवरी कोविधेयक लाये, हम अध्यादेश के माध्यम से नहीं चाहते थे और हमने ईमानदारी से 31 मार्च, 1990 तक का समय लिया था तो उसमें कुछ प्रगति हुई मैं बतना चाहता हूं नगरपालिका, गाजीपुर, नगरपालिका, नबाबगंज, गोंण्डा नगरपालिका, मवाना, मेरठ, टाउन एरिया, गहमर, गाजीपुर, नोटिफाइड एरिया, ओबरा सोनभद्र, टाउन एरिया, एलम, मुजफ्फरनगर, टाउन एरिया, लक्सर, हरिद्वार, टाउन एरिया, शक्तिगढ़, नैनीताल' टाउन एरिया, बाँसगाँव, गोरखपुर और टाउन एरिया हर्रैया, बस्ती वहाँ पर चुनाव नहीं हो पाये । लेकिन इसी बीच हमने दो जगह के लिये निदेशक, चुनाव को आदेश दे दिये हैं 29 जनवरी, 1990 को कि जल्दी से जल्दी चुनाव करा दें जहाँ पर, माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशे नहीं है । लेकिन जहाँ चुनाव नहीं हो रहे उसमें नगरपालिका, गाजीपुर, में गलत सीमाँकन के कारण नगरपालिका, नवाबगंज, गोण्डा, नगरपालिका, मवाना, मेरठ, टाउन एरिया, गमहर, गाजीपुर में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश हैं । टाउन एरिया, लक्सर, टाउन एरिया, शक्तिगढ़, नैनीताल, टाउन एरिया, बाँसगाँव, गोरखपुर, टाउन एरिया हरया, बस्ती यह नव सृजित टाउन एरिया हैं ।

जैसा आप जानते हैं कि यह वर्ष जनगणना का वर्ष है और जनवरी, 1991 तक हम किसी प्रकार से सीमा विस्तारनहीं कर सकते हैं । तो इसमें हमारी शिथिलता नहीं रही है कुछ स्थानीय परेशानियाँ और माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण चुनाव नहीं हो पाये हैं मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जो 30 सितम्बर के लिये समय रखा है उसमें चुनाव करायेंगे । आपका यह कहना कि चुनाव कैसे करायेंगे कि आप कहते हैं कि विधान सभा के चुनाव कराने जा रहे हैं तो इससे हमारी नियत साफ हो जाती है हम हर चुनाव कराना चाहते हैं आपकी बात में अपने आप विरोधाभाष है । हमारी कोशिश है कि जहाँ कहीं चुनाव नहीं हो पाये हैं वहाँ जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जायं ताकि जनतांत्रिक शक्तियाँ मजबूत हो सके । दूसरी बात हिन्दुस्तान के चुनाव के इतिहास को देखें चुनाव फरवरी और मार्च में होते थे लेकिन बीच में देखें चुनाव जनवरी, जून और बरसात में भी हुये हैं । इसलिये सितम्बर में चुनाव नहीं हो पायेंगे ऐसा सन्देह न करें । इसलिये दोनो तिवारी जी से चाहूंगा कि प्रवर समिति को देने का जो प्रस्ताव रखा है उससे जल्दी के बजाय और देर से चुनाव हो पायेंगे, इसलिये आप अपने प्रस्ताव को वापस लेने पर विचार करें ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मंत्री जी अनुरोध कर रहे हैं इसलिये मैं उनके आग्रह को शिरोधार्य करके अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे को वापस लेने की अनुमति दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायेगा ।

(2) यह 29 मार्च, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहाँ कहीं भी शब्द और अंक "31 मार्च, 1990" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक '30 सितम्बर, 1990" रख दिये जायेंगे ।

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1990" के स्थान पर शब्द और अंक "30 सितम्बर, 1990" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1990 निरसन और अपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1990, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विक्रमादित्य पान्डेय--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश के थाना और जिला स्तर के मालखानों से अरबों रुपये का सामान गायब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता इस विश्वास में जी रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उनकी जान और माल की रक्षा कर रही है लेकिन जब थानों और कोतवाली एवं सरकारी मालखानों से करोड़ों रुपये की संपत्ति गायब हो जाये तो जनता का पुलिस पर से विश्वास खंडित हो जाता है। इस प्रकार के मामले बरेली के मालखानों का है। वसे माल थानों में जमा हो जाता है और जब केस चलते हैं, तारीखें पड़ती हैं तो सामान कचेहरी में प्रस्तुत किया जाता है और वहां से माल सदर के मालखानों में जमा होता है। इस तरह का एक केस आया कि बरेली कोतवाली से जब माल मांगा गया तो सामान वहां नहीं मिला, जांच की गयी तो पता चला कि सामान गायब है और सूची के अनुसार माल नहीं है । इस संबंध में एस0 एस0 पी0 ने हेड मोहर्रिर को निलम्बित कर दिया और कहा गया कि चार्ज दे, लेकिन वह फरार हो गया। एस0 एस0 पी0 के आदेश के बाद मालखाना खुलवाया गया तो पाया गया कि सूची के अनुसार माल नहीं है, और करोड़ों रुपये का सामान गायब है, । मान्यवर, 7 अप्रैल 1990 को इंस्पेक्टर कोतवाली ने एक रिपोर्ट हेड मोहर्रिर के खिलाफ धारा 409, 430, 467, 466, 218, 299 आई0 पी0 सी0 के तहत लिखाई और जांच में पाया गया कि मवाना स्टेट की एक सोने की तलवार, जिसमें रत्न और हीरे जड़े थे गायब थी, हीरे का मूठ जड़ा हुआ खंजर गायब था, कई लाख रुपये के सोने चांदी के आभूषण गायब थे, एक दर्जन रिवाल्वर, चाकू, बन्दूकें और कारतूस, अफीम एवं चरस, मोटर साइकिलें तथा अच्छी शराब गायब पायी गयी थीं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, सबसे खास बात यह है कि इसमें 574 साक्ष्य जो मालखाने में रखे थे गायब पाये गये जिससे अपराधियों के छूट जाने की संभावना है, यह गंभीर मामला है क्योंकि इससे बड़ा भारी विश्वास जनता का जो पुलिस पर था वह हटा है और जनता ने सोचना शुरू कर दिया है कि पुलिस जो जानमाल की रक्षक है वह अपने माल की रक्षा नहीं कर सकती है तो हमारी क्या रक्षा करेगी। मालखाने में जहां चारों तरफ पुलिस और संतरी हों और वहां से माल गायब हो जाये तो इससे गंभीर घटना और क्या हो सकती है? मान्यवर, इससे भी गंभीर बात यह है कि इतना सामान गायब हो गया और उसकी जिम्मेदारी कायम की गयी हेड मोहर्रिर की जिसे केवल निलम्बित किया गया है जब वह फरार हुआ तो उसकी गिरफ्तारी के आदेश हुए। जब जनप्रतिनिधियों का बहुत ज्यादा दबाव पुलिस पर पड़ा तो उन्होंने इंस्पेक्टर कोतवाली को निलम्बित कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इसके तीन दिन बाद ही उसे फिर बहाल कर दिया गया। तो क्या हेड मुहर्रिर बदन सिंह, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारन्ट था, और जो एक अदालत में पेश हो गया था, वही अकेले इसके लिए जिम्मेदार था। क्या इसके पीछे और बड़े-बड़े लोग नहीं थे.? मेरा विचार है कि इसके पीछे बहुत बड़े-बड़े कई अधिकारी भी थे। इस तरह एक करोड़ रुपये का माल पुलिस मालखाने से गायब होता ह, तो क्या उसके लिए वही एक जिम्मेदार होगा। यू0 पी0 पुलिस रेगुलेशंस में पृष्ठ 254 पर लिखा हुआ है कि "मालखाना टू बी इंस्पेक्टेड डेली एन्ड शुड बी गार्डेड बाई सेन्ट्री" मालखाने का रोज चेक होना चाहिये हेड मुहर्रिर द्वारा, इंस्पेक्टर द्वारा, साल में तीन बार सी0 ओ0 द्वारा और एक बार एस0 एस0 पी0 द्वारा होना चाहिए। बरेली में तो आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 भी रहते हैं। तो ऐसी बड़ी जगह जहां पर इतने बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी रहते हैं, एक करोड़ का माल गायब हो जाए, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि उसके लिए हेड मुहर्रिर ही कैसे जिम्मेदार होगा।

इसी तरह मेरठ में भी ऐसा ही हुआ है वहां भी कोतवाली से काफी सामान गायब हुआ है। यह बहुत गंभीर घटना है। मैं कहना चाहता हू कि वैसे तो इसमें सी0 ओ0 से इसकी जांच कराई जा रही है, और जब यह मालूम हुआ कि इसकी चर्चा विधान सभा में भी लग गई है तो मामला सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया। अब सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट कितने समय बाद आएगी, इसको कोई नहीं जानता है। लेकिन इस घटना से पुलिस के प्रति जनता का जो विश्वास घटा है, उसके लिए वह पुलिस अधिकारियों के साथ कोई कार्यवाही अवश्य करें, ताकि उनका विश्वास वापस आ सके।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, आपकी कृपा है, जो समय दिया --(व्यवधान) में जनता की आवाज को आपके सामने मुखरित कर रहा हूं। यह एक ऐसे विषय की ओर डा0 दिनेश जौहरी ने अपने इस नियम 52 के अन्तर्गत जो प्रश्न उठाते हुए सदन का ध्यान आर्कषित किया है, वह सचमुच एक ध्यान आकर्षण का विषय रहा है। जब से नई व्यवस्था का प्रश्न उभड़ा, तब से किसी विषय पर विवाद होता था तो उस विवादित माल को केस-प्रापर्टी के रूप में पुलिस अपने पास रख लेती थी। और जब निर्णय, न्याय हो जाता था तो जिसके पक्ष में निर्णय होता था उसके सुपुर्द कर दिया जाता था। मान्यवर, देरी होने की प्रक्रिया कुछ दिनों से प्रारम्भ हुई। जब देरी होने लगी तो केस प्रापर्टी की सामग्री जो भी शासन के पास सुरक्षित रखी जाती थी उसकी सुरक्षा प्रशासन करने लगा। कोई भी अवधि ऐसी नहीं है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 10

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बर्ष जिसमें केस प्रापर्टी को बेचकर धनराशि जमा होगी। कभी-कभी मोटर, हीरा-जवाहरात खासकर रिवाल्वर, पिस्तौल, बन्दूक शासन की ओर से लोगों को नीलाम करके दे दिया जाता था, ऐसी परिपाटी थी। पुलिस के अधिकारी अपने लिए सस्ते दामों पर हथियार लेते थे। इस पर शासन ने रोक लगा दी। इससे अधिकारियों की जो दिलचस्पी हथियार खरीदने में थी, वह खत्म हो गयी। जो हथियार बाजार में हजारों रुपयों के होते थे वह 100 रुपये में खरीदे जाते थे। इस मामले में वर्तमान शासन सजग है, सचेष्ट है और उसकी चेष्टा है कि जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का किस तरह से संरक्षण हो। जब वर्तमान शासन द्वारा सचेष्टता का सवाल उठता है तो माननीय पंचानन राय जरा सा मुस्करा देते हैं और जब कहा जाता ह कि पुराना शासन सचेष्ट था तो हंस देते हैं। केस प्रापर्टी का निर्णय न तो आपके शासन ने किया और यह शासन यदि छह महीनों में निर्णय कर दे तो आपको इस शासन की उपलब्धि माननी चाहिए।

मान्यवर, चन्द सुझाव हैं जो कि मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक तो केस प्रापर्टी को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के लिए कोई संवर्ग नहीं है। केस प्रापर्टी जो करोड़ों रुपयों की होती है उसका रख-रखाव, देख-रेख करने के लिए जैसे पुलिस विभाग में आई0 जी0 के कई पद सृजित हो गये हैं, उसी तरह शासन आई0 जी0 का कोई ऐसा पद सृजित करावें जो केस प्रापर्टी को डील करें, उसका प्रापर आडिट करें। मान्यवर, नयी मोटरों में स्मगलिंग होती है, और स्मगलर जब पकड़े जाते हैं तो सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं। लाखों रुपयों की मोटर 200, 500 और 1000 रुपये में नालाम होती हैं। और सामान का विलुप्तीकरण हो जाता है। क्या इससे शासन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी केस प्रापर्टी के संवर्ग की रचना जिला के स्तर और प्रदेश के स्तर पर करें।

श्री नरेन्द्र पाल सिह--

मान्यवर, डा0 दिनेश जौहरी द्वारा प्रस्तुत किये गये विषय की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह प्रदेश का बहुत ही गंभीर मामला है एवं पुलिस घोटाला का है। हमारी जनता दल की सरकार के आने से पुलिस के अधिकारी जो कांग्रेस सरकार के टाइम में सो रहे थे, निष्क्रिय थे, अब सक्रिय हो गये हैं। मान्यवर, लाखों रुपये की नकदी, सोने चांदी के आभूषण रिवाल्वर, तमंचे, कारतूस, बंदूकें, अफीम, चरस, शराब, मोटर साइकिलें, साइकिलें, हीरों से जड़ित स्वर्ण तलवारें जिनकी कीमत लाखों रुपये से कहीं अधिक थी जो मोमाना स्टेट की ऐतिहासिक वस्तु थी।

मान्यवर, 24 राजकीय सामान थे, 574 सरकारी फाइलें महानगर बरेली की कोतवाली मालखाने से गायब हो गई। जहां सैकड़ों पुलिस कर्मी, दरोगा, इंसपेक्टर और पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी रहते हैं। मान्यवर इससे ज्यादा गम्भीर और क्या हो सकता है, मालखाने के हेड मोहर्रिर बदन सिह थे, उस समय पर मान्यवर, 26 अगस्त, 1979 को 60 हजार का गबन करने की रिपोर्ट भी लिखाई गई थी। इसके बाद एक सिपाही के ग्रुप इन्श्योरेंस की धनराशि हड़पने की 8 अगस्त, 1989 को रिपोर्ट भी दर्ज हुई फिर भी उसने 12 फरवरी तक कोतवाली पर ड्यूटी की और इसके बाद फरार हो गया इससे साफ है कि अधिकारियों ने कितनी लापरवाही बरती है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र पाल सिह--

मान्यवर, यह छोटा-मोटा मामला नहीं है इसमें बड़े-बड़े अधिकारियों की साजिश है, वहां से अकेले हेड मोहर्रिर द्वारा सामान गायब नहीं किया जा सकता है, लेकिन सामान गायब हुआ ही है इससे

साफ है कि बड़े-बड़े अधिकारियों का भी हाथ है, तो जिन अधिकारियों का इसमें हाथ है उनके खिलाफ शीघ्र सख्त कार्यवाही की जाय ।

*श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । इसमें मान्यवर, राज्य सरकार को कोई प्रभावशाली व्यवस्था करनी चाहिये । जो सम्पत्ति इनकी कस्टडी में आती है, कब्जे में आती है वह अमानत के रूप में होती है, लेकिन इसमें बहुत भयंकर तरह का घपला होता है । चाहे वह कीमती हथियार हों चाहे वह कीमती जेवरात हों । अगर कोई स्मगलिंग का सामान पकड़ा गया सरकार ने उसको जब्त कर दिया, तो उसको सुरक्षित होना चाहिये । मान्यवर, मेरे जनपद बांदा का एक मामला है । बांदा के मालखाने में कई तोले सोना जमा था । एक दिन सी0 जे0 एम0 छुट्टी पर चले गये उनकी जगह एक दूसरे प्रभारी मजिस्ट्रेट आये । उन्होंने प्राजीक्यूशन अधिकारी से मिलकर सोना गायब कर दिया और कह दिया कि सोना नष्ट कर दिया, इस तरह से उन दोनों ने सोना हजम कर लिया । जो प्रभारी सी0 जे0 एम0 थे, उन्होंने जो लिखा उसके बाद प्रभारी के रूप में हस्ताक्षर भी नहीं किये। उन्होंने सी0 जे0 एम0 के रूप में हस्ताक्षर किये उन्होंने सोचा अगर पकड़े गये तो सी0 जे0 एम0 पकड़े जायेंगे ।

मान्यवर, जब यह मसला हुआ तो उन्होंने इसकी लिखा-पढ़ी शुरू की । इस पर सी0 जे0 एम0 पर मैजिस्ट्रेट ने सरेआम लंच के दौरान बाहर जूता लेकर हमला किया कि अगर इस सम्बन्ध में बात उठाओगे तो आपको मारूंगा । तो मैं कहना चाहता हूं कि हर जनपद में इस तरह की घटनायें घटित हो रही हैं और जो लोग ऐसे माल के कस्टोडियन होते हैं वही इसमें गड़बड़ी करते हैं । इसीलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में नियम बनाने चाहिये । जिलों-जिलों में इसके लिये समितियां बनानी चाहिये जिसमें पब्लिक के लोग हों, बार एसोसियेशन के लोग हों तो अच्छा होगा ताकि यह समिति जो इस तरह के हथियार हैं, दौलत है उसकी सही तरह से देखभाल हो सके । मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सुझाव पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे और कारगर कदम उठायेंगे ।

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)--

मान्यवर, डाक्टर दिनेश जौहरी ने जो नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा के लिये प्रस्ताव दिया है वह काफी महत्वपूर्ण है । पूरे प्रदेश के जो मालखाने थानों के हैं उनकी हालत सचमुच में बहुत खराब है। इस समय रख-रखाव की जो हालत है उसके बारे में बहुत गम्भीरता से विचार किया जा रहा है क्योंकि काफी अर्से हो जाने के बाद भी इस समय देखने में यह आ रहा है कि जो मुकदमें हैं उन मुकदमों का निस्तारण जल्दी नहीं हो पा रहा है, काफी देर लग रही है । इसी को बजह से थानों के अन्दर जो मुकदमों से सम्बन्धित संपत्ति है उसके बारे में गम्भीरता से विचार करना पड़ रहा है ।

दूसरी बात यह भी है कि जो थानों की स्थिति है, खासकर उनकी जो इमारतें हैं उनमें अब जगह की कमी का मसला आने लग गया है । हर जनपद में जो सदर मालखाने हैं उनकी हालत ऐसी हो गयी है कि अब उनमें जगह नहीं रह गयी है कि माल ले जाकर रखा जा सके । ऐसे माहौल में, ऐसी पृष्ठ भूमि में यह महसूस किया जा रहा है कि बहुत जल्दी थानों के स्तर पर और सदर मालखानों के स्तर पर इनका प्रसार करना पड़ेगा, जगह बढ़ानी पड़ेगी और इमारतें अलग से बनानी पड़ेगी और इसके लिये धनराशि की जरूरत पड़ेगी । इस पर हम विचार कर रहे हैं कि कोई योजना बनायी जाय । इसके अलावा प्रदेश में जो मालखानों की स्थिति है उसके बारे में निर्देश जारी कर दिये गये हैं अभी 6 जुलाई को, जो कि विभिन्न थानों से सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी हैं वह उसका भौतिक सत्यापन करायें और भौतिक सत्यापन कराकर, कहां किस थाने में क्या माल रखा है, किस मुकदमें से सम्बन्धित है, किस हालत में है, यह सारी प्रक्रिया पूरी करके जो उस मंडल के उप महानिरीक्षक हैं उनको सूचना बनाकर देंगे और उनके जरिये वह सूचना पुलिस महानिरीक्षक के पास आयेगी और उसके बाद वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सूचना पुलिस महानिदेशक के पास आयेगी । 31 अगस्त, तक सारी सूचना बनाने को प्रक्रिया पूरी होकर उप महानिरीक्षक के पास सूचना आ जायेगी ।

मान्यवर, इसके अलावा जो मालखाने हैं उन मालखानों के बारे में भी सतर्कता से प्रयास किया जायगा और यह भी प्रयास किया जायगा कि जो मुकदमें से सम्बन्धित पत्रावलियां हैं, जो बहुत पुराने मुकदमें हैं और विभिन्न अदालतों में पड़े हुये हैं उन मुकदमों को भी जल्दी से जल्दी निस्तारित कराने के प्रयास किये जा रहे हैं । इसके अलावा जो मुकदमों से सम्बन्धित माल हैं, जो लावारिस हैं उनका भी निस्तारण कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

यह तो पूरे प्रदेश के सम्बन्ध में है और उससे पूरे तथ्य का पता लग जायगा कि जनपद में पूरे मालखानों की क्या स्थिति है । जहां तक बरेली की बात है, बरेली के बारे में माननीय सदस्य ने जो तथ्य प्रस्तुत किया है, वह सचमुच में गम्भीर है और यह भी सही है कि बरेली कोतवाली में जो बदन सिंह मालखाना के इंचार्ज थे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया धारा 420 का और जो अभी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत धारायें हैं, सामान गायब होने की उन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है । 622 माल ऐसे पाये गये हैं, जिनके बारे में विस्तार में जानकारी मिल पाई है और 30 के करीब ऐसे माल हैं जो काफी कीमती हैं, मसलन जो तलवार हैं सोने की जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुये हैं, उसके बारे में बताया गया कि काआकाशी द्वीप कोई होटल है वहां पर छापा मारा गया, और माल वहां से बरामद हुआ । चूंकि सोने की तलवार है, काफी कीमती है, वह पता लगाई जा रही है कि वह सोना मोमाना राज्य की है, इसका भी पता लगाया जायगा । इसकी सारी बात की जानकारी करा ली जायगी । इसमें यह भी है कि अभी तक जो जानकारी मिली है, वह जानकारी संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि यह 80 से 89 तक जो माल था, वह सब मुकदमें से सम्बन्धित सम्पत्ति थी, पिछले 10 साल से जो वहां पर उस थाने में रखी गयी थी और यह भी सही है कि जो थानेदार हैं, प्रभारी निरीक्षक हैं, उनको रोज मुआयना करना चाहिये और यह जरूरी है कि जो जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होते हैं, उनको सालाना मुआयना करना चाहिये और जो उप महानिरीक्षक मोआयना नहीं करते हैं, वह तो हम सब जानते हैं । पिछले 9 साल से जो करना चाहिये था वह आपने नहीं किया, तभी तो यह नतीजा आ रहा है और झेलना हम लोगों को पड़ रहा है । लेकिन मान्यवर, यह सही है और मैं तो चाहूंगा, आप भी बगल–बगल में रहे और आपके पास भी बगल का मोहल्ला था। मान्यवर, यह सही है आज उप नेता हैं और उन्होंने यह कबूल किया है कि जो निरीक्षण होना चाहिये नहीं हुआ, जो कर्तव्यपरायणता होनी चाहिये थी, नहीं हुई, यही कबूल कर लिया होता, तो वहां न बैठना पड़ता । यह जिम्मेदारी अब हमारी है, इसक जिम्मेदारी निभाई जायगी । पूरे के पूरे प्रकरण की तफसील कराई जा रही है और जो बड़े अधिकारी हैं, मुआयना किया या नहीं किया या जो पूरी लिस्ट है, इसमें कब से गड़बड़ी आई है, खाली कांस्टेबिल दोषी नहीं हैं, अगर खाली कांस्टेबिल दोषी होता, तो हम जांच न भी कराते, इसीलिये यह सतर्कता विभाग से जांच कराई जा रही है । डा0 दिनेश जौहरी इस महत्वपूर्ण प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाये, इसके लिये हम इनके प्रति आभारी हैं । जितने सूबे के पूरे के पूरे मालखाने हैं, वे न्यायिक प्रक्रिया की सम्पत्ति हैं ।

वह न्यायिक प्रक्रिया की सम्पत्ति है और अगर वह सम्पत्ति थानों से गायब होने लग जायेगी तब तो किसी को यकीन नहीं रह जायेगा थानों पर, न सरकार पर, न जनतंत्र पर । इसलिये मैं यह चाहता हूं माननीय गुप्ता जी, डा0 जौहरी साहब आप सब लोगों ने जो सवाल उठाया है, यह बहुत

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

बड़ा काम किया है । मैं अन्त में यह कहना चाहूंगा कि बहुत गम्भीर मामला है और लोक महत्व का है इस पर और भी जो सुझाव माननीय सदस्य देंगे, इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे । जैसी आपको जानकारी है, इसकी जांच करा रहे हैं । जांच की रिपोर्ट आने पर जो भी तथ्य सामने आयेंगे, उस पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी और पूरे प्रदेश में मालखानों की स्थिति सुधारने के लिये हमने व्यापक रूप से कार्यवाही शुरू कर दी है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी---

मान्यवर, आपने इस विषय में एक इंसपेक्टर कोतवाली को सस्पेन्ड किया था और तीसरे दिन फिर बहाल कर दिया इसका क्या कारण है ? क्या कोई दोष नहीं था इसलिये बहाल कर दिया या किसी दबाव में बहाल कर दिया ?

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मान्यवर, इस तफशील की जानकारी हमारे पास नहीं है । वैसे इंसपेक्टर की बहाली या मुअत्तली से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । दरोगा तो बहुत छोटा आदमी है, वह क्या करेगा, उसकी बहाली मुअत्तली से इसको न जोड़ा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

(श्री देव कुमार यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

यादव जी, आप बैठें ।

श्री देव कुमार यादव---

मान्यवर, बांदा के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि वहां सोना नष्ट करने का एक आरोप था क्या उसकी जांच करायेंगे ?

श्री शतरूद्र प्रकाश---

मान्यवर, उसको भी दिखवा लेंगे ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

आज दिनाँक 9 जनवरी, 1990 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली श्री रघुवर दयाल वर्मा, दूसरी श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की, तीसरी श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की, चौथी श्री कुंवर सिंह नेगी की, पाँचवीं श्री पंचानन राय की, छठी श्री श्याम नरायन तिवारी और श्री अमरमणि की, सातवीं श्री सुरेश कुमार खन्ना की, आठवीं डा0 दिनेश जौहरी की, नवीं श्री किशन गोपाल और श्री प्रागीलाल अहिरवार की तथा दसवीं श्री शिव प्रताप शुक्ल की है । इसमें पहली श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए और दूसरी श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी ।

जनपद बाँदा के थाना कालिंजर के अन्तर्गत ग्राम सढा के मजरा नोहाई आनन्दपुर निवासी कमलेश की वन निगम कर्वी (बाँदा) इकाई के अधिकारी द्वारा हत्या किये जाने के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)---

[प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रघू पुत्र श्री राम किशुन लोध, निवासी ग्राम सराहा, मजरा नोहाई आनन्दपुर, थाना कालिंजर, जनपद बाँदा ने दिनाँक 20 जून, 1990 को प्रातः 5.50 बजे थाना कालिंजर पर प्रथम सूचना अंकित करायी कि दिनाँक 19 जून, 1990 को लगभग 8 बजे रात श्री

नोट---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पृथ्वी सिंह चौहान, इकाई अधिकारी ने वादी के घर आकर ट्रक में धक्का लगाने को कहा । इस पर वादी एवं उसके पुत्र कमलेश तथा कुछ अन्य व्यक्ति ट्रक नं0 एम0 पी0 ए0 2969 में धक्का लगाने गये जिससे ट्रक चालू हो गया । ट्रक स्टार्ट होने के साथ वादी के पुत्र कमलेश की टाँग ट्रक से लटक रहे रस्से में फंस गयी तो वह चिल्लाया । इस पर ड्राइवर से ट्रक रोकने को कहा गया परन्तु वह ट्रक को लापरवाही से चलाकर बघेला बारी की ओर ट्रक लेकर भाग गया । वादी का लड़का उसी के साथ घसीटता हुआ चला गया । वादी तथा अन्य व्यक्तियों ने आगे जाकर देखा तो कमलेश ग्राम सदा के आगे कहारन पुरवा के सामने सड़क पर मरा पड़ा हुआ था ।

2--इस सूचना पर थाना कालिंजर पर ट्रक ड्राइवर के विरुद्ध अभियोग अपराध संख्या 43/90 धारा 279/304-ए भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया । शव का परीक्षण करवाया गया । विवेचना से ट्रक नं0 यू0 टी0 एल0 2073 द्वारा घटना किये जाने की पुष्टि हुयी पुलिस द्वारा उपरोक्त ट्रक के ड्राइवर शिव गोपाल को गिरफ्तार किया गया । ट्रक को पुलिस के कब्जे में ले लिया गया है । अभियोग की विवेचना जारी है ।

3--मृतक के पिता को थाने पर तैनात मुंशी द्वारा सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर गाली-गलौज करके वापस कराने एवं अन्य आरोपों की जाँच क्षेत्राधिकारी नरैनी द्वारा कराई जा रही है मृतक के आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सहायता दिये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।]

डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, इसमें मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि रस्सी लटक रही है, टाँग फंस गयी । मान्यवर, इसमें पहली बात यह है कि यह जो पूरा बयान दिया गया है यह एकदम सत्य से परे है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि मृतक कमलेश के पिता रघु पुत्र राम किशुन ने जाँचकर्ता सी0 ओ0 के समक्ष क्या बयान दिया ? मान्यवर, यह बात सही नहीं है, जानबूझकर वन विभाग के इकाई अधिकारी पृथ्वी राज सिंह ने पुराने द्वेष के कारण फंसवा कर मरवा डाला है । क्या माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर इसकी सी0 आई0 डी0 जाँच करवा लेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, आज मृतक के पिता को हमने बुलवाया था चूंकि अभी तक जो जानकारी मिली थी उससे हम संतुष्ट नहीं थे इसलिए उनको गाँव से बुलवा लिया था । माननीय सदस्य मिल नहीं पाये इस लिए इनसे बातचीत नहीं हो पाई । जो जानकारी आई है उस जानकारी को देखते हुए, माननीय सदस्य की जो माँग है, उसको देखते हुए इसकी सी0 आई0 डी0 से जाँच करवा लेंगे ।

डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, मेरा एक सवाल और है ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें एक बात सुन लें । जो वक्तव्य आता है, उसमें अगर आपका कहना है कि सूचना गलत है तो विशेषाधिकार की सूचना दे सकते हैं । स्पष्टीकरण के लिये पूछा तो मा0 मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया और मंत्री जी ने सी0 आई0 डी0 की जाँच स्वीकार कर ली । मंत्री जी आपने जाँच स्वीकार कर ली ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जी हाँ ।

डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, मा0 मंत्री जी को सी0 आई0 डी0 जाँच के लिये धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन निवेदन कर रहा हूं कि वह नवयुवक था, 20 वर्ष की उम्र का था ।

श्री अध्यक्ष-

आप तो सी0 आई0 डी0 की जाँच माँग रहे थे, माँग मान ली । शासन ने स्वीकार कर ली तो आगे क्या कह रहे हैं ?

डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, उसी के सहारे परिवार था, तो क्या मा0 मंत्री जी उसके आश्रितों को 15 हजार रुपया धनराशि मुआवजा के रूप में देंगे ताकि उसके आश्रित कुछ काम कर सकें ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये हैं कि इस संबंध में कानूनी मर्यादाओं को देखते हुए जो भी धन हो सकेगा, जरूर दिया जायगा ।

प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों एवं कापियों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

*शिक्षा मंत्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार . . .

श्री अध्यक्ष--

यदि आप सभी सदस्य सहमत हों तो यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

[कार्य स्थगन प्रस्ताव में माननीय सदस्य ने प्राइमरी से इण्टरमीडिएट तक की राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के अभाव की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य दिये जाने का अनुरोध किया है । इस संबंध में स्थिति निम्नवत् है--

कक्षा 1 से 12 तक की राष्ट्रीयकृत 129 पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण प्रदेश के राज नियुक्त प्रकाशकों, मुद्रकों द्वारा भारत सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले रियायती मूल्य के कागज पर किया जाता है । जनवरी, 1987 से कागज की आपूर्ति भारत सरकार के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि0 द्वारा की जा रही है । कागज के मूल्य में वृद्धि होने तथा भारत सरकार द्वारा सब्सिडी की राशि में वृद्धि न किये जाने के कारण हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि0 द्वारा अप्रैल-जून, 1989 से आवंटित कागज की आपूर्ति में रुकावट आ गयी थी इस तथ्य की जानकारी होते ही माह मार्च, 1990 में कागज की आपूर्ति को नियमित किये जाने हेतु विभाग द्वारा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों तथा मिल से सम्पर्क किया गया । तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए 15,000 मी0 टन कागज की व्यवस्था की जानी चाहिये थी । पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु यह निर्णय लिया गया कि खुले बाजार से कागज का क्रय किया जाय । इस हेतु रु0 7.50 करोड़ की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर स्वीकृत की गयी । सम्प्रति इसी व्यवस्था के अन्तर्गत कागज की आपूर्ति हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कराई जा रही है । विभाग को मिल के प्रतिनिधि से प्राप्त सूचनानुसार दिनाँक 25 जून, 1990 तक 5,000 मी0 टन कागज डिस्पैच किया जा चुका है ।

शिक्षा विभाग द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के किसी भी भाग में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता को लेकर समस्या उत्पन्न न होने पाये । प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को दिनाँक 21 जून, 1990 के पत्र द्वारा विस्तृत निर्देश रियायती मूल्य के कागज की उपलब्धता, राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण तथा उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये दिये गये हैं ।

विभाग को प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश में सम्प्रति राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता के संबंध में विषम स्थिति उत्पन्न नहीं है । पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं।

अत: यह कहना गलत है कि पुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है तथा उनमें आक्रोश व्याप्त है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी के वक्तव्य में लिखा है। 15 हजार मी0 ट0 कागज की आवश्यकता थी और 25 जून, 1990 तक 5 हजार मंट्रिक टन कागज मिलों से डिस्पैच किया जा चुका है। आगे लिखा है कि पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हो गयी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने कागज की कुल आवश्यकता थी और कितना कागज प्रकाशकों को दिया गया। जब कि 25 जून को 5 हजार मंट्रिक टन कागज मिल से चला है तो पहली जुलाई को किताबें कैसे उपलब्ध हो गयीं, उसका आधार क्या है। दूसरे जो 129 राष्ट्रीयकृत पुस्तकें हैं उनमें से आज की तारीख में कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं और वे पूरी मात्रा में उपलब्ध हैं या कम हैं।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, हमें आवश्यकता है 15 हजार मीट्रिक टन की और 5 हजार मीट्रिक टन हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन से डिस्पैच हो गया है। जिसमें से जो हमें सूचना मिली है, हम अनुश्रवण करा रहे हैं, इस संबंध में 2240 मंट्रिक टन के बारे में सुनिश्चित जानकारी है कि पहुंच चुकी है और दूसरा और भी कागज पहुंच रहा है। जहां तक पाठ्य पुस्तकों के अभाव का सवाल है, पाठ्य पुस्तकें कुछ नयी छपी थीं, वह उपलब्ध है, कुछ थोड़ी सी कम हैं, उसे भी शीघ्र ही पूरा करा रहे है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, 15 हजार में से 2200 मीट्रिक टन कागज उपलब्ध हुआ और खुद कह रहे हैं कि प्रकाशकों को कागज भेजेंगे, उसके बाद किताबें छपेंगी और वक्तव्य में लिखा है कि पाठ्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं और हमारे यहां छात्रों को असुविधा नहीं है । कागज अभी मिला नहीं है, गर्भ हुआ नहीं, बच्चा पैदा हो गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कागज प्रकाशकों को दिया नहीं, किताब मुद्रित नहीं हुई तो बाजार में किताब कैसे उपलब्ध हो गयीं । आखिरकार छात्र और अभिभावक चिंतित हैं कि पुस्तकें नहीं हैं मंत्री जी को सही सूचना देनी चाहिये कि पुस्तकें कसे छपीं, वे यह बता दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप भी प्रश्न पूछ लें।

श्री कृष्ण कुमार नवमान—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि पहले सब्सिडाइज्ड कागज अलग रंग का होता था, अब दोनों एक ही रंग के हो गये। सब्सिडाइज्ड भी उसी रंग का हो गया। इसलिये कागज ब्लैक मेल हो रहा है। इस पर सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई है और रंग नहीं बदल रहे हैं। मिल से यहां तक कागज आने में लगभग सवा माह लगता है। सवा महीने तक प्रकाशकों————

श्री अध्यक्ष—

आप स्पष्टीकरण मांगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री कृष्ण कुमार नवमान—

मान्यवर, प्रकाशकों को स्टेशनों पर कागज मिलने में समय लगता है, जिस समय कागज मिल जाता है, फिर किताबें छपती हैं, वह किताबें रिलीज होती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी किताबें इंस्पेक्टर के यहां से रिलीज हो चुकी हैं। जब तक इन्सपेक्टर के यहां से रिलीज नहीं हुई तो फिर मार्केट में कैसे पहुंची, फिर लोगों के पास कैसे पहुंची? इस प्रकार से यह ठीक नहीं है। बाजार में इस वक्त पुस्तकों की बड़ी कमी है।

श्री अध्यक्ष—

और किसी सदस्य का भी स्पष्टीकरण है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, स्थिति यह है कि विवाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का है। उस विवाद को बजाय हल करने के सरकार घेरे में पड़ गयी है पूंजीपतियों के, मान्यवर, उत्तर आप देख लें, उत्तर से खुद स्पष्ट है, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड इसने तो कागज देना बन्द कर दिया, इसलिये बन्द कर दिया गया कि सबसिडी बन्द कर दी गयी। और भी पेपर मिल हैं सरकार का उसमें पैसा लगा हुआ है, उनसे आप कागज ले नहीं पा रहे हैं, ओपन मार्केट में कागज ले रहे हैं ज्यादा पैसे में कागज खरीदा जा रहा है। कंटीजेंसी से पैसा ले लिया गया। जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तालमेल न होने के कारण भारी मूल्य देकर वह कागज खरीदना पड़ रहा है इस मामले को हल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? जो पाठ्य पुस्तकों का अभाव है उसे कैसे दूर किया जायेगा। इसके बारे में क्या सोचा गया ह ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, जो चिंता माननीय नेता भा0 जा0 पा0 ने व्यक्त की है और जो अन्य माननीय सदस्यों ने यहां पर व्यक्त की ह, हमारे लिये आवश्यक है कि स्थिति हम स्पष्ट कर दें पूरी-पूरी और मैं समझता हूं कि उस स्थिति के स्पष्ट होने के बाद निश्चित कम से कम भा0 ज0 पा0 के नेता, जो हमार मित्र हैं वह संतुष्ट होंगे कि इस सरकार ने प्रभावी कार्यवाही की है। यह कहना सही नहीं है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में कोई गतिरोध है, बातों में भिन्नता है। आज की स्थिति को देखते हैं तो हमें पिछले एक वर्ष का पुनरावलोकन करना पड़ेगा। मान्यवर, 1 अप्रैल, 89 से जनवरी

1990 तक हमें कागज उपलब्ध नहीं हुआ। माननीय पंचानन राय जी समझते होंगे, शुरू में ही हमने कहा था कि अंतहीन समस्यायें हमें मिली हैं। यह समस्या भी हमें मिली। पूरे वर्ष विगत सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की यह सही है, यह भी सही है कि पुस्तकों की छपाई का काम है, आबंटन का काम है यह शुरू होना चाहिये था अक्तूबर नवम्बर से 1 जनवरी तक हमारे अधिकारी प्रयास करते रहे फरवरी में हमारे अधिकारियों ने बताया कि कागज की यह विषम स्थिति है। 1 अप्रैल 1989 से कागज के संबंध में कोई विशेष प्रयास नहीं हुए। इस सरकार की संवेदनशीलता और जागरुकता का अंदाज माननीय सदस्यों को लगेगा, 8–9 मार्च को मैं स्वयं भारत सरकार के अनेक मंत्रियों से मिला था। क्योंकि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का कहना यह था कि पांच हजार रु0 पर मीट्रिक टन कागज की कीमत बढ़ गयी और उस हिसाब से जो मूल्य दिया जा रहा है उसमें संभव नहीं है। वह प्रयास मैंने किया। सचिव स्तर पर बैठकें दिल्ली में हुई और उसके बाद मुख्य सचिव को निर्देशित किया 23 मार्च को उसके बाद उच्चस्तरीय बैठक मुख्य सचिव ने बुलायी, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की और यह सब देखकर प्रदेश की मंत्रि परिषद् ने साढ़े 7 करोड़ रुपये का प्राविधान किया और हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को यह कहा गया कि वह कागज को शीघ्र से शीघ्र हमको भेजे। इसके लिये हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन से कहा गया कि शीघ्रता के लिये वह ट्रकों से माल भेज दें। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि इसी बीच जानकारी मिली कि जहां आसाम में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का मिल है, वहां मानस नदी का पुल टूट गया, तब हमारे उच्चाधिकारी तुरन्त वहां पहुंचे, कलकत्ता गये और फिर वहां से आसाम गये, तथा कारखाने पहुंचे, वहां उन्होंने ट्रकों को वापस करवाकर रेलगाड़ी से कागज पहुंचाने की व्यवस्था कराई जो माननीय पंचानन राय जी ने आशंका व्यक्त की कि 15 हजार मीट्रिक टन की आवश्यकता थी और केवल 5 हजार आया है। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि 5 हजार मीट्रिक टन कागज वहां से चल चुका है और हम रोज इसकी मानीटरिंग करा रहे हैं कि कितना कितना कागज पहुंचा, कितना प्रेस में पहुंचा और कितनी किताब आ गयीं।

एक चीज और बता दूं कि यह जो कागज है, इसकी कुछ आवश्यकता हमें होती है जुलाई के शुरुआत में और कक्षा–1 के जो विद्यार्थी हैं, उनको दिसम्बर, में दुबारा लेना, पड़ता है, तो इस तरह से 25 हजार मीट्रिक टन का आंकलन हमने पूरे साल के लिये किया है। इसमें 5 हजार हमें तुरन्त चाहिये था, इसके लिये हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन वालों ने कहा था कि मई में कागज पहुंचा देंगे, लेकिन अब यह कागज पहुंचा है। हमने पुरानी पुस्तक कक्षा–1 व 3 की एन0 सी0 आर0 टी0 के निर्देशन में फिर से मुद्रित करवाई है, यह पुस्तकें और नई पुस्तकें मिलाकर पूरी हो गयी है। जो माननीय गुप्त जी को चिन्ता है, हमारी इस बात से उनको इस सरकार की संवेदनशीलता का पूरा अन्दाजा होगा कि हमारा लगातार यह प्रयास रहा है, जिस दिन से यह सरकार बनी है, कि कागज की उपलब्धता हो और हमारे बच्चों को किताबें उपलब्ध हों। इसके लिये मंत्रि परिषद् ने साढ़े 7 करोड़ रुपये का प्राविधान कर दिया था, इसलिये हम आश्वस्त हैं कि कागज की कमी नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष—

आज की कार्यवाही समाप्त हुई, कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 37 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

9 जुलाई, 1990।

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए अता0 प्र0 सं0 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ पर)

ग्राम सुहेला स्थित आरक्षित वन भूमि पर हुए अतिक्रमण की सूची:—

क्रम-संख्या	अतिक्रमणकारी का नाम, पिता का नाम तथा पूरा पता	अतिक्रमित क्षेत्र एकड़
1	2	3
1	परमजीत सिंह पुत्र नामालूम, सा0 चोपड़ा फार्म, थाना सम्पूर्णानगर, जिला खीरी	15.00
2	नरवेन्द्र कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र राज बहादुर, सा0 त्रिकौलिया	6.00 9.35
3	नरेश पुत्र राम दुलारे, सा0 त्रिकोलिया, जिला खीरी	1.43
4	दर्शन सिंह, गोपाल सिंह पुत्र गण सरवन सिंह, नि0 गदनिया, था0 सम्पूर्णानगर, खीरी	7.51
5	राधेश्याम पुत्र जयलाल, सा0 त्रिकोलिया, खीरी	2.00
6	बुधई पुत्र छिदई, सा0 त्रिकौलिया, जिला खीरी	2.00
7	लक्ष्मन पुत्र मेघा, सा0 त्रिकोलिया, खीरी	3.15
8	मूल चन्द पुत्र मायाराम, सा0 त्रिकोलिया, खीरी	2.48
9	जोगिन्दर सिंह पुत्र मंहगा सिंह, सा0 गदनिया खीरी	4.00
10	करनेल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह, सा0 गदनिया, खीरी	8.57
11	सुच्चा सिंह पुत्र सधू सिंह, सा0 गदनिया, खीरी	16.65
12	मलकियत सिंह पुत्र नामालूम सा0 गदनिया, खीरी	3.25
13	इकबाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह, सा0 सुहेला, था0 सम्पूर्णानगर, खीरी	2.00
14	विरजा पुत्र महादेव, सा0 त्रिकोलिया, खीरी	1.50
15	गुरूदयाल सिंह पुत्र मैला सिंह, सा0 सुहेला, खीरी	5.35
16	पप्पँ पुत्र नामालूम, नि0 सुहेला	1.75
17	सन्तोष सिंह पुत्र किशन सिंह, सा0 सुहेला, खीरी	2.00
18	बलवन्त सिंह पुत्र किशन सिंह, सा0 सुहेला	1.00
19	सोबरन सिंह पुत्र किशन सिंह, सा0 सुहेला	1.00
20	चैन सिंह पुत्र किशन सिंह, सा0 सुहेला	1.00

ग्राम गदनिया स्थित आरक्षित वन भूमि पर हुये अतिक्रमण की सूची:—

1	(1) कशमीर सिंह पुत्र प्यारा सिंह, सा0 गदनिया, पो0 त्रिकोलिया, खीरी (2) गुरूवेन्द्र सिंह पुत्र प्यारा सिंह, सा0 गदनिया, पो0 त्रिकोलिया, खीरी (3) हरपाल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह, सा0 गदनिया, पो0 त्रिकोलिया, खीरी (4) जस्सा सिंह पुत्र मूला सिंह, सा0 गदनिया, पो0 त्रिकोलिया, खीरी (5) सन्तोष सिंह पुत्र सरदार सिंह, सा0 गदनिया, पो0 त्रिकोलिया, खीरी (6) शारदा पुत्र भज्जा, सा0 त्रिकोलिया, खीरी	18.00
2	थाना सिंह पुत्र बचन सिंह सा0 गदनिया	30.00

1	2	3
		एकड़
3	जनरैल सिंह पुत्र नगीना सिंह, सा0 कुडरी फार्म, था0 पलिया, खीरी	10.00
4	(1) गुरूदयाल सिंह पुत्र नवरंग सिंह, सा0 गदनिया फार्म, था0 पलिया, जिला खीरी	10.00
	(2) गुरूवेन्द्र सिंह पुत्र प्यारा सिंह	
	(3) प्रदीप सिंह पुत्र बलवन्त सिंह	
	(4) जसवन्त सिंह पुत्र माला सिंह	
	(5) सन्तोष सिंह पुत्र सरदार सिंह	
5	मुन्ना पुत्र राज बहादुर सा0 त्रिकोलिया, खीरी	1.50
6	(1) जोगेन्द्र सिंह पुत्र उत्तम सिंह, सा0 गदनिया	4.00
	(2) नरवेन्द्र कुमार पुत्र राज बहादुर, सा0 त्रिकोलिया	
	(3) जसवन्त सिंह पुत्र नामालूम, ट्रै0 ड्राइवर, ट्र0 नं0 6920, बैलार्स एग्रो कम्पनी, पलिया	
7	(1) चैन सिंह पुत्र किसन सिंह, ट्रैक्टर सहित, सा0 पतेड़ा	..
	(2) सन्तोष सिंह पुत्र किशन सिंह, सा0 पतेड़ा	
	(3) रतन सिंह पुत्र नामालूम, सा0 गदनिया	
	(4) हरद्वार सिंह पुत्र नामालूम सा0 गदनिया	
	(5) गुरूबक्श सिंह पुत्र बचन सिंह, सा0 गदनिया, ट्रैक्टर सहित	
	(6) गुरूवेन्द्र सिंह पुत्र प्यारा सिंह, सा0 गदनिया	
	(7) मुन्ना उर्फ नरवेन्द्र कुमार पुत्र राज बहादुर, ट्रै0 सहित, सा0 त्रिकोलिया	
8	नरवेन्द्र कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र राज बहादुर, सा0 त्रिकोलिया	12.00
9	अजमेर सिंह पुत्र खजान सिंह, सा0 त्रिकोलिया	6.00
10	(1) थाना सिंह पुत्र वचन सिंह, सा0 गदनिया	15.00
	(2) गुरूबक्श सिंह पुत्र वचन सिंह, सा0 गदनिया	
11	(1) अखलेश कुमार पुत्र राज बहादुर, सा0 त्रिकोलिया	..
	(2) जगवेन्द्र कुमार पुत्र राज बहादुर, सा0 त्रिकोलिया	
	(3) वली राम पुत्र कन्हई लाल, सा0 त्रिकोलिया	
	(4) राज कुमार पुत्र खमई, सा0 त्रिकोलिया	
	(5) राम शंकर पुत्र मूधर, सा0 पतेड़ा, खीरी	
12	अजमेर सिंह पुत्र खजान सिंह, सा0 त्रिकोलिया	0.50
13	महादेव पुत्र भगवान दीन, सा0 त्रिकोलिया	1.25
14	कालिका पुत्र राम दत्त, सा0 त्रिकोलिया	1.00
15	महेन्द्र सिंह पुत्र उत्तम, सा0 गदनिया, खीरी	4.00
16	जोगेन्द्र सिंह पुत्र उत्तम सिंह, गदनिया, खी	4.00
17	मेघा सिंह पुत्र धरम सिंह, सा0 गदनिया	3.00
18	करतार सिंह पुत्र तेजा सिंह, सा0 गदनिय	3.00
19	जीत सिंह पुत्र हरी सिंह, सा0 गदनिया	12.63
20	थाना सिंह पुत्र हरी सिंह, सा0 गदनिया	12.63
21	जोगेन्द्र सिंह पुत्र हरी सिंह, सा0 गदनिया	12.63

1	2	3
		एकड़
22	बलवन्त सिंह पुत्र किशन सिंह, सा0 गदनिया	0.70
23	चैन सिंह पुत्र किशन सिंह, सा0 गदनिया	6.00
24	दर्शन सिंह पुत्र सरदार सिंह, सा0 गदनिया	10.00
25	तेजा सिंह पुत्र पूरन सिंह सा0 गदनिया	2.00
26	भूपेन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह, सा0 गदनिया	4.50
27	कश्मीर सिंह पुत्र नौरंगा सिंह, सा0 गदनिया	5.00
28	प्यारा सिंह पुत्र लाल सिंह, सा0 गदनिया	4.50
29	बचन सिंह पुत्र गुरूदत्त सिंह, सा0 गदनिया	8.00
30	नंद सिंह पुत्र सज्जन सिंह, सा0 गदनिया	3.50
31	सोबरन सिंह पुत्र किशन सिंह, सा0 गदनिया	6.75
32	गुरूबक्श सिंह पुत्र बचन सिंह, सा0 गदनिया	1.50
33	चैन सिंह पुत्र किशन सिंह, सा0 गदनिया	1.50
34	रतन सिंह पुत्र गुरूदास सिंह, सा0 गदनिया	0.30
35	महेन्द्र सिंह पुत्र फौजा सिंह, सा0 गदनिया	2.00
36	सन्तोष सिंह पुत्र किशन सिंह, सा0 गदनिया	14.00
37	बचन सिंह पुत्र गुरूदत्त सिंह, सा0 गदनिया	20.00
38	बलवन्त सिंह पुत्र किशन सिंह, सा0 गदनिया	1.50
39	नरेन्द्र कुमार पुत्र राज बहादुर, सा0 त्रिकोलिया	2.00

सत्यमेव जयते

नत्थी "ख"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 96 का उत्तर पीछे पृष्ठ पर)

संलग्नक "क"

विधान सभा के तृतीय सत्र–90 के 4थे सोमवार के लिये निर्धारित श्री देव कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0–96 का संलग्नक ।

प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र में निम्न आरोपों और मांगों का विवरण है ––

आरोपः––

(1) नई जे0 वी0 एम0 रिग मशीन की मरम्मत के नाम पर करीब रु0 25 लाख आहरण कर गबन किया गया ।

(2) जीप संख्या यू0 एच0 ई0–120 की मरम्मत के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों रुपये निकाल कर गबन किया गया तथा फर्जी अभिलेख तैयार किये गये ।

(3) खण्ड में सिविल अभियन्ताओं द्वारा अपने अधिकारों से बाहर जाकर मैकेनिकल कार्यो हेतु 15.20 लाख रु0 के कार्यादेश कराया जाना, मैकेनिकल अभियन्ताओं की पूर्ण अवहेलना ।

(4) श्री सामवेदी द्वारा अपने दोहरे कार्यकाल में करीब 50 लाख रु0 की टी0 एण्ड पी0 की आपूर्ति करके धनराशि का आहरण किया जाना ।

(5) दोहरे कार्यकाल के दौरान फर्जी कार्यादेश के आधार पर कई हजार रुपया का गबन किया जाना ।

(6) टायरों की खरीद कर बेंच दिये जाने के उपरान्त लाखों रुपये का गबन कर लिया जाना।

(7) विभागीय कार्य के लिये करीब रु0 30 लाख की कीमत के लकड़ी के पटरे, बोल्स्वीपर आदि खरीदने के नाम पर धनराशि का गबन किया जाना ।

मांगेः—

(1) श्री हरि भगवान सामवेदी को तत्काल निलम्बित किया जाये एवं सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानान्तरण करके सी0 बी0 आई0 तथा टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच कराया जाये ।

(2) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान संहिता के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर गिरफ्तार करके दण्डित किया जाये ।

(3) सातों शिकायती बिन्दुओं के अभिलेखों को कब्जे में लेकर सील किया जाये ।

सत्थी "ग"

(देखिये अ0 प्र0 सं0 169 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 81 पर)

विवरण

क्रम संख्या	निर्माण का वर्ष	मार्ग का नाम	सोलिंग स्तर तक कराये गये कार्य की लम्बाई	
1	2	3	4	
1	1982–83	पक्की सड़क से ब्लाक कालोनी तक	200	मीटर
2	1983–84	हरैया-मकदूमपुर से हांसपुर	500	,,
3	,,	चिलबिली से कच्ची सड़क तक	300	,,
4	,,	भैंसाड़ से चिलबिली सम्पर्क मार्ग तक	100	,,
5	,,	बनावे से नदी के किनारे तक	208	,,
6	,,	हाजीपुर बंध से हरिजन बस्ती तक	150	,,
7	,,	मसुरियापुर हरिजन बस्ती तक	210	,,
8	,,	करखिया रुस्तम सराय से हरिजन बस्ती तक	100	,,
9	1984–85	बाजार गोसाई सड़क से आदर्श हरिजन बस्ती चिलबिली	500	,,
10	,,	शारदा सहायक नहर से गडौरा-मझौरा तक	400	,,
11	,,	लाटघाट-रौनापार पक्की सड़क से ताहिरपुर	400	,,
12	,,	लाटघाट रौनापार रोड से खोजौली तक	350	,,
13	,,	महुला-गढ़वल बांध से हाजीपुर हरिजन बस्ती तक	440	,,
14	,,	रौनापार-महडौर पी0डब्लू0डी0 मार्ग से भरौटी-मईडौर तक	385	,,
15	1985–86	सम्पर्क मार्ग बनावे	275	,,
16	1986–87	चांद पट्टी से बाजार गोसाई सम्पर्क मार्ग	1.00	कि0मी0
17	,,	बाजार गोसाई मीम्बर भाग से मऊ कुतुबपुर	235	मीटर
18	1987–88	अरडीहा से परेवा रुद्रपुर	2.00	कि0मी0
19	,,	महुला-गढ़वल बांध से गांगेषु तक	570	मीटर
20	,,	लाटघाट-रौनापार पी0डब्लू0डी0 सड़क से सदनीपुर होते हुये रौनापार बाजार तक मार्ग	1.00	कि0मी0
			9,323	कि0मी0

नत्थी "छ"

(देखिए अ0 प्र0 सं0 170 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 82 पर)

विकास खण्ड अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ में निर्मित खडंजा सम्पर्क मार्ग की सूची:—

क्रमांक	स्थल का नाम	लम्बाई
1	2	3
		कि0मी0
1	पक्की रोड से पतार	0.250
2	बखालिस से चुनहवा इनारा	3.000
3	नरहन लाट घाट मार्ग से बरडीहा	1.000
4	दिलशाद पुर से बागपुर	1.000
5	लक्ष्मी कूप से मानिकपुर	1.000
6	पक्की सड़क से अलीपुर	0.300
7	पक्की सड़क से कुदारन तिवारी	1.000
8	अजमतगढ़-मुहम्मदाबाद मार्ग से अलियाबाढ़ कटाई	0.500
9	जायनपुर आजमगढ़ मार्ग से अजनजानशहीद	0.350
10	जौयनपुर बिलरियागंज मार्ग से मालटारी	0.200
11	पक्की सड़क से जमसर	0.500
12	जौयनपुर टोहरी-घाट मार्ग से हरखोरन	1.000
13	पक्की सड़क से सगड़ी कन्या पाठशाला	0.300
14	पकवा इनार से राजूपट्टी	0.400
15	मुख्य सड़क से विकास खण्ड कार्यालय	0.100
	योग ..	11.100

पी0 एस0 यू0 पी0 वि0 सभा—4-10-90 813 (मोनो)